राजस्थान विधान सभा की कार्यवाही का वृत्तान्त

अंक : 3] तेरहवीं विधान सभा के तृतीय सत्र का चौथा दिवस [संख्या : 14

शुक्रवार;

10 जुलाई, 2009

राजस्थान विधान सभा की बैठक 11.00 बजे राजस्थान विधान सभा भवन, जयपुर में प्रारम्भ हुई।

(श्री दीपेन्द्र सिंह शेखावत, अध्यक्ष, पदासीन)

तारांकित प्रश्नोत्तर

श्री अध्यक्ष: श्री अशोक डोगरा ।

बूंदी जिले में कृषि एवं खनिज उद्योगों की स्थापना

20. श्री अशोक डोगरा (बूंदी): क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र बून्दी में रीको द्वारा वर्ष 2001 से अब तक कितने औद्योगिक क्षेत्र विकसित किए गए? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या बून्दी जिले के कृषि प्रधान होने के कारण सरकार कृषि आधारित उद्योग विकसित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र बून्दी के बरड क्षेत्र में खनन कार्य की अधिकता को देखते हुए सरकार खनिज आधारित उद्योग भी लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): अध्यक्ष महोदय, माफी चाहूंगा, मेरे मित्र मुझे कुछ सलाह दे रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: आप तो जवाब दीजिए ना।

उद्योग मंत्री (श्री राजेन्द्र पारीक): (1) अध्यक्ष महोदय, विधान सभा क्षेत्र बून्दी में रीको द्वारा वर्ष 2001 से अब तक कोई भी औद्योगिक क्षेत्र विकसित नहीं किया गया है। (व्यवधान) क्या प्रोब्लम है।

श्री अध्यक्ष: आप इधर मुखातिब होकर बोलिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): (2) सरकार अपने स्तर पर उद्योग स्थापित नहीं करती है। सरकार कृषि आधारित उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है।

(श्री राजेन्द्र पारीक)

(3) सरकार अपने स्तर पर उद्योग स्थापित नहीं करती है । सरकार खनिज आधारित उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है ।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): अध्यक्षजी, जैसा कि मंत्रीजी ने बताया कि रीको द्वारा 2001 के बाद कोई इंडस्ट्रियल एरिया डवलप नहीं किया गया है। मेरा जो बून्दी विधान सभा क्षेत्र है, वहां कृषि के हिसाब से राइस ज्यादा होता है । 33 राइस मिल चल रही हैं जिसमें 24 राइस मिल ढाई किलोमीटर में एक ही रोड पर लगी हुई हैं। जो लोग खुद की राइस मिल लगाना चाहते हैं या कोई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं उसके कन्वर्जन की फाइल दो-दो साल तक वहां रोक कर रखते हैं, कलक्टर के यहां पड़ी रहती हैं। मेरा यह कहना है कि इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित हो जैसे कि अरबन एरिया की जमीन के कन्वर्जन के लिये इंडस्ट्रीयल एरिया अलाटमेंट रूल, 1959 हैं और रूरल एरिया के लिये राजस्थान कन्वर्जन आफ एग्रीकल्चर लैंड फार नोट एग्रीकल्चर यूज 2007 है जो इंडस्ट्रीज के लिये है ।

श्री अध्यक्ष: आपका पूरक प्रश्न क्या है?

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): मेरा प्रश्न यह था कि रीको कोई एरिया डवलप करता नहीं है तो जो आदमी खुद की इंडस्ट्री लगाना चाहता है उसकी परमिशन क्यों नहीं मिलती है? कभी तो टाउन प्लानर का लगा देते हैं। जबकि 24 इंडस्ट्री वहां ढाई किलोमीटर में चल रही हैं। या तो उसको इंडस्ट्रीयल कोरिडोर डिक्लेयर कर दें। कभी पोल्यूशन कंट्रोल का लगा देते हैं। लैंड कन्वर्जन में पोल्यूशन कंट्रोल कहां से आ गया? जब इंडस्ट्री लगाते हैं तब पोल्यूशन वाले बात करेंगे। या तो मंत्रीजी यह बता दें कि दो साल लैंड कन्वर्जन की कलक्टर के पास कितनी फाइलें पेंडिंग हैं?

श्री अध्यक्ष: प्रश्न यह है कि कितनी फाइलें पेंडिंग हैं।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): जी हां, और यह कब तक कन्वर्ट हो जायेगी। इसके लिये कोई समय सीमा निर्धारित हो जाये।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, कलक्टर के यहां कितनी फाइलें पेंडिंग है इसकी जानकारी तो रेवेन्यू डिपार्टमेंट देगा लेकिन इस विभाग से संबंधित तीन प्रकरण जो रीको ने खास तौर से बूंदी के लिये जो एरिया चिह्नित करने के लिये जो प्रस्ताव भेजे हैं उनमें तीन क्षेत्र हैं। अध्यक्ष महोदय, अतिपुरा, हिण्डौन विधान सभा क्षेत्र, धनेश्वर। अध्यक्ष महोदय, इसमें धनेश्वर जो है उसमें 275 बीघा लैंड है लेकिन वहां कुछ एरिया फोरेस्ट में है

(श्री राजेन्द्र पारीक)
और माननीय सदस्य इस बारे में यदि कुछ विशेष सुविधा चाहते हैं और विशेष एरिया चिह्नित करने के लिये कहते हैं तो मैं रीको को निर्देश दूंगा कि तत्काल इस पर कार्यवाही करे।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): मैं तो यह पूछ रहा हूं कि एग्रीकल्चर लैंड को इंडस्ट्री में कन्वर्ट करने के लिये कितनी फाइलें हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता, मूल प्रश्नकर्ता।

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): 6 बीघा में कोई इंडस्ट्री चला रहा है उसको यदि एक्सपेंशन के लिये 2 बीघा और कन्वर्ट करानी है तो उसको भी नहीं करते हैं। उसके लिये भी 2-2 साल लगा देते हैं। आलरेडी वहां इंडस्ट्री चल रही है उसको कहते हैं कि टाउन प्लानर से पोल्यूशन का लाओ। जब ढाई किलोमीटर के एरिया में 24 इंडस्ट्री चल रही हैं तो उसको इंडस्ट्रीयल कोरिडोर क्यों नहीं डिक्लेयर करते हैं, ताकि इन झंझटों से मुक्ति मिल जाये । कभी पेरीफेरी का नाम ले देते हैं।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं स्पेसिफिक बात यह कहना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जो जानकारी चाही है कि एग्रीकल्चर लैंड को कन्वर्ट करने के लिये कलक्टर के पास कितनी फाइलें पड़ी हुई हैं यह रेवेन्यू का मामला है इसका जवाब रेवेन्यू बोर्ड देगा।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): सर, यह आप गलत कह रहे हो... (व्यवधान) यह प्रोपर उद्योग विभाग का काम है।

श्री अध्यक्ष: पहले जवाब आ जाने दीजिए, मैं आपको अवसर दूंगा, माननीय सदस्य आपको अवसर दूंगा लेकिन पहले जवाब आ जाने दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, रीको ने तीन एरिया चिह्नित किये हैं उसमें अपने यहां से रीको की पूरी टीम गई है और टीम ने जाकर जो सर्वे किया है उस सर्वे के आधार पर तीन एरिया चिह्नित किये हैं और रीको उन तीन एरिया में भूमि चिह्नित कर रही है और उसके लिये रीको एरिया डवलप करेगी। उसमें एक एरिया खास तौर से जो धनेश्वर है उसमें चूंकि वन भूमि का एरिया लगा हुआ है और वन भूमि में खास तौर से सुप्रीम कोर्ट के जो नये आर्डर हैं कि एक किलोमीटर की परिधि में जहां वन अभयारण्य हो वहां आप चिह्नित नहीं कर सकते हो, वह एक प्रोब्लम है बाकी जो भी माननीय सदस्य इस बारे में जानकारी देंगे कि फलां लोकेशन पर कोई गवर्नमेंट लैंड खाली पड़ी है, यह जब चिह्नित करेंगे तो रीको के अधिकारी जाकर उसको उपलब्ध करायेंगे।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहूंगा कि कोई भी उद्योग वाला जब उद्योग लगाना चाहता है तो आप उद्योग विभाग में उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। मंत्री महोदय यह बतायेंगे ...

श्री अध्यक्ष: बतायेंगे नहीं, बताने की कृपा करें ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): बताने की कृपा करेंगे कि कितने उद्योग लगाने के प्रार्थना पत्र उद्योग विभाग में आये हैं और उन प्रार्थना पत्रों का निस्तारण कितने दिनों में होगा? जिला कलक्टर के यहां पर उद्योग विभाग ने जो आवेदन भेजे हैं उनका निस्तारण कितने दिनों में होगा?

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, यह प्रश्न मूल प्रश्न से बिलकुल भिन्न है । माननीय सदस्य ने जानकारी चाही कि बूंदी जिले में कृषि आधारित उद्योग लगाने में, माइनिंग उद्योग लगाने में, उसके लिये जो बिलकुल स्पष्ट जो उत्तर है कि सरकार अपने स्तर पर उद्योग नहीं लगाती है।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, यह तो बतायें कि कितने प्रार्थना पत्र आये हैं, उद्योग विभाग में कितनों ने आवेदन किया है बूंदी जिले में, मैं पूरे राजस्थान का नहीं पूछ रहा हूं ।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न है कि 2001 के बाद बूंदी जिले में रीको द्वारा कोई एरिया डवलप किया गया है। इसका स्पष्ट उत्तर है 2001 के बाद बूंदी जिले में कोई नया एरिया डवलप नहीं किया गया।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): मंत्री महोदय तैयारी करके आया करें सदन में। सदन में केवल इस खेमे से नहीं, इतनी-सी बात का जवाब नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब आने दीजिए पूरा।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप जवाब दें कि कितने लोगों ने आवेदन किये हैं, स्पेसिफिक जवाब दें आप।

श्री अध्यक्ष: खाली आवेदन की पूछ रहे हैं कि कितने लोगों ने आवेदन किया है।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मूल प्रश्न जो है कि रीको ने 2001 में, जानकारी उपलब्ध करा दी जायेगी । अध्यक्ष महोदय, रीको का सीधा-सीधा प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, क्या हमारा अधिकार नहीं है सप्लीमेंट्री पूछने का? या तो यह तय हो जाये कि सरकार हमें अधिकार नहीं देगी सप्लीमेंट्री पूछने का ।

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं, बैठिए आप जवाब दे रहे हैं ।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, मैं पुन: विनम्र निवेदन करूंगा कि रीको ने 2001 के बाद एरिया डवलप किया है, स्पष्ट है, जी नहीं। एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग लगाने की सरकार इच्छा रखती है ।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): अध्यक्ष महोदय, टाइम वेस्ट मत करो आगे प्रश्न लो ।

श्री अध्यक्ष: सुनिए आप प्लीज माननीय सदस्य ।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जब स्पेसिफिक प्रश्न है तो मुझे भी स्पेसिफिक उत्तर तो देने होंगे उनके ।

श्री अध्यक्ष: बिलकुल ।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): स्पेसिफिक प्रश्न यह है कि बूंदी जिले के कृषि प्रधान होने के कारण सरकार कृषि आधारित उद्योग विकसित करने का विचार रखती है। अध्यक्ष महोदय, निश्चित रूप से सरकार जो कृषि आधारित उद्योग है उनको विकसित करने का विचार रखती है लेकिन सरकार अपने स्तर पर कोई उद्योग नहीं लगाती। जो भी एन्टरप्रिन्योर वहां पर आकर उद्योग लगाना चाहेगा उनको जो भी हमारी सुविधा है, प्रोत्साहन राशि है, वह उपलब्ध कराते हैं। वही हाल माइनिंग का है । माइनिंग में सरकार स्वयं अपने स्तर पर उद्योग नहीं लगाती लेकिन एन्टरप्रिन्योर आकर जब उद्योग लगाना चाहेंगे तो उनको जो भी सुविधा है, प्रोत्साहन राशि है, उपलब्ध कराते हैं। अध्यक्ष महोदय, स्पेसिफिक प्रश्न है। सीधा-सीधा प्रश्न यह है कि क्या रीको का एरिया 2001 के बाद डवलप किया है । इसमें अलग कुछ क्या है?

श्री अशोक डोगरा (बूंदी): मंत्रीजी मेरा प्रश्न पूरा नहीं हुआ है। अध्यक्षजी, मेरे कहने का मतलब यह था कि आपने कहा कि प्रोत्साहित करेगी राइस मिल के लिए। मैं तो यह कह रहा हूं कि जो इण्डस्ट्रीज चल रही हैं या जो वहां और लगाना चाहते हैं, आप समय सीमा बतायें कि कितने दिन में कन्वर्जन करा देंगे, एग्रीक्लचर के लिए। 2500 स्क्वायर मीटर के रूल हैं कि उसके लिए कन्वर्जन की जरूरत नहीं है वैसे ही परमीशन मिलेगी लेकिन क्या होता है कि तहसीलदार उसको खाता चेंज नहीं करता इण्डस्ट्री में नहीं करता तो बैंक से लोन नहीं मिलता, आदमी कहां जाएगा। मैं तो यह कह रहा हूं कि

(श्री अशोक डोगरा)

आप इण्डस्ट्री कोरीडोर कितने दिन में डिक्लेयर करा देंगे यह बता दें ताकि इनसे...

श्री अध्यक्ष: आप शीघ्र कर दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो माननीय सदस्य प्रश्न सुनना नहीं चाहते। (व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, या तो माननीय सदस्य मेरा प्रश्न सुनना नहीं चाहते, मैंने साफ तौर पर कहा है।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): 2001 की वापस रिपीट करेंगे आप तो ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): अध्यक्ष महोदय, हम जो एरिया डवलप करना चाहते हैं, तीन एरिया पर हमने टीम भेजी है, रीको के अधिकारी...

श्री अध्यक्ष: यह तो इतना पूछ रहे हैं उसमें समय लगता है उस समय सीमा को कम करने के लिए आप प्रयास करके शीघ्र करवा दीजिए।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): बहुत जल्द करवा देंगे।

श्री अध्यक्ष: इतना ही प्रश्न है उनका।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): बहुत जल्दी करवा देंगे। बहुत जल्दी करवा देंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, राजकुमार रिणवां। (व्यवधान) श्री राजकुमार रिणवां। माननीय सदस्य, बूंदी जिले से था माननीय सदस्य को सफिशियंट जवाब दे दिया है अतिशीघ्र करेंगे। अगला प्रश्न, राजकुमार रिणवां।

रतनगढ़ विधान सभा क्षेत्र के ग्रामों में शुद्ध पेयजल आपूर्ति हेतु कार्य योजना

21. श्री राजकुमार रिणवा (रतनगढ़): क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु आपणी योजना के द्वितीय चरण की योजना वर्ष 2004 में वित्त पोषण हेतु जर्मन दूतावास को भिजवाई गई थी ? यदि हां, तो सरकार उक्त योजना का क्रियान्वयन कब तक करने का विचार रखती है ?

(श्री राजकुमार रिणवां)

(2) क्या यह सही है कि नये परिसीमन के अनुसार गांवों को सम्मिलित करते हुए कोई संशोधित योजना प्रस्तावित है ? यदि हां, तो क्या ? प्रस्तावित योजना की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के अन्तर्गत आने वाले अधिकतर गांवों में पानी खारा होने से पेयजल की गम्भीर समस्या है? यदि हां, तो कौन-कौन से गांवों की कितनी-कितनी जनसंख्या इससे प्रभावित है ?

(4) आपणी योजना का पेयजल उपलब्ध होने तक विधान सभा क्षेत्र रतनगढ़ के खारे पानी वाले गांवों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करवाने हेतु सरकार की क्या योजना है ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

जल संसाधन मंत्री (श्री महीपाल मदेरणा): (1) विधान सभा क्षेत्र, रतनगढ़ के समस्त गांव एवं शहर आपणी योजना के द्वितीय चरण की प्रस्तावित योजना में सम्मिलित हैं। यह योजना राज्य सरकार द्वारा भारत सरकार के ग्रामीण विकास विभाग को के.एफ.डब्ल्यू. जर्मनी के सहयोग से वित्त पोषण हेतु माह जनवरी, 2007 में प्रेषित की गई थी।

आवश्यक वित्त पोषण सुनिश्चित होने पर उक्त योजना की स्वीकृति एवं तदुपरान्त क्रियान्वयन सम्भव हो सकेगा।

(2) जी नहीं। आपणी योजना द्वितीय चरण की प्रस्तावित योजना में रतनगढ़ एवं सुजानगढ़ तहसीलों के समस्त 256 गांव एवं समस्त 5 कस्बे सम्मिलित हैं। अतः नये परिसीमन के अनुसार संशोधित योजना की आवश्यकता नहीं है।

(3) विधान सभा क्षेत्र, रतनगढ़ के कुल 120 गांवों में से 55 गांवों के स्थानीय स्रोतों में उपलब्ध भू-जल में लवणों की मात्रा निर्धारित मानक से अधिक होने के कारण पानी खारा है, जिसके कारण 87,922 जनसंख्या खारे पानी की समस्या से प्रभावित है। ग्रामवार विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(4) विधान सभा क्षेत्र, रतनगढ के खारे पानी वाले उपरोक्तानुसार 55 गांवों में से 50 गांवों को दूरस्थ पेयजल स्रोत लेकर क्षेत्रीय योजनाओं के माध्यम से जोड़ दिया गया है। इनमें से वर्तमान में आवश्यकतानुसार 17 गांवों में टैंकरों के माध्यम से भी पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(श्री महीपाल मदेरणा)

स्थानीय स्रोत से लाभान्वित शेष 5 गांवों के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम (दिनांक 01.04.2009 से प्रभावी) के अन्तर्गत जारी नवीन दिशा-निर्देशों के अनुरूप पेयजल स्रोत की सुनिश्चितता उपरांत संवर्धन योजनाएं बनाई जाकर संसाधनों की उपलब्धता अनुसार इनकी स्वीकृति के संदर्भ में निर्णय लेना सम्भव होगा।

क्षेत्रीय पेयजल योजनाओं एवं स्थानीय स्रोतों से उपरोक्तानुसार लाभान्वित गांवों का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" में निहित है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): त्राहि-त्राहि मची हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): त्राहि-त्राहि मची हुई है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया मूल का....

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): कोलायत को ...(व्यवधान) एक भी नहरी क्षेत्र में पानी नहीं पहुंच रहा डिग्गियों में, जैसलमेर में त्राहि-त्राहि मची हुई है।

श्री अध्यक्ष: कृपया मूल प्रश्नकर्ता।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): यह कोई देखेगा क्या? मूल प्रश्न करते रहो नतीजा कुछ नहीं।

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपणी योजना से...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति रखें।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): हमारे क्षेत्र के लोगों को बहुत बड़ी आशा है, इस क्षेत्र की रिपोर्ट मिली है सब गांव, 70 प्रतिशत गांव खारे पानी से पीड़ित हैं। अगस्त 2008 के अन्दर उस क्षेत्र से संबंधित जगह..

श्री अध्यक्ष: प्रश्न क्या है ?

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): प्रश्न है, आपणी योजना का, 2008 में मीटिंग हुई थी, क्षेत्र के प्रतिनिधियों की उसमें कुछ रेट बढ़ाने की बात हुई थी उसे हम लोगों ने स्वीकृति दे दी उसके बावजूद इतनी लेट क्यों हो रही है समझ में नहीं आ रहा। उस क्षेत्र के अन्दर इतनी भयंकर समस्या है। 70 गांवों

(श्री राजकुमार रिणवां)

को लिख रहे हैं कि पेयजल योजनाओं से दूसरे को जोड़ रहे हैं, किसी गांव में पानी नहीं आ रहा है, वर्षों हो गए कइयों में ...(व्यवधान) जहां से पानी आया करता है...

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): यह स्थिति है, क्यों लेट हो रहे हैं ?

श्री अध्यक्ष: बता रहे हैं।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से माननीय मंत्रीजी से निवेदन है कि योजना से, केबीनेट की मीटिंग बुलाकर जल्दी से जल्दी स्वीकृति करवायें, विनती है। इसके अलावा, मेरा एक सप्लीमेंट्री प्रश्न और भी है। आपणी योजना जब तक आवे, पानी उपलब्ध हो, जब तक इन गांवों को अपन पानी की व्यवस्था देवें। इन गांवों के अन्दर, वहां की भौगोलिक स्थिति यह है कि वहां का जल स्तरीय पानी है। ऊपर झारे का पानी है वह 15 फीट तक बढ़िया है, कम से कम भी 90 प्रतिशत गांवों के अंदर अगर 5-6 जगह अपन हैण्ड पम्प खुदवायें तो उसमें निश्चित रूप से दो हैण्ड पम्पों में मीठा पानी आता है उसके लिए अगर हैण्ड पम्पों में छोटी मोटर गिरवा दें डेढ़ होर्सपावर की और सिंगल फैज के टयूबवैल बनवा दें तो निश्चित रूप से उन गांवों को अपन लोकल सोर्स के द्वारा लाभ पहुंचा सकेंगे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): इस वास्ते मेरा मंत्रीजी से निवेदन है कि एक टयूबवैल के अन्दर पांच टयूबवैल सिंगल फैज का और 5-5 हैण्ड पम्प...

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, के.एफ.डब्ल्यू. जर्मन के सहयोग से वित्त पोषण योजना थी उन्होंने द्वितीय चरण के लिए तीन शर्तों का उल्लेख किया था। उन्होंने कहा कि आपरेशन संचालन व संधारण के लिए आपको इसके अन्दर वित्त पोषण करना पड़ेगा। दूसरा, यहां पर गांव की ओटोनोमस बाडी स्वायत्त संस्था बनानी पड़ेगी। तीसरा, टैरिफ इन्क्रीज करना पड़ेगा। इन तीनों में 2005 के बाद 2007 तक जो उनकी कंडीशन थी उनके अन्दर न तो टैरिफ बढ़ा न, आटोनोमस बॉडी थी वह हुई और संचालन और संधारण की कोस्ट भी बढ़ने लग गई। इन शर्तों को पूरा

(श्री महीपाल मदेरणा)

करने के लिए वैसे यह आदर्श योजना थी देश की विशाल योजना बनी थी और जो यह तीनों शर्तें हैं उनके ऊपर राज्य सरकार गहनता से विचार कर रही है और सामूहिक निर्णय होने पर इन शर्तों के हिसाब से...

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): जब तक यह योजना नहीं आवे, उन गांवों को पानी के लिए रिलिफ, वह जिंदा रह सके, कल भी गांव से टेलीफोन आया कि खेत के अन्दर से घड़ा भरकर ले जा रहे हैं पानी पीने के लिए, टैंकर से पानी आया इनको रोको। मैंने कहा अब इससे नीचे क्या जाएंगे, गधा, कुत्ता और आदमी एक जगह पानी पी रहे हैं। गायों को जो पानी मिल रहा है, तो गायों से तो मनुष्य श्रेष्ठ है, परमात्मा का स्वरूप है। उन आदमियों को पानी नहीं मिलेगा तो फिर अपन वर्ल्ड क्लास सिटी बना रहे हैं ...(व्यवधान) अरबों खरबों लगा रहे हैं...

श्री अध्यक्ष: पूरक प्रश्न...

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): क्या 1-2 करोड़ का बजट गांव को नहीं दे सकते।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जिन 55 गांवों की यह जो बात कर रहे हैं इनके अन्दर खारा पानी उपलब्ध है, खारे पानी के अलावा इन 55 गांवों को क्षेत्रीय रीजनल स्कीम से दूर से, क्योंकि स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराना सरकार का है। अब अगर आप चाहते हैं कि खारे पानी के अंदर ही टयूबवैल खोदकर लोगों को पानी पिलाया जाए बल्कि इनका जो 55 गांवों का है विस्तार से क्षेत्रीय योजनाओं के अन्दर इनक्लूड करने की इस योजना की विस्तृत से जांच करा ली जाएगी।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़): अध्यक्ष महोदय एक मिनिट, 184 हैण्ड पम्प पिछली बार के हमें मिले हुये हैं उनमें से 43 हैण्ड पम्प सरकार आने के बाद रोक दिये, क्या कारण कि रोक दिये। वित्तीय स्वीकृति है, टैण्डर हुये हैं, ठेकेदार काम कर रहे हैं, क्या कारण है रोक दिये उनको । (व्यवधान) 22 सिंगल फैज के टयूबवैल खोदे हुये पड़े हैं उनके अन्दर आलरेडी मोटर लोडिंग करी हुई है, उसके बावजूद कनेक्शन नहीं दे रहे हैं उनको। तीन छोटी...

श्री अध्यक्ष: माननीय राजेन्द्रजी।

श्री राजकुमार रिणवां (रतनगढ़):तीन योजनाएं हैं 70-80 लाख की वहां...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये आप, दिला रहा हूं, जवाब दिला रहा हूं। माननीय राजेन्द्र राठौड़जी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से जानना चाहूंगा कि आपने 55 गांव ऐसे बताए हैं जहां लवण की मात्रा निर्धारित मापदण्ड से अधिक है। यह निर्धारित मापदण्ड क्या है यह बताइये। आपने 50 गांवों को क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना से जुड़ा बताया, मैं पूछना चाहता हूं कि इस 50 क्षेत्रीय जलप्रदाय योजना से कितने गांव वास्तविक रूप से लाभान्वित हैं? क्या यह सही है कि इसी योजना का एक हिस्सा बूंगी राजगढ़ योजना उसको इसलिए अलग किया गया था कि के.एफ.डब्ल्यू. ...(व्यवधान) सरकार उसको.....

श्री अध्यक्ष: केवल रतनगढ़ का प्रश्न है, चूरू तक सीमित रहें, चूरू तक सीमित रहें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): आपणी योजना के द्वितीय चरण की बात कर रहा हूं क्या राजगढ़ बूंगी योजना के दूसरे हिस्से के अन्दर हिस्सा थी उसके अलग से प्रशासनिक वित्तीय स्वीकृति निकाली, क्या उसको सरकार पूरा करने का काम करती है? नम्बर तीन, पूरे जिले के अन्दर जो काम इन लवण, जहां 55 गांव हैं, इनमें जो हैण्ड पम्प मंजूर हुये जो सिंगल बोर्ड मंजूर हुये जिनकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति जारी होगी क्या यह सही नहीं है कि आपके तुगलकी आदेश से सारे के सारे काम, स्वीकृत कामों को रोकने का अपराध आपने किया है।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, जो 55 गांवों की बात कर रहे हैं, यह 376 विलेज और 2 टाउन्स के लिये यह योजना बनाई थी और इस योजना की प्लानिंग 1991 में हुई और 2001 से लेकर दिसम्बर, 2003....

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह फर्स्ट फेज बता रहे हो, आप सैकिण्ड फेज बताइये।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): हां, उसके बाद सैकिण्ड फेज पर आऊंगा ना।

श्री अध्यक्ष: आप सुनिये, सुनिये।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): तो 362 गांवों को इसके अन्दर और 14 को डिनाय कर दिया वहां लोगों ने, जिन्होंने विलेज लेवल कमेटी नहीं बनाई। 362 के बाद में यह योजना सुचारू रूप से 100 प्रतिशत

(श्री महीपाल मदेरणा)

सही चल रही थी। 2005 आते-आते इस योजना की धीरे-धीरे जो गति हुई, दुर्दशा हुई, चौपट हुई, इसमें चूरू-बिसाऊ के 100 गांव व 3 कस्बे, चूरू, तारानगर और बिसाऊ, इस योजना के चूरू जिले के 51 गांव थे और झुंझुनूं बिसाऊ के 49 विलेजेज थे। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: जवाब आने दीजिये।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): सुन तो लीजिये, सैकिण्ड फेज। आपने ये एड करवाये। इन गांवों को जोड़ने के लिये एक हैड-वर्क्स की जरुरत थी और इन 51 गांवों को हैड-वर्क्स से कम्पलीट करके इनको लाभान्वित करना था। बजटरी सैंक्शन नहीं होने से हैड-वर्क्स नहीं बन पाया और जिसके कारण यह सारी योजना का जिस तरीके से माडल स्कीम थी, उसकी धीरे-धीरे गति, दुर्दशा होने लगी। (व्यवधान) हैं?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): गति इनकी खराब ही है।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): गति तो, अब जैसे किया गया है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आगमेंटेशन की, अगर पूरी की पूरी स्कीम को बनाया जाएगा तो 1800 करोड़ रुपये की बनेगी क्योंकि 362 और 3 कस्बों के लिये यह योजना थी क्योंकि इन सबको सम्मिलित करके बनायेंगे तो 1800 करोड़ रुपये की आवश्यकता पड़ेगी। क्योंकि आगमेंटेशन करना पड़ेगा, पानी का जो... मिल रहा है उसको करना पड़ेगा। जहां पीछे हनुमानगढ़ से पानी ला रहे हैं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): गांव खाली करवा दो। गांव खाली हो रहे हैं, साहब।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): गांव कैसे खाली, देखिये। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: चलिये, चर्चा समाप्त। विस्तृत जवाब आ गया।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं, रतनगढ़ के पास गांव टाडा के अन्दर कुएं से चरस के माध्यम से महिलाएं पानी निकालती हैं। क्या इसके ऊपर क्या कुछ करेंगे। (व्यवधान)

(श्री देवीसिंह भाटी)
रतनगढ़ के पास गांव टाडा के अन्दर महिलाएं चरस से कुएं से पानी निकालती हैं खींचकर। (व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): गांव की परम्परा रही है। ऐसे कई गांव हैं जहां अभी तक महिलाएं निकालती हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आप बतायें, जो स्वीकृत काम हैं उनको पूरा करेंगे कि नहीं। (व्यवधान) जो स्वीकृत काम हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री निर्मल कुमावत। अगला प्रश्न, श्री निर्मल कुमावत।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इन कामों को तुगलकी आदेश से रोका है। आरोप है, स्वीकृत कामों को तुगलकी आदेश से आपने रोका है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न, श्री निर्मल कुमावत। (व्यवधान)

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवायें।

साम्भर एवं शाहपुरा (जयपुर) को जिले का दर्जा

22. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में नवीन जिलों के गठन एवं पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विस्तृत परीक्षण कर नये जिले स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में रिपोर्ट राज्य सरकार को प्रस्तुत किये जाने के लिए अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया था? यदि हां, तो कब? सम्बन्धित आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या उक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर दी है? यदि हां, तो कब व नहीं, तो अब कब तक यह समिति अपनी रिपोर्ट सरकार को प्रस्तुत कर देगी?

(3) क्या सरकार जयपुर जिले में सांभर व शाहपुरा को जिला बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जवाब तो दिलवायें।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

राजस्व मंत्री (श्री हेमाराम चौधरी) : (1) जी हां। कमेटी का गठन दिनांक 18.03.06 को किया गया था। आदेश की प्रति परिशिष्ट-'क' पर संलग्न है।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इनका जवाब तो दिलवायें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें, जवाब शुरू हो गया।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): जल का सवाल है, अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, इलाका खाली हो रहा है, बिना पानी के लोग पलायन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: विराजें, विराजें। अन्य किसी माध्यम से उठा लें आप।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): लोग पलायन कर रहे हैं, लोग पलायन कर रहे हैं, अध्यक्ष महोदय, लोग पलायन कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: अन्य किसी माध्यम से उठा लें, जवाब आने दें। कृपया विराजें। हां, मंत्रीजी।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): (2) समिति द्वारा दिनांक 24.06.2006 को प्रतापगढ़ को जिला बनाने हेतु अनुशंसा की गई थी, जिस पर विचार कर प्रतापगढ़ को नया जिला दिनांक 25.012008 को घोषित कर दिया गया है।

(3) जी नहीं। राज्य सरकार द्वारा गठित समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरान्त गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना सम्भव हो सकेगा।

(प्रति के लिए कृपया परिशिष्ट-1 देखें)

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, नये जिलों के गठन के सम्बन्ध में अध्यक्ष राजस्व मण्डल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन 18.03.2006 को किया गया था। अब तक समिति की रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहूंगा कि समिति की रिपोर्ट कब तक आ जाएगी। मैंने इस सम्बन्ध में गत सत्र में भी आपको एक क्वेश्चन पूछा था कि सांभर को जिला कब तक बना देंगे। आपने 9 जनवरी, 2009 को उत्तर दिया था कि रिपोर्ट प्राप्त होने पर गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाना सम्भव होगा। आज भी इस प्रश्न के उत्तर में बिन्दु संख्या 3 के उत्तर में वही जवाब मुझे वापस मिला है कि गुणावगुण के आधार पर विचार किया जाएगा। मैं पूछना चाहता हूं कि 6 महीने तक आप गुणावगुण का विचार करते रहेंगे।

श्री अध्यक्ष: गुणावगुण का ध्यान तो रखना ही पड़ता है।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मैं पूरा सवाल पूछना चाहता हूं मेरा।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ, मैं एक पूछ लेता हूं, एक ही साथ जवाब दे दें। अध्यक्ष महोदय, इसी में है। आपने समिति की...

श्री अध्यक्ष: नहीं, उनका समाप्त हो गया ना? मूल प्रश्नकर्ता का समाप्त हो गया?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं उसी के साथ एक रिजोइण्डर प्रश्न पूछना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपको अलग से अवसर दे दूंगा, शाहपुरा क्षेत्र का है। लेकिन आपका सवाल पहले।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): आपके कांग्रेस घोषणा पत्र में भी लम्बी-चौड़ी घोषणाएं की हैं, छोटे जिले बनाएंगे। बजट में भी कुछ नहीं दिया। मैं आखिरी सवाल पूछना चाहता हूं, मंत्री महोदय, जब से आपने मंत्रालय सम्भाला है, आपने अपने स्तर पर इस सवाल का जवाब लेने के लिये क्या किसी भी अधिकारी को, कमेटी को, डिपार्टमेंट को कोई पत्र या मंत्रणा की है क्या? मंत्री महोदय, इसका जवाब दें।

श्री अध्यक्ष: शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मंत्री महोदय, आपसे सीधा सा है, इसी प्रकार की एक समिति का गठन 1981 में भी हुआ। यह समिति अपनी सिफारिश करती है और सिफारिश के उपरान्त आप निर्णय लेते हैं। यह आप पर बाध्यता नहीं है। इस सन 81 वाली समिति ने कभी धौलपुर को जिला बनाने के लिये सिफारिश नहीं की थी। उसके बावजूद भी वहां धौलपुर को जिला बनाया। इसलिये आपके लिये बाध्यता नहीं है कि समिति की सिफारिश आने तक आप रुके रहें। अगर आप चाहते हैं तो बगैर सिफारिश के भी आप जिला घोषित कर सकते हैं। यह बाध्यता नहीं है। इसलिये बार-बार समिति का गान करके इस बात को टालने की आप कोशिश नहीं करें। आप यह बतायें कि क्या सरकार की मंशा है क्या कि सांभर और शाहपुरा को जिला बनायेंगे या नहीं। कमेटी सिफारिश करती है या नहीं, इसका कोई...

श्री अध्यक्ष: हां, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। मंत्रीजी, राजस्व मंत्रीजी।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): क्या ब्यावर को भी जिला बनाएंगे?

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): मेरा प्रश्न भी यही है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्न केवल सांभर और शाहपुरा का है। माननीय सदस्य, इसका जवाब आने दें।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): सांभर, शाहपुरा और ब्यावर का भी है। (व्यवधान) ब्यावर का भी नम्बर है, साहब। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय राजस्व मंत्रीजी।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ब्यावर के ऊपर कोई विचार नहीं किया जा रहा है। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने विधान सभा के पिछले सत्र में भी जब यह प्रश्न पूछा.. (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, जवाब आने दें। माननीय सदस्य, जवाब आने दें। पृथक से है आपका। जवाब आने दें।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): ब्यावर की हमेशा उपेक्षा की गई है, माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: माननीय राजस्व मंत्री।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पिछले सत्र में भी जब माननीय सदस्य ने यह प्रश्न पूछा तो मैंने उनको स्पष्ट जवाब दे दिया कि जो समिति गठित की गई है, उस समिति की रिपोर्ट आने के बाद में ही राज्य सरकार गुणावगुण के आधार पर निर्णय कर सकेगी। अभी शाहपुरा से आने वाले माननीय सदस्य ने कहा कि समिति की रिपोर्ट आना कोई जरुरी नहीं है। राज्य सरकार ने यह निर्णय किया है कि एक समिति गठित कर दी जाए और समिति का निर्णय आने के बाद में सरकार उस पर विचार करेगी तो यह राज्य सरकार का ही निर्णय है। एक बार जब राज्य सरकार ने यह निर्णय ले लिया है और एक समिति गठित कर दी है तो फिर उस समिति की रिपोर्ट आये बिना सरकार कार्यवाही नहीं कर सकती है। सरकार का खुद का फैसला है। सरकार खुद के फैसले के खिलाफ दूसरी कार्यवाही नहीं कर सकती है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): प्रयास क्या किये, वह बताओ आप।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): प्रयास किये हैं, बहुत किये हैं। जहां तक समिति की बैठकों का सवाल है, समिति की कुल 5 बैठकें हुई हैं। 5 बैठकों में, 27.05.2006 की बैठक में सिर्फ प्रतापगढ़ को नया जिला बनाने का ही निर्णय लिया गया। बाकी जिलों को बनाने का निर्णय उस समिति ने नहीं

(श्री हेमाराम चौधरी)

लिया। समिति की जो रिपोर्ट है, आप कहो तो, उसमें उल्लेख स्पष्ट है, प्रतापगढ़ को ही जिला बनाने का, बाकी जिलों के बारे में समिति ने कहा है, प्रथम चरण में प्रतापगढ़...

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): अध्यक्ष महोदय, मेरा निवेदन है।

श्री अध्यक्ष: जवाब पूरा हो जाए।

श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा): मैं केवल मंत्रीजी से यह जानना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष: नहीं, प्लीज, पहले जवाब आ जाने दीजिये, बाद में आपका अवसर होगा, जवाब आ जाने दीजिये।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): उस समिति की रिपोर्ट में प्रथम चरण में प्रतापगढ़ को जिला बना दिया जाए, क्योंकि वह सभी मापदण्डों को पूरा कर रहा है। बाकी द्वितीय चरण में शेष रहे जिलों के बाबत विचार किया जाएगा। यह समिति ने रिपोर्ट दी है, द्वितीय चरण में।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): मतलब, रिपोर्ट स्पष्ट है, अध्यक्षजी, रिपोर्ट स्पष्ट है।

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): द्वितीय चरण की रिपोर्ट अभी तक राज्य सरकार को प्राप्त नहीं हुई है। राजस्थान में कुल 24 जगह नये जिले गठन करने के प्रस्ताव राज्य सरकार को प्राप्त हुए हैं। 24 स्थानों में से प्रतापगढ़ का गठन हो चुका है। शेष 23 रहे हैं, 23 के मामले कमेटी के समक्ष विचाराधीन हैं और कमेटी उस पर निर्णय लेकर के राज्य सरकार को भेज देगी। उसके बाद में राज्य सरकार विचार करेगी।

जहां तक अभी इस वर्ष आपने खुद ने बजट सुना है। बजट में नये जिले के गठन का प्रावधान नहीं है तो फिर इस साल नहीं हो सकता। बिना बजट के कोई काम हो सकता है क्या? कोई भी राज्य सरकार बिना पैसे के कोई काम कर सकती है क्या? पैसा तो बजट से ही मिलेगा। आप, माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप तो यह बता दो कि छह महीने में क्या किया?

श्री अध्यक्ष: मुझे यह महसूस हुआ है कि मंत्रीजी के जवाब से दोनों पक्षों ने संतुष्ट होकर ही ताली बजायी है इसलिए कृपया अब बैठिये। माननीय सदस्य, कृपया विराजिये। (व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात स्पष्ट करवा दें कि ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): हम इस साल ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्य जब प्रसन्न हैं और संतुष्ट हैं तो उसके बाद कहां कोई पूरक प्रश्न बचता है?

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): नहीं-नहीं, यहां संतुष्टि और प्रसन्नता की कोई बात ही नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक बात आप स्पष्ट करवा दें। मंत्री महोदय, एक बात, एक मिनट आप विराज जाएं। एक बात आप स्पष्ट करवा दें। आज यह बात स्पष्ट हो जाए माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से कि अगर समिति सिफारिश नहीं करेगी ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, सबको मौका दिया दिया।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): अगर समिति सिफारिश नहीं करेगी तो क्या सरकार जिले नहीं बनायेगी और अगर समिति सिफारिश करेगी तो ही जिला बनायेगी? यह बात आप स्पष्ट करा दें क्योंकि समिति सिफारिश करें या नहीं करे फिर भी अगर जिले बनते हैं तो राजनीतिक उद्देश्य से बनते हैं और कोई कारण से बनते हैं या तो आप यह बात स्पष्ट करा दें कि समिति की रिपोर्ट के आधार पर ही जिला बनेगा और अगर समिति अनुशंसा नहीं करती है तो वह जिला बनने का कोई मापदंड या कोई मायना ही नहीं रहता, यह आप स्पष्ट करा दें।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्रीजी से पूछना चाहता हूं कि ...(व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक-एक को मौका दिया जाए। नहीं तो +++ मानी जाएगी, किसी को मौका नहीं देंगे तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। कृपया आप बैठिये, माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं। माननीय मंत्रीजी जवाब देने खड़े हो गये हैं, कृपया बैठिये। (व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय,... (व्यवधान)

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, हमको भी मौका दिया जाए। हमको भी मौका दिया जाए । यह +++ मानी जाएगी अगर नहीं दिया जाता है तो ...(व्यवधान)

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, इस वर्ष के बजट में 2009-2010 में पहली बार मैं समझता हूं कि राजस्थान के इतिहास में 52 उपखण्डों के सृजन की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी ने की है इसलिए इस एक वर्ष में हम 52 उपखण्डों का गठन करेंगे और आने वाले समय में जिले हैं, तहसीलें हैं, उप तहसीलों के बारे में भी हम मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करेंगे। बजट में, उसमें, जिस प्रकार का जैसा जो भी साधन होगा, उसके अनुसार आगे अग्रिम कार्यवाही की जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह। अगला प्रश्न, श्री अजय सिंह। श्री अजय सिंह।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): इन मंत्रियों को ट्रेनिंग दिलवाओ। यहां अस्पष्ट उत्तर नहीं दें, एक तरफ कहते हैं बजट में प्रावधान नहीं है ... (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह। चर्चा समाप्त। चर्चा समाप्त। श्री अजय सिंह, अगला प्रश्न।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): दूसरी तरफ कहते हैं कि समिति की रिपोर्ट नहीं आयी है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): हमको भी मौका दिया जाए। ब्यावर को चुना जाए। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री अजय सिंह।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी विषय पर ब्यावर को ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजिये, माननीय सदस्य। श्री अजय सिंह, अगला प्रश्न।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट का टाइम दिया जाए।

श्री अध्यक्ष: अगला प्रश्न।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ब्यावर के लिए एक मिनट का टाइम दिया जाए। आपने अगर किसी नये सदस्य को मौका देने के लिए बात कही है ...(व्यवधान)

श्री अजय सिंह (डेगाना): प्रश्न संख्या-23

श्री अध्यक्ष: स्वायत्त शासन मंत्रीजी। स्वायत्त शासन मंत्रीजी, जवाब दें।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): अगर नये सदस्य को नहीं सुना जाता है तो यह बेईमानी मानी जाएगी। माननीय अध्यक्ष महोदय, ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो। अंकित नहीं हो।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी। माननीय स्वायत्त शासन मंत्रीजी। माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। कृपया व्यवधान पैदा नहीं करें। व्यवस्था बनाये रखें। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। आप बैठिये। आप बैठिये। माननीय सदस्य, देखिये, अब जवाब देने मंत्रीजी खड़े हैं। अंकित नहीं हो रहा है। जवाब दे दो।

श्री शांति कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री) : क्या करूं मैं?

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। अंकित नहीं हो रहा है। आप जवाब दे दो।

डेगाना (नागौर) को नगरपालिका का दर्जा

23. श्री अजय सिंह (डेगाना): क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) नगरपालिका बनाने हेतु सरकार के क्या मानदण्ड निर्धारित हैं? मानदण्डों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) राज्य में ऐसे कितने कस्बे हैं जो उपखण्ड मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय नहीं है, फिर भी उन्हें नगरपालिका का दर्जा प्रदान किया गया है? कस्बों के नामों की सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र डेगाना का कस्बा डेगाना जो कि उपखण्ड मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय है एवं महत्वपूर्ण रेलवे जंक्शन तथा विभिन्न सरकारी कार्यालय, विद्यालय एवं कृषि मण्डी भी हैं तथा सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण भी हैं, को क्या सरकार नगरपालिका का दर्जा देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं तो क्यों?

स्वायत्त शासन मंत्री (श्री शांति कुमार धारीवाल) : माननीय अध्यक्ष महोदय, (1) राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 1959 की धारा 7 के तहत संक्रमणकालीन (Transitional Area) क्षेत्र को नगरपालिका बनाये जाने का प्रावधान है। धारा-7 की प्रतिलिपि सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

(2) ऐसे कस्बों की सूची सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(3) गुणावगुण के आधार पर विचार किया जा सकता है।

(प्रतिलिपि के लिए कृपया परिशिष्ट-2 देखें)

श्री अजय सिंह (डेगाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी पूर्व में राजस्व मंत्रीजी ने जो उत्तर दिया था उसी तरह का उत्तर स्वायत्त शासन मंत्रीजी ने दिया है कि गुणावगुण के आधार पर वह फैसला करेंगे। मैं इनको बताना चाहता हूं कि नगरपालिका बनाने के लिए 2005 से सरकार को लगातार प्रस्ताव भेजे जाते रहे हैं और तीन साल के बाद में भी यदि मंत्रीजी का यह उत्तर है तो किस तरह से हम आशा करते हैं कि कभी इस तरह से नगरपालिका का दर्जा दिया जाएगा? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवस्था बनाये रखें। मूल प्रश्नकर्ता को प्रश्न करने दीजिए।

श्री अजय सिंह (डेगाना): इसके अलावा जो सूची सदन के पटल पर रखी गयी है, जो उपखण्ड मुख्यालय नहीं है, जो तहसील मुख्यालय नहीं है, उन कस्बों को भी, 43 ऐसे कस्बे हैं जिनको नगरपालिका का दर्जा दिया गया है तो मेरा माननीय मंत्रीजी से अनुरोध है कि जब डेगाना विधान सभा क्षेत्र जो डेगाना नगर है, वह उपखण्ड मुख्यालय है, तहसील मुख्यालय है, एक महत्वपूर्ण जंक्शन है तो फिर क्यों, उसके साथ, इस तरह से इन-जस्टिस किया जा रहा है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जिस Transitional Area में सरकार नगरपालिका का गठन करती है उसमें जो एक्ट में जो प्रोविजन है, सेक्शन-7 का, वह 7 की कापी जो है मैंने मेज पर रखी है, मेरा ख्याल है माननीय सदस्य ने देखी होगी। जो प्रोविजन उसमें है मोटे तौर पर यह बताया जाता है कि जो Transitional Area है वहां पर ही नगरपालिका के बोर्ड का गठन सरकार करती है। Transitional Area किसे कहते हैं, इसको परिभाषित किया गया है। वह एरिया Transitional Area कहलाता है, जो एरिया रूरल है लेकिन रूरल की तरफ से अरबन की तरफ बढ़ता हुआ, अरबनाइजेशन की तरफ बढ़ रहा है, ठीक ऐसे ही ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): ऐसा ही है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री): ऐसा ही है। पंडितजी, आप सब समझते हो। फिर आप इन्हीं को समझाया करो न। दूसरी बात यह है कि कृषि क्षेत्र पर आधारित लोगों की जहां पर कि संख्या कम होती जा रही है और गैर कृषि आधारित, चाहे वह औद्योगिक हो, चाहे वह व्यावसायिक हो, चाहे वह संस्थानिक हो और चाहे निर्माण कार्यों की बहुतायतता हो, उस एरिया को जो है Transitional Area के तहत में जब अरबनाइजेबल एरिया होता जाता है, तब जाकर वहां पर उसका गठन होता है। नगरपालिका का गठन होता है। तीसरी बात, मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं सेक्शन-3 का सब क्लाज- 33 और कांस्टिट्यूशन आफ इंडिया का यह आर्टिकल 243-q, q के तहत भी यह एक आधार दे रखा है कि किन आधार पर जो है राज्य सरकार, वहां पर नगरपालिका की घोषित की गयी है और इसी के साथ-साथ कांस्टिट्यूशन में यह भी प्रोविजन है कि दो ऐसे आधार हैं जिन पर कि नगरपालिकाओं का गठन नहीं किया जा सकता है। जैसे कोई इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स है और इंडस्ट्रियल काम्प्लेक्स ने अपनी टाउनशिप बना ली तो वहां पर नगरपालिका घोषित नहीं होती। इसी तरीके से अगर गवर्नर किसी भी एरिया को नोटिफाइड एरिया घोषित करता है तो वहां पर भी नगरपालिका नहीं घोषित हो सकती, जैसे कि नसीराबाद है। मैं माननीय सदस्य का ध्यान इस तरफ भी दिलाना चाहता हूं कि डेगाना का सवाल है, डेगाना के मामले में 2005 में कलक्टर ने ...(व्यवधान)

श्री अजय सिंह (डेगाना): डेगाना।

श्री शांती कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री): डेगाना कर दो साहब। सारी, डेगाना, हां, डेगाना कह दो, अब यह डेगाना। डेगाना। जो भी, डेगाना है। साहब, डेगाना। तत्कालीन सरकार ने 2005 में कलक्टर को यह लिखा कि- आया डेगाना को नगरपालिका का दर्जा दिया जा सकता है या नहीं दिया जा सकता लेकिन कलक्टर की जो रिपोर्ट है उसमें कलक्टर ने कहीं पर भी यह नहीं लिखा कि इसके आय के क्या स्रोत होंगे। नगरपालिका का गठन के लिए यह आवश्यक है कि वहां पर आय के स्रोत इतने हों जिससे कि नगरपालिका का खर्चा चल सके और नगरपालिका उस नगर में विकास के काम हाथ में ले सके। ठीक इसी तरीके से जो प्रपोजल्स बने, जिसमें गोड़ीचाचा, झगड़ावास और लेंगोड गांव से सटी हुई आबादी को मिलाकर पालिका का गठन किया गया, उसके बारे में भी कलक्टर की कोई रिपोर्ट नहीं आयी। 2005 की बात है यह। आज मैं आपको यह कहने की स्थिति में हूं कि हम इन सब प्रस्तावों पर विचार करेंगे।

श्री अजय सिंह (डेगाना): मंत्रीजी से मेरा यह अनुरोध है कि जो 43 कस्बों की सूची उपलब्ध करायी गयी है, क्या वे सभी शर्तों का पालन करते हैं नगरपालिका बनाने के लिए? इनको नगरपालिका का दर्जा दिया गया है। यहां पर तहसील मुख्यालय नहीं है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): भीम विधान सभा क्षेत्र, जो कि 18 हजार की पापुलेशन है, क्या उसको भी नगरपालिका बनाने का विचार रखती है सरकार?

श्री अध्यक्ष: मूल-प्रश्नकर्ता का उत्तर आने दीजिए कृपया।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): भीम विधान सभा जहां कि उपखण्ड कार्यालय है, तहसील है, ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा भी साथ-साथ जवाब दे दें, मालूम पड़ जाएगा।

श्री अध्यक्ष: यह डेगाना से संबंधित प्रश्न है, नागौर जिले का माननीय सदस्य, आप अलग से इस बात को अपने हिसाब से रखिये। उनका प्रश्न केवल डेगाना से ही संबंधित है।

श्री शांति कुमार धारीवाल (स्वायत्त शासन मंत्री): देखिये, मोटे तौर पर सरकार जब विचार करती है, किसी भी क्षेत्र को नगरपालिका घोषित करने के लिए तो कई चीजों को देखना पड़ता है। आज देखा जाये तो पंचायतों को राज्य और केन्द्र की सहायता जिस बहुतायत से मिल रही है, वैसी नगरपालिकाओं को नहीं मिलती। नगरपालिका को प्रति व्यक्ति ...(व्यवधान) सुनिये आप।

श्री अध्यक्ष: बैठिये, आप बैठिये। सुनिये, जवाब सुनिये। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): और उसी का नतीजा यह है कि जहां-जहां पर नगरपालिका घोषित हो चुकी है, वहां के लोग अब इस बात के लिये इच्छा रखते हैं कि हमारी नगरपालिकाओं को समाप्त करके हमारे ग्राम पंचायत घोषित कर दी जाये। ग्रान्ट इन एड, जो प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलता है वह नगरपालिका चतुर्थ एवं तृतीय श्रेणी की नगरपालिकाओं को सिर्फ 37 रुपया 50 पैसे के हिसाब से मिलता है और जो नगरपालिकाएं द्वितीय श्रेणी की हैं, वहां पर ग्रान्ट इन एड सिर्फ 25 रुपया प्रति व्यक्ति मिलता है और इसी प्रकार से वह नगर परिषदों और नगर निगम जिनमें प्रति व्यक्ति ग्रान्ट इन एड सिर्फ 12 रुपये 50 पैसे मिलता है। इसके अलावा, 1998 में जब चुंगी की समाप्ति हुई तो चुंगी भरण के लिये पैसा मिलता है। मैं आपको यह भी निवेदन करना चाहता हूं कि पिछली सरकार ने 6 नगरपालिकाओं की घोषणा

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

कर दी। यह नगरपालिकाएं थीं भिवाड़ी, घड़साना, पड़तापुरा, लूणकरणसर, खाजूवाला और नापासर। अब इनकी हालत क्या हो गयी, देखियेगा आप। इनमें कभी चुंगी लगी ही नहीं, जब चुंगी लगी नहीं तो चुंगी भरण का पैसा इनको नहीं मिलेगा सिर्फ प्रति व्यक्ति का पैसा मिलेगा। अगर यही पंचायत रहती है तो निश्चित तौर पर इन पर नहर का काम होता, नरेगा का काम होता, इनमें प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत में भी काम होता और कंसोलिडेट फण्ड से इनकी तनख्वाहें चुकतीं। कंसोलिडेट फण्ड से नगरपालिका की तनख्वाह नहीं चुकती। मेरा यह निवेदन है कि आप भी पुनर्विचार करें।

श्री अध्यक्ष: चर्चा समाप्त। अगला प्रश्न श्री हरिसिंह रावत।

विधि सहायक पद पर योग्य चालक/परिचालकों की नियुक्ति

24. श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) प्रदेश में राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम के किस-किस आगार में विधि सहायक के कितने-कितने पद रिक्त हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) प्रदेश में ऐसे कितने आगार हैं, जिनमें परिचालक या अन्य कर्मचारी विधि सहायक पद की योग्यता रखते हैं? क्या सरकार ऐसे परिचालक या कर्मचारी को विधि सहायक के पद पर नियुक्ति देने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

यातायात मंत्री (श्री बृजकिशोर शर्मा): (1) राजस्थान परिवहन निगम के जिन आगारों में विधि सहायक के पद रिक्त हैं, उनकी सूची परिशिष्ट-1 पर संलग्न है।

(2) वर्तमान में निगम के 22 आगारों में पदस्थापित परिचालक या अन्य कर्मचारी, जो विधि सहायक के पद की निर्धारित शैक्षणिक योग्यता धारित करते हैं, का विवरण परिशिष्ट-2 पर है। परन्तु इनमें से 29 कर्मचारी निर्धारित अधिकतम आयु सीमा 40 वर्ष से ज्यादा उम्र के होने से राजस्थान परिवहन निगम कर्मचारी सेवा विनियम, 1965 (परिशिष्ट-3) के नियम 110 के तहत चार कर्मचारी निर्धारित न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव धारित नहीं करने से निगम के भर्ती एवं पदोन्नति शिड्यूल (परिशिष्ट-4) के अन्तर्गत विधि सहायक के पद पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखते हैं। तीन कर्मचारी विधि

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

सहायक की निर्धारित योग्यता/पात्रता रखते हैं। आवश्यकता एवं वित्तीय स्थिति का आकलन कर रिक्तियों को भरे जाने पर विचार किया जा सकेगा।

(सूचियां व अन्य विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मंत्री महोदय ने तो ऐसा जवाब दिया है कि बेटा तू जीवतो रह जीने में थारी शादी करवा देऊं। मतलब कहने का अभिप्राय यह है कि आपने तो ऐसे प्यार से तोहफा हाथ में दे दिया। आपने आयाराम-गयाराम पूरा कर दिया। आप एक तरफ तो बोलते हैं कि हमारे 19 पद रिक्त हैं। 19 पद रिक्त हैं और दूसरी तरफ आप बोल रहे हैं कि हमारे पास योग्यताधारी कर्मचारी की 30 की आप लिस्ट इसमें दे रहे हो। मेरा आपसे निवेदन यह है कि कम से कम ऐसे कई कंडक्टर/परिचालक हैं जो कि योग्यता रखते हुए वह लाइन पर नहीं चलना चाहते। आये दिन ड्राइवर उनको परेशान करते हैं कि तुम हमको हफ़्ता दो, खाने के पैसे दो। उनकी ऐसी स्थिति है कि वह न इधर के है, न उधर के। अध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे निवेदन है कि जब ऐसे क्वालिफाइड परिचालक हैं और जहां विधि सहायक की पोस्ट खाली है तो क्यों नहीं उनको वहां पर नियुक्ति दे दी जाये। दूसरा, आपने यह बताया कि कर्मचारी निर्धारित न्यूनतम 5 वर्ष का अनुभव धारित नहीं करने से निगम के भर्ती एवं पदोन्नति परिशिष्ट शिड्यूल – 4 के अन्तर्गत विधि सहायक के पद पर नियुक्ति की पात्रता नहीं रखते हैं। मुझे यह बतायें कि अनुभव का मापदण्ड क्या रखा गया? जब मान लो क्वालिफाइड हैं, एल.एल.बी. हैं और उसके बाद में वह सेवारत हैं तो फिर कौनसा ऐसा मापदण्ड है उसके अन्तर्गत इसको नहीं रखा गया? मेरा निवेदन यह है कि मां के पेट से कोई सीखकर आता नहीं है।

श्री अध्यक्ष: आपका निवेदन नहीं, प्रश्न क्या है?

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मेरा प्रश्न यह है कि जब यह कह रहे हैं 5 वर्ष का अनुभव धारित है। कहने का मतलब है कि पांच वर्ष के क्या मापदण्ड हैं, कौन से पांच वर्ष का अनुभव चाहिये?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, जो परिशिष्ट शिड्यूल 4 हैं, उसमें विधि सहायक की योग्यता के लिये जो नियम हैं, उनके मुताबिक कुल तीन ऐसे कर्मचारी हैं, जो इसकी योग्यता/पात्रता रखते हैं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मैं यह पूछना चाह रहा हूं कि अनुभव का मापदण्ड क्या है? क्या क्राइटएरिया रखा गया है?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): यह क्राइटएरिया हमने आपको शिड्यूल 4 पर दे रखा है। मैं टेबिल कर चुका हूं। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मेरा कहने का मतलब यह है कि जब वह पांच साल से नौकरी कर रहा है तो उसके अलावा आप उसको क्यों नहीं स्वीकार कर रहे हो? (व्यवधान)

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): आपको मैंने जो कागज दिये हैं, जो कागज हमने टेबिल किये हैं, पहले आप उनको पढ़ लें, तो सब चीजें आपके सामने आ जायेंगी। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आप ही पढ़कर बता दीजिये। अध्यक्ष महोदय, यह जो कागज दिया है, कुछ भी आप पढ़ नहीं सकते कि इसमें क्या लिखा है। अब मैं इसको क्या पढ़कर सुनाऊंगा। ऐसी फोटो कॉपी दी है।

श्री शंकर सिंह (ब्यावर): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पढ़ने का ठेका मंत्रीजी ने ही ले रखा है क्या? (व्यवधान) यह पढ़े हुए नहीं हैं क्या? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): इसमें स्पष्ट नहीं दिख रहा है। यह पढ़कर मुझे बता दें, इसमें क्या लिखा है? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मूल प्रश्नकर्ता। मूल प्रश्नकर्ता कुछ पूछना चाह रहे हैं। आपके प्रश्न का जवाब देंगे।

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): अध्यक्ष महोदय, कोई पांच साल से काम कर रहा है, वह योग्य है। वह विधि सहायक होना चाहिये। आप उसको विधि सहायक क्यों नहीं बना रहे हैं, यह इनका कहना है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: व्यवधान नहीं डालें, प्रश्न का उत्तर आने दीजिये। केवल मूल प्रश्नकर्ता का उत्तर दीजिये आप।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आप खुद पढ़कर बता दो।

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): कागज ही पढ़ने लायक नहीं है। सरकार ने कागज ही ऐसा बनाया है कि कागज पढ़ नहीं सकें।

श्री अध्यक्ष: मंत्री जवाब दे रहे हैं। (व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): जवाब क्या देंगे? (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्षजी, मैं आपको टेबिल कर रहा हूं, इन्होंने क्या लिखा है।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): यह मैंने जो इनको उत्तर दिया है, सीधी भर्ती हेतु ..(व्यवधान) मैं पढ़ रहा हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): यह उत्तर ही ऐसा है जिसको कोई पढ़ नहीं सकता। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य का कहना है ...(व्यवधान) एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी पढ़ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, आप देख तो लें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बैठिये, आप मंत्रीजी पढ़ रहे हैं। आगे एक प्रश्न और आ जायेगा, मेहरबानी करिये। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप पढ़कर सुना दो। (व्यवधान)

श्री हरिसिंह रावत (भीम): आप ही पढ़कर सुना दीजिये मुझे।

श्री अध्यक्ष: हां पढ़िये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं टेबल कर सकता हूं? आप अनुमति दे दें तो मैं टेबल कर दूं? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: यह पढ़ रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, यह तो नहीं पढ़ सकते ना। इन्होंने सवाल यह किया कि माननीय सदस्य इसको पढ़ लें। यह जिस तरह का कागज दिया है, आप प्रताड़ित करो कम से कम साफ लिखा हुआ कागज तो हो। इस कागज को कोई पढ़ नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष: आप जवाब दे दें। बोलिये, आप शुरू करिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, जो पांच साल से कार्यरत हैं, उसके लिये क्या नियम होने चाहिये?

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): सीधी भर्ती हेतु शैक्षणिक योग्यता एवं पदोन्नति हेतु पात्रता विधि सहायक 100 प्रतिशत भर्ती, विधि स्नातक उपाधि, टिप्पणी निगम से विधि स्नातक उपाधि योग्यता रखने वाले न्यूनतम पांच वर्ष ही नियम सेवा के इस पद पर भर्ती के लिये पात्रता योग्य हैं।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): तो पांच साल से तो कर ही रहा है न। अध्यक्ष महोदय, पांच साल से तो कर रहा है न फिर।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): अध्यक्षजी, एक प्रश्न है कि राज्य सरकार ने राज्य कर्मचारी, जो मृतक हैं रोडवेज का, उसके उत्तराधिकारी को, उसकी बेटी को परिचालक के पद पर नियुक्ति दी है।

श्री अध्यक्ष: टिप्पणी जो दी है वह तो बिलकुल स्पष्ट पढ़ने में मेरे भी आ रही है।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): नीचे क्या दिया है?

श्री अध्यक्ष: नीचे जो दिया है, वह थोड़ा धुंधला है, लेकिन मंत्रीजी ने स्पष्ट कर दिया है इसलिये प्रश्न अब समाप्त होता है। चर्चा समाप्त। अगला प्रश्न श्रीमती किरण माहेश्वरी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): हां, तो वही है। मंत्रीजी ने स्पष्ट तो कर दिया। (व्यवधान) अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी। जवाब के वक्त जरा ध्यान दे दिया जावे कि और अधिक स्पष्ट पढ़ने में आ जावे।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, पहले मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल और है। क्या मंत्री महोदय राजसमंद जिले में ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्रीमती किरण माहेश्वरी। समय कम बचा है, आपका प्रश्न आ जायेगा। आप बोलिये।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): अध्यक्ष महोदय, मेरा एक सप्लीमेंट्री सवाल और है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न संख्या-25

श्री अध्यक्ष: खनिज मंत्रीजी।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): क्या जिला मुख्यालय पर रोडवेज डिपो खोलने का सरकार विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: कृपया एक प्रश्न और आ जाने दीजिये। मेरा प्रयास है कि किसी तरह अधिक माननीय सदस्यों के सवाल आ जायें।

श्री हरिसिंह रावत (भीम): मेरा एक और सवाल है अध्यक्ष महोदय, राजसमंद जिला मुख्यालय है, मुख्यालय पर रोडवेज का डिपो खोलने का सरकार विचार रखती है?

श्री अध्यक्ष: कोई अंकित नहीं होगा। श्रीमती किरण माहेश्वरी।

ग्राम पंचायतों को दी जाने वाली रायल्टी राशि में वृद्धि

25. श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): क्या खनिज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

(1) सरकार द्वारा ग्राम पंचायतों के अन्तर्गत आने वाले खनन क्षेत्रों में ग्राम पंचायतों को कितने प्रतिशत रायल्टी दी जा रही है?

(2) क्या सरकार दी जा रही रायल्टी राशि को बढ़ाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितने प्रतिशत व नहीं, तो क्यों?

राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण (श्री रामलाल) : (1) द्वितीय राज्य वित्त आयोग की सिफारिश पर विचार कर राज्य सरकार द्वारा खनिजों से प्राप्त रायल्टी की शुद्ध प्राप्तियों में से 1 प्रतिशत हिस्सा सम्बन्धित पंचायतों को वर्ष 2001-02 से दिया जाना तय किया गया जिसके अनुसरण में विगत वर्षो में सम्बन्धित जिला परिषदों के पी.डी. खातों में निम्नानुसार राशि स्थानान्तरित करवाई जा चुकी है।

वर्ष जिस अवधि की राशि 1 प्रतिशत हिस्सा दिया गया	राशि लाखों रुपये में	वर्ष जिसमें राशि स्थानान्तरित की गयी
1. वर्ष 2001-02 से वर्ष 2002-03	743.00	2006-07
2. वर्ष 2003-04 से वर्ष 2005-06	1643.52	2007-08
3. वर्ष 2006-07	1127.70	2008-09
4. वर्ष 2007-08	1173.24	2008-09
योग	**4687.46**	

(2) जी नही। पंचायतों को उपलब्ध करवाई जाने वाली रायल्टी की मात्रा राज्य वित आयोग की अनुशंसा तथा उस पर राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय पर निर्भर करती है।

(प्रति आदि विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयी)

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): माननीय अध्यक्षजी, यह जबाव मेरे पास आया है मंत्रीजी का मेरे प्रश्न के ऊपर और उसमें जैसा उन्होंने कहा अभी पंचायतों के अन्दर जो पंचायतें खनिज क्षेत्र के अन्दर आती हैं यानी वहां पर माइनिंग हो रही है। उन एरियाज के अन्दर गवर्नमेंट ने 2001 में प्रस्ताव पारित किया कि एक परसेंट रायल्टी सरकार उन पंचायतों को देगी। मेरा प्रश्न यह है कि एक परसेंट रायल्टी कम है तो क्या सरकार उसे बढ़ाने का विचार रखती है? उस पर आपने साफ कह दिया कि राज्य सरकार द्वारा लिये गये निर्णय पर निर्भर करता है कि उसे बढ़ाया जाये या न बढ़ाया जाये। तो बढ़ाना

(श्रीमती किरण माहेश्वरी)

तो आपके ऊपर है आप उसे बढ़ायें या न बढ़ायें लेकिन समस्याएं वहां पर जो आ रही हैं वह इस प्रकार हैं कि वहां की जो पंचायतें हैं उन पंचायतों को आप एक परसेंट रायल्टी तो देते हैं लेकिन उस एक परसेंट सिर्फ उस ग्राम पंचायत को जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आपको बताऊं कि राजसमन्द पंचायत समिति के अन्दर सात ऐसी ग्राम पंचायतें हैं जिनके अन्दर रायल्टी एक परसेंट मिलती है। इसी तरीके से अगर एक परसेंट उन सात पंचायतों को मिलती है लेकिन रेस्ट 29 पंचायतें टोटल हैं उनमें से यदि सात को निकाल दें तो बाइस पंचायतें जो हैं वह भी उसी क्षेत्र के अन्दर आती हैं। नो डाउट, वहां पर उन बाइस पंचायतों के अन्दर माइनिंग नहीं हो रहा है लेकिन माइनिंग नहीं होने के बावजूद भी वह इफेक्टेड तो हैं, पूरे एरिया को इफेक्ट करती है माइनिंग। इस तरीके से इफेक्ट करती है। वहां का पानी दूषित हो गया है। पर्यावरण दूषित हो गया है। पेड़ सारे कट जाते हैं जहां माइनिंग होती है, वहां पर इतनी ब्लास्टिंग होती है जिससे पानी इतना गहरा चला गया है कि पानी नहीं मिल रहा है, पानी भी दूषित हो गया है। पानी पीने योग्य नहीं है। चैक डैम्स वहां पर नहीं बने हुए हैं जिसकी वजह से पानी का स्टोरेज नहीं हो पाता है। हैवी ट्रक लोड्स जो ट्रक वहां से निकलते हैं उनकी वजह से सारी सड़कें टूट गयी हैं। केवल वह ग्राम पंचायत ही इफेक्टेड नहीं है बल्कि पूरी पंचायत समिति इफेक्ट होती है। आसपास की पंचायतें भी इफेक्टेड होती हैं, जब वहां की सारी सड़कें टूट जाती हैं। इसी तरीके से वहां की जो लेबर है वह अनस्किल्ड होती है, उनको स्किल्ड लेबर बनाने के लिए गवर्नमेंट की कोई योजना नहीं होती क्योंकि केवल वहां ग्राम पंचायत की लेबर वहां नहीं मिलती है बल्कि पूरे क्षेत्र के आसपास की पंचायतों की लेबर वहां पर आती है।

तो मेरा यह कहना है, माननीय मंत्रीजी से मेरा प्रश्न है कि जब आपने स्पष्ट रूप से कह दिया कि एक परसेंट से ज्यादा नहीं बढ़ायेंगे। हम उसको देखेंगे लेकिन सरकार निश्चित रूप से इस पर मंशा रखे कि एक परसेंट से बढ़ाकर इसको पांच परसेंट किया जाए और वह पांच परसेंट पंचायत समिति में आये। अभी आपका एक परसेंट एक ग्राम पंचायत में आता है। वह पांच परसेंट पंचायत समिति में आये और उसमें से एक परसेंट आप उस ग्राम पंचायत को दें लेकिन रेस्ट आफ दि फोर परसेंट जो है वह पूरे क्षेत्र के डवलपमेंट के लिए काम में आये। इसके बारे में सरकार विचार रखती है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्षजी, माननीय सदस्या का सुझाव बहुत अच्छा आया है। यह शुरूआत 2001-02 से हुई जब स्वर्गीय राजीव गांधीजी प्रधान मंत्री थे। उनका सपना था कि ग्राम पंचायतों को सीधा पूरा पैसा मिले और मजबूती आये। आर्टिकल 79 क्लाज 2 के अन्दर यह प्रावधान किया उसके अनुसार राज्य सरकार ने वित्त आयोग जो बनाया, पहले वित्त आयोग ने अपनी रिकमण्डेशंस दीं 1995-2000 तक। द्वितीय वित्त आयोग बना 2005 तक, उसने अपनी रिकमण्ड्स दीं। उसमें एक परसेंट रायल्टी देने का प्रावधान किया। उसके बाद, तीसरा जो वित्त आयोग बना, 2010 तक के लिए, उसने साफ रिकमण्ड की है कि एक परसेंट रायल्टी ही ग्राम पंचायत को, जहां पर खनन होता है, उनको दी जाए और जिला परिषद के पी.डी. एकाउन्ट में देते हैं और वह जो जिला परिषद की बाडी है, सारे, पंचायत समिति के प्रधान, जिला परिषद के मेम्बर, एम.एल.ए., एम.पीज. ये लोग बैठकर निर्णय करते हैं कि किस प्रावधान के तहत उनको वितरण किया जाता है।

माननीय सदस्या का दूसरा सवाल है पर्यावरण सम्बन्धी। यह पैसा दिया ही इसलिए जाता है कि वहां से जो माइनिंग होती है, खनन होता है उस एरिया में, हरित राजस्थान का जो मुख्य मंत्रीजी का जो सपना है, चाहे आप उस पैसे को उसमें उपयोग करो। सड़क टूटती है तो उसमें उपयोग करो। जिस एरिया की जितनी माइनिंग होती है उस एरिया में उतना पैसा दिया जाता है। तीसरा भी इनका सुझाव अच्छा है कि जब चौथा वित्त आयोग होगा उस समय हम इस चीज का ध्यान रखेंगे और उसके बाद ही सरकार कुछ निर्णय लेगी।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): प्रश्न के जवाब में माननीय मंत्रीजी ने कहा कि राज्य वित्त आयोग ने इसको 2010 तक के लिये प्रस्तावित किया है। एक परसेंट रायल्टी तो हम इसको आगे बढ़ाने में सक्षम नहीं है लेकिन मैं यह मानती हूं कि आप 2010 तक मंत्री तो रहेंगे ही क्योंकि सरकार तो फाइव ईयर्स है ना। वर्ष 2010 के बाद आप ऐसी मंशा रखते हैं क्या? मैं तो क्लीयर पूछ रही हूं। क्या इसको बढ़ाना चाहिये? माननीय अध्यक्षजी मेरा प्रश्न का जवाब दिलवाइये।

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैंने साफ कहा है कि तीसरे वित्त आयोग की 2010 तक की सिफारिशें

(श्री रामलाल)

आ चुकी हैं उस वित्त आयोग में एक परसेन्ट रायल्टी रखने का प्रावधान किया है। यह सुझाव आपका अच्छा है। माननीय मुख्य मंत्रीजी को निवेदन करेंगे जब 2010 के बाद चौथा वित्त आयोग आयेगा? उस समय इस पर विचार करेंगे।

श्रीमती किरण माहेश्वरी (राजसमन्द): इसके अलावा, जैसा आपने कहा, सारे पेड़ कट जाते हैं। उसके लिये ही यह पैसा दिया जाता है। मैं आपसे यह प्रश्न पूछना चाहती हूं कि माइनिंग एरियाज जनरली अलाट होते हैं चरागाह की जमीन पर। तो वहां पर चारा वगैरह उपलब्ध होता नहीं है। आस-पास की जो पंचायते हैं, उनके पशुओं को चारा नहीं मिलता। तो यह बहुत ज्यादा जस्टीफाई करता है कि पूरी पंचायत समिति को रायल्टी का पैसा देय 5 परसेंट ताकि पूरे एरिया का डवलपमेन्ट हो सके और मेरा यह प्रश्न है आप उसका उत्तर दें।

श्री अध्यक्ष: काफी स्पष्ट उत्तर आ चुका है। अगला प्रश्न डा. जसवंत सिंह यादव।

बहरोड़ विधान सभा क्षेत्र में निर्माणाधीन सड़कें

26. डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जिला अलवर में गत पांच वर्षों में कृषि उपज मण्डी समितियों द्वारा कुल कितनी लम्बाई की सडकें बनाई गई? तहसीलवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत पांच वर्षों में कृषि उपज मण्डी द्वारा कुल कितनी सड़कें, कहां-कहां, कब-कब स्वीकृत की गई? क्या उक्त सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया? यदि नहीं, तो अब कितनी सड़कें कहां-कहां बनना शेष हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृषि विपणन मंत्रीजी, जवाब शुरू करें प्लीज।

राज्य मंत्री, कृषि विपणन (श्री गुरमीत सिंह कुन्नर): (1) जिला अलवर में गत पांच वर्षों में तीन कृषि उपज मण्डी समितियां क्रमश: अलवर, खैरथल तथा खेड़ली के अन्तर्गत 105 सड़कों, लम्बाई 233.97 किलोमीटर का निर्माण पूर्ण किया जा चुका है तथा 11 सड़कों लम्बाई 27.85 किलोमीटर का कार्य प्रगति पर है। तहसीलवर विवरण परिशिष्ट 'अ' व 'ब' पर संलग्न है।

(श्री गुरमीत सिंह कुन्नर)

(2) विधान सभा क्षेत्र बहरोड़ में गत पांच वर्षों में 3 मिसिंग लिंक सड़कें स्वीकृत की गई जिनका विवरण परिशिष्ट 'स' पर संलग्न है। उक्त तीनों सड़कों का निर्माण कार्य पूर्ण है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

श्री अध्यक्ष: आप दो सप्लीमेन्टरी प्रश्न जल्दी से पूछ लीजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्षजी, कृषि उपज मण्डी से जो सड़कें बनती हैं, उनकी कोई देखरेख नहीं करता। सड़कों की हालत जर्जर हो जाती है और जिसका मंत्रीजी ने अभी बताया खोह से रैवाना तक जो सड़क बनी है, अभी उसको डेढ़ साल ही हुआ है। दूसरी सड़क दोसोद से रैवाना तक जो बनी है, इनको बने हुये एक साल ही हुआ है। सड़क नाम की वहां चीज नहीं रही। तो मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी से पूछना है कि जो टोटल बजट बनता है कृषि उपज मण्डी की सड़कों के लिये, उसमें से सड़क बनाने के लिये कितना परसेंट होता है और कितना परसेन्ट उनकी देखरेख के लिये होता है?

श्री अध्यक्ष: माननीय मंत्रीजी। (व्यवधान) दूसरा प्रश्न और पूछ रहे हैं आप? दूसरा और पूछ लीजिये। हाथों-हाथ जवाब आ जायेगा।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अब तक टोटल रख-रखाव के लिये जो बजट रखा गया था उसमें अलवर जिले में उसका कितना उपयोग हो गया और यदि कृषि उपज मण्डी से यह मंत्रालय उन सड़कों की देखभाल नहीं कर सकता तो ऐसा प्रावधान किया जा सकता है क्या कि उनको पी.डब्ल्यू.डी. को ट्रान्सफर कर दिया जाये ताकि उनकी हालत ठीक हो जाये?

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जवाब दें जल्दी। समय समाप्त होने जा रहा है।

(समय 12.00 बजे)

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय सदस्य की चिंता से मैं सहमत हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप तो जवाब दीजिए।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय सदस्या से मैं सहमत हूं।

एक माननीय सदस्य: माननीय अध्यक्ष महोदय, सदस्या बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): माननीय सदस्य की चिंता से मैं सहमत हूं। मंडी समिति द्वारा जो सड़कें बनायी जाती हैं उनके रख-रखाव के लिए इतना पैसा नहीं बचता कि उनकी मरम्मत करायी जा सके। पूर्व में भी यह सड़कें पी.डब्ल्यू.डी. को दी गयी थीं लेकिन उस समय दस साल तक मंडी समिति की सड़कों पर कोई पैसा नहीं लगा कर पी.डब्ल्यू.डी. ने अपने विभाग की सड़कों पर ही लगाया।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सर, उन गांवों की क्या करें जहां सड़कें बची ही नहीं?

श्री अध्यक्ष: जवाब दे रहे हैं वो। जवाब दे रहे हैं।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): नहीं, पैसा ही नहीं है उनके पास तो।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): मेरा आपसे निवेदन है कि मंडी की जो नयी सड़कें बनाने के लिए ...

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सर, इसमें थोड़ा ध्यान दें।

श्री अध्यक्ष: समय समाप्त हो जायेगा, जवाब आ जाने दीजिए। जवाब रुक जायेगा, जवाब आ जाने दीजिए।

श्री जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय अध्यक्ष महोदय, थोड़ा ध्यान दें। अध्यक्षजी, इन्होंने बता दिया रख-रखाव के लिए पैसा ही नहीं है।

श्री अध्यक्ष: जवाब आ जाने दीजिए, जवाब रुक जायेगा, समय समाप्त हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): उत्तर पूरा देंगे।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी, जल्दी जवाब दे दीजिए। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): जोर से बोलें, मंत्रीजी। (व्यवधान)

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): रोड पर 40 परसेंट जो खर्चा आता है और 60 परसेंट मंडी समिति का बिल्डिंग पर आता है।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): अध्यक्षजी, इनको तैयारी के लिये कहा करो।

श्री गुरमीत सिंह कुन्नर (राज्य मंत्री, कृषि विपणन): मरम्मत के मंडी समितियों के पास जो जो पैसे हैं उनके हिसाब से सारा का सारा पैसा उसी जिले की ...(व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय मुख्य मंत्रीजी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्रीजी को ट्रेनिंग दिलाएं, जरा खा-पी कर आएं, बोलें तो आखिर सुनायी तो दे... (व्यवधान) कुछ सुनायी तो दे आखिर। ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: प्रश्नकाल समाप्त।

स्थगन प्रस्तावों पर अध्यक्षीय व्यवस्था

मुझे माननीय सदस्यों को सूचित करना है कि निम्नांकित स्थगन प्रस्तावों की सूचना प्राप्त हुई है :-

1. श्री पवन कुमार दुग्गल एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से जिला हनुमानगढ़ एवं श्रीगंगानगर में पानी के अभाव में नरमा और कपास की खड़ी फसल के जलने से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में।

2. श्री शिवजीराम मीणा एवं 7 अन्य सदस्यों की ओर से जहाजपुर के ग्राम भगुनगर के पास दुर्घटनाग्रस्त बस के घायल व्यक्तियों को राहत प्रदान करने गई पुलिस जीप में तोड़फोड़ करने की घटना के सम्बन्ध में।

3. श्रीमती अनिता भदेल एवं 9 अन्य सदस्यों की ओर से अजमेर शहर में पेयजल की गम्भीर समस्या के सम्बन्ध में।

4. डा. फूलचन्द भिण्डा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र विराटनगर के ग्राम तेवड़ी के राशन डीलर के खिलाफ अनियमितताओं की शिकायत प्राप्त होने पर निलम्बित करने के उपरान्त पुन: बहाल कर देने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

5. श्री वासुदेव देवनानी एवं दो अन्य सदस्यों की ओर से अजमेर की जनता को 96 घंटे के अन्तराल पर भी पीने का पानी उपलब्ध नहीं होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

6. श्री हनुमान बेनीवाल, सदस्य की ओर से राज्य में पिछले पांच वर्षों से छात्र संघों के चुनाव नहीं होने से छात्रों में व्याप्त रोष के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार किया जाय, अत: इन पर अनुमति देने में असमर्थ हूं।

7. श्री सुन्दर लाल एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से विधान सभा क्षेत्र पिलानी के ग्राम मण्डेला में दो बच्चों के लापता होने से जनता में व्याप्त आक्रोश के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

8. श्री ओम बिरला एवं 8 अन्य सदस्यों की ओर से राज्य के विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों में कक्षा 12 के उत्तीर्ण छात्र-छात्राओं को प्रवेश नहीं दिये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

9. श्री राधेश्याम गंगानगर, सदस्य की ओर से श्रीगंगानगर की 'ए' माइनर नहर की सफाई नहीं करवाने तथा नहर में गंदगी डालने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

10. श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य की ओर से जिला बीकानेर की तहसील कोलायत, खाजूवाला, पूगल एवं जिला जैसलमेर में गत 25 दिनों से नहरों में पानी नहीं चलने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

उपरोक्त प्रस्ताव भी ऐसे नहीं हैं कि सदन की पूर्व निर्धारित कार्यवाही को रोक कर इन पर विचार-विमर्श किया जाय, अतः अनुमति देने में तो असमर्थ हूं।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): लोग प्यासे मर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: फिर भी प्रमुख प्रस्तावक माननीय सदस्य श्री सुन्दर लाल, श्री ओम बिरला, श्री राधेश्याम गंगानगर एवं श्री देवी सिंह भाटी को अपने-अपने प्रस्ताव की विषय वस्तु पर दो-दो मिनट बोलने की अनुमति होगी।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, 96 घंटे पानी नहीं मिल रहा है और आप कह रहे हैं कि इसके लिए आवश्यक विषय नहीं है। अजमेर में जनता त्राहि-त्राहि कर रही है।

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्षजी, मैं भी देकर आया था। (व्यवधान)

नियम 295 के अन्तर्गत प्राप्त विशेष उल्लेख की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष: पहले मुझे अपनी बात कहने दीजिए, कृपया बैठिये।

1. श्री निर्मल कुमावत, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की गौशालाओं को पर्याप्त अनुदान व सहायता उपलब्ध करवाने के सम्बन्ध में।

2. श्रीमती संजना आगरी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र सोजत में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में।

3. श्री पवन कुमार दुग्गल, सदस्य की ओर से आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा जो 25 जुलाई से प्रारम्भ होनी है उसे 04 सितम्बर, 2009 के बाद प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

4. श्री शंकर सिंह, सदस्य की ओर से राज्य में नरेगा योजना में सुधार कर गंगा, यमुना, चम्बल नदियों का पानी राज्य में लाने तथा नरेगा में भ्रष्टाचार को रोकने के सम्बन्ध में।

5. श्री मोहन लाल गुप्ता, सदस्य की ओर से जयपुर शहर की पेयजल समस्या का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

6. श्री महेन्द्र सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद की पेयजल समस्या का निराकरण करने के सम्बन्ध में।

7. श्री मुरारीलाल मीणा, सदस्य की ओर से जिला दौसा में पीने के पानी की समस्या का समाधान करने हेतु योजना स्वीकृत करने के सम्बन्ध में।

8. श्रीमती अनिता सिंह, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र नगर में निरन्तर हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने के सम्बन्ध में।

9. श्री ज्ञानदेव आहूजा, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ की विभिन्न सड़कों के दोनों तरफ हुए अतिक्रमणों से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): आपने बड़े प्यार से देखा ... (व्यवधान) आपने इतना प्यार से देखा। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: मेरा देखना मना है? (व्यवधान)

श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़): आपने विशेष नाम बोला इसलिए लम्बे हाथ जोड़ दिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): बड़े प्यार से देखा आपने।

श्री अध्यक्ष: जो देखने लायक हों उसकी तरफ देखा जाता है, आपकी तरफ नहीं देखता।

10. श्री हेमसिंह भडाना, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र थानागाजी की सड़कों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में।

11. श्री श्रवण कुमार, सदस्य की ओर से श्री चमेली देवी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुहाना के पुराने भवन का पुनर्निर्माण करवाने के सम्बन्ध में।

12. श्री भगवान सहाय सैनी, सदस्य की ओर से विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कालाडेरा स्थित कोका कोला प्लांट का लाइसेंस निरस्त करने के सम्बन्ध में।

(श्री अध्यक्ष)

माननीय सदस्यों को उनके द्वारा दी गई सूचना को पढ़ने की अनुमति होगी।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: एक निवेदन मैं कर दूं।

कुछ माननीय सदस्यों को शायद यह शिकायत रहती होगी कि उनका नम्बर इसमें नहीं आया। प्रयास यह किया जाता है कि एक माननीय सदस्य का एक में आ जाए तो दूसरे में फिर दूसरे का नम्बर आ जाए और तीसरे में तीसरे का, तो ज्यादा लोगों को बोलने का अवसर मिल सके, इस बात का प्रयास किया जाता है।

श्री शिवजीराम मीणा (जहाजपुर): गम्भीर समस्या थी इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा था। अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में ...(व्यवधान) और सक्षम गृह मंत्रीजी द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही इसलिए मैंने निवेदन किया था ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं, आसन पांव पर है, आसन पांव पर है।

स्थगन प्रस्ताव पर, श्री सुन्दर लालजी।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): पानी के लिए त्राहि-त्राहि मची हुई है। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री सुन्दर लाल। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपको अवसर दिया जायेगा। (व्यवधान) आपका आ गया है इसमें। (व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): और आप कह रहे हैं सदन स्थगित नहीं किया जा सकता, 96 घंटे से पीने का पानी ...(व्यवधान)...

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव मैंने भी दिया था। (व्यवधान) कोई दिक्कत नहीं है, नम्बर नहीं आया लेकिन दिया था।

श्री अध्यक्ष: माननीय कटारियाजी कुछ कह रहे हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): आदरणीय अध्यक्ष महोदय, एक सेकण्ड में अपनी बात कहना चाहता हूं।

(श्री गुलाब चन्द कटारिया)

अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं कि इस हाउस में मैं भी लगभग 28-30 साल से हूं, स्थगन प्रस्ताव कभी इस सीमा में नहीं बांधे जाते हैं कि रोजना चार ही आयेंगे। स्थगन प्रस्ताव आयेगा कि उसका सब्जैक्ट मैटर क्या है और वो आज की तारीख में करंट विषय पर है, पब्लिक से सम्बन्धित है, वो रोजाना चार के बजाय दस भी हैं तो आयेंगे और दस में से अगर दो भी आवश्यक होंगे तो दो ही रहेंगे लेकिन सब्जैक्ट मैटर उस समय करंट कोई विषय है, उसके ऊपर होता है। आपने यह निर्धारित कर दिया कि चार ही स्थगन प्रस्ताव आयेंगे और बाकी सब रद्दी की टोकरी में जायेंगे, यह उचित नहीं है।

मैं आपसे फिर विनम्रता पूर्वक निवेदन कर रहा हूं, स्थगन प्रस्ताव का मतलब उसका जो सब्जैक्ट मैटर है वो पब्लिक से कितना रिलेटेड हे, किस प्रकार के घटनाक्रम से जुड़ा हुआ है। चाहे जिस प्रकार का लिख दें उसको तो स्थगन प्रस्ताव मैं नहीं मान सकता हूं पर जो बिलकुल करंट विषय से सम्बन्धित हैं ...

श्री अध्यक्ष: ठीक है।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): जनता से जुड़ा हुआ विषय है उसको आपने चार में निर्धारित करने वाला जो क्रम बनाया वह उचित नहीं है, फिर से आप इस पर विचार करें और अगर चार से छह भी हो सकते हैं, दो भी हो सकते हैं और दस भी हो सकते हैं।

श्री अध्यक्ष: श्री सुन्दर लालजी।

श्री पेमाराम (धोद): अध्यक्ष महोदय, स्थगन प्रस्ताव मैंने भी दिया था ...(व्यवधान)

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): अध्यक्ष महोदय, यह तो सरकार का न्यूनतम दायित्व है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराजें। कृपया आप विराजें। कृपया शांति बनाये रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत विनम्रता पूर्वक निवेदन करना चाहता हूं।

श्री हनुमान बेनिवाल (खींवसर): अध्यक्ष महोदय, छात्र संघ का मुद्दा बहुत ज्वलन्त मुद्दा है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, विराजें, विराजें।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): दो मिनट का समय दें हमारे को।

श्री अध्यक्ष: विराजें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं आपकी बात कर रहा हूं।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्रता पूर्वक आग्रह कर रहा हूं। जैसा गुलाबजी ने कहा, संख्या तो तय हो ही नहीं सकती, एक भी हो सकता है, पांच भी हो सकता है लेकिन कुछ ऐसे मैटर हैं जो आपके पास आते हैं, आप उन पर सरकार की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। उदाहरण के तौर पर आज दो-तीन ऐसे मामले हैं, जैसे देवनानीजी का था कि 96 घंटे से पानी मिल रहा है, आप सरकार से इसकी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। एक।

दूसरा, जैसा छात्र संघों के बारे में आया। यह अभी तुरन्त तो नहीं लेकिन राज्य सरकार से जानकारी प्राप्त करने के बाद में भी आप इन पर निर्णय दे सकते हैं तो माननीय सदस्यों को उसमें बोलने का अधिकार मिल जायेगा।

तो एक तो आप जिन को तुरन्त रिजैक्ट करके बोलना चाहें, वह कैटेगिरी, दूसरा जिन पर आप राज्य सरकार की राय लेना उचित समझें, वह कैटेगिरी और राज्य सरकार की राय आने के बाद में आप चाहें तो उसको रिजैक्ट कर के माननीय सदस्यों को बोलने का दो मिनट का टाइम दे सकते हैं।

और आप चाहें तो आप सरकार को इसके लिए स्टेटमैंट देने के लिए कह सकते हैं। इसलिए मेरा आपसे विनम्र आग्रह है कि स्थगन प्रस्तावों को हमेशा से तीन केटेगिरी में बांटा गया है । मैं भी आपसे पुन: निवेदन करता हूं कि आप आज जो स्थगन प्रस्ताव आए हैं माननीय सदस्यों के, उनके क्षेत्र से संबंधित हैं, अगर इसकी जानकारी भी सरकार से लेंगे तो उन लोगों को थोड़ी राहत मिलेगी। इसलिए इस निवेदन पर भी आप जरा विचार करें। यही मेरा आपसे आग्रह है।

श्री अध्यक्ष: **श्री सुन्दरलाल**जी।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र में गांव मंडेला में..

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, ...

श्री अध्यक्ष: आप विराज जाइये । (व्यवधान) माननीय सदस्य विराजें, सुन्दरलालजी को अपनी बात कहने दें। इनको दो मिनट का समय दिया है।

श्री पेमाराम (धोद): मेरा निवेदन इतना सा है, मैं स्थगन प्रस्ताव देकर गया था...

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): माननीय अध्यक्ष महोदय, (व्यवधान) 96 घंटों से पानी नहीं है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री पेमाराम (धोद): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री वासुदेव देवनानी (अजमेर उत्तर): xxx

स्थगन प्रस्ताव आदि पर चर्चा

मंडेला ग्राम (पिलानी) में दो बच्चों का अपहरण

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरे क्षेत्र मंडेला में 26 तारीख को एक बच्चा उठ गया पांच साल का और उसी मण्डेला में चौकी पर दूसरे दिन 27 तारीख को सुबह उठ गया।

श्री अध्यक्ष: गम्भीरता को देखते हुए ही स्वीकार किया है।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): दो लड़के, एक ही गांव के दो लड़के, एक 26 को और एक 27 को उठ गये। अभी तक उन दोनों का कोई पता नहीं लग रहा, पानी तभी दो ना, बिजली तभी दो ना, कोई उठा ले जाए फिर करोगे क्या बिजली का, बताओ तो सही आपके क्या मन में है? यह समस्या है और वहां तीन दिन से स्कूलें बंद हैं। बच्चों को स्कूल नहीं भेज रहे हैं कि हमारे बच्चे को कोई उठा लेगा, कोई पता ही नहीं लग रहा है। एक भार्गव का लड़का था, एक राजपूत का लड़का था। एक छह साल का है और एक पांच साल का है, अभी तक उनका कोई पता नहीं है।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य सुन्दर लालजी जो बात कह रहे हैं, वह दोनों मासूम बच्चे थे, उनका अपहरण हो गया, उनको मार दिया गया, उसका आज तक कोई पता नहीं चला। कलक्ट्री के ऊपर धरने, प्रदर्शन हो रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: वे ही बात कह रहे हैं। इनको अपनी बात कहने दें।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): आप उनका पता तो लगाकर दो। पुलिस में मैंने एस पी को कहा है, डी एस पी को कहा है, डी जी को कहा है, उसके बाद भी कुछ नहीं हो रहा है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): डी एस पी ने क्या कहा, वह भी बता दो।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): डी एस पी ने कहा है कि बहुत बड़ा देश है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कहां ढूंढकर लाएं1

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): बताओ, यह कोई जवाब है क्या? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: बोलने दीजिए, बोलने दीजिए (व्यवधान) माननीय सदस्य, पहले इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एस पी साहब गये थे आपके साथ, डी एस पी...

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य को अपनी बात पूरी करने दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं भी तो वहीं का हूं ना ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: नियमों में आप भी उठा सकते हैं लेकिन इनकी बात पूरी करने दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं तो यही कह रहा हूं कहीं पर भी कोताही नहीं बरती गयी है।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, मासूम बच्चों का अपहरण हो गया।

श्री अध्यक्ष: नियमों में आप भी उठा सकते हैं लेकिन इनकी बात पूरी करने दीजिए।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप भी यह बात मानने को तैयार हैं... (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): मासूम बच्चों का अपहरण हो गया...

श्री अध्यक्ष: वह अपनी बात कहना चाहते हैं, उनको अपनी बात कहने दीजिए, आप भी नियमों के तहत उठाइये । (व्यवधान) अंकित नहीं होगा, अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री अध्यक्ष: सुन्दरलालजी आप चालू रखिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): आप पैरवी किस बात की कर रहे हो... (व्यवधान) किसी की पैरवी नहीं करें, यह बिना ही काम की बात करता है। और कोई मतलब नहीं है इसका यही मतलब है कि ...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य बोल रहे हैं इनको समय दिया है मैंने, इनको बोलने दें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): बीच में किसलिए बोल रहे हो आप?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य, इनको अपनी बात पूरी करने दीजिए, डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): यह तो इसलिए पैरवी कर रहा है कि पुलिस मेरे कहने में रहे और कोई मतलब नहीं है इसका यही मतलब है कि मैं पुलिस को राज़ी कर दूं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सुन्दरलाल (पिलानी): आप मंत्री हो क्या?

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): xxx

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, श्रवण कुमारजी कृपया विराज जाएं, मैं आपको नाम से संबोधित कर रहा हूं। इस तरह से सदन नहीं चल सकता। मैंने जिस माननीय सदस्य को समय दिया है बोलने का उनको बोलने दीजिए। बीच में डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): अध्यक्ष महोदय, मैं जो कुछ कहता हूं, एक भी बात गलत कभी कहता नहीं हूं।

श्री अध्यक्ष: मैं आपकी बात को बहुत गम्भीरता से सुन रहा हूं, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, गलत नहीं कहेंगे यह मुझे विश्वास है। तभी तो मैं कह रहा हूं आप बोलिए, आपको अवसर दिया है।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): मैं यह आपसे चाहता हूं कि उन दोनों बच्चों की तलाश की जाए। मैंने डी एस पी को भी कहा है, एस पी को भी कहा है, डी जी को कहा है, यहां भी मैंने टेलीफोन किया है। इसलिए मैं आपसे नम्र निवेदन करता हूं उन बच्चों की तलाश की जाए, कहां गये, स्कूलें तीन दिन से बंद हैं गांव के, बच्चों को भेज नहीं रहे हैं स्कूलों में कि हमारा भी बच्चा उठा सकते हैं। मैं ज्यादा कभी बिना काम की बात कहता ही नहीं और यह बिना काम की पैरवी इसलिए कर रहे हैं मन्ने तो पुलिस से कोई सौदा नहीं करना, आने कोई सौदा करना होगा जब ही इस धंधे में लग रहे हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पुलिस काम कर रही है यही तो मैं कह रहा हूं ना, यह कह रहे हैं बच्चे खो गये लेकिन पुलिस काम नहीं कर रही है क्या?

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य विराजें ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): मेरा क्या है, मैं आपसे ईमानदारी से कहना चाहता हूं कि उन बच्चों के लिए कोई स्पेशल टीम बनाकर के उसकी तलाश करनी चाहिए। मैं यही आपसे निवेदन करना चाहता हूं।

श्री राजेन्द्र सिंह गुढा (उदयपुरवाटी): अध्यक्ष महोदय, यदि उन बच्चों को समय पर पुलिस बरामद नहीं करती है तो जिले में बहुत बड़ा आन्दोलन हो सकता है। आपके माध्यम से मैं गृह मंत्री महोदय को बताना चाहता हूं।

मेजर ओ.पी. यादव (मुण्डावर): आपकी बात को मैं समझ रहा हूं इसलिए माननीय गृह मंत्री महोदय मानवता के आधार पर इस प्रश्न को गम्भीरता से लेते हुए आप आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): मैं बोल देता हूं। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया डिस्टर्ब नहीं करें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो मामला उठाया है, निश्चित तौर पर इनकी चिन्ता वाजिब है।

एक माननीय सदस्य: आपको नहीं है क्या चिन्ता ?

श्री अध्यक्ष: इनको चिन्ता है जब ही तो खड़े हुए हैं वरना तो बैठे थे।

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय सदस्य को वैसे काफी कुछ जानकारी है कि पुलिस इस मामले में कितना कुछ कर चुकी है और कितनी तफ्तीश उनकी जारी है। उनके कितने प्रयत्न हैं लेकिन मैं फिर आपको, सदन को निवेदन करना चाहता हूं कि इस हादसे के बाद 363 और 365 इंडियन पीनल कोड में यह मुकदमा दर्ज हुआ, चिड़ावा में सात पुलिस टीमें गठित की गयीं सात अलग-अलग जगह पर और सात पुलिस टीमों ने बुढानियां, दत्तरवाला, बोला की ढाणी, नरहड, देव रोड आदि की तलाशी ली। चिड़ावा, सिंघाना, खेतली, नारनोल, महेन्द्रगढ़, रेवाड़ी और गुड़गांव में भी इश्तिहार और फोटो भी छपवाये गये। इसी के साथ-साथ जिला झुन्झुनूं सीकर, चूरू, जयपुर, हरियाणा के स्थानों पर भी नाकेबंदी करवाई गयी इन्हीं दोनों बच्चों की तलाश में।

इसके बाद पुराने खण्डहर, मकान, पुरानी हवेलियां, कुण्ड़ों आदि की भी तलाशी की गयी। खानाबदोश, घुमक्कड़ जातियां और डेरों और संदिग्ध लोग, जो मांगने वाले भिखारी होते हैं, उनसे भी गहनता से पूछताछ की गयी। संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ कर गुमशुदा बालकों की फोटो दिखाई गयी। इसी के साथ-साथ राजगढ़, चूरू स्टेशनों पर पहुंच कर समस्त जाब्ता की मदद से तलाशी की गयी। समस्त पुलिस अधीक्षकगण, समस्त पुलिस अधीक्षकगण का मतलब यह है कि पूरी रेंज के जितने भी एस पीज हैं और जी आर पी के माध्यम से, ई-मेल, मय गुमशुदा बालकों की फोटो तलाश करके भिजवाई गई। हमीरवास, नेशल, चांद गोडी, करपाली, पिलानी इलाके में काफी गांवों में तलाशी की गयी, गौरव निर्माण और रोहित की तलाशी के बाबत इश्तिहार भी छपवाये गये। इश्तिहार पिलानी में आने जाने वाले वाहनों पर भी चिपकाये गये, जो भी बसेज जाती हैं उन पर भी इश्तिहार चिपकाये गये। दोनों बालकों की तलाशी में रेलवे स्टेशनों, धर्मशालाओं और सरायों की भी तलाशी ली गयी। इसी के साथ-साथ निदेशक एस सी आर बी, निदेशक एन सी आर बी और प्रबंध दूर संचारक टी वी प्रसारण केन्द्र, झालाना डूंगरी, जयपुर, सी आई डी, सी बी मिसिंग सैल और प्रबन्धक टी वी आज तक को भी सूचना प्रसारित किया जाकर के उसका प्रसारण करवाया गया। संदिग्ध व्यक्तियों के मोबाइल नम्बर, जो मोबाइल नम्बर मेरे पास यहां लिखे हुए हैं लेकिन मैं सदन को बताने के लिए माफी चाहता हूं। उनकी काल डिटेल भी निकाली गयी और पुलिस जाब्ता तलाश हेतु हरियाण के इलाके से रवाना होकर लुहारु, सी आई ए थाना भिवाड़ी और अपहरण गैंग को भी पकड़कर के उनसे भी पूछताछ की

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

गयी। भिवाड़ी और कोतवाली भिवाडी में भी इश्तिहार और वहां पर फोटो भी चिपकाये गये। टावर काल डिटेल बी एस एन एल, आइडिया, रिलायंस, एयरटेल, वोडाफोन आदि से प्राप्त कर संदिग्ध मोबाइल नम्बरों की जांच भी जारी है । अगर इससे भी माननीय सदस्य मान लीजिए संतुष्ट न हों तो कृपया आप अपना सुझाव दे दें, कोई स्पेशल टीम अगर गठित करनी हो तो स्पेशल टीम आज ही गठित हो जाएगी।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): स्पेशल टीम के लिए क्या?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप पहले तो यह बता दें कि जो कुछ कार्यवाही है, मैंने बताई है क्या यह सत्य है?

श्री सुन्दर लाल (पिलानी): हो रहा है।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह सत्य हो रहा है अब आप यह बता दें कि किस पुलिस अधिकारी से आप इसकी तफ्तीश कराना चाहते हैं ? उसी का नाम आप मुझे दे दें। मैं उन्हीं को जांच देने को तैयार हूं।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम बिरला।

राज्य के विश्वविद्यालयों व महाविद्यालयों में कक्षा 12 के उत्तीर्ण छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जाना

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान में अभी विद्यार्थियों का प्रवेश का सत्र चल रहा है और पूरे राजस्थान के अन्दर आप देखें तो पांच सौ प्रतिशत विद्यार्थी स्कूल से पास करके कालेज में प्रवेश चाहते हैं लेकिन आज राजस्थान में विश्वविद्यालय से लेकर महाविद्यालय तक उन पात्र छात्रों को प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। बदतर स्थिति तो और भी है। सरकार कहती है कि हम एस टी, एस सी का ध्यान करते हैं, कल्याण करते हैं। आज डूंगरपुर, बांसवाड़ा के अन्दर भी जहां आदिवासी छात्र और छात्राएं पढ़ती हैं उनको छात्रवृत्ति भी मिलती है वहां भी कालेजों में प्रतिशत के आधार पर प्रवेश नहीं हो रहा है। राजस्थान विश्वविद्यालय से लेकर जोधपुर, उदयपुर इन विश्वविद्यालयों के अन्दर 70 प्रतिशत, 75 प्रतिशत प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं हो रहा है। कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ उस सारे संभाग में कई कालेजों की तो ऐसी स्थिति है कि बीस साल पहले जितनी सीट थीं आज भी उन कालेजों में उतनी सीट हैं। मैं मानता हूं कि सरकार को अभी

(श्री ओम बिरला)

छह महीने हुए हैं लेकिन मैं अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि जो भी पात्र विद्यार्थी उत्तीर्ण होते हैं उनको मौलिक शिक्षा के रूप में सरकार को कालेजों में प्रवेश देना चाहिये। जो अनुसूचित जाति, जनजाति, ओ बी सी, बी पी एल वाले विद्यार्थी हैं उनको छात्रवृत्ति जब ही मिलती है जब वह नियमित कालेज के अन्दर प्रवेश लें। इसलिये अध्यक्ष महोदय, मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं सरकार जब कहती है हम हर बालक को पढ़ायेंगे, छात्र-छात्राओं को पढ़ायेंगे तो राजस्थान के अन्दर जो भी पात्र विद्यार्थी हैं उन पात्र विद्यार्थियों को कालेज और विश्वविद्यालय में प्रवेश मिलना चाहिये ताकि उनको दर-दर की ठोकरें न खानी पड़ें और अनियमित होकर प्राइवेट के रूप में ट्यूशन लगा कर अपना धन खर्च करके पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। मुझे आशा है सरकार से, अगर संवेदनशील सरकार है तो इस ओर ध्यान देगी। एक कार्य योजना बनायेगी जिसके कार्य योजना के माध्यम से पूरे राजस्थान के अन्दर उन पात्र विद्यार्थियों को एडमिशन मिल सके जो आज भी हजारों की तादाद में, मैं अगर आंकड़ों के आधार पर भी जाना चाहूं तो राजस्थान के अन्दर आज भी पच्चीस हजार विद्यार्थी ऐसे हैं जो कालेज में पात्रता रखते हैं उनको भी एडमिशन नहीं दिया जा रहा है।

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अनुसूचित जनजाति के उन इलाकों की बात करना चाहता हूं जहां दूर-दराज तक विद्यार्थी को आज भी 6-6, 7-7, 8-8 किलोमीटर दूर पढ़ने आना पड़ता है उनके पढ़ने की कोई व्यवस्था, अगर कालेज में नहीं जायेंगे तो उनके लिये वैकल्पिक कोई व्यवस्था नहीं है। मुझे आशा है सरकार इस ओर ध्यान आकर्षित करेगी और निश्चित रूप से हर पात्र विद्यार्थियों का कालेज में एडमिशन करने का कार्य करेगी। मुझे आशा और पूर्ण विश्वास है सरकार पर।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय अध्यक्ष महोदय...

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह स्थिति जो माननीय सदस्य ने ...(व्यवधान) आज हालात अध्यक्ष महोदय यह हैं...

श्री अध्यक्ष: श्री राधेश्याम गंगानगर ...(व्यवधान) श्री राधेश्याम गंगानगर ...(व्यवधान) जिन माननीय सदस्यों का स्थगन प्रस्ताव था वह बोल चुके हैं। कृपया आप व्यवधान पैदा न करें...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): लोगों का एडमिशन नहीं हो रहा है सरकार..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया व्यवधान पैदा न करें। श्री राधेश्याम..(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): कालेज में फर्स्ट ईयर आर्टस में 1500 सीटें..

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो। अंकित नहीं होगा। श्री राधेश्याम गंगानगर

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: आप अलग से उठाइये, आप बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, नियमों को जानते हैं आप अलग से उठाइये। जिन माननीय सदस्य ने उठाया उनको अवसर दे चुका हूं। सारी बात सामने आ गयी है। श्री राधेश्याम

श्री पेमाराम (धोद): xxx

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। गंगानगर में..(व्यवधान) शहर के बीचों बीच में जाती है...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है। माननीय सदस्य श्री राधेयामजी।

श्रीगंगानगर की ए माइनर नहर की सफाई

श्री राधेश्याम गंगानगर (श्रीगंगानगर): एक तरफ रामनगर है, दूसरी तरफ श्रीगंगानगर है। इसके बीचों बीच माइनर जाती है जिसमें वर्षों से बल्कि मेरे ख्याल में 70-80-90 साल हो गये होंगे और उसके दोनों किनारों पर करीब 10 किलोमीटर तक दोनों तरफ बहुत भारी आबादी होटल, मंदिर, गुरूद्वारे और लोगों की दुकानें हैं। उस नहर के अन्दर लोग गंदा पानी और इस तरह की चीजें फेंकते हैं क्योंकि होटल भी बहुत हैं जिससे आगे किसानों को बड़ी भारी परेशानी है। कई बार पीलिया हो गया, बीमार हो गये। बहुत लम्बे समय से यहां विधान सभा में कई बार मामला उठ चुका है। कमलाजी ने यहां मौका देखा तो उन्होंने कहा कि इसको बाहर निकालेंगे। सम्माननीय देवी सिंहजी जो यहां मौजूद हैं जिन्होंने मौका देखा। इन्होंने प्लान भी बनाया। मेरे ख्याल में

(श्री राधेश्याम गंगानगर)

20 क्विंटल के करीब तो नक्शे उसके बन गये लेकिन पता नहीं बदकिस्मती उन लोगों की है, 100 गांव के लोग इतना गंदा दूषित पानी पी रहे हैं मेरे ख्याल में आप और हम देख नहीं सकते। एक तरफ तो सरकार कहती है शुद्ध के लिये युद्ध। जब हम पानी ही स्वच्छ नहीं पिला सकते किसी को तो फिर शुद्ध के लिये युद्ध कामयाब कहां से होगा?

मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि काफी लम्बे समय से वह एरिया इतना दुःखी है जिसका कोई अंत नहीं है। अभी कुछ दिन पहले जबरदस्त धरना लगा तीनपुली पर। हमारे जो इर्रिगेशन विभाग के लोग हैं, जो पानी जाता है क्योंकि सफाई इसमें है नहीं, गंदगी बहुत है, ओवर-फ्लो हो जाता है तो वह फट्टी लगा देते हैं, पानी बंद कर देते हैं ताकि आगे किसान को पानी न मिले। यहां 14 हिस्से पानी मिलना चाहिये उसको, किसान जो टेल पर बैठा है वह आज तरस रहा है कि पानी की बूंद आए। तीन बार यह खाली चला जाता है, चौथी बार में भी उसके हिस्से में कुछ नहीं आता। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुत भारी यह अन्याय है। मेरा यह निवेदन है कि तुरन्त इसको गंगानगर से बाहर निकाल करके व्यवस्था की जाए और उसमें समय लगे तो पूरी तरह से उसको बंद करवा कर मेनहोल बना दिये जाएं जिससे लोगों की गंदगी न पड़े और होटल वाले, दुकान वाले, मंदिर, गुरूद्वारे हैं उनको भी कष्ट न हो।

अभी कल की बात है किसानों ने और लोगों ने जो अपने रास्ते बनाये हुए थे उनको तोड़ा। उस गंग के किसानों के अन्दर रोष है। दुकान, होटल वाले और दूसरे जो लोग हैं वह भी मजबूर हैं कि उनके लिये रास्ता नहीं है। कृपा करके, मंत्री महोदय, सरकार मेरी बात को ध्यान से सुनकर, मैं अध्यक्षजी, पुनः निवेदन कर रहा हूं कि मेरे प्रिय भाई हमारे पूर्व सिंचाई मंत्री देवी सिंहजी ने काफी काम इसमें किया था और हमारे जाट साहब ने भी आश्वासन दिया, कमलाजी ने भी मौका देखा और परसरामजी मदेरणा ने भी मौका देखा, आज तक उस समस्या का समाधान नहीं हुआ।

मेरा आपके माध्यम से मंत्रीजी को सुझाव है कि जितनी देर तक आप उसको बाहर नहीं निकालते तुरन्त उसको बंद करके मेनहोल बनाकर सफाई की व्यवस्था की जाए ताकि होटल्स, दुकानों और शहरवासियों को भी नुकसान न हो और गांवों में जो जहर पी रहे हैं लोग, उनके खेतों में पानी पूरी तरह पहुंच नहीं रहा उसकी व्यवस्था हो जाए। आपने मुझे समय दिया धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री देवी सिंहजी भाटी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट लेना चाहूंगा। आपकी अनुमति हो तो मैं ..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: श्री देवी सिंहजी भाटी। कृपया आप विराजें..(व्यवधान) कृपया आप विराजें..(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं मैं दूसरी बात, मैं इस बारे में कुछ नहीं कह रहा..(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया आप विराज जाएं। कृपया विराजें। पहले इनको..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं यह निवेदन कर रहा हूं..

श्री अध्यक्ष: मैंने अवसर दे दिया है। कृपया आप विराजें..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, वह बोलें..

श्री अध्यक्ष: मैं उनके बाद दो मिनट आपको भी दे दूंगा।

बीकानेर जिले की विभिन्न नहरों में पानी का संकट

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): अध्यक्ष महोदय, आज सदन में आसन द्वारा जितने स्थगन प्रस्ताव दिये गये उसमें से अस्सी प्रतिशत प्रस्ताव ऐसे थे जिसमें प्रदेश में भारी पेयजल का संकट है। पेयजल का संकट तो माना लेकिन राज्य सरकार या प्रशासन कोई इसकी ओर गौर करे, यह नहीं हो रहा, यह सबसे बड़ा दुखदायी प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय, बीकानेर की कोलायत तहसील में जो नहरी क्षेत्र है वह सारे उस नहर के पानी के ऊपर निर्भर हैं

वहां पुराने परम्परागत स्रोत हैं वह खतम हो चुके हैं और नहरों में पिछले 25 दिन से, हम खेती के लिए बात नहीं कर रहे हैं, हम तो सिर्फ पीने का पानी चाहे कोलायत तहसील हो, चाहे पूगल हो, चाहे खाजूवाला तहसील हो और हमारे से आगे जैसलमेर जिले वाले बैठे हैं उनका तो क्या हाल है, किसी ने भी आज तक प्रयास नहीं किया। चाहे सरकार की ओर से कोई प्रतिनिधि जाये, मंत्री जाये या कोई पीएचईडी विभाग से जाये, इन सारी परिस्थितियों में एक तरफ तो पाकिस्तान बॉर्डर जहां तारबंदी की हुई है और इधर नहरों में कहीं भी 70-80 किलोमीटर से पहले पानी नहीं है। आप कल्पना कीजिये कि वह गरीब पानी कहां से लेकर के आये, सारी डिग्गियां सूख चुकी हैं, बीएसएफ के जो व्यवस्थापक हैं वह तो 70-80 किलोमीटर से टैंकरों से पानी ला रहे हैं,

(श्री देवीसिंह भाटी)

जब यह प्रशासन के सामने है कि बीएसएफ वाले टैंकरों से पानी ला रहे हैं उनके पास साधन हैं, बजट है, व्यवस्था है लेकिन वह गरीब कहां से पानी लेकर के आये। इसके लिए कोई चिंता नहीं हो रही है और मैं आज इस पर बहुत मजबूर होकर के बोल रहा हूं कि पेयजल के लिए भी तरसना पड़े, उसको कुछ नजर नहीं आ रहा है कि वह पानी कहां से लाये, उसके लिए मैं क्या करूं, अध्यक्षजी, आप सलाह दीजिये, स्थिति बहुत भयावह है।

श्री अध्यक्ष: आप मेरे से चैम्बर में मिल लें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): चैम्बर में कोई पानी नहीं है। लोग मर जायेंगे। आज स्थिति बहुत खराब है इसके लिए कोई चिंता भी करें। अगर वक्तव्य आ जाता, जिला प्रशासन का भी वक्तव्य आ जाता। कहीं टैंकरों के लिए एक्सरसाइज होती। मुझे दु:ख तो इस बात का है कि आज प्रदेश में अकाल की भयावह स्थिति है। अभी सीकर की बात कर रहे थे घनश्यामजी तिवाड़ी, खेत खाली पड़े हैं, जहां बड़ा-बड़ा बाजरा खड़ा रहता था इस समय। बाकी जिलों में भी कहीं बरसात नहीं हुई है। ऐसी परिस्थिति में भी अकाल के बारे में बजट भाषण में एक शब्द नहीं बोला गया है। बजट में कम से कम यह कल्पना तो करते, चिंता करते कि ऐसी भयावह स्थिति है। अगर कहीं भी आवश्यकता पड़ी तो सरकार इसके लिए सचेत है। यह प्रयास कर रही है, यह बजटीय प्रावधान हैं और यह भरोसा मिलता।

अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ा संकट यह है कि आज जो व्यक्ति है वह सबसे पहले अपने पशु को बचाने का प्रयास करता है और जब पशु मर जायेगा तो वह व्यक्ति भी क्या करेगा? उसका धन वही है और कह रहे हैं सिर्फ पेयजल के लिए और उसके लिए क्या तैयारी है। अभी भी जिला प्रशासन के पास में राज्य सरकार के निर्देश नहीं हैं और उसकी कोई तैयारी नहीं है कि हम टैंकरों से पेयजल तो पहुंचायें। कुछ एक वहां पर हैंड पंप खुदे हुए हैं वीरेन्द्रजी बेनीवाल आपका पुराना इलाका है, पूगल, खाजूवाला और यह सारा क्षेत्र जो नहरों से जुड़ा हुआ है पेयजल के लिए उन पर निर्भर है, सिर्फ नहरों के ऊपर और वहां और कोई स्रोत नहीं है। इन सारी स्थितियों में आज व्यक्ति करे तो क्या करे। अगर सिर्फ यहां बोलने के लिए यहां चुनकर आ जायें, यह नहीं हो सकता है। आज मुझे चाहे कुछ भी करना पड़े, मैं सरकार से चाहूंगा कि आज की आज वह घोषणा करे कि हम टैंकरों के द्वारा व्यवस्था करेंगे। हम कंटीनजेंसी के द्वारा तुरंत हैंड पंप खुदवायेंगे या कैसे भी ऊंट गाड़ी से हम पानी

(श्री देवीसिंह भाटी)

लायेंगे, ऊंट गाड़ी से भी पानी नहीं आ सकता है, पानी बहुत दूर है और पानी जो पड़ा था अभी तक, 25 दिनों से वह भी डिग्गियों के अंदर बिलकुल हरे रंग का पानी है, क्योंकि बाँध के अन्दर पानी कम है, नहरों में पानी का कम प्रवाह है और इस कारण से हरियाणा के अन्दर जो सीवरेज का पानी है, गंदे नालों का और फैक्ट्रियों का केमिकल है वह ज्यादा मात्रा में आ रहा है पूरे इलाके में, मैं चेतावनी दे रहा हूं सरकार को समय रहते कि वहां पर पीलिया रोग का भयंकर प्रकोप होगा, वह संभाले नहीं सम्भलेगा। अध्यक्ष महोदय, इन सारी परिस्थितियों में आपने समय तो दे दिया लेकिन सरकार के कहीं भी कान पर जूं नहीं रेंग रही है इसलिए जब तक पानी की व्यवस्था उस क्षेत्र में नहीं होगी मैं यहां पर वैल में आमरण अनशन पर बैठ रहा हूं।

सदन में धरना

(श्री देवीसिंह भाटी, सदस्य का सदन कूप में धरना)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मुझे आपने दो मिनट के लिए बोलने की अनुमति दी थी। अध्यक्ष महोदय, मैं निवेदन यह कर रहा था कि हम 50 के अन्दर आपकी अनुमति लेकर के अति लोक महत्व के विषयों को यहां उठाते हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य विराजें ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, एक मिनट ...(व्यवधान) एक मिनट बैठें तो सही।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आमरण अनशन, इतनी बड़ी घोषणा उन्होंने की है।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य आपका विषय नहीं है ...(व्यवधान) व्यवस्था बनाने में सहयोग करें ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): आप निर्देशित करें कि उन्हें समस्या का समाधान करने में सहयोग करें ...(व्यवधान) वक्तव्य तो देवें यहां पर ...(व्यवधान) माननीय अध्यक्ष, आमरण अनशन पर माननीय सदस्य बैठे हैं ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके दल के व्हिप कुछ कह रहे हैं, परमिशन लेकर के कह रहे हैं, आप विराजें ...(व्यवधान)

श्री मोहनलाल गुप्ता (किशनपोल): अध्यक्ष महोदय, आप कृपया सरकार को निर्देशित करें ...(व्यवधान) उनके लिए कुछ करें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य आप विराजें, आप विराजें ...(व्यवधान).

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी नम्रता से निवेदन कर रहा हूं, दो दिन से सदन चल रहा है, अति महत्वपूर्ण सामयिक विषय को हम विधान सभा में नियम और प्रक्रियाओं के नियम 50 के तहत उठाते हैं। जब हम इस विषय को उठाते हैं तो तीन कापी में हम उस विषय की सार वस्तु लिखकर के एक कापी सचिव को, एक कापी अध्यक्षजी को और एक कॉपी संबंधित मंत्री को देते हैं। अध्यक्ष महोदय, सरकार क्या कर रही है, अति लोक महत्वपूर्ण विषय उठे और पूरी सरकार गायब हो जाये। अभी गंगानगर से आने वाले माननीय सदस्य बोल रहे थे।

श्री अध्यक्ष: सरकार में जलदाय मंत्रीजी हैं, राजस्व मंत्रीजी हैं, शिक्षा मंत्रीजी हैं, सहकारिता मंत्रीजी हैं और दो राज्य मंत्री भी हैं ...(व्यवधान) यह कह रहे हैं कि कोई है नहीं ...(व्यवधान)

अनुरोध एवं मांग

जल संकट पर सरकार से वक्तव्य की मांग

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, सवाल इस बात का नहीं है ...(व्यवधान) आज जिस तरह के हालात पैदा हुए हैं, पीने के पानी को लेकर हमारी पार्टी के वरिष्ठतम सदस्य वैल में आमरण अनशन कर दें, मैं समझता हूं कि इससे दुखदायी बात नहीं हो सकती है और सरकार वक्तव्य देने के लिए तैयार नहीं हो इससे शर्मनाक कोई बात नहीं हो सकती है। मेरा निवेदन है कि जब तक सरकार वक्तव्य नहीं देगी हम सब लोग वैल में धरना देंगे और सरकार को मजबूर करेंगे कि सरकार को वक्तव्य देना पड़ेगा।

श्री अध्यक्ष: विराजें माननीय सदस्य, विराजें माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, देना पड़ेगा, यह नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य विराजें, माननीय सदस्य विराजें ...(व्यवधान) कृपया व्यवस्था बनाने में सहयोग करें।

सदन में धरना

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों का सदन कूप में धरना)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): हमारे सदस्य को आमरण अनशन पर बैठना पड़ रहा है ...(व्यवधान) आज जयपुर में पानी की बहुत गम्भीर समस्या है ...(व्यवधान) आप कृपया करके सरकार को कहें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनायें रखें ...(व्यवधान)

(भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): पानी की बहुत गम्भीर समस्या है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाये रखें।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): यह केवल सुदूर में ही नहीं, बाड़मेर और जैसलमेर की ही नहीं है, जयपुर में भी पानी की बहुत कमी है ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप विराजें ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है।

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): xxx

श्री अध्यक्ष: आप व्यवस्था तो बनायें, कोई खड़ा है, कोई बैठा है, कोई कहीं है, आपके साथ के माननीय सदस्य खड़े हैं, उन्हें बैठायें पहले, जो खड़े हैं माननीय सदस्य वह विराज जायें ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): xxx

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): xxx

श्री अध्यक्ष: कृपया सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग प्रदान करें ...(व्यवधान) कृपया सदन की कार्यवाही चलाने में सहयोग प्रदान करें, अंकित नहीं हो रहा है ...(व्यवधान)

श्री मोहन लाल गुप्ता (किशनपोल): xxx

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): xxx

श्री अध्यक्ष: कहां बोलने दे रहें है, आपके माननीय सदस्य ही नहीं बोलने दे रहे हैं मैं क्या करूं ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के वरिष्ठ माननीय सदस्य श्री देवीसिंह जी भाटी इन्होंने अपनी बात आज बहुत ही ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आपके जो दल के माननीय सदस्य हैं उनको कहें बैठिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): एक बार बैठ जायें।

श्री अध्यक्ष: आपकी बात सुनने का माहौल तो बनायें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप बैठें, इसी को सुन लीजिये पहले।

श्री अध्यक्ष: आप जहां चाहें विराजें, लेकिन कम से कम सुनें तो सही ...(व्यवधान) वह कुछ बोल रहे हैं और आपके दल के उप नेता बोल रहे हैं। अगर उनका भी आपको लिहाज नहीं है ...(व्यवधान) उनको बोलने दीजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, आज आपके पास जितने प्रस्ताव हैं, चाहे अजमेर से आया हो, चाहे पाली से आया हो, चाहे बाड़मेर से आया हो, चाहे भीम से हो, सारे राजस्थान भर से, आज पेयजल की पूरे राजस्थान में भयंकर स्थिति है।

सदन में धरना

(भारतीय जनता पार्टी व प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा सदन के वैल में धरना)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आज पूरे राजस्थान में पेयजल की भयंकर स्थिति है। हम सारे राजस्थान के माननीय सदस्य विधान सभा में मांग उठा रहे हैं, बिजली के कारण से पानी नहीं आ रहा है, बिजली नहीं आ रही है, बार-बार सारे माननीय सदस्य इस बात को उठा रहे हैं और सरकार इस

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

पर अपना वक्तव्य नहीं देना चाहती। माननीय देवीसिंहजी ने एक ही तो बात की है, हम नहीं कहेंगे कि आप नहरों में कितना पानी चला रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं कि आप कितने टैंकर ला रहे हो, हम नहीं कह रहे हैं कि आप ऊंट लड्ढे पर लाओ। आज राजस्थान की जनता पेयजल के लिए त्रस्त है तथा पीने का पानी दिलाने की जिम्मेदारी राजस्थान सरकार की है और राजस्थान सरकार को उसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी।

श्री अध्यक्ष: विराजो। कृपया विराज जाएं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, अगर सरकार इतने गम्भीर मसले को विधान सभा में उठाने के बाद भी जवाब देने के लिए खड़ी नहीं होती है....(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: कृपया शांत रहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मांग कर रहा हूं कि आप सारे विपक्ष की और सारे सदन की भावना को समझते हुए आप राज्य सरकार को निर्देश दें कि राज्य सरकार पेयजल पर वक्तव्य दे और सभी माननीय सदस्यों की हमारी जो बात है उसको सुना जाए और उसके समाधान के लिए सरकार प्रयत्न करे। सरकार ने वक्तव्य नहीं दिया, सरकार ने बात नहीं की तो देवीसिंहजी भाटी और माननीय सदस्य जो यहां बैठे हुए हैं वह अपनी जनता के सामने जाकर क्या कहेंगे? (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं होगा। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य, कृपया व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान) मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं कि कृपया आप बोलना चाहते हैं तो अपने स्थान पर जाकर कहना चाहिए। अंकित नहीं हो रहा है। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): xxx

(सदन के वैल में प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा भाषण)

श्री अध्यक्ष: अंकित नहीं हो रहा है माननीय सदस्य। (व्यवधान) खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्रीजी, व्यवस्था बनाये रखने दीजिए। आप बैठिए, कृपया विराजो। (व्यवधान) माननीय सदस्य, अंकित नहीं हो रहा है। मुझे कहने दीजिए, आप बैठिए। मुझे तो बोलने दे नहीं रहे हैं, आप मेरी सुनिए पहले। (व्यवधान) मुझे अपनी बात कहने दीजिए। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। मैं कुछ कहना चाहता हूं यदि आप व्यवस्था बनाये रखें। (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है। मैं कुछ कहना चाहता था, आप व्यवस्था बनाये रखें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): xxx

श्री अध्यक्ष: इनको अनुशासन तो बनाये रखना चाहिए।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): xxx

श्री अध्यक्ष: इनको इसकी जानकारी तो हो। (व्यवधान) सवाईमाधोपुर से आने वाले माननीय सदस्य विराजो। (व्यवधान)

(सदन के वैल में प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): xxx

श्री अध्यक्ष: इनको चुप कराओ तो मैं बोलूं। (व्यवधान) इनको चुप कराओ, मैं उनको मौका दे रहा हूं। चुप कराओ इनको, चुप कराओ इनको। (व्यवधान)

(सदन के वैल में प्रतिपक्ष के कई माननीय सदस्यों द्वारा नारेबाजी)

यह व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग दें तो आगे बढ़ूं। (व्यवधान) आप व्यवस्था बनाये रखने में सहयोग दें तो मैं आगे बढ़ूं, कार्यवाही शुरू करूं। (व्यवधान) शांति तो करें, चुप तो हों, चुप न हों तो बिजनस कैसे हो पाएगा?

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में धरना व नारेबाजी)

श्री अध्यक्ष: चुप तो हो। इसमें स्टेटमेंट कहां से हो पाएगा? (व्यवधान) अंकित नहीं हो रहा है, व्यवस्था बनाएंगे तो मैं आगे व्यवस्था दूं। व्यवस्था बनाने देंगे तब जाकर व्यवस्था दूं। आप अगर शांति कायम करें तो बात आगे चले। कृपया शांति रखें। अगर आप शांति बनाएंगे तो फिर आगे कार्यवाही चलाने की कोई बात हो। आप शांति बनाये रखें तो मैं आगे कोई कार्यवाही चलाने की बात करूं।

सदन में नारेबाजी

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में नारेबाजी)

पहले चुप तो हों। व्यवस्था तो बनाने दो। (व्यवधान) आप व्यवस्था बनाएं, कृपया शांत रहें।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अध्यक्ष महोदय, हमारे सब माननीय सदस्य चुपचाप बैठे हैं आप जो व्यवस्था देना चाहें ये सुनेंगे, आप व्यवस्था दीजिए।

श्री अध्यक्ष: व्यवस्था के लिए यही तो कह रहा हूं, व्यवस्था के बिना हाउस कैसे चलेगा?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, चुपचाप से बैठे हैं, आप व्यवस्था दें।

श्री अध्यक्ष: माननीय विरोधी पक्ष के अधिकांश सदस्यों ने पानी पर, बिजली पर चिन्ता व्यक्त की है और खासतौर से ...(व्यवधान) या तो मुझे कह लेने दीजिए। आप बैठिए, प्लीज बैठिए। (व्यवधान) प्लीज बैठिए। (व्यवधान) कृपया शांति बनाए रखें। पीने के पानी की पशुओं के लिए भी और इंसान के लिए भी महती आवश्यकता को देखते हुए कुछ ध्यानाकर्षण प्रस्ताव भी आते हैं पर्ची के माध्यम से भी सदस्यों ने इस मांग को उठाने की बात कही है, 295 के माध्यम से भी आते हैं और निश्चित रूप से पानी की गम्भीर समस्या तो सरकार भी मानती है और प्रदेश में है। यदि आप लोग व्यवस्था बनाकर अपने-अपने स्थान पर जाएं, विराजें तो मैं सरकार को वक्तव्य के लिए निवेदन करूं। (व्यवधान) मंत्रीजी वक्तव्य देने को तैयार हैं, लेकिन आप व्यवस्था बनाए रखकर अपनी सीट पर जाएं।

(प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन कूप में दिया गया धरना समाप्त)

श्री अध्यक्ष: मैं सभी माननीय सदस्यों से निवेदन करूंगा अपने निश्चित स्थान पर जाकर वे विराजें। जल संसाधन मंत्रीजी से मैं निवेदन करूंगा कि इस पर वे वक्तव्य देने के लिए ...(व्यवधान)

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): अध्यक्ष महोदय, पूरे राजस्थान में पेयजल और बिजली की गम्भीर समस्या है और सारे राजस्थान के संदर्भ में सभी को पता है कि आने वाले समय में बरसात नहीं हुई तो पूरे राजस्थान में एक गम्भीर समस्या पीने के पानी की होगी। सरकार चिंतित है और इनकी भावनाओं को देखते हुए विस्तृत रूप से पेयजल और सिंचाई पर सोमवार को सरकार वक्तव्य देगी, अपनी स्थिति को स्पष्ट करेगी।

श्री अध्यक्ष: मंत्रीजी की ओर से वक्तव्य सोमवार को दिया जाएगा, यह व्यवस्था हो चुकी है।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय अध्यक्ष महोदय, अजमेर के विषय में आप और बोल दें सोमवार को। आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं अजमेर के बारे में?

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): मेरा आमरण अनशन कायम रहेगा क्योंकि मेरा यह मानना है कि सरकार की ओर से कोई तैयारी नहीं है। अगर तैयारी होती, मैं जानता हूं कि बहुत भारी विकट समस्या है, अगर कोई तैयारी होती ...(व्यवधान)

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): माननीय मंत्री महोदय, अजमेर शहर और अजमेर जिले में पानी की व्यवस्था के बारे में निश्चित रूप से बोल दें।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): सेंक्संड ट्यूबवैल और हैण्ड पम्प जो रोके गये हैं उनको तो चालू करने का काम शुरू करें। ...(व्यवधान)...

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): आपने केन्द्र सरकार से कोई मांग की हो ऐसी कोई तैयारी नहीं है, इसलिए हमें पूरा विश्वास है कि कोई व्यवस्था नहीं होगी। वक्तव्य आप जरूर दे दें, क्योंकि आपने अब तक कोई प्रयास नहीं किये।

श्रीमती संजना आगरी (सोजत): माननीय मंत्री महोदयजी, हमारे सोजत विधान सभा क्षेत्र के लिए विशेष तौर से ध्यान आकर्षित करें।

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जल संसाधन मंत्रीजी से निवेदन करना चाहूंगा 2008 तक जो सेंक्संड ट्यूबवैल और हैण्ड पम्प हैं और अभी कंटीनजेंसी में जो स्वीकृत किये गये हैं, कम से कम उनको तो चालू करने के आदेश प्रसारित करें यहां से ताकि तात्कालिक राहत तो जनता को मिल सके। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने जल संसाधन मंत्रीजी को आग्रह किया और जल संसाधन मंत्रीजी ने कहा सोमवार को वक्तव्य देंगे। आपके पास इस सम्बन्ध में बहुत से प्रस्ताव आये हुए हैं, ध्यानाकर्षण के माध्यम से भी हैं, पर्ची के माध्यम से भी हैं, स्थगन के माध्यम से भी हैं, उन सबको इकट्ठा करके और पूरे हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं जिनके सारे आये हुए हैं उन पर आप विस्तृत विवेचन करके, विवेचन ही नहीं विवेचन के साथ आप यह तो बता रहे हैं कि पानी की समस्या है, हम चाहते हैं उसका समाधान क्या हो। सरकार उसका समाधान क्या कर रही है? हम कोई राजनैतिक इश्यू नहीं बना रहे हैं, हम केवल पानी की समस्या का समाधान करना चाहते हैं और इसीलिए हमारे वरिष्ठ माननीय नेता और सदस्य देवीसिंहजी भाटी ने भी कहा है, आपने जब यह कहा है ...(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आप कृपया इधर।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं उनसे आग्रह कर रहा हूं कि वे दो दिन के लिए अपना अनशन स्थगित करें और सरकार क्या व्यवस्था कर रही है यह सोमवार को आप पूरा बताएं, उसका टाइम फिक्स कर दें और सभी

(श्री घनश्याम तिवाडी)

माननीय सदस्यों की उसमें बात आ जाए। तब तक मैं प्रार्थना कर रहा हूं कि आप न करें, उसके बाद कर लेंगे। इसलिए आपसे आग्रह है कि सोमवार का टाइम आप फिक्स करा दें कि इतने बजे सरकार वक्तव्य देगी और वक्तव्य के बाद में माननीय सदस्य अपने क्षेत्र का कोई प्रश्न भी पूछेंगे तो वह भी स्पष्टीकरण हो जाएगा।

श्री अध्यक्ष: पेयजल समस्या के ऊपर जिस गम्भीर समस्या को लेकर आप लोगों ने आक्रोश व्यक्त किया है मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि सोमवार को माननीय जल संसाधन मंत्री उस पर वक्तव्य देंगे। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, बिजली इसके साथ हो।

श्री अध्यक्ष: आसन पांवों पर है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): इसके साथ बिजली नहीं।

श्री अध्यक्ष: केवल पानी पर वक्तव्य की बात हुई है, भाजपा के उप नेता महोदय ने जो कहा है उसको मैंने स्वीकार किया है। समय भी निश्चित करके आपको बता दिया जाएगा। (व्यवधान) इस पर चर्चा समाप्त। (व्यवधान) माननीय चित्तौड़ से आने वाले माननीय सदस्य, कृपया विराजें।

श्री देवीसिंह भाटी (कोलायत): माननीय सदस्यों ने और आसन ने विशेष तौर से इसको गम्भीरता से लिया है।

श्री अध्यक्ष: आप कृपया आमरण अनशन की जो घोषणा है उसको वापस लें।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): इसीलिए मैं आपसे अनुरोध कर रहा हूं और इसी विश्वास के साथ कि राज्य सरकार इसके लिए तैयारी करे, वक्तव्य तो आ जाएगा, ये आते रहते हैं, जाते रहते हैं, लेकिन इसके लिए तैयारी ऐसी गम्भीरता से करें।

(समय : 13.00 बजे)

केन्द्र सरकार की मदद के बगैर होगा नहीं और इसके लिए जिला प्रशासन और दूसरे आप काम धंधे छोड़ दो, पानी से बढ़ कर कोई चीज नहीं है और इसलिए सब माननीय सदस्यों का, घनश्यामजी ने जो बात कही है, मैं मेरा आमरण अनशन सोमवार तक के लिए स्थगित करता हूं। (व्यवधान)

श्री नरपत सिंह राजवी (विद्याधर नगर): रघुजी, केकड़ी और केकड़ा में तो फर्क समझो, कम से कम आप तो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: उद्योग मंत्रीजी, आबकारी मंत्रीजी, कृपया। (व्यवधान) काफी समय इसमें जाया गया है इसलिए मैं निवेदन यह कहना चाहता हूं, आगे व्यवधान पैदा न हो।

नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख

प्रक्रिया के नियम 295 के अन्तर्गत जो सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, समयाभाव के कारण इनको पढ़ा हुआ मान लिया जाए। (व्यवधान)

पढ़ा हुआ मान लिया गया है, सरकार को जा रहा है, व्यवस्था है। (व्यवधान)...

(पढ़े हुए माने गये विशेष उल्लेख के प्रस्तावों के लिए कृपया परिशिष्ट-3 देखें)

आज दिनांक 10 जुलाई, 2009 को शून्य काल में बोलने हेतु 22 पर्चियां प्राप्त हुई हैं जिनमें से सलाहकार द्वारा 4 पर्चियां निकाली गई हैं, जो निम्नलिखित हैं :-

1. श्री ग्यारसाराम कोली, बयाना निर्वाचन क्षेत्र में आए सिंचाई के संसाधनों की कमी एवं सिंचाई के उपायों के क्रियान्वयन के संबंध में।
2. डा. दिगम्बर सिंह, वन विभाग के मांडेरा की रूंध की जनता को हो रही भारी नुकसान के संबंध में।
3. श्रीमती सूर्यकांता व्यास, विधान सभा क्षेत्र सूरसागर में सफाई की बिगड़ती स्थिति के संबंध में।
4. श्री ओम जोशी, विधान सभा क्षेत्र फलौदी के फलौदी नगर में बढ़ते जल स्तर की समस्या के समाधान के संबंध मों।

श्री ग्यारसाराम कोली।

पर्ची के माध्यम से उठाये गये मुद्दे

बयाना में सिंचाई उपायों का क्रियान्वयन

श्री ग्यारसाराम कोली (बयाना): माननीय अध्यक्ष महोदय, राजस्थान प्रदेश की 75 परसेंट जनसंख्या गांवों में निवास करती है और मैं आपके ध्यान में यह भी लाना चाहूंगा कि 75 परसेंट जनसंख्या का खास उद्यम या धंधा कृषि है। कृषि पर आधारित इस जनसंख्या के लिए मैं मेरे विधान सभा क्षेत्र बयाना रूपवास का यहां विशेष रूप से उल्लेख करना चाहूंगा कि इस क्षेत्र में असिंचित भूमि है और सिंचाई के साधनों का विशेष अभाव है। मौजूदा सरकार का इस ओर बिलकुल ध्यान नहीं है और मैं तो यहां इस बजट के माध्यम से

(श्री ग्यारसाराम कोली)

भी आपने कोई जिक्र नहीं किया है कि इस क्षेत्र के किसानों के लिए किसी भी तरह की कृषि भूमि के लिए कोई संसाधन जुटाएं, गांवों में त्राहि-त्राहि मची हुई है, खेती चौपट हो रही है, किसानों का जीना दूभर हो रहा है। ऐसी स्थिति में क्या होगा? सरकार उदासीन और आंख मूंद कर ऐसी असंवेदनशील सरकार बिलकुल निष्क्रिय है। जहां उनका सोचना है, यहां तक सही है लेकिन आम जनता के सुविध को ध्यान में रखते हुए मैं आपसे, अध्यक्ष महोदय, निवेदन करना चाहूंगा कि इसके समाधान के लिए मेरे कुछ सुझाव हैं। पांचना बांध की जिस समय ऊंचाई बढ़ाई गई थी तो भरतपुर में जनता और सरकार के बीच में एक मध्यस्थता हुई थी कि हम इतनी क्वांटिटी का पानी भरतपुर जिले को देंगे और मेरा विधान सभा क्षेत्र भरतपुर के अन्तर्गत आता है तो निश्चित रूप से यदि वह पानी पांचना बांध से भरतपुर जिले को मिलता होता तो डेफिनेट मेरे विधान सभा क्षेत्र के रूपवास और बयाना के दूरदराज के गांवों जो गंभीर नदी के किनारे बसे हैं उनको लाभ मिलता और जल स्तर बढ़ता। मान्यवर, इस समय क्योंकि पानी जब पांचना का जल स्तर बढ़ गया है और ऊंचाई बढ़ गई तो जो रेग्युलर वे के ओवरफ्लो में जो पानी नदी में आता था, वह रूक गया। रूकने से जल स्तर गिरता गया और अब गिरने से स्थिति यह हुई कि सरकार तो संवेदनशील है ही नहीं। दूसरा, मेरा इसमें सुझाव है कि जल स्तर पानी का जमीन में न गिरे, इसकी दूसरी व्यवस्था है कि हम जो बरसात का पानी होता है उस जल का ठहराव करें तो यह तालाबों के माध्यम से और अपने नलकूपों में पानी का जल स्तर बढ़े तो यह आवश्यक है कि इस तरह के एनीकट्स वगैरह की व्यवस्था की जाए। परिवर्तित बजट 2009-10 में ऐसा कहीं उल्लेख नहीं किया गया है कि ऐसे विशेष क्षेत्र का या पूरे राजस्थान का कहीं पर भी जहां पानी की सिंचाई के लिए कमी है, उनके लिए हम यह संसाधन जुटाएंगे और पानी की व्यवस्था करेंगे ताकि कृषि को चौपट होने से रोका जा सके।

मान्यवर, आपको यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि सरकार का मानस है या नहीं, यह तो इनकी सोच की बात है लेकिन उस गरीब जनता की तरफ तो देखिए जिनके बच्चों की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं होंगे, व्यापारी भी प्रभावित होंगे, मजदूर वर्ग भी प्रभावित होगा, जब खेती नहीं होगी, खेती चौपट हो जाएगी तो प्रदेश की स्थिति या उस क्षेत्र विशेष की स्थिति भी कैसी होगी? इस असंवेदनशील सरकार को मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि इस मामले में सोचे और उस गरीब जनता के बारे में विचार करे और संसाधन जुटाए।

(श्री ग्यारसाराम कोली)

मान्यवर, मेरा तीसरा इसमें सुझाव यह भी है कि जो कृषि हेतु कूप बने हुए हैं जिनका जल स्तर गिर गया है, उनको कम से कम गहरे कराने के लिए योजना तो बनाएं। क्या आपके पास में बजट नहीं है? आप तो कांपते रहते हैं, बजट नहीं है, बजट नहीं है। यह राग अलापते रहते हैं। पिछले 5 साल में भी आपने यही गया था और अब भी शुरूआत हो गई है तो मैं आपको, सरकार से, जो मौजूदा सरकार है, उसका ध्यान आकर्षित करके और निवेदन करना चाहूंगा कि कृषि के मामले में संसाधन जुटाने की सोचें और गरीब जनता के बारे में सकारात्मक रूख अपनाते हुए उस क्षेत्र विशेष का पहले ध्यान रखें जो असिंचित क्षेत्र है, जहां कोई संसाधन नहीं हैं। आशा करूंगा कि मेरे इस वक्तव्य के आधार पर सरकार के कानों में जो लगी हुई रूई है वह निकल गई होगी और नहीं तो निकल जानी चाहिए थी अन्यथा उस क्षेत्र की जनता आपको इसका खामियाजा बहुत जल्दी भुगतना पड़ेगा। मैं लम्बे की बात नहीं कहता। इन्हीं शब्दों के साथ, मैं अध्यक्ष महोदय, आपने मुझे जो समय दिया, आपका आभार व्यक्त करता हूं, अपनी बात को विराम देता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: धन्यवाद। डा. दिगम्बर सिंह।

कुम्हेर के मांडेरा-की-रूंध क्षेत्र की जनता को जंगली गायों से हो रही दिक्कतें

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपका ध्यान मेरे क्षेत्र की एक बहुत बड़ी समस्या, कम से कम 40 गांव मेरे क्षेत्र के वहां के किसान जंगली गायों के कारण से इतने परेशान हैं कि, अध्यक्ष महोदय, कुम्हेर से डीग के बीच में मांडेरा की रूंध का एक एरिया है, 888 हैक्टेयर जमीन है फोरेस्ट की और इसमें हजारों की संख्या में जंगली गाय विचरण करती हैं। अध्यक्ष महोदय, आसपास के 40 गांवों की फसल इन गायों के कारण से नष्ट होती है हर साल। और स्थिति यह है कि गांव के लोग आज अपने घरों में न सोकर के अपने खेतों में फसल को बचाने के लिए सोते हैं। अध्यक्ष महोदय, पिछली बार भी मैंने एक प्रश्न के माध्यम से इस समस्या को सरकार के ध्यान में लाने का प्रयास किया था और सरकार का पोजिटिव रेस्पोंस इसमें मुझे मिला था। उस समय मुझे बताया.....

श्री शांति कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक ही विषय को दो बार नहीं उठाया जाता। वही विषय है जिस पर लम्बा जवाब ले चुके हो सरकार का लेकिन आज फिर उसी विषय को आप दुबारा उठा रहे हो।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): सरकार के जवाब के बाद जो स्थिति बनी वो तो मैं आपको बता दूं। मुझे संसदीय कार्य मंत्री महोदय माननीय शांति धारीवालजी ने उस समय जवाब दिया था और आपने मुझे बताया कि 25 किलोमीटर लम्बी 7 मीटर ऊंची एक बाउण्डरी वाल फोरेस्ट की बनायेंगे, प्रस्तावित है जिस पर करीब 8 करोड़ रुपये का खर्चा आयेगा। मैंने भी बहुत धन्यवाद आपको दिया। उसके बाद सरकार ने, फोरेस्ट डिपार्टमेंट ने इस कार्य को नरेगा से पूरा कराने के लिए मेरे ख्याल से एक पत्र वहां अधिकारियों को लिखा और जिला कलक्टर ने यह कह कर कि नरेगा में यह काम पूरा नहीं किया जा सकता है और राज्य सरकार को उस विषय को वापस भेज दिया। मुझे खुशी है कि आज वन मंत्री महोदय विराजमान हैं और मेरे ख्याल से किसान की पीड़ा को आपसे ज्यादा कौन समझेगा, किसान के बेटे हैं। 12 महीने मेहनत करने के बाद जब फसल को अपने घर में नहीं ला पाता तो उस किसान की क्या दुर्दशा होती होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं और मैं समझता हूं कि 8 करोड़ रुपये सरकार के लिए कोई बहुत बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर इसमें ढंग से कोई योजना बनाई जाए तो पूरी फोरेस्ट की बाउण्डरी कराने के बजाय कुछ एक पार्ट की बाउण्डरी बड़ी कराकर के उसमें गायों का बाड़ा बनाकर के उसमें एक गौशाला टाइप की बना दी जाए तो मेरे ख्याल से इससे भी बचाव किसानों की फसल का हो सकता है। पुनर्सीमांकन के बाद यह क्षेत्र कुम्हेर के साथ एड हुआ है और मेरे ख्याल से विधान सभा के अन्दर मैंने पहली बार इसकी चर्चा की जबकि समस्या आज की नहीं बल्कि बहुत पुरानी है। इससे भी विकट समस्या मेरे क्षेत्र की पानी की है जो बाद में होगी क्योंकि पानी के ऊपर तो बहुत चर्चा हो चुकी है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि हमारे वन मंत्री महोदय निश्चित रूप से विचार करके किसानों को राहत देने का प्रयास करेंगे। अध्यक्ष महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय कुछ कहना चाह रहे हैं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या कुछ कहना चाहती हैं।

सूरसागर क्षेत्र में सफाई की बिगड़ती स्थिति

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं सूरसागर विधान सभा क्षेत्र से हूं और सूरसागर विधान सभा क्षेत्र अगर जोधपुर के अन्दर देखा जाए तो एक बैकवर्ड एरिया की तरह है और उसकी स्थिति खराब है। स्वायत्त शासन मंत्रीजी विराजमान हैं, मैं आपके माध्यम से यह कहना चाहूंगी कि कम से कम वहां सफाई की व्यवस्था तो हो, सफाई वहां पर नाममात्र की भी नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, सफाई की बात करके मैं यह कहना चाहूंगी कि जगह-जगह वहां कचरे के ढेर पड़े हैं। मुझे कभी यह उम्मीद नहीं थी कि मैं सूरसागर क्षेत्र से इलेक्शन लड़ूंगी मगर मेरी पार्टी ने मुझे टिकट दिया और वह जनरल सीट हुई। मैं वहां देखकर के हैरान रह गई कि यह क्या एरिया है और क्या जगह है। मैं आपको कहूं कि वहां पर एक नाला है, गुरों का तालाब से लेकर के 4 किलोमीटर का नाला है वह ऊपर तक भरा हुआ है और वहां का पानी सारा हुडको क्वार्टरों के अन्दर जाता है मगर कोई अधिकारी जाकर के नहीं देखते हैं। मेरे इतने पत्र व्यवहार करने के बाद, मेरे खुद के जाने के बाद बड़ी मुश्किल से कभी एक दफे जाते हैं तो मुझे टेलीफोन करते हैं कि हम गये हैं साहब, तो हमारे ऊपर क्या एहसान कर दिया? वह नाला अभी तक भी भरा हुआ है और मैं जब फोन करती हूं तो मुझे अधिकारी कहते हैं कि वह साफ हो गया है। जब मैंने कहा कि आप एक अफसर को मेरे साथ भेज दो, मेरे को ज्यादा जरूरत नहीं है। मैं आपको सही बता रही हूं, मैं प्रेक्टिकल काम करने वाली हूं, मैं हवा में बात नहीं करती हूं, मैं खुद पैदल घूमती हूं, जहां जगह होती है स्कूटर से जाती हूं, साइकिल से भी चली जाऊं, मुझे कोई शर्म नहीं है, मेरे तो यह बहुत बड़ा आराम है। मैंने जाकर के देखा तो मुझे तो वहां रोना आ गया कि लोग वहां कैसे रहते हैं। इतनी कच्ची बस्ती है, इतनी गंदगी में लोग रह रहे हैं, वो भी अच्छा जीवन जीना चाहते हैं मगर सफाई करना तो इनका धर्म है। इनका बोर्ड है, कांग्रेस का बोर्ड है कोई बीजेपी का बोर्ड नहीं है। वहां पर कांग्रेस का बोर्ड है मगर न कोई महापौर ध्यान देते हैं, न कोई उप महापौर ध्यान देते हैं, न वहां के लोग ध्यान देते हैं, न कोई अधिकारी ध्यान देते हैं। मैं एक बात आपको बताना चाहूंगी। (व्यवधान) मुख्य मंत्रीजी का गृह जिला है। माननीय अध्यक्ष महोदय, वहां एक नाला है, वह नाला ऐसा है जिसका मैं आपको एक मिनट में बताती हूं। एक मिनट आप मेरी बात सुनिये। आप जाओ न वहां, वो कोई गोदरेज की आलमारी में थोड़े बंद पड़ा है सूरसागर क्षेत्र। भैरव नाला करके है उसको आधा

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

बंद कर दिया तो अब पानी कहां से जायेगा? वह इतना बड़ा नाला था उसको आधा बंद करके अब उसके ऊपर एक योजना बनाई है वहां एनक्रोचमेंट करने की। वहां यह एक बहुत बड़ी भारी बीमारी है। एनक्रोचमेंट क्यों करवाते हो? फिर तोड़कर के आकर के कहते हैं कि हमने इतने हटा दिये तो आपने करवाया ही क्यों? अब आप हटाने की बात कर रहे हो। इस तरीके से आधे नाले के ऊपर प्लाट बनाकर के बेच दिया। माननीय मंत्री महोदय, आप नोट करिये। माननीय मंत्री महोदय, आप नोट करो कि क्या स्थिति है वहां की। मैं इस स्थिति से बहुत दुःखी जीव से कह रही हूं। मेरे शहर के अन्दर कभी ऐसी स्थिति नहीं थी मगर आज की तारीख में तो जोधपुर शहर भी सड़ रहा है, सूरसागर भी सड़ रहा है और कुछ-कुछ सरदारपुरा की स्थिति भी ठीक नहीं है पर मैं सूरसागर की स्थिति के बारे में कहना चाहूंगी।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इसी तरीके से चांदना बाकर कच्ची बस्ती है वहां पर भी पानी का इतना बड़ा नाला भरा हुआ रहता है, कोई सफाई की व्यवस्था नहीं है। इसी तरीके से उम्मेद सागर बांध के अन्दर उस नाले का गंदा पानी जा रहा है। यह स्थिति है। इसी तरीके से बाई जी का तालाब है, गंगलाव तालाब है वहां का भी सारा गटर का पानी जाता है पर कोई देखने वाला नहीं है। हम कोई पत्र देते हैं तो न तो कोई उसका जवाब देते हैं और जगह-जगह पूरा हाउसिंग बोर्ड लो, प्रताप नगर लो, सूरसागर लो, जहां कहीं भी आप जाओगे तो वहां पर आपको कचरे के ढेर पड़े मिलेंगे। बहुत कहते हैं तो बहुत मुश्किल से जाते हैं और वहां सफाई करते हैं और सफाई करके बाहर निकाल देते हैं सड़क के ऊपर और 15-15, 20-20 दिन तक वो कचरा भी नहीं उठाते हैं। इतनी मशीनरी होते हुए कोई काम नहीं कर रहा है। मैं आपसे हाथ जोड़कर के निवेदन करूंगी कि कम से कम चौपासनी हाउसिंग बोर्ड, चौपासनी के अन्दर एक बहुत बड़ा मन्दिर है जहां भी कचरे के ढेर लगे हुए रहते हैं। शिक्षक कॉलोनी है वहां कचरे के ढेर लगे हुए हैं, शंकर नगर है, रूप नगर है, दुनिया भर के नगर हैं मगर वहां सफाई नाममात्र की नहीं है। न सफाई है, न सड़कें हैं, न सीवर लाइन है, न पाइप लाइन है, यह है इसकी भौगोलिक स्थिति। ठीक है, वो एक मारवाड़ी में कहावत है कि "जिसकी लाठी उसकी भैंस", जिस किसी को मेरे समझ में नहीं आता, वहां के और भी कई जन-प्रतिनिधि रहे होंगे, कांग्रेस के भी रहे होंगे, हमारे भी रहे होंगे मगर उन्होंने

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

कभी विकास की तरफ ध्यान नहीं दिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से मंत्री महोदय से यह कहना चाहूंगी कि आप कुछ नहीं करें तो कम से कम सफाई जो एक रूटीन का मामला है इसके अन्दर विशेष ध्यान देकर के इस सूरसागर क्षेत्र को कम से कम गंदगी से तो मुक्ति दिलाओ। सफाई तो हो, गंदगी से मुक्ति दिलावें और सफाई करावें ताकि लोग अपना अच्छा जीवन जीना चाहते हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपसे एक और निवेदन करूंगी, मंत्री महोदय मुझे इसका उत्तर देंगे नहीं तो मैं तो यहीं खड़ी हूं। मेरी उम्र को आप देख लो भले ही आप घंटे भर खड़ी रखो मेरे कोई परवाह नहीं है, मैं थकने वाली भी नहीं हूं अगर मुझे मंत्री महोदय इसका उत्तर नहीं देते कि कब तक यह सारी सफाई करायेंगे, कब नालों की सफाई होगी। क्योंकि अगर बरसात आ गई और कोई दुर्घटना हुई तो यह सरकार जिम्मेदार है, यह मैं कह रही हूं। आप मेरे को इनसे उत्तर दिलवायें। मुझे उत्तर नहीं देंगे तो मैं तो खड़ी हूं भले ही आप कुछ भी कर लो।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): मंत्री महोदय, हमारी भी सिफारिश मान लो, बुआजी के प्रश्न का उत्तर दीजिये आप। इनके साथ, वसुंधराजी बेईमानी की है पांच साल तक।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, जितना हमारी सरकार ने दिया उतना तो ये चार आने भी दे दें तो मैं बहुत कहती हूं।

श्री अध्यक्ष: माननीय सदस्या, मंत्रीजी जवाब दे रहे हैं इसलिए मेहरबानी करके आप विराजें। मेहरबानी करके विराजो। जवाब दे रहे हैं, विराजो।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, ये जवाब देंगे तब बैठूंगी न।

श्री अध्यक्ष: देने के लिए खड़े हो गये न आपकी सेहत को देखते हुए, उम्र को देखते हुए, कृपया आप विराजें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सफाई की व्यवस्था जो कुछ भी है, निश्चित तौर पर वह संतोषप्रद नहीं कही जा सकती। और नगरपालिका एक्ट की धारा 98 में यह कर्त्तव्य बनता है कि नगरपालिकाओं का, नगर परिषदों का और नगर निगम का, वह पूरे शहर की

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

सफाई का जिम्मा उनका होता है। मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं, जैसा आपने बताया, नाले रूके हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, यह है, वह है, सब कुछ है। अभी 675 सफाई कर्मचारी सूरसागर जो आपका विधान सभा क्षेत्र है जिसका आपने यहां पर मामला उठाया है, उसमें 675 सफाई कर्मचारी और लगे हुए हैं। कुल मिलाकर निगम क्षेत्र में 2,148 सफाई कर्मचारी हैं, 900 सफाई कर्मचारी और बढ़ाने का बजट में प्रावधान किया गया है तो मैं यह मानकर चलता हूं कि आपके विधान सभा क्षेत्र में सफाई कर्मचारियों की संख्या भी बढ़ेगी, मशीनों की संख्या भी बढ़ेगी, सफाई निरीक्षकों की संख्या भी बढ़ेगी निश्चित रूप से और मैं आपको यह आश्वासन देना चाहता हूं कि आपके पास जब भी शायद मेरे ख्याल से आप शनिवार और रविवार को जोधपुर पधारेंगी तो आपको वहां पर एक कमिशनर और एक सफाई निरीक्षक, दोनों आपके साथ ही दौरा करेंगे और जहां-जहां पर आप कुछ बताना चाहेंगे, उनको काम बताना चाहेंगे, वे निश्चित रूप से पूरा करने का प्रयत्न करेंगे।

श्री अध्यक्ष: अब चर्चा समाप्त।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): एक मिनट, माननीय अध्यक्ष महोदय, एक मिनट।

श्री अध्यक्ष: उन्होंने कमिशनर को आपके साथ भेज दिया।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, दो मिनट। इन्होंने कहा है कि 600 और कुछ कर्मचारी हैं। मैं कहती हूं कि 600 को छोड़िये आप, 100 भी वहां काम कर दें तो भी मैं तो बहुत भला मानूंगी इनका। एक ही कर्मचारी वहां नजर नहीं आता है, इस बात को आपको देखने की जरूरत है। 600 लोग कितने होते हैं, 600 लोग की जरूरत कहां है, मुझे कहीं पर भी नजर नहीं आते हैं माननीय अध्यक्ष महोदय।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम जोशी। अब कृपया समाप्त करें।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी बात पूरी होने दें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): 675 की हाजिरी लगाने को आप तैयार हों तो मैं 675 की लाइन लगवा दूंगा।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): नहीं, लाइन नहीं चाहिए, मुझे काम चाहिए। मुझे काम चाहिए, लाइन क्या होती है? लाइन तो आज हजार की लगवाओ ना, मुझे काम की जरूरत है। कहीं पर कचरे के ढेर नहीं चाहिए,

(श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास)

नाले साफ चाहिए, नालियां साफ चाहिए क्योंकि मैं खुद दो दफा नगर पार्षद रह चुकी हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया चर्चा समाप्त करें। श्री ओम जोशी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वहां भी आपके अनुरोध पर भेज देता हूं। आपकी संतुष्टि पर वह काम करेंगे।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): मैं खुद दो दफा नगर पार्षद रह चुकी हूं, ऐसी हालत कभी नहीं देखी।

श्री ओम जोशी (फलौदी): फलौदी भी जोधपुर में ही है, अब तो शांति करो।

श्री अध्यक्ष: श्री ओम जोशी।

फलौदी नगर में बढ़ते जल स्तर से उत्पन्न समस्या

श्री ओम जोशी (फलौदी): माननीय अध्यक्ष महोदय, जोधपुर जिले का फलौदी उपखण्ड का मुख्यालय फलौदी शहर, मेरे विधान सभा का एक प्रमुख शहर है। इस शहर के उत्तरी भाग से लेकर निरन्तर जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर बढ़ने के जो कारण हैं, वह अज्ञात हैं और सम्भव है कि विभिन्न कारणों से नालों के माध्यम से जो पानी जाता है, वह भी एक कारण हो। पहले उस क्षेत्र में एक मलगा हुआ करता था पानी का, वह भी उसका कारण रहा हो। वहां पर कई बावडियां हैं, उनका पानी उपयोग नहीं ले रहे हैं, उनमें जो जल स्तर लगातार बढ़ रहा है, वह भी एक कारण हो सकता है। इस तरीके से कई कारण हैं और जल स्तर बढ़ रहा है। जल स्तर मालियों के बास से लेकर उम्मेदपुरा से रघुनाथपुरा, भइयों की नदी, सभी क्षेत्र में इस कदर बढ रहा है कि वहां की जमीन दलदल का रूप ले रही है। कई मकान बने हुए हैं, कई अच्छी हवेलियां भी बनी हुई हैं, उनके तहखाने हैं, सब में बुरी तरह से पानी भर जाता है और बरसात के मौसम में तो हालात और ज्यादा....

श्री अध्यक्ष: माननीय गृह मंत्रीजी, जब सदस्य बोल रहे हों तो आसन के बीच से कृपया...

श्री ओम जोशी (फलौदी): ...हालात बरसात के दिनों में तो और भी ज्यादा बदतर हो जाते हैं और उस बढ़ते जल स्तर से पूरा शहर धीरे-धीरे चपेट में आ रहा है। इन हालात से समय रहते निपटने के लिए मैं निवेदन करना चाहता हूं कि नगरपालिका क्षेत्र होने की वजह से संभवत: सीवरेज लाइन बनने के साथ ही इस समस्या का समाधान हो तो नगरीय विकास मंत्री महोदय, फलौदी की जो सीवरेज लाइन की एक योजना लम्बित है, उसकी कृपया

(श्री ओम जोशी)

स्वीकृति प्रदान करने का कष्ट करें और तकनीकी तौर पर जो जल स्तर बढ़ रहा है, उसकी जांच करवाकर उसकी पुख्ता व्यवस्था की जाये। बावड़ियां जो बंद पड़ी हैं, उनके जल का उपयोग किस प्रकार से किया जाये, उस बात को भी सुनिश्चित देखना, सुनिश्चित करना उचित है। पिछले पांच वर्षों से माननीय अध्यक्ष महोदय, हम सौतेला व्यवहार भुगत रहे थे, अब आशा जगी है। माननीय मुख्य मंत्रीजी अशोक गहलोत के द्वारा जिस तरह से सकारात्मक कदम उठाये जा रहे हैं, निश्चित रूप से फलौदी की जनता उसके ऊपर आशा दृष्टि से देख रही है। हालात और कई बातों में पांच वर्षों में हमें विपरीत महसूस हुए। पांच साल पूर्व में जब अशोक गहलोतजी थे, कालेज की घोषणा की गई थी, उसमें अध्यापक पांच साल तक नहीं लगाये गये। राजकीय अस्पतालों में 75 शैय्याओं का जो अस्पताल बना था, उसमें पिछले पांच साल तक चिकित्सक नहीं रहे और यहां तक कि कृषि मण्डी पहले घोषित की गई थी पूर्ण कृषि मण्डी के रूप में, वह पत्रावली भी स्थगित कर दी गई। इस तरीके से कई जो समस्याएं हैं, वह फलौदी में व्याप्त हैं। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि जो बढ़ते जल स्तर की समस्या है और उसके साथ बढ़ते जल स्तर से आम व्यक्ति परेशानी में है, मकान क्षतिग्रस्त होने की स्थिति में आ गये हैं, उनको ठीक कराने के लिए अनुकूल व्यवस्था करने की कृपा करें, धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: सदन की मेज पर रखे जाने वाले पत्रादि। अधिसूचना। श्री हेमाराम चौधरी।

सदन पटल पर रखे गये पत्र

अधिसूचना

उपनिवेशन विभाग

श्री हेमाराम चौधरी (राजस्व मंत्री): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार उपनिवेशन विभाग की निम्नांकित दो अधिसूचनाएं सदन की मेज पर रखता हूं:-

(1) अधिसूचना संख्या : एफ.4(11)कोल/98/दिनांक 20.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन (इंदिरा गांधी नहर क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम, 1975 में संशोधन किया गया है, एवं

(2) अधिसूचना संख्या: एफ.4(2)कोल/99 दिनांक 20.5.2009 जिसके द्वारा राजस्थान उपनिवेशन(भाखड़ा परियोजना क्षेत्र में सरकारी भूमि का आवंटन व विक्रय) नियम, 1955 में संशोधन किया गया है।

श्री अध्यक्ष: समिति के प्रतिवेदनों का उपस्थापन। श्री अलाउद्दीन आजाद।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति "ख" 2009-2010 के चार...

श्री अध्यक्ष: एक मिनट, एक मिनट। माननीय वन मंत्रीजी, मोबाइल सदन में लाने पर कई बार मैं निवेदन कर चुका हूं।

श्री रामलाल (राज्य मंत्री, वन एवं पर्यावरण): स्विच आफ है। स्विच आफ कर दिया है।

श्री अध्यक्ष: स्विच आफ नहीं, लाने पर भी प्रतिबन्ध किया हुआ है। मेहरबानी करके आज के बाद में मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय के निर्देश के बाद अधिकांश लोगों ने मोबाइल लाना बन्द कर दिया, पर सत्ता के अहंकार में डूबे हुए मंत्री नहीं माने।

श्री अध्यक्ष: सभी माननीय सदस्यों से निवेदन है। कल आप भी लेकर आये थे। कृपया आज के बाद, भविष्य में माननीय सदस्यों से मेरा करबद्ध निवेदन है कि कृपया सदन में मोबाइल लेकर नहीं पधारें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरी प्रार्थना है कि इनका मोबाइल जब्त करें आप। कोई उदाहरण तो प्रस्तुत करें। मोबाइल जब्त करें आप।

श्री अध्यक्ष: श्री अलाउद्दीन आजाद।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, आप इनकी जेब की तलाशी लीजिये, इनकी जेब में मोबाइल है। नीचे की जेब में है।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें आप। कृपया बिराजें। आप कृपया विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, देख लो। नहीं अध्यक्ष महोदय, देख लो।

श्री अध्यक्ष: कृपया विराजें। श्री अलाउद्दीन आजाद। (व्यवधान) कृपया विराजें। श्री अलाउद्दीन आजाद।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): देख लो अध्यक्ष महोदय।

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): ये असत्य कथन कह रहे हैं, इनके पास में मोबाइल है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह देख लें अध्यक्ष महोदय।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): इनका नाम रामनारायण नहीं है, इनका नाम राजेन्द्र राठौड़ है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, यह मेरे ऊपर आरोप है। यह मेरे ऊपर अनर्गल आरोप... यह देख लो अध्यक्ष महोदय, यह देख लो। (व्यवधान)

श्री अध्यक्ष: आज के बाद यदि... (व्यवधान) नहीं, कोई चर्चा कर रहे थे, इसको यहीं रहने दें। आज के बाद यदि किसी माननीय सदस्य के पास मोबाइल पाया गया तो निश्चित रूप से उसको जब्त करने के आदेश दूंगा मैं। अभी भी जिन माननीय सदस्य के पास मोबाइल है, गलती से ले आये, कृपया बाहर रखकर आ जायें। अभी भी मैं निवेदन करूंगा कि जिनके पास है, कृपया बाहर रखकर आ जायें। (व्यवधान) श्री अलाउद्दीन आजाद।

समिति का प्रतिवेदन

प्राक्कलन समिति "ख" (क्र सं. 1 से 4)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से कार्यसूची में किये गये उल्लेख के अनुसार प्राक्कलन समिति "ख" 2009-2010 के चार प्रतिवेदनों का उपस्थापन करता हूं :-

(1) राजस्व विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख" 2007-2008 के बारहवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का प्रथम प्रतिवेदन,

(2) खाद्य, नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2007-2008 के नवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का द्वितीय प्रतिवेदन,

(3) सहकारिता विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2007-2008 के आठवें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का तृतीय प्रतिवेदन, एवं

(4) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग से संबंधित प्राक्कलन समिति "ख", 2002-2003 के 15वें प्रतिवेदन में समाविष्ट सिफारिशों पर शासन द्वारा की गई कार्यवाही विषयक प्राक्कलन समिति "ख", 2009-2010 का चतुर्थ प्रतिवेदन।

श्री अध्यक्ष: याचिकाओं का उपस्थापन। श्री रामनारायण मीणा।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा): माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं :-

आकोडिया (चंदवाड) ग्राम में शुद्ध पेयजल की व्यवस्था हेतु

(1) ग्राम आकोडिया (चंदवाड) तहसील देवली, जिला टोंक हेतु स्थाई तौर पर शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने बाबत, एवं

नौंदपुरा, रामपुरा तथा देवपुरा ग्राम में पक्के धोरों का निर्माण

(2) बीसलपुर सिंचाई परियोजना के ग्राम नौंदपुरा, रामपुरा तथा देवपुरा के लिए पक्के धोरे का निर्माण बाबत पाँच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थापित करता हूं।

श्री अध्यक्ष: **श्री राजेन्द्र राठौड़** ।

मारवाड़ जंक्शन में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने बाबत

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से मारवाड़ जंक्शन, जिला पाली में सब-डिवीजनल मजिस्ट्रेट कार्यालय खोलने बाबत पाँच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित एक याचिका का उपस्थापन करता हूं।

श्री अध्यक्ष: **श्री बाबूसिंह राठौड़**।

श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़): अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नांकित याचिकाओं का उपस्थापन करता हूं:-

शेरगढ़ के धार्मिक स्थलों को सड़कों से जोड़ने बाबत

(1) शेरगढ़ विधान सभा क्षेत्र(जोधपुर) के धार्मिक स्थलों को सड़क से जोड़ने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित,

बालेसर से गुजरने वाले एन.एच. सं. 114 पर पुलिया आदि का निर्माण कराये जाने विषयक

(2) विधान सभा क्षेत्र शेरगढ़ की पंचायत समिति मुख्यालय बालेसर सता क्षेत्र में गुजरने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या-114 पर पुलिया, डिवाइडर व रपट निर्माण बाबत पाँच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित, एवं

शेरगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों का क्रमोन्नयन

(3) निर्वाचन क्षेत्र शेरगढ़ के उच्च प्राथमिक विद्यालयों को क्रमोन्नत करने बाबत पांच व्यक्तियों द्वारा हस्ताक्षरित।

श्री अध्यक्ष: राज्य के परिवर्तित आय-व्ययक अनुमान वर्ष 2009-10 पर अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद प्रतियोगिता..

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): प्रतियोगिता नहीं।

श्री अध्यक्ष: अग्रेत्तर सामान्य वाद-विवाद होगा उसमें मैं माननीय सदस्य को, श्री पेमाराम। आपका छह मिनट का समय निर्धारित है।

आय-व्ययक

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री पेमाराम (धोद): सर। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया यह बजट वैसे मुंगेरी लाल के हसीन जो सपने हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपनों की तरह आंकड़ों के एक मायाजाल के रूप में और जिला विशेष को, मैं जहां से चुन कर आया हूं सीकर जिला, सीकर जिले में आठ विधान सभा क्षेत्र हैं, आठ विधान सभा क्षेत्रों में सीकर जिले की जनता को आशाएं तो यह थीं, उम्मीदें तो यह थीं कि शायद राज्य में नई सरकार के आने के बाद राजस्थान की जनता के हिस्से में, सीकर जिला भी राजस्थान के हिस्से में है और सीकर जिले की जनता को कुछ मिलेगा, सीकर जिले के लोग आशा लगाये बैठे थे, पिछली विधान सभा के सत्र में जब प्रश्न लगा करके पूछा तो राज्य सरकार ने उत्तर दिया कि सीकर जिले में विश्वविद्यालय की स्थापना की जायेगी, उम्मीद थी राजस्थान में विश्वविद्यालय की स्थापना के साथ-साथ सीकर जिले में भी एक शेखावाटी विश्वविद्यालय की स्थापना करने की, लेकिन इस बजट को देख करके सीकर जिले की जनता को निराशा के अलावा कुछ नहीं मिल पाया है। सीकर जिले को आवश्यकता थी, माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर जिले में 284 गांव ऐसे गांव हैं जहां फ्लोराइडयुक्त पानी है, जहां पानी महकमे ने जांच-पड़ताल करने के बाद यह घोषित कर दिया कि इनका पानी पीने से आदमी बीमार होगा, उसकी हड्डिया गल जायेंगी, कुबड़ा हो जायेगा, ऐसी सूरत में सीकर जिले की जनता को उम्मीद यह थी कि उन 284 गांवों के लिए राजस्थान की सरकार और वादा भी किया था कि राजस्थान की सरकार शायद उनको स्वच्छ पानी दिलाने के लिए कोई व्यवस्था करेगी। लेकिन बजट में एक नये पैसे की भी उन 284 गांवों के लिए कोई व्यवस्था नहीं की। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा सरकार से निवेदन करना चाहूंगा कि सीकर जिले में, सीकर जिले का नीमकाथाना इलाका, सीकर जिले का श्रीमाधोपुर इलाका, सीकर जिले का आधा दांतारामगढ़ इलाका, जहां पानी सूख गया है, जहां पीने का पानी नहीं है और कहीं-कहीं पर भी जो हैण्ड पम्प हैं,

(श्री पेमाराम)

मेरी मां और बहनें सवेरे को जाती हैं और हैण्ड पम्प से कुश्ती खेलने के बाद शाम तक आते-आते दो घड़े पानी के लेकर, हालत सीकर जिले में यह है कि पीने के पानी को लेकर के मेरी मां और बहनों के मुकदमे दर्ज हो गये, सीकर जिले को शुद्ध पानी दिलाने के बजाय हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने सीकर जिले को दिया तो है, लेकिन दिया है एक महिला थाना। मुकदमा दर्ज करवाने के लिए, मुकदमा थाना के अलावा और कोई चीज, जो पीने के पानी की मांग थी उसे नकारते हुए, जनता की भावनाओं का अनादर करते हुए पीने के पानी की कोई व्यवस्था नहीं की गई। सीकर जिले की यह उपेक्षा हुई है, मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि इस बजट में से कुछ हिस्सा डाइवर्ट करके सीकर जिले में शुद्ध पीने के पानी के लिए कोई व्यवस्था करें तो शायद बेहतर होगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बजट को पढ़ने के बाद उम्मीद तो यह थी कि राजस्थान की सरकार, नई सरकार चुन करके आई है, जैसा माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने बजट में उल्लेख किया है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र के अनुरूप, राजस्थान की जनता ने लोक सभा में भारी बहुमत दिया, उम्मीद यह थी कि राजस्थान के किसान को, राजस्थान के गरीब को इस बजट में कोई सहूलियत मिलेगी और उलटा हुआ, केन्द्र की सरकार ने जहां डीजल पर, पैट्रोल पर जो कीमतें बढ़ाई, राजस्थान की सरकार ने कोई राहत नहीं दी। मैं आपके द्वारा राजस्थान की सरकार से मांग करता हूं कि बजट में डीजल और पैट्रोल पर राज्य के टैक्स में से छूट देने के लिए कोई योजना बनाकर के राजस्थान की जनता को राहत देने का काम करें और जहां तक बिजली का सवाल है माननीय अध्यक्ष महोदय, बिजली के सवाल को लेकर के इधर हमने तो यही सुना, कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही, कभी कांग्रेस की सरकार रही और सारी की सारी सरकारों ने एक ही काम किया, बिजली बनायेंगे, आने वाले वक्त में राजस्थान से बाहर के लोगों को बिजली देने का काम करेंगे, आकाश में बिजली बनायेंगे, पाताल से बिजली बनायेंगे, मगर आज जो बिजली की हालत है माननीय अध्यक्ष महोदय, आज के अख़बारों में आपने देखा होगा, चीफ इंजीनियर के दफ्तरों में राजस्थान की जनता बिजली के अधिकारियों के दफ्तरों पर कब्जा किये बैठी हुई है। बिजली की जो किल्लत है, सरकार यह जो नीतियां, चाहे कांग्रेस हो, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो, मेरा आपके द्वारा सीधा आरोप है कि जिन नीतियों को लेकर के सरकार आगे बढ़ रही है उनसे गरीबों के घर से, किसान के खेत से बिजली छीनने की जो नीतियां बना रहे

(श्री पेमाराम)

हैं, नीति अमीर के रहेगी, नीति शहरों में, इन नीतियों की वजह से बिजली शहरों में रहेगी, बिजली अमीर के घर में रहेगी। इन नीतियों को बदल करके गरीब की झोंपड़ी तक, आज भी बिजली के लिए हालत यह बना कर रख दी कि इनके नियम और कायदे गांव में जो ढाणियों में आवास करते हैं उन्हें पाकिस्तानी नागरिक समझ करके इनके कानून-कायदे ऐसे हैं, इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि सरकार बजट से ऐसी व्यवस्था करे कि राजस्थान की ढाणियों में आवास करने वालों के लिए भी अपनी झोंपड़ी में कोई उजाला करना चाहे तो उसे कनेक्शन लेने की व्यवस्था करवायें। माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक पीने के पानी का सवाल है, अम्ब्रेला योजना, यह बैठे हैं राजेन्द्रजी भाई साहब, इससे पूर्ववर्ती सरकार ने घोषणा की थी जो 284 गांव सीकर जिले के हैं जहां फ्लोराइडयुक्त पानी है, अम्ब्रेला योजना के द्वारा उनके लिए पीने के पानी की व्यवस्था करेंगे, मगर न इन्होंने किया और न हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय ने जो बजट पेश किया उसमें किसी प्रकार की कोई घोषणा की, न कोई व्यवस्था की है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपके द्वारा मांग करता हूं कि इस तरह से जहां फ्लोराइडयुक्त पानी है, जहां जमीन में पानी गहरा चला गया, पानी की व्यवस्था नहीं है, सरकार बजट में से कुछ डाइवर्ट करके उस जनता के लिए कुछ व्यवस्था करे और जहां तक, माननीय अध्यक्ष महोदय, अनुसूचित जाति, जनजाति की छात्राओं का इजाफा बढ़ाने का सवाल है, मैं आपके द्वारा सरकार से मांग करता हूं कि बजट में ऐसी व्यवस्था करें कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के वह विद्यार्थी जो स्कूल या कालेज में पढ़ते हैं, राजस्थान सरकार अपने बजट के हिस्से में से, जो अभी छात्रवृत्तियां मिल रही हैं वह केन्द्रीय सरकार के हिस्से की छात्रवृत्ति आ रही है, राजस्थान की सरकार शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के छात्रों को एक नया पैसा भी छात्रवृत्ति के रूप में नहीं दे रही है, मैं आपके द्वारा मांग करता हूं कि बजट में यह व्यवस्था करें कि शिड्यूल कास्ट और शिड्यूल ट्राइब के विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति में राजस्थान सरकार भी अपने बजट के हिस्से से कुछ दे और जहां तक बजट में बाल श्रमिकों का, आज पूरे राजस्थान में समस्या यह पैदा हो गई कि बाल श्रमिक, छोटे-छोटे बच्चे जिनकी स्कूल में जाने की उम्र है मगर वह अपनी गरीबी हालत की वजह से चाय और पानी के जूठे कप और प्लेट धोने के लिए बाध्य है, बजट में ऐसा कोई प्रावधान किया है, कहा है

(श्री पेमाराम)

बाल श्रमिक कल्याण बोर्ड बनायेंगे, लेकिन असल हालत यह है कि वे जिस घर में पैदा होकर के आये हैं, जिस मां और बाप के पैदा होकर के आये हैं उस घर में दो जून की रोटी नहीं है। जहां तक सरकार ने, मुख्य मंत्री महोदय ने नरेगा का कहा, नरेगा पर मैं आगे बोलूंगा लेकिन उनके परिवारों की आर्थिक स्थिति कमजोर होने की वजह से अपने बेटों को चाय के ढाबों पर कप और प्लेट धोने के लिए भेजने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है, इसलिए मैं चाहूंगा आपके द्वारा कि बजट में उनके कल्याण के लिए कोई निश्चित रकम और निश्चित समय सीमा में तय करें कि वह बाल श्रमिकों के लिए सरकार यह योजना बना करके इतने रूपये की राशि खर्च करना चाह रही है एक साल में और योजनाबद्ध तरीके से इस योजना को बढ़ायेंगे। और माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है, मैं आपके द्वारा सरकार से कहना चाहूंगा, यह वाहवाही लेने के लिए यह इधर भारतीय जनता पार्टी ने भी आजादी से लेकर आज तक जहां स्कूलें खोलने का जो रिकार्ड किया, जितनी प्राइवेट और सरकारी स्कूलें क्रमोन्नत कीं और यही मुख्य मंत्री महोदय ने इस बजट में जो व्यवस्था दी है कि हर मीडिल स्कूल को सैकण्डरी के रूप में करेंगे। कोई व्यवस्था नहीं की है। स्कूलों में कमरे कहां से बनेंगे? स्कूल में अध्यापकों की क्या व्यवस्था होगी लेबोरेट्री के लिए क्या व्यवस्था होगी? इसलिए मेरी मांग है कि बजट में उसके लिए कोई व्यवस्था करें। इसलिए मैं इस बजट के खिलाफ हूं, इस बजट से जहां आम अवाम को कोई राहत नहीं मिली है और जहां तक नरेगा का सवाल है, नरेगा में जो भ्रष्टाचार है उसे रोकने के लिए माननीय अध्यक्ष महोदय मेरा एक पॉइन्ट रह गया है....

श्री अध्यक्ष: 9 मिनट बोल चुके हैं, 6 मिनट की जगह।

श्री पेमाराम (धोद): माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक नरेगा का सवाल है, नरेगा के द्वारा जो सरकार ने व्यवस्था की है, नरेगा में जहां भी हाथ डालेंगे, आज पूरे के पूरे राजस्थान में चूंकि सीकर जिले का मुझे अनुभव है। फर्जी मस्टरोल, नरेगा में ट्रैक्टर के द्वारा काम हो रहा है, नरेगा में जेसीबी के द्वारा काम हो रहा है, जनता ने तस्वीर खींच-खींच कर जिला कलक्टर महोदय को शिकायतों का अंबार लगा दिया गया। सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं की है। जिस गरीब को नरेगा में काम मिलना चाहिए उसका फर्जी जॉब कार्ड द्वारा हक मारा जा रहा है। इसलिए उस गरीब के लिए नरेगा एक ही चीज है। कांग्रेस

(श्री पेमाराम)

पार्टी अपने चेलों को पालने के हथियार के रूप में काम में ले रही है। इसलिए मैं इस बजट की आलोचना करता हूं।

श्री अध्यक्ष: कृपया समाप्त करें। श्री सूरज भान धानका।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके आदेश से मैं परिवर्तित बजट 2009-10 पर व्याख्या करुंगा। यह परिवर्तित बजट एक संतुलित बजट के रूप में पेश किया गया है। जिसका हर पहलू, हर पहलू को छुआ है, किसी भी उसके कोने को नहीं छोड़ा गया है। सब वर्ग और सभी समाजों पर ध्यान दिया गया है। सबसे पहले चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, शरीर माध्यम खलु धर्मस्य। इसमें 108 एम्बुलेंस हमारे लिए बहुत अच्छी कारगर साबित हुई हैं। जो डेढ सौ एम्बुलेंस क्रय किए जाएंगे वह हमारे लिए जीवनदायनी होगी। 9 जिलों में आईसीयू, 18 जिलों में ट्रोमा यूनिट, 18 जिलों में पुनर्वास केन्द्र, 24 जिला मुख्यालयों में बर्न यूनिट, यह सरकार का संवेदनशील बजट है।

जल संसाधन में 4126 करोड़ रुपए जो लगाया है, जो पिछले 3 करोड़ 10 लाख रुपए की एवज में है तो यह अच्छी घोषणाएं है। लेकिन मैं निवेदन करुंगा कि राजस्थान में पेयजल संकट बहुत भारी है इसमें इजाफा किया जाए और जो पीछे की कंटीनजैंसी योजनाएं हैं, उनको चालू किया जाए, जिनको बंद कर दिया गया है। लक्ष्मणगढ़ में घाट कैनाल योजना है जो सन 1995 में टूट गई थी और यह जो चुनाव हुए थे, आचार संहिता लागू हुई थी, उसी दिन इसका उद्‌घाटन होना था, 3 करोड़ 10 लाख रुपए उसके लिए मंजूर हुए थे, उससे इतना बढ़िया होगा कि कम से कम 200 गांवों को फायदा होगा तो इस पर भी ध्यान दे।

कृषि विद्युत दरों में जो बढ़ोतरी पांच साल के लिए नहीं किया, ऋण माफी योजना जिससे 17 लाख कर्जदार को फायदा हुआ। यह किसानों के लिए बहुत अच्छी योजना है। जयपुर में क्षेत्रीय विज्ञान केन्द्र खोला गया और एक किसान आयोग गठित किया गया है। सारी जो अर्थव्यवस्था है वह किसान के ऊपर निर्भर करती है। किसान आयोग का होना एक शुभ संकेत है और अगर किसान को ज्यादा से ज्यादा हम सहूलियत देंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश विकास की तरफ बढ़ेगा।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सुरक्षा वाली बात भी कह दो।

श्री अध्यक्ष: आप तो इधर सीधे...

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): अकेले की सुरक्षा नहीं, सबकी सुरक्षा चाहिए। नरेगा में जो योजना चलाई है गांव के लिए, गांवों से जो पलायन हो रहा था, लोग-बाग़ जा रहे थे, बाहर मजदूरी करने जाते थे उनके लिए बहुत अच्छी योजना है। उससे हमारे छोटे-छोटे मजदूर जिनको दैनिक भोगी आदमी थे उनको वहीं मजदूरी मिलने लग गई और यह अच्छे संकेत हैं कि हमारे गरीब भाइयों का उत्थान हो। लेकिन इसमें कुछ कमियां हैं, इसमें मॉनिटरिंग की जरूरत है। इसमें भ्रष्टाचार का ज्यादा बोल-बाला है। मैं भी देख रहा हूं और आज लोगों को भी इस चीज का ज्ञान है। आप लोग भी अवगत हैं तो इस पर कोई मॉनिटरिंग ऐसी हो कि डायरेक्ट पैसा मजदूर के पास पहुंचे, घपला नहीं हो।

(समय-समाप्त-सूचक घंटी)

थोड़ा तो ले लेने दो साहब।

श्री अध्यक्ष: घड़ी नहीं रुक रही है।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): सार्वजनिक निर्माण विभाग द्वारा जो बताया है सड़कों का और पुलों के विकास के लिए 700 करोड़ 93 लाख रुपए और पर्यटन वास्ते 93 करोड़ 50 लाख रुपए तो हमारे आवागमन की स्थिति सुधरेगी। लेकिन इसके रख-रखाव की और गुणवत्ता की आवश्यकता है। शिक्षा के बारे में जो घोषणाएं हुई हैं, मैं थोड़ा निवेदन करना चाहूंगा कि उसमें जो कॉलेज हैं, उनकी संख्या नहीं बढ़ाई है। जिससे गर्ल्स कॉलेज और यह है और दूसरे कुछ परसेंटेज के हिसाब से थोड़ा बहुत एक दो परसेंट भी कम रह जाता है तो छात्र दर-दर की ठोकरें खाता फिरता है तो उसमें कुछ रिलेक्सेशन दें। इन सब चीजों में सरकार की संवेदनशीलता, पारदर्शिता से मैं अभिभूत हूं ...(व्यवधान) मैं फौजी आदमी और अनुशासित आदमी हूं...

श्री अध्यक्ष: आप एक मिनट और बोल लीजिए।

श्री सूरजभान धानका (राजगढ़-लक्ष्मणगढ़): परिवहन में जो नई एक हजार बसें खरीदने के लिए किया है तो यह आवागमन की स्थिति हमारी चरमरा रही है और यह इसलिए चरमरा रही है कि प्राइवेट साधन, सरकारी निगम के साधन के बजाय ज्यादा चल रहे हैं। अब उनको भी बंद नहीं कर सकते, वह भी पेट की व्यवस्था है।

ऊर्जा की स्थिति बता तो रहे हैं कि बहुत अच्छी बढ़ रही है। सूरतगढ़ में भी छठी, कोटा की सातवीं, छबड़ा की पहली और दूसरी इकाई जो है काम

(श्री सूरजभान धानका)

कर रही हैं लेकिन लोग-बाग़ रात को 12 बजे तक सोने नहीं देते, लाइट नहीं आ रही है तो इसमें सुधार करें बिजली मंत्री से मेरी गुजारिश है।

पशु चिकित्सालय के बारे में घोषणा की है। दूर-दराज से अगर एक आदमी बीमार हो जाता है तो हम जीप में बिठा कर ले जाते हैं, मोटरसाईकिल पर बिठा कर ले जाते हैं लेकिन चिकित्सक नहीं मिलते। आज किसान का मुख्य पशु पालन उद्योग है। उसके लिए जो चलता फिरता पशु चिकित्सालय 'पशु पालक के द्वार' यह अच्छी योजना है। मैं तो यह कहूंगा कि हर पांच किलोमीटर पर यह पशु चिकित्सालय छोटे-बड़े खोलने चाहिए। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष: श्री रघु शर्मा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्य मंत्री श्री अशोकजी गहलोत के द्वारा राज्य का परिवर्तित 2009-2010 का जो बजट पेश किया गया है मैं उसके समर्थन में यहां खड़ा हुआ हूं। यह बजट हमारे देश के युवा नेता श्री राहुल गांधी के उस सपने को साकार करने का बजट है जो एक नया राजस्थान का सपना देख रहे हैं एक ऐसे नया राजस्थान जो सामाजिक, धार्मिक समरसता का राजस्थान हो, एक ऐसा राजस्थान जो विकास के समान अवसरों का राजस्थान हो, एक ऐसा राजस्थान जो विकास के साथ-साथ प्रदेश के आम आदमी, गरीब, किसान और मजदूर को राहत प्रदान करने का राजस्थान बने। नया राजस्थान जो सुशासन दे सके, पारदर्शिता के साथ सत्ता चला सके, जवाबदेही को मूर्त रूप दे सके, यह संकल्प इस बजट के अन्दर हमारी सरकार के मुख्य मंत्री ने व्यक्त किया है।

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, आधुनिक विकास का राजस्थान मुझे यह कहते हुए खुशी है कि वैसे तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्यों के लिए चुनावी घोषणा पत्र का कभी कोई महत्व नहीं रहा लेकिन हम जब पिछली बार आये थे, कल माननीय तारानगर से आने वाले विधायक कह रहे थे कि घोषणा पत्र हमारा बाईबल है, कुरान है, हमारी गीता है। हमने पांच साल करके दिखाया है कि यह गीता है, यह कुरान है, यह बाईबल है। घोषणा पत्र उठा कर देख लीजिये जब हम सत्ता में आये थे 1998 में एक-एक बिन्दु पर कांग्रेस की सरकार ने काम किया था ...(व्यवधान) बात सुन लीजिये पहले। अभी-अभी शुरू किया है।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): बजट पर बोलें आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): दुग्गलजी, एक मिनट सुनें। शांति रखें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): बजट पर बोलें आप।

श्री अध्यक्ष: कृपया शांति बनाये रखें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बिलकुल बजट पर ही आ रहा हूं बिलकुल चिंता मत करें बजट घोषणा पत्र पर ...

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ...(व्यवधान) बजट पर बोलें आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मुझे आपकी सलाह की जरूरत नहीं है। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये जो इन्टरवेंशन हो रहा है ...(व्यवधान) यह बिलकुल बाईबल है हमारा जो इस बार का घोषणा पत्र है ...(व्यवधान) ये जो बजट आया है जो परिवर्तित इस बार जो हमने, दिसम्बर में चुनाव हुए विधान सभा के जो संकल्प राजस्थान की जनता के सामने कांग्रेस पार्टी ने अपने चुनावी घोषणा पत्र के माध्यम से व्यक्त किया उसकी अभिव्यक्ति है यह बजट आपको क्या पीड़ा हो रही है? दो दिन से हल्ला हो रहा है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी राजस्थान में। चुनाव घोषणा पत्र चुनाव के लिए बनाया जाता है रद्दी की टोकरी में आप फेंक कर आते हो, अपराधी हो आप इस बात के कि चुनावी वायदों को पूरा नहीं करते। मुझसे क्या बहस करना चाहते हो आप। पिछले पांच साल में हमारी सरकार ने सब करके सामने रखे। चुनाव में हार जीत होती रहती है काम करके दिखाने वाले आदमी की तस्वीर बोलती है। आपको भी पांच साल शासन करने का राजस्थान की जनता ने मौका दिया था। क्या किया आपने! राजस्थान की जनता के साथ यह बताना इस बजट के साथ जरूर पड़ेगा क्योंकि एक नयी पारी की शुरूआत कांग्रेस पार्टी की सरकार कर रही है इसलिए ...(व्यवधान) माननीय बैठिये। बैठिये।

श्रीमती सूर्यकान्ता व्यास (सूरसागर): आपने क्या किया? आपने काम की एक लाइन नहीं लिखी है। कुछ भी काम नहीं हुआ है जितने बीजेपी सरकार में काम हुए उतने ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बैठिये। बैठिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): क्यों बैठ जाएं? आपने कर लिया पांच साल शासन। क्यों बैठ जाएं-बैठ जाएं? आपने कर लिया पांच साल शासन।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अध्यक्ष महोदय, ...

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): अध्यक्ष महोदय, आप भी बीच में बहुत बोलते हो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये भारतीय जनता पार्टी के उप नेता महोदय यहां बैठे हुए हैं।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): आप अपने बजट पर बोलिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ये भारतीय जनता पार्टी के उप नेता महोदय यहां बैठे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि पच्चीस साल से जयपुर को इन्होंने अपनी बपौती समझ रखा था। ये बराबर यहां से जयपुर का समर्थन लेते आ रहे थे लेकिन पच्चीस साल तक अनेकों बार इनको सत्ता में आने का मौका मिला। जयपुर की जनता को अंगूठा दिखाने के अलावा भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने क्या किया मैं क्योंकि दिवंगत हो चुके नेताओं के बारे में कुछ नहीं कहना चाहता कल घनश्याम तिवाड़ीजी के मुख से निकला कि 6 मासूम अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, 6 अल्पसंख्यकों के बच्चे वो कालग्रसित हो गये दूषित पानी पीने से। मुझे याद है तिवाड़ी साहब जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी राजस्थान के अन्दर आपकी मुख्य मंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे सिंधिया थी। आप उस सरकार के शिक्षा मंत्री थे। हज हाउस बनाने का उद्‌घाटन करने के लिए आपकी मुख्य मंत्री जा रही थीं

(समय : 13.52 बजे)

(श्री सुरेन्द्र सिंह जाड़ावत, सभापति, पदासीन)

आपके निर्वाचन क्षेत्र के अन्दर याद है आपको आपके क्षेत्र में आपकी मुख्य मंत्री सरकार की नेता उद्‌घाटन करने जा रही थीं हज हाउस का और आप क्या कर रहे थे आप अंगूठा दिखा रहे थे और आपकी पार्टी के कार्यकर्ता पत्थर फेंक रहे थे आपकी मुख्य मंत्री के ऊपर। आज अल्पसंख्यकों के लिए आंसू बहा रहे हो यहां बैठकर अगर आपने आंसू उस वक्त बहाये होते तो यह लोक सभा का चुनाव परिणाम जो अभी आपने डेढ़ महीने पहले भुगता है वो नजारा देखने को नहीं मिलता। इसलिए प्रजातंत्र में एक बात ध्यान में रख कर कि न आप निर्णायक हैं न हम निर्णायक हैं राजस्थान की 6 करोड़ जनता फैसला लेती है आप कैसा एक्ट करते हैं सरकार में हैं तब आपके कृत्य कैसे हैं और सरकार के बाहर हैं तब आपके कृत्य कैसे हैं जनता देखती रहती है और जब फैसले की घड़ी आती है तो अपना निर्णय सुनाती है। दिसम्बर में चुनाव हुए ..

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): बजट पर बोलिये बजट पर।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बजट पर ही बोल रहा हूं। बजट पर ही आ रहा हूं ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, यह इनका बजट था वर्ष 2008-09 का और बजट में तत्कालीन मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की कि मैं घोषणा करती हूं कि 1 अप्रैल, 2008 से पूरे राज्य में ग्रामीण क्षेत्रों में नरेगा लागू कर रहे हैं। अब इनसे पूछे कि ये नरेगा राजस्थान का कार्यक्रम था, यह नरेगा आपकी सरकार के बजट से आया हुआ कार्यक्रम था? एक सफेद झूठ बोला गया था। माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) एक मिनट बैठ जाइये। सुनें तो सही अभी तो बहुत लम्बी कहानी है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, यादव साहब।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): एक मिनट, आपके बजट में मुख्य मंत्रीजी ने दर्ज किया है कि हम नरेगा से पांच सौ और ढाई सौ की आबादी के गांवों को जोड़ेंगे। लिखा हुआ है देखिये आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। माननीय सदस्य, विराजें आप।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): सुन तो लें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): इसमें लिखा हुआ है आपके बजट में लिखा हुआ है जब कि इसके अन्दर आपका क्या लेना-देना।

श्री सभापति: यादव साहब, माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह असली डॉक्टर हैं या नकली मुझे इस बात पर शंका हो रही है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मैं असली हूं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारे मुख्य मंत्रीजी ने कभी नहीं कहा कि ये राजस्थान की योजना है बजट में यह कहा है कि केन्द्र सरकार की योजना है आपने जो दगा किया उसकी बात ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): ...(व्यवधान) ढाणियों को उससे जोड़ेंगे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह सोनिया गांधीजी के नेतृत्व वाली कांग्रेस पार्टी और देश की यूपीए की सरकार के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंहजी और हमारे युवा नेता राहुल गांधीजी के अथक प्रयासों का फल है कि सौ करोड़ से

(डा. रघु शर्मा)

भी अधिक आबादी के देश में नरेगा जैसी क्रांतिकारी योजना लागू करके दिखा दी जिसका लाभ आज राजस्थान को भी मिल रहा है। भारतीय जनता पार्टी के सदस्यों को इसलिए मैं सुदृढ़ करना चाहता हूं कि इस योजना को अपना बताने का जो काम आपने राज्य की जनता के साथ बजट में शामिल करके किया वो धोखाधड़ी के अलावा कुछ नहीं था ...(व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, धोखाधड़ी तो इनकी आदत बन गयी है और उसमें ये हमारे ऊपर तो कोई आरोप लगाये या हमारे साथ कोई छेड़खानी करे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने तो इनके महापुरुषों को जो इनकी विचारधारा से जुडे हुए थे उनको भी नहीं बख्शा पिछले बजट में। माननीय राठौड़ साहब, मेरी बात पर ध्यान दीजिये आपके बजट में आप केशवबाड़ी योजना लेकर आये थे, केशवबाड़ी योजना में घनश्यामजी आप यहां विराज रहे हैं मेरा ज्ञानवर्द्धन आप कर दें तो अच्छा रहेगा कि केशवबाड़ी योजना के लिए आपकी सरकार ने एक नया पैसे का प्रोविजन किया हो तो आप बता दें। केशवबाड़ी योजना के लिए आपकी सरकार ने वाहवाही लूटने के अलावा अगर कुछ किया हो, एक कदम भी आगे बढ़ाया हो तो आप बता दो। यह केशव कौन हैं, इसलिए मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं कि छल-कपट की आपकी जो नीति है उसको छोड़ना पड़ेगा। छठे वेतन आयोग को लेकर जिस तरह की वाहवाही लूटने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी सरकार ने की उसका खुलासा भी करना चाहता हूं मैं। आपने राजस्थान के कर्मचारियों को विचारधारा के आधार पर बदलने का अपराध किया है। आपने राजस्थान के कर्मचारियों को भड़काने का काम किया है सत्ता में आने के लिए अपनी क्षुद्र सत्ता की लिप्सा पूर्ति के लिए भारतीय जनता पार्टी और इसकी नेता ने जो अपराध किया है वो राजस्थान का इतिहास कभी माफ नहीं करेगा। असलियत क्या है, असलियत सुनिये राजेन्द्र राठौड़ साहब, आपने छठे वेतन आयोग का लाभ राजस्थान के कर्मचारियों को नहीं दिया आपने जो वेतनमान का लाभ देने का वादा किया उसकी असलियत मैं आपको बताता हूं किस तरह का भद्दा मजाक राजस्थान के कर्मचारियों के साथ आपने किया।

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): आप तो अब विसंगति दूर करा दें मान जाएंगे आपको ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, 2008-09 के वित्तीय वर्ष के चार हजार करोड़ का जो भुगतान था एरियर का वो भी गहलोत

(डा. रघु शर्मा)

साहब ने किया। इस वर्ष बढ़ा हुआ वेतनमान का शेष एरियर यह बजट में लिखा हुआ है बाहर नहीं बजट में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य ।

(समय : 14.00 बजे)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): इसकी भी बात बताता हूं आपने अच्छा किया मुझे याद दिला दिया । आपकी +++ का और आपकी नेता की +++ का उदाहरण मैं आपको बताता हूं । जब राजस्थान में चार साल अकाल पड़ा राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी। हमने मदद की तरफ हाथ बढ़ाया उस समय आपकी एनडीए की गवर्नमेंट थी । (व्यवधान) बैठिए बैठिए सुनने का मादा नहीं है । माननीय तिवाडी साहब आप तो खूब जानते हो हमारे मुख्य मंत्री जी को आप लोगों ने अपमानित करने में कोई कसर नहीं छोडी कि यह भीख का कटोरा लेकर केन्द्र के सामने खड़ा है और जब हमारी यूपीए की सरकार ने आपको मदद दी हमने कहा कि यूपीए सरकार का पैसा है तो आपकी मुख्य मंत्रीजी ने क्या कहा था याद है आपको कि इनके +++ पैसा है क्या । अगर यह हमारे +++ पैसा नहीं है तो वह भी आपके +++ पैसा नहीं था । गलतियां मत कीजिए यह प्रजातंत्र है दुरुस्त हो जाइए जानकारी के मामले में । बहस करना चाहते हो तो लोजिकल करो, हल्ला करने से काम नहीं चलेगा । ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं आपको टोकना नहीं चाहता । ...(व्यवधान) आपको यह मालूम है कि गवर्नमेंट आफ इंडिया का पैसा फाइनेंस कमीशन की रिक्मंडेशन पर राज्यों को मिलता है । केन्द्र का हिस्सा भी मिलता है, करो का हिस्सा भी मिलता है । आपकी सरकार ने कोई अहसान नहीं किया, मुख्य मंत्रीजी ने ठीक किया राजस्थान के हकों का पैसा था वह ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जो भाषा बोली है उसका एतराज बताया है मैंने । जब हम पैसा मांगे दिल्ली में आपकी सरकार हो और आप कहो कि हम भीख का कटोरा लेकर खडे हैं और हमने जब आपको पैसा दिया तब आपकी भाषा यह रहे कि तुम्हारे +++ पैसा है । यह बातें मत कीजिए, अगर उस वक्त जो पैसा हम मांग रहे थे वह राज्य के कर का हिस्सा था वह भी आपके +++ पैसा नहीं था और हमने जो पैसा दिया हम स्वीकार करते हैं वह भी हमारे +++ पैसा नहीं है, वह भी राज्य के कर का हिस्सा था। लेकिन आपकी भाषा पर एतराज था, आपकी नेता की भाषा पर एतराज था और इस तरह की भाषा की राजस्थान में परम्परा नहीं रही है । माननीय सभापति महोदय,

(डा. रघु शर्मा)

इनको एतराज होता है लेकिन मैं वही बातें सदन के सामने रख रहा हूं जो बोली गई हैं। चुनाव से पहले क्या-क्या नहीं बोला गया इस राजस्थान में, 'छाती पर पाँव रख कर चुनाव जीतूंगी', 'नाकों चने चबवा दूंगी', यह भाषा है मुख्य मंत्री की? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जीत जब होती जब 101 जीतते, आप भी 96 पर रह गये सप्लीमेंट्री । यह तो नंबर चुरा कर आपने बहुमत प्राप्त किया है ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजे, अमरा राम जी विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अमरारामजी मैं एक बात कहता हूं इनका नारा था....

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): इनका तो कोई नारा था लेकिन आप पास नहीं हुए आपके सप्लीमेंट्री आई है और दूसरों के नंबर चुरा कर पास हुए हो ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारी सरकार ने सप्लीमेंट्री उत्तीर्ण कर ली है इसलिए अब आप चिंता मत करो ।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): दूसरों के नंबर चुरा कर, चोरी करके ... (व्यवधान) यह तो हारे ही लेकिन आप भी नहीं जीते ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): विराजिए मैं जब आप बोलते हैं कभी नहीं बोलता हूं, थोड़ी तसल्ली से मेरी बात सुन लो मैंने कोई गलत बात तो कही नहीं । माननीय तिवाड़ी साहब, बिना सोच विचार के आपने नारा दे दिया विधान सभा चुनाव के टाइम पर और नारा क्या दिया 'अब नहीं रुकेगा राजस्थान' आप कर क्या रहे थे पांच साल, आप कर रहे थे दीनदयाल उपाध्याय आपकी पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, यह आप मानते हो । आप मानते हो, दीनदयाल उपाध्याय आपके संस्थापक थे । कम से कम आपकी सरकार दीनदयाल उपाध्याय के नाम को तो छोड देती । उस महापुरुष के नाम पर 100 करोड़ का भ्रष्टाचार का काम पक्का कर दिया था आपकी सरकार ने तो । यह तो न्यायालय का और विरोध करने वाले लोगों का धन्यवाद जो वह करेप्शन बच गया (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं माफी चाहूंगा दीनदयाल उपाध्याय जी को तो आप जानते हो यह बाबू लक्ष्मण सिंह जी + + + लगते हैं अपने ? बाबू लक्ष्मण सिंहजी क्या लगते हैं ?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपके +++ लगते होंगे ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): उनके नाम का आदर्श बना कर आप करोडों की जमीन खा जाओ और दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम की बात करो ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह साबित करो ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तो आप साबित करो ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ललित मोदीजी आपके +++ लगते हैं क्या। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, यह ललित मोदी कौन है, कैसे उन्होंने नाम ले दिया । (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य आप विराजिए, आप विराजिए ।

श्री राजेन्द्र पारीक (उद्योग मंत्री): ललित मोदी कौन है यह तो आप बताइए । (व्यवधान) पूरे सदन ने नहीं, पूरे राजस्थान ने देखा है ।

श्री सभापति: ...(व्यवधान) माननीय सदस्य आप विराजिए ।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ...(व्यवधान) मैं यह कहना चाहता हूं आपकी तरफ मुखातिब होकर बोलेंगे तो हाउस में यह उत्तेजना पैदा नहीं होगी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, मैं जानता हूं तिवाड़ी साहब, आपको भी निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान) सुनो बजट के साथ सरकार ने क्या किया] वह भी तो आता है । (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप विराजिए ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान) आ जाओ बहस कर लो ।

श्री अब्दुल सगीर खाँ (धौलपुर): तो करो ना बहस उस पर ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): +++ अभी राजनीति में, मैं 30 साल से राजनीति कर रहा हूं, बैठ जाओ ।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): 76 में आये थे तब पैदा भी नहीं हुए थे । (व्यवधान)

श्री सभापति: ...(व्यवधान)... रघुजी अपने विषय पर चलो । (व्यवधान) आप विराजिए

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): ...(व्यवधान)... सुनना ही नहीं चाहते ।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) +++ शब्द का इस्तेमाल कैसे किया इन्होंने । माफी मांगे यह, नहीं, यह नहीं होगा । (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप विराजिए । ...(व्यवधान) आप विराजिए । आसन पांवों पर है । (व्यवधान) आप विराजिए, आसन पांवों पर है आप विराजिए । मैं व्यवस्था दे रहा हूं । (व्यवधान) आसन पांवों पर है आप विराजिए, आप विराजिए ...(व्यवधान)

श्री करण सिंह (छबड़ा): यह ललित मोदी है कौन मैं सदन में पहली बार आया हूं । (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए आसन पांवों पर है, आसन पांवों पर है राठौड साहब विराजिए, राठौड साहब, आप विराजिए । मैं सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करना चाहता हूं कि यह बजट के ऊपर बहस का समय है। (व्यवधान) सुनिए, सुनिए, मैं सभी माननीय सदस्यों से सदन चलाने में सहयोग चाहता हूं । बिना आपके सहयोग के सदन नहीं चल पायेगा । मेरा अनुरोध आप सभी से है अभी 20 सदस्यों को और बोलना है, अगर इस तरह का कोई व्यवधान पैदा होगा, मैं सभी माननीय सदस्यों से यह अपील करना चाहता हूं ...(व्यवधान) आप बैठिए, आप बैठिए, हम लोग उस बजट पर चर्चा करना चाह रहे हैं ...(व्यवधान) माननीय सदस्य आप विराजिए, आप विराजिए तो सही ...(व्यवधान) राठौड साहब, सचेतक साहब, माननीय सदस्य आप विराजिए आसन पैरों पर है आप विराजिए ...(व्यवधान) मैं क्या बोल रहा हूं आप विराजिए ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): क्यों +++ आ रहे हो, कल हमारी मंत्री को डोकरी बता रहे थे यहां ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप विराजिए ।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): ...(व्यवधान) क्षमा मांगो आप ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य आप विराजिए ।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): असंसदीय भाषा का प्रयोग किया है। (व्यवधान) इसकी कृपा से नहीं जीत कर आये हैं यह खुद पहली बार जीतकर आये हैं बात करते हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए अब यह चुप हुए तो आप बोलने लग गये । आप विराजिए तो सही । मैं बोल रहा हूं ना ।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): संसदीय भाषा का उपयोग करो, नहीं तो क्षमा मांगो। यह खुद पहली बार जीत कर आये हैं । (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए ।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): नहीं, +++ शब्द किसलिए कहा । सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं यह +++ शब्द कहने वाले कौन होते हैं । मैं इसकी कृपा से जीत कर नहीं आया । इन्होंने +++ कैसे कहा । इस शब्द को निकलवाओ । इन्होंने +++ कैसे कहा ।

श्री सभापति: आप विराजिए, आप विराजिए तो सही ।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): नहीं सभापति महोदय, आप मेरी बात सुनो ।

श्री सभापति: मेरी बात सुनेंगे नहीं आप फिर इस कुर्सी का मतलब क्या है, आप मेरी बात ही नहीं सुन रहे हैं । आप विराजिए ।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): सभापति महोदय, आप इस बात का निर्णय करो +++ संसदीय शब्द है या असंसदीय है । यह +++ कहने वाला कौन होता है?

श्री सभापति: आप विराजिये । (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी):यह कौन होता है +++ कहने वाला।

श्री सभापति: आप विराजिये। विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): नहीं क्षमा मंगवाइये

श्री सभापति: आप कुर्सियों पर पधारिये। आप अपनी कुर्सियों पर पधारिये। मैं व्यवस्था दे रहा हूं। (व्यवधान) मैं व्यवस्था दे रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं क्या बोल रहा हूं (व्यवधान) आप भी समझ रहे हो, आप वहां विराजो, आप वहां विराजो ...(व्यवधान) तिवाड़ी साहब। उपनेता महोदय, आप अपनी पार्टी के सदस्यों को समझाइये अपनी कुर्सियों पर जाएं।

एक माननीय सदस्य: यह सदन का माहौल खराब करके ... (व्यवधान) बहस नहीं चाहते।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, राठौड़ साहब, आपने जो बोला वह आपको याद नहीं है। बाबू लक्ष्मण सिंह गहलोत +++ लगता है क्या। (व्यवधान) आप जब बोलते हैं....

श्री सभापति: आपके उपनेता महोदय क्या कह रहे हैं ...(व्यवधान) आप इनकी बात भी नहीं मानेंगे। आप इनकी बात भी नहीं मानेंगे, आपके उप नेता महोदय बोल रहे हैं। तिवाड़ी साहब, राठौड़ साहब ...(व्यवधान) मैं क्या बोल रहा हूं, मैं क्या व्यवस्था दे रहा हूं आप जाये तो सही, आप जाये तो सही, आप अपनी सीटों पर पधारें। (व्यवधान)

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, राठौड़ साहब ने भी कहा कि बाबू लक्ष्मण सिंहजी आपके +++ लगते हैं क्या शुरूआत उन्होंने की है। (व्यवधान) नहीं नहीं उन्होंने शुरूआत की है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): उन्होंने कहा (व्यवधान) उन्होंने कहा बाबू लक्ष्मण सिंह +++ लगता है क्या (व्यवधान) +++ से शुरूआत (व्यवधान)

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उन्होंने बोलना चालू किया पहले। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये, माननीय सदस्य (व्यवधान) आसन पैरों पर है, विराजिये। राठौड़ साहब विराजें, नगराजजी विराजे। माननीय सदस्य विराजिये, सदन को चलाने के लिए ...(व्यवधान) रघुजी बिराजिये, नहीं अब मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं आप बिराजिये। अगर इस तरह से दोनों का सहयोग नहीं होगा, यह सदन नहीं चल पाएगा और जो सार्थक बहस इस बजट पर होनी है आलोचना इस तरह की हो, उस स्तर की हो, जो किसी के हृदय को टीस नहीं पहुंचाये। आलोचना आप भी करें, बजट की तारीफ आप भी करें। आलोचना आयेगी बजट की ऐसी सुधार की आवश्यकता होगी, सरकार अवश्य सुधार करेगी। माननीय सदस्य, आपसे भी अनुरोध करना चाहता हूं कि हम अगर पुरानी बातों को ले लेकर ही चलेंगे, पुरानी बातों को लेकर चलने से काम नहीं चलेगा। आप मेहरबानी करके ऐसे शब्दों का उच्चारण नहीं करें, जिससे कि जो 20 और सदस्य हैं बोलने वाले, उनका समय है इसी समय के अन्दर चला जाए और हमारी एक दूसरे की ऐसी तल्ख टिप्प्णी से पूरे सदन का माहौल बिना बात के गरमा जाए। सार्थक कई नये सदस्य बोलेंगे, उनको हमको

(श्री सभापति)

सुनना है, उनको हमको प्रोत्साहित करना है। रघु जी, आप एक तरह से सदन में पहली बार आये हैं लेकिन आपका राजनीतिक अनुभव काफी है, (व्यवधान) इसमें मेजें थपथपाने की आवश्यकता नहीं है। इसमें नहीं है। (व्यवधान) आप एक मिनिट विराजें, आप बिराजे। मैं आप सभी से, यह सभी पर लागू है यह किसी एक पर लागू नहीं है यह सभी माननीय सदस्यों पर लागू है कि हम लोग वह बात कहें जो सदन के अन्दर पूरे राजस्थान की जनता देख रही है। यह राजस्थान की विधान सभा का बजट अधिवेशन है यह बहुत मुश्किल से साल में एक बार आता है, जिसमें सब माननीय सदस्यों को बोलने का अवसर मिलता है, इसलिए मेरी आप सभी माननीय सदस्यों से करबद्ध प्रार्थना है कि सदन चलाने में मेरा पूरा सहयोग करें। ऐसी तल्ख टिप्पणियां नहीं करें जिससे समय सार्थक बहस में जाए वह हमारे आपस में उलझने के अन्दर व्यतीत हो जाए, यह मेरा आपसे अनुरोध है। ऐसी कोई टिप्पणी जो किसी माननीय सदस्य को पीड़ादायक लगी, उसको एक्सपंज करने की आवश्यकता होगी तो जरूर करुंगा यह मैं व्यवस्था दे रहा हूं। माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि व्यवस्था और सदन चलाने में पूरा-पूरा सहयोग करें। रघुजी।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, प्रतिपक्ष के मुख्य सचेतक महोदय ने जब मुझे यह कहा कि बाबू लक्ष्मण सिंह +++ लगते हैं यह संसदीय है? रिकार्ड है (व्यवधान) सदन के अन्दर, क्या बात कर रहे हो आप (व्यवधान) आप सदन को निष्पक्ष रूप ये चलायें ...(व्यवधान) यह तरीका ठीक नहीं है, सभापति महोदय।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैंने आपके कहा था आपके ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजे रघुजी, आप विराजें। माननीय सदस्य, आप विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अब मैं कह रहा था राजस्थान के कर्मचारियों के हितों का ढ़िंढोरा आप लोगों ने खूब पीटा और जमकर मजा लिया, वोट भी लिये। चार हजार करोड़ का एरियर 2008-9 का वह भी गहलोत सरकार दे रही है। 6500 करोड़ का जो इस वर्ष बढ़ा हुआ वेतनमान है, उसकी पूर्ति भी अशोक गहलोतजी की सरकार कर रही है यह 10500 करोड़ की व्यवस्था हमारी सरकार कर रही है । इस साल 2007-8 में आपने तो दिये थे 7700

(डा. रघु शर्मा)

करोड़ रुपये, हमारी सरकार का देने पड़ेगे 14000 करोड़ रुपये। फिर भी आप तो कर्मचारियों के हितैषी है और हम कर्मचारियों के विरोधी हैं, अब यह आपकी साजिश चलने वाली नहीं है। राजस्थान के कर्मचारियों को मालूम चल गया। और अब मैं, अब मैं, सुनना राजेन्द्रजी सुनना ध्यान से, अब मैं...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य कह सकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा नाम पुकारने का अधिकार नहीं है। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): सदस्य का नाम कब लिया जाता है यह...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये तो सही। (व्यवधान) राठौड़ साहब, बिराजिये। माननीय सदस्य विरजिये, मेहरबानी करके विराजिये। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): उनको पाठ तो पढ़ाओ। (व्यवधान)

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): इस तरह की बात करते हैं, ठीक नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। माननीय सदस्या, आप विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं अपनी एक बात कहना...

श्री सभापति: माननीय सदस्या, विराजिये। मेहरबानी करके विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं अपनी एक बात कहना चाहूंगी।

श्री सभापति: विराजिये, मेहरबानी करके विराजिये।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): मैं एक बात अपनी कहना चाहूंगी कि माननीय केकड़ी से आने वाले सदस्य महोदय इतने लम्बे राजनीतिक जीवन से आये हैं फिर भी इनको संसदीय परम्पराओं का ख्याल नहीं है। कृपया करके संसदीय परम्पराओं का ख्याल कर, कैसे सदस्यों को पुकारा जाता है।

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्या।

श्रीमती अनिता भदेल (अजमेर दक्षिण): पुकारने का पढ़कर फिर आये सदन में।

श्री सभापति: आप विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, माननीय तारानगर से आने वाले सदस्य हैं इनसे मेरा बहुत पुराना प्रेम है और इस प्रेम के वशीभूत अगर मैंने इनका नाम ले लिया, मेरी मंशा कतई...(व्यवधान)

श्री सभापति: राठौड़ साहब विराजिये। (व्यवधान) माननीय सदस्य विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): दोस्ती मत तोड़ो आप, यह सदन यहीं रह जाएगा। माननीय तारानगर से आने वाले, आप सारी जिंदगी आलोचना करते हो, आप आलोचना बर्दाश्त करने की भी क्षमता पैदा करो। मैं यह चाहता हूं कि कोई विषय ...(व्यवधान) भाईसाहब, फिर कोई टिप्पणी करूंगा।

श्री प्रतापसिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): रघुजी, राजेन्द्रजी पता है क्यों नाराज है आपसे, बीच में ललित मोदी से ज्यादा दोस्ती हो गई थी, राजेन्द्रजी की भी, चक्कर यह है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरे से भी ज्यादा दोस्ती हो गई थी क्या ? मैंने नाम लिया था ...(व्यवधान) सच बता दीजिए, चलो सदन में खुलासा कर दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सत्ता दल को बहुत संयम से बोलना चाहिये।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ओर विपक्ष के आक्रामक रूप..... (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय केकड़ी से आने वाले सदस्य, समय खराब नहीं करें, प्रेम घर पर बांटना। यहां केवल वह ही बातें बोलें जो संसदीय भाषा है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अब मैं छाती ठोककर इस सदन में कह सकता हूं कि चार हजार करोड़ का एरियर अशोक गहलोतजी ने दिया, साढ़े छह करोड़ का इस साल का अशोक गहलोतजी की सरकार दे रही है और आने वाले 14000 करोड़ का भी भुगतान अशोक गहलोतजी की सरकार कर रही है। इससे बड़ा....(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): अशोक गहलोतजी ने कुछ नहीं किया, सरकार ने किया है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अशोक गहलोतजी की सरकार ही बोल रहा हूं सुन तो लीजिए।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): अपनी तरफ से कुछ नहीं कर रहे.....(व्यवधान) कुछ नहीं कर रहे। सरकार कर रही है। अशोक गहलोतजी कुछ नहीं कर रहे।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री ग्यारसा राम कोली (बयाना): जनता की सरकार कर रही है ...(व्यवधान) अशोक गहलोतजी कुछ नहीं कर रहे (व्यवधान) दूसरे भी हो सकते हैं। (व्यवधान) अशोक गहलोत के गीत गाने (व्यवधान) अशोक गहलोत, अशोक गहलोत।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजिये। (व्यवधान)

श्री फूलचन्द भिण्डा (विराट नगर): बजट तो हमने भी पास किया था, पहले से...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): बजट की ही बात कर रहा हूं।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): उनको पांच मिनिट एक्स्ट्रा दे दो, पूरा सदन तैयार है।

श्री सभापति: आप बिराजिये।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): पांच मिनिट इनको अलग से दे दीजिए, हम सब तैयार हैं, उनको भाईसाहब को, बहुत परेशान हो रहे हैं बहुत देर से ...(व्यवधान) बहुत देर से परेशान हो रहे हैं।

श्री सभापति: आप विराजिये, माननीय सदस्य आप विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, सुनने का माद्दा बिल्कुल ही खतम हो चुका है क्या? (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: यह यूनिवर्सिटी की थड़ी की बात हैं यहां मत चलाओ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): एक कम्पेरेटिव स्टेटमेंट है, माननीय तारानगर से आने वाले ...(व्यवधान) सभापति महोदय, आप +++ आकर रूलिंग दे देते हैं मुझे दुःख इस बात का है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: आप इन्हें कण्ट्रोल कीजिये, बार-बार खड़े होते हैं, बीच में। (व्यवधान)

श्री बंशीधर खण्डेला (खण्डेला): यह आसन पर प्रहार है। (व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता महोदय, कण्ट्रोल तो करो आप। (व्यवधान) विराजो ...(व्यवधान) रघुजी, एक मिनट विराजें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं इसमें कुछ नहीं कहना चाहता हूं, इतना ही कहना चाहता हूं कि एक शब्द आया है +++ आसन पर कोई भी माननीय सदस्य आक्षेप नहीं लगा सकता है। इसलिये इसको एक्सपंज तुरन्त कर दिया जाए।

श्री सभापति: नहीं, वैसे भी दबाव की बात है ही नहीं। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, एक्सपंज होगा।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): दबाव की बात नहीं, प्रश्न भाषा का है। (व्यवधान)

श्री सभापति: कोई दबाव नहीं है मेरे पर, किसी की भाषा नहीं है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): प्रश्न भाषा का है, प्रश्न भाषा का है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): आप एक्सपंज करने की व्यवस्था दीजिये।

श्री सभापति: आसन पर कोई दबाव नहीं है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): आप दबाव में आ सकते हैं क्या?

श्री सभापति: आसन पर कोई दबाव नहीं होता है। एक्सपंज किया जाता है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, एक्सपंज किया जाता है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें आप। मंत्री महोदय, विराजें मंत्रीजी, विराजें आप।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): मैं आपके माध्यम से प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय से आग्रह करुंगा कि अपने

(श्री बाबूलाल नागर)

सदस्यों को, जब माननीय सदस्य बोल रहे हैं, बीच-बीच में माननीय सदस्य को व्यवधान पैदा करके अनर्गल रूप से इस तरह का माहौल बना रहे हैं। (व्यवधान) मेरा निवेदन है, अपने सब सदस्यों को बैठाएं।

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो, मंत्रीजी, आप विराजो। (व्यवधान) रघुजी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): समय-सीमा तय की जाय। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप चिन्ता मत करो, मेरी पार्टी का समय ले रहा हूं।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): समय नहीं दिया, समय समाप्त हो गया, समय समाप्त हो गया। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, विराजो तो सही आप।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सभापति महोदय, एक तो सब को अपनी-अपनी सीट पर भेजो। आप अपनी-अपनी सीट पर इनको भेजो। अलग-अलग सीट पर बैठे हैं।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही, आप विराजो तो सही।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): अलग-अलग सीट पर बैठे है, पूरे सदन की व्यवस्था खराब कर रहे हैं। सब को अपनी-अपनी सीट पर भेज दें। (व्यवधान) सही व्यवस्था हो।

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): सब को अपनी-अपनी सीट पर भेज दो, सही व्यवस्था हो जाएगी। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, कल जब तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य ने अपने विचार व्यक्त किये तो इन्होंने पता नहीं कब-कब के आंकड़े इस सदन में रखे। जब रेफरेंस आयेगा तो बात पुरानी भी निकलेगी। बात अभी की भी निकलेगी। आप अपराधों का रिकार्ड बता रहे थे, 7 महीने के अपराधों का रिकार्ड बता रहे थे तो मेरे को भी लाजिमी आपके 5 साल का रिकार्ड बताना पड़ेगा। (व्यवधान) सुनिये, सभापति महोदय, अगर यही तरीका है तो फिर ठीक है। आप वित्तीय प्रबन्धन की बात, आपकी सरकार ने...

श्री सभापति: आप विराजो। मैं निवेदन कर रहा हूं, आपसे।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): प्रतिपक्ष को निर्देश दें।

श्री सभापति: आप विराजो, मैं चला लूंगा, विराजो आप।

श्री बाबूलाल नागर (राज्य मंत्री, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति): नहीं, आप निर्देश दें।

श्री सभापति: नहीं, आप विराजो, मैं दे दूंगा निर्देश। वक्त पर दे दूंगा, आप विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें आप। आप विराजें।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): यह लोग बीच में बोल रहे हैं। ये बोलते हैं, तब कोई नहीं बोल रहा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): सुनने का माद्दा रखो आप लोग।

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, यह वित्तीय प्रबन्धन का ढिंढोरा पीटते रहे पूरे 5 साल। जब हमने इनको सरकार दी तो कर्जा 23 हजार करोड़ का था। (व्यवधान) सुनो, भैय्या। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप अपना कन्क्लूड करें। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जब हमने इनसे सरकार ली तो 23 हजार का कर्जा दिया इन्होंने हमको। और जब हमने सरकार दी तो 53 हजार करोड़ का कर्जा हमने इनको दिया। आज हमारे पास 30 हजार करोड़ रुपये हमने कहां खर्च किये, यह बताने के लिये हमारे पास साक्ष्य है। नजर आ रहा है राजस्थान में कि 30 हजार करोड़ रुपये कहां खर्च हुए, कांग्रेस के शासन में। आज हमने सरकार सम्भाली है तो कर्जा कितना बढ़ गया, 84 हजार करोड़ से ज्यादा का कर्जा, सभापति महोदय, मैं यह निवेदन करना चाहता हूं कि जब राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, एन.डी.ए. की सरकार दिल्ली में थी, राजस्थान को 12189 करोड़ रुपये मिले केन्द्र की सहायता के रूप में।

श्री हनुमान बेनीवाल (खींवसर): इस वर्ष के आय-व्यय की बात करें। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री बृजकिशोर शर्मा (यातायात मंत्री): माननीय सभापति महोदय, सदन में व्यवस्था यह रहती है कि कोई भी सदस्य अपनी सीट के अलावा नहीं

(श्री बृजकिशोर शर्मा)

बोले। अभी जिन माननीय सदस्य ने बोला है, वे अपनी सीट पर नहीं बैठे हैं और इस तरह से आकर जो सदन को संचालित करने में व्यवधान पैदा कर रहे हैं। सभापति महोदय, आपसे निवेदन है कि आप एक व्यवस्था बनाकर सदन को चलायें।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): माननीय सभापति महोदय, आप ऐसे करेंगे या मंत्रीजी ऐसे करेंगे। हमारे सदस्य खड़े होते हैं तो टोक देते हैं, और जब मंत्री बोलते हैं सत्तापक्ष के, इनको सुनने का माद्दा नहीं है।

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): असंसदीय भाषा बोलते हैं। आप कण्डेम नहीं करते हैं। असंसदीय भाषा बोलते हैं और समय सीमा का ध्यान रखिये। (व्यवधान) हमारे वक्त में टाइम बताते हैं, इन्हें समय-सीमा में रखें। समय-सीमा तय करो। समय समाप्त हुआ, बंद हो। बंद हो बंद, समय समाप्त हुआ। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, विराजो, विराजो। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): समय-सीमा तय करो।

श्री सभापति: आप विराजो, आप विराजो।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): समय-सीमा तय करने का काम सभापतिजी का है।

श्री सभापति: रघुजी, माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): आप मेरे को नहीं, सभापतिजी को कहें।

श्री सभापति: आप विराजें, आप विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। प्रतिपक्ष के उप नेता महोदय से भी मेरा अनुरोध है कि इस तरीके से अगर टोकाटाकी चलेगी, सचेतक महोदय, आपसे भी अनुरोध है। आप दोनों वरिष्ठ सदस्य हैं इस सदन के। अगर टोका-टाकी चलती रहेगी तो समय इसी में जाया होगा। (व्यवधान) आपसे अनुरोध है, आप विराजें। आप विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजिये। आसन पैरों पर है, आप विराजिये।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): सभापति महोदय मैं अपनी बात कहूंगा। मैं अपनी बात कहूंगा। कोई भी सदस्य असंसदीय भाषा नहीं बोलेगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। सचेतक महोदय, यह कैसे चलेगा? (व्यवधान) आपके जो माननीय सदस्य बोल रहे हैं, आपके माननीय सदस्य जब बालेंगे, प्रतिपक्ष के, मैं इधर की व्यवस्था दूंगा कि कोई टोका-टाकी बीच में नहीं हो। आप बोलेंगे, आप मत बोलो। समय पर वैसे ही अपनी डिबेट है जो जितना बोलना चाहता है, उतना माननीय सदस्य उतने मिनट में अपनी बात कह देगा। अगर आप 8 मिनट का जो समय दें 10 मिनट का समय दें, उसमें अगर 30 मिनट इसी में लगा दें कि एक तरफ प्रतिपक्ष बोले, एक तरफ सत्तापक्ष बोले तो फिर समय का होगा क्या। अभी 20 सदस्यों को और बोलना है, जिसमें 11 तो भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य बोलेंगे, उसमें लोकजनशक्ति पार्टी के भी बोलेंगे, 8 सत्तापक्ष के भी बोलेंगे। कैसे समय पर यह डिबेट खतम होगी। इसलिये मेरा अनुरोध है कि आप टोकाटाकी न करें। मुझे मालूम है कि कितना समय माननीय सदस्य को देना है। हर सदस्य की रक्षा करुंगा, आप विराज जाएं। आप विराज जाएं। (व्यवधान) रघुजी।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): कोई टोका-टाकी नहीं होगी। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह जो व्यवधान में समय गया है, यह हमारी पार्टी में से नहीं कटना चाहिए। यह अनुरोध है आपसे। (व्यवधान)

श्री सभापति: रघुजी, आप चालू रखें। (व्यवधान) आप विराजिये, आप विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आपके 5 साल के कुशल वित्तीय प्रबन्धन। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो, मेहरबानी करके।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): कुशल वित्तीय प्रबन्धन की स्थिति भी आप सुन लो, 31 हजार करोड़ का कर्जा बढ़ाया है आपने राजस्थान के ऊपर। 42352 करोड़ रुपये केन्द्रीय सहायता के रूप में आपकी सरकार को मिले। इस तरह से... (व्यवधान)

श्री सभापति: यह मेरे देखने का है। आप विराजें।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): उधर देखिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, नियमों में यह व्यवस्था रही है कि जो भी माननीय सदस्य सम्बोधन करें, वह आसन की ओर मुखातिब होकर करें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आसन को ही कर रहा हूं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): ये देख कहां रहे हैं।

श्री सभापति: आसन को ही सम्बोधित करके बोला जा रहा है, नजर इनकी हो सकती है, इधर-उधर हो। नजरें हो सकती हैं, उधर हो। लेकिन आसन को सम्बोधित करके ही बोला जा रहा है। नजर तो जा सकती है, उधर जाएंगी, नजरों को आप नहीं रोक सकते हैं। नजरों को नहीं रोक सकते, माननीय सदस्य, विराजिये, नजरों पर नहीं जाओ आप। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति महोदय, इनकी सरकार जब थी, 5 साल में इनके कुशल वित्तीय प्रबन्धन की हकीकत जान लीजिये, 31 हजार करोड़ का कर्जा इन्होंने राजस्थान के लोगों पर लादा और इनको 42 हजार करोड़ से ज्यादा केन्द्रीय सहायता मिली। कुल मिलाकर 73 हजार करोड़ रुपये का खर्चा 5 साल में इनकी सरकार ने किया। अब क्या यह बता सकते हैं, आज वैल में आकर बैठ रहे थे, यहां पानी-पानी चिल्ला रहे थे। यह 7 महीने का संकट नहीं है, आदरणीय सभापति महोदय। यह 7 महीने का संकट नहीं है, यह 5 साल के इनके कुशासन की देन है। राजस्थान में यह जिस तरह से प्रतिपक्ष के सदस्य बोल रहे हैं, हम भी सुन रहे हैं। जो चित्रण यह राजस्थान की तस्वीर का कर रहे हैं, उसमें यही कह रहे हैं खुद कि न कहीं सड़क है, न कहीं बिजली है, न कहीं पानी है, न कोई चिकित्सा की सुविधा है। हमें तो जुम्मा-जुम्मा 7 महीने ही हुए हैं। सभापति महोदय, सात महीने में तकलीफ क्या है।

माननीय सभापति महोदय, ऐसे सदन नहीं चलेगा। मेरी बात सुनिये, मुझे आपका प्रोटेक्शन चाहिए। यह जो चित्रण इन्होंने किया है, वही इनकी जबान से कह रहा हूं। 73 हजार करोड़ रुपया राजस्थान की गरीब जनता के टैक्स का इन्होंने खर्च किया। सात महीने में तीन महीने आचार संहिता लगी हुई थी। चार महीने हमारी सरकार को काम करने का अवसर मिला, अगर यह समस्याएं हैं तो इनकी जड़ में कौन हैं? भारतीय जनता पार्टी का कुशासन और अकुशल वित्तीय प्रबंधन नहीं है तो क्या है, आप बताइये यह बात।

श्री हेमसिंह भड़ाना (थानागाजी): आप क्या कर रहे हो? ... (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हम तो अब करेंगे। हमारा बजट अब आया है। हमारा संकल्प सामने आया है, यह बातें माननीय सभापति महोदय, यह प्रोटेक्शन है आपका?

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजिये। विराजिये आप। माननीय सदस्य, विराजिये। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, मैंने अभी कहा था कि पिछले पांच साल की कांग्रेस की जब सरकार चली थी तब 30 हजार करोड़ रुपये का कर्जा हमने हमारे यहां स्वीकार किया कि हमने राजस्थान की जनता पर चढ़ाया लेकिन अकेले उसमें से 1750 मेगावाट बिजली का उत्पादन हमने शुरू किया और हमने यह इकाई चालू भी कर दी, अपने ही कार्यकाल में। 1750 मेगावाट बिजली पैदा करके दी और एक मेगावाट बिजली बनाने में, माननीय सभापति महोदय, तब पांच करोड़ रुपये का खर्चा आता था, अब मैं, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान) एक मिनट, विराज जाओ, आपका भी मौका आयेगा, जब आप बोल लेना। यह तो कोई तरीका ही नहीं है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजिये।

श्री राजपाल सिंह शेखावत (झोटवाड़ा): केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य, एक सवाल। माननीय सभापति महोदय, खर्चे के साथ-साथ सम्पत्ति का निर्माण भी कितना हुआ इनके राज में और हमारे राज में, यह भी बता दो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। आप नहीं चाहते कि आप डिबेट में हिस्सा लें? आप नहीं चाहते माननीय सदस्य और बोलें? आप विराज जाइये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, हम परिसम्पत्तियां गिनाने को तैयार हैं अगर बी.जे.पी. वाले और प्रतिपक्ष वाले तैयार हो, बहस करने के लिए, कि पांच साल में अगर हमने क्योंकि हम जनता के, जो भी आदमी सरकार में आता है, जनता का ट्रस्टी होता है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब समाप्त करने की कोशिश करें। काफी समय हो गया है। कई माननीय सदस्यों को बोलना है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): समय मेरी पार्टी के समय में से कटेगा। माननीय सभापति महोदय, आप बिलकुल चिन्ता नहीं करें। यह मेरी पार्टी के समय में से जा रहा है और मेरी पार्टी व्यवस्था दे देगी। मुझे बोलने दीजिए आप और यह इण्टरवेंशन का जो समय है, मेरा निवेदन है कि यह समय मेरे इस वक्तव्य में आप शामिल नहीं करें।

मैं यह निवेदन करना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय, कि कांग्रेस साहस रखती है इस बात का कि यह 30 हजार करोड़ का कर्जा अगर

(डा. रघु शर्मा)

राजस्थान की जनता पर हमने बढ़ाया तो हम परिसम्पत्तियां गिनाने को तैयार हैं। मैं इनको चुनौती देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि 73 हजार करोड़ रुपये इन्होंने खर्च किये पांच साल के अन्दर, माननीय सभापति महोदय, भारतीय जनता पार्टी और उनकी सरकार को खुली चुनौती है मेरी बतायें, राजस्थान में 73 हजार करोड़ का विकास, अगर 73 हजार करोड़ का विकास होता तो, माननीय सभापति महोदय, यह वैल में आकर नहीं बैठते पानी की मांग को लेकर, सिंचाई की समस्या को लेकर चिल्लाते नहीं इस सदन के अन्दर। कई सड़क, राजस्थान की दुर्दशा है, राजस्थान को आर्थिक बदहाली के इस दौर में लाकर खड़ा कर दिया। राजस्थान के प्रत्येक नागरिक को 14 हजार रुपये के कर्जे के नीचे लाकर इन्होंने बैठा दिया। यह कुशासन का अन्त राजस्थान की जनता ने दिसम्बर में किया।

कल तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य, हमारे माननीय ऊर्जा मंत्रीजी बोल रहे थे, तब वे उनको सीख दे रहे थे कि संयुक्त उत्तरदायित्व का सवाल उठाया उन्होंने मंत्रिमण्डल का। मैं समझता हूं कि राजस्थान का इतिहास, भारतीय जनता पार्टी के इन पांच सालों को कभी माफ नहीं करेगा। सामूहिक उत्तरदायित्व किसको कहते हैं वह कांग्रेस से सीखिये। आपकी सरकार में क्या-क्या हुआ, एक नजारा मैंने पेश किया हज हाउस का। प्रतिपक्ष के माननीय उप नेता महोदय यहां विराज रहे हैं, मैं इनसे ही पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से कि कितनी बार मंत्रिमण्डल की बैठकों का बहिष्कार इन्होंने किया? तत्कालीन उद्योग मंत्री यहां पर बैठे हुए हैं, इन्होंने पारदर्शिता का सवाल अपनी ही मुख्य मंत्री के खिलाफ कितनी बार उठाया? यह राजस्थान में सामूहिक उत्तरदायित्व का नमूना था बी.जे.पी. का। कटारियाजी, मैं इनका बहुत आदर करता हूं, सम्मान करता हूं, माननीय सभापति महोदय, गृह मंत्री के नाते राजस्थान का गृह मंत्री यह कहे कि मैं एक कांस्टेबल का ट्रांसफर नहीं कर सकता। मैं लाचार और कुण्ठित हूं, क्या यह सरकार थी।

श्री विट्ठल शंकर अवस्थी (भीलवाड़ा): यह जो बोल रहे हैं, माननीय सभापति महोदय, ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, बड़ी शेर-शायरी हुई। बजट में बड़ी शेर-शायरी हुई कि-

(श्री सभापति)

आंधियों से कह दो औकात में रहे,
हम परों से नहीं हौसलों से उड़ा करते हैं।

अगर इनकी सरकार परों से उड़ती तो इनको अन्दाज होता कि हम कितनी ऊँचाई पर हैं। इनके हौसलों ने राजस्थान को बरबादी के कगार पर लाकर डाल दिया है।

माननीय सभापति महोदय, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि जब अशोक गहलोतजी पिछली बार सदस्य थे, भूतपूर्व मुख्य मंत्री थे, बड़ा हल्ला मचाया इन्होंने कि सदन में कितनी बैठकों में पांच साल में आप आये? मैं तो यह सवाल आपके ऊपर भी डाल देता हूं। मैंने सूचना के अधिकार के तहत पहले दो साल, 2003 और 2005 में राजस्थान की सरकार से सूचना मांगी कि मुझे बताया जाए कि राजस्थान की मुख्य मंत्री दो साल में कहां रहीं? जवाब मेरे पास है, सरकार का जवाब है, मेरा बनाया हुआ जवाब नहीं है। 290 दिन जिस सरकार की मुख्य मंत्री पहले दो साल में हवाई जहाज या हेलिकॉप्टर में रहती हो, उस राजस्थान का भट्ठा तो बैठना ही था। माननीय सभापति महोदय, फिजूलखर्ची, सामन्तशाही, क्या-क्या नहीं कहूं मैं इनके लिए, कम है। एक सूचना और जन-सम्पर्क विभाग का, माननीय सभापति महोदय, एक बुलेटिन निकलता है, उस बुलेटिन में जिस तरह की सामन्तशाही की तारीफ की गयी है, मैं आपको निवेदन करना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, काहे पर बुलवा रहे हैं यह? फिर यह वही बात होगी। फिर काहे पर बुलवा रहे हैं? बजट पर भाषण करवा रहे हो आप, यह बजट पर भाषण है?

श्री सभापति: विराजेय। विराजिये आप। आप विराजिये। ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मैं तो बैठ जाऊंगा। नहीं, फिर आप कह रहे हैं कि सदन में उत्तेजना होती है। यह किसका हिसाब दे रहे हैं? यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये। आप विराजिये तो सही। आप विराजिये। माननीय सदस्य, आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं कह रहा हूं कि बाद में आप भी नहीं बोलेंगे। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): ...(व्यवधान) नहीं, पूरा दिन नाम लिख दिया है आपने, यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अधिकार दे दिया आपने? यह क्या बात हुई? (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, इनके तब भी समझ में नहीं आया, जब इन्होंने यह शेर बोला था, इनकी मुख्य मंत्री ने। हमारी तरफ से हमारे एक विधायक जो माननीय, अब इस सदन में नहीं है उन्होंने कहा था। उन्होंने यह कहा था-

आंधियां मगरूर दरख़्तों को उड़ा ले जाएंगी,
सिर्फ वही शाख बचेगी जो लचक जाएगी,
आसमान छूने का अन्दाजा भी हो जाएगा,
जब जमीन पांव के नीचे से खिसक जाएगी।

श्री सभापति: विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह बजट का संकल्प है, इसमें राजस्थान की जनता को हमारे मुख्य मंत्रीजी ने, मैं आज कह सकता हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप समाप्त करें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हां, मैं समाप्त कर रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं या यह मुख्य मंत्री आपके ही हैं, यह बताओ।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारे में आप भी आ जाते हैं। राजस्थान में आप और हम दोनों, सब आ जाते हैं।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं-नहीं, राजस्थान के मुख्य मंत्री हैं या आपके ही हैं, यह बताओ।

श्री सभापति: आप विराजिये। समाप्त करिये आप। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हां, मैं समाप्त कर दूंगा। मेरी पार्टी से टाइम निकल रहा है।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर): एक शेर और भी कहा है, वह रिकार्ड में है। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मेरे तो नम्बर की चिन्ता ही मत करो आप। मैं तो अभी भी वही हूं जो आप समझ रहे हो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अब इनको दो शेर, मैं अर्ज कर देता हूं। माननीय प्रतिपक्ष के नेताओं को कि आपने तो उड़ान कैसी उड़ी, वह सामने है, जिससे आप औंधे मुंह आकर गिरे लेकिन हम कह रहे हैं इस बजट के माध्यम से कि-

बराबर से बांटेंगे हरेक खुशी को,
रखेंगे न महरूम हरगिज किसी को,
सिसकने न देंगे किसी जिन्दगी को,
कसम लेकर आज हम यह उठ खड़े है,
अभी तो बहुत काम बाकी पड़े हैं।

और सुनिये, माननीय सभापति महोदय, पसन्द नहीं आया।

श्री सभापति: विराजिये।

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, पानी से बच्चे मर रहे हैं और यह कह रहे हैं सिसकने नहीं देंगे। ऐसे बच्चों की जयपुर में मौत हो रही है। यह कह रहे हैं सिसकने नहीं देंगे। ...(व्यवधान)

श्री सभापति: विराजये। माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये, मेहरबानी करके विराजिये।

श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर):

बरबाद गुलिस्तां करने को जब एक ही उल्लू काफी था,
हर शाख पर उल्लू बैठा हो, अन्जाम गुलिस्तां क्या होगा?

श्री सभापति: श्री प्रभुलाल सैनी। श्री प्रभुलाल सैनी।

श्री रविन्द्र सिंह बोहरा (राजाखेड़ा): माननीय सभापति महोदय, एक शेर-शायरी का सेशन के बाद मुशायरा करवा दीजिए। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हमारे समय में से आप समय काट रहे हो, माननीय सभापति महोदय।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय हो चुका। (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नहीं तो, यह तो हमारे समय में से समय काट रहे हो आप। यह तो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब नहीं। मैं व्यवस्था दे चुका हूं। मैं नाम पुकार चुका हूं। नहीं, बात समाप्त हुई। श्री प्रभुलाल सैनी।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): आदरणीय सभापति महोदय, परिवर्तित बजट 2009-2010 माननीय मुख्य मंत्री ने इस सदन में रखा है और इस पर आज चर्चा चल रही है। जैसा कि अभी केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य बड़े ओजस्वी तरीके से बजट पर चर्चा कर रहे थे, इसी संदर्भ में मैं आपसे यह निवेदन करना चाहूंगा माननीय सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि इस पूरे बजट अध्याय का मैंने पूरा अध्ययन किया है। और प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों ने जिस प्रकार से बजट के बारे में आलोचनात्मक टिप्पणी की है, उसी प्रकार सत्तापक्ष के लोगों ने इस बजट को आम जनता के प्रति, गरीबों के प्रति और किसानों के प्रति अच्छा बजट बताया है। लेकिन माननीय सभापति महोदय, मैं आपको माननीय मुख्य मंत्री महोदय द्वारा पेश किये गये बजट के अंत में जो महात्मा गांधी की पक्तिंयां अंकित की गयी, उन पंक्तियों का, उन कथनों का मैंने एक-एक लाइन का अध्ययन किया है, मैं पढ़कर सुनाता हूं। माननीय सभापति महोदय, 'जब कभी आप दुविधा में हों या आपको अपना स्वार्थ प्रबल होता दिखाई दे तो यह नुस्खा आजमा कर देखियेगा। अपने मन की आंखों के सामने किसी ऐसे गरीब और असहाय व्यक्ति का चेहरा लाइये जिसे आप जानते हों और अपने आपसे पूछिये कि क्या आपकी करनी उसके किसी काम आयेगी? क्या उसे कुछ लाभ होगा? क्या उस काम से उसे अपना जीवन और भविष्य बनाने में कुछ मदद मिलेगी? बस इतना सोचते ही आपकी सारी दुविधाएं दूर हो जायेंगी।' माननीय सभापति महोदय, शायद मैं समझ पाया हूं कि राजस्थान में 70-75 प्रतिशत लोग गांवों में रहते हैं, किसान लोग रहते हैं और खेतिहर मजदूर रहते हैं। मैं समझता हूं इन वाक्यों को पढ़ने के बाद सदन के प्रत्येक व्यक्ति के मन में यदि अच्छी सोच है तो निश्चित रूप से गांव में बैठा हुआ किसान का चेहरा उसके सामने आयेगा और इस बजट में जिस प्रकार की बात कही गयी है, उसमें कहा गया यह बजट आम आदमी गरीब और गांव को समर्पित है। माननीय सभापति महोदय, मैं यह इसलिये आपके ध्यान में लाना चाहता हूं कांग्रेस का 2008 का जो घोषणा पत्र था, हालांकि उस पर मैं चर्चा करना उचित नहीं समझ रहा था, फिर भी अभी सदन में उसकी चर्चा हुई और केकड़ी से आने वाले माननीय सदस्य ने उसमें जोर देकर कहा कि हमारे कांग्रेस का जो घोषणा पत्र था उसमें हम लोगों ने बड़ी सख्ती से कहा, हमारी पार्टी का घोषणा पत्र हमारी नीति का आधार बन जाये, ऐसी कोशिश हम लोगों ने की है और घोषणा पत्र में यह भी कहा है कि हमारे लिये एक ठोस संकल्पों का घोषणा पत्र है। किसानों के हितों को सर्वोच्च

(श्री प्रभुलाल सैनी)

प्राथमिकता देंगे और सिंचाई के पानी के लिये पर्याप्त पानी का प्रावधान हम लोग करेंगे। यह मुख्य बिन्दु इनके घोषणा पत्र के हैं।

इस बजट के पैरा नम्बर 3 में अंकित करके शायद राजस्थान की जनता को यह बताने का प्रयास किया है कि यह सरकार गरीबों के लिये, किसानों के लिये एक अच्छी सरकार बनकर काम करना चाहती है, लेकिन, सभापति महोदय, आज आप देख रहे हो कि आज ग्रामीण क्षेत्र में आज की जो आधारभूत सुविधाएं हैं बिजली, पानी, सड़क, चिकित्सा और शिक्षा मूलभूत आधारभूत सुविधाएं हैं, जो हर नागरिक को मिल जानी चाहिये। आज यदि हम आत्मावलोकन करें, फर्क इतना सा है कि आप लोग इधर बैठे हुए हैं, हम कुछ लोग इधर बैठे हुए हैं, लेकिन जब पानी की चर्चा चलती होगी तो हो सकता है सत्ता पक्ष के लोगों की मजबूरी होती होगी। जो माननीय मंत्रीगण हैं, वह भी सोचते होंगे, उनके क्षेत्र में भी यही समस्या है, जो हमारे क्षेत्र में है। वहां की जनता स्वच्छ पानी चाहती होगी, वहां बिजली चाहती होगी, लेकिन आज पूरे राजस्थान में जिस प्रकार का हाहाकार पानी के क्षेत्र में, बिजली के क्षेत्र में, चिकित्सा के क्षेत्र में और भ्रष्टाचार के क्षेत्र में व्याप्त हो रहा है, यह न आपसे छिपा हुआ है, न हमसे छिपा हुआ है। इसलिये सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से कहना चाहूंगा और उस संकल्प को दोहराना चाहूंगा कि 2008 में जो चुनाव हुए, कांग्रेस घोषणा पत्र में बड़े शानदार अक्षरों में लिखा। सबसे पहले उन्होंने किसान के लिये बात कही है, किसान के लिये मैं इसलिये बात करना चाहूंगा कि किसानों के लिये इस बजट में जो भी आया है, पैरा नं. 129 से लेकर यदि हम सारे बजट को देखते हैं तो माननीय सभापति महोदय, किसान को एक भी चीज अगर दी हो तो मैं डिबेट करना चाहता हूं, डिस्कस करना चाहूंगा। मैं कहना चाहूंगा इन्होंने कहा प्रत्येक जिला स्तर पर हम लोग किसान भवन बना देंगे। मैं सदन में जानकारी देना चाहूंगा सारे संभाग में और सारे जिला स्तर पर माननीय वसुन्धरा राजेजी के नेतृत्व वाली सरकार ने, हम लोगों ने 55 करोड़ की स्वीकृति देकर सारे जिलों में किसान भवन बना दिये। मैं समझता हूं इन जिलों में यह कौन से किसान भवन बनायेंगे? यह तो वित्त मंत्रीजी जवाब देंगे। एक ही छत के नीचे सारी सुविधाएं हों। हमारी सरकार ने कल्पना की थी कि हम लोग किसानों को ऐसी सुविधाएं देंगे, ऐसे किसान भवन बनायेंगे जहां नई तकनीक जानने की और अन्य प्रकार की सारी सुविधाएं, नई टैक्नोलॉजी की जानकारी वहां मिले। यह सुविधाएं राजस्थान में

(श्री प्रभुलाल सैनी)

दी हैं, लेकिन घोषणा पत्र का सबसे पहले उदाहरण है, यह असत्य का पुलिन्दा है। अभी इस बजट में कहीं इन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया गया है।

दूसरा, इनका विषय आ गया फसल बीमा का क्रियान्वयन करेंगे और फसल बीमा योजना को पंचायत यूनिट तक लेकर जायेंगे। माननीय सभापति महोदय, बजट पैरे का पढ़ा है, कहीं पर भी हमको यह नजर नहीं आया कि फसल बीमा योजना में क्या करना चाहते हैं? पंचायत स्तर तक कैसे ले जाना चाहते हैं? अच्छा होता कि इसमें वित्त मंत्री इसका भी उल्लेख करते। तीसरा, माननीय सभापति महोदय, कृषि क्षेत्र में प्राथमिक और कृषि आधारित उद्योगों को बढ़ावा देंगे। चौथा, किसानों को प्रमाणीकृत खाद और बीज देंगे। माननीय सभापति महोदय, यह नई बात नहीं है। हमारी सरकार ने 10 गुना तक खाद और बीज की व्यवस्था की थी और यहां तक कि पिछले सालों में आपने देखा होगा खाद और बीज की कोई कमी नहीं रही। इन्होंने फिर कहा राष्ट्रीय बागवानी मिशन को पूरे प्रदेश में हम लोग लागू करेंगे। मैं कहना चाहता हूं बजट में जिक्र तक नहीं किया। राजस्थान में सबसे पहले 2005-06 में जब मुख्य मंत्री वसुन्धरा राजे जी थे तब उन्होंने सबसे पहले 11 जिलों में, उसके बाद 6 जिलों में, उसके बाद 4 जिलों में, उसके बाद 2 जिलों में कुल मिलाकर 23 जिले राष्ट्रीय बागवानी मिशन में सम्मिलित किये गये। उसके बाद में बजट में राष्ट्रीय बागवानी मिशन जो एक बहुत महत्वपूर्ण है, कम पानी, कम लागत और अधिक से अधिक उत्पादन और फसलों का विविधीकरण करने का जो अवसर है, वह राष्ट्रीय बागवानी मिशन में है।

माननीय सभापति महोदय, बजट में कहीं पर भी इन्होंने इसका प्रावधान नहीं किया। साथ में, इन्होंने कहा, बागवानी उत्पाद, फल, सब्जी और हर्बल के जरिये प्रोत्साहन और मार्केटिंग हेतु टर्मिनल मार्केट बनायेंगे। माननीय सभापति महोदय, राजस्थान में जहां उत्पादन होगा वहां विपणन होगा। यह मुख्य मंत्रीजी ने अपने बजट में घोषणा की थी और हम लोगों ने 20 से ज्यादा स्पेशल मार्केट जहां उत्पादन था, वहां बनाये। चाहे फल सब्जी के हों, चाहे सोनामुख के हों, चाहे आंवले के हों, चाहे संतरे के हों, चाहे नींबू के हों, सारे राजस्थान में हम लोगों ने ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने क्या किया, क्या खाया, यह बहुत जोरदार बतायेंगे। (व्यवधान)

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): अभी बता रहा हूं। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप बैठिये।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आपने क्या खाया, क्या पीया, क्या किया...(व्यवधान)

श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण): आप जांच करा लेना, आपकी सरकार है..(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य: सीकर से बिलोंग करने वाले...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री सभापति: आप तो सचेतक हैं विराजें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): इसलिये कह रहा हूं, सभापति महोदय, आइन्दा गलती नहीं हो, मैं आपका ध्यान विधान सभा प्रक्रिया एवं कार्य संचालन के नियम 273 की ओर दिलाना चाहता हूं। सभापति महोदय, अगर किसी माननीय सदस्य को दूसरे किसी माननीय सदस्य पर कोई व्यक्तिगत आरोप लगाना है तो वह पहले नोटिस दे। नोटिस देने के बाद में अध्यक्षजी को लिखकर दे, यह क्या बात हुई?

श्री प्रताप सिंह खाचरियावास (सिविल लाइन्स): कोई व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। व्यक्तिगत आरोप नहीं लगाया। (व्यवधान)... जो दोषी है वह जेल जायेंगे। नाम लेकर नहीं बोला है। कोई व्यक्तिगत आरोप लगाया हो तो बतायें। (व्यवधान) बार-बार किताबें खोलने से सारे नियम इन्हीं को पता है क्या? बेवजह किताब खोलने से कुछ नहीं होता। बात सुनने के पहले ही किताब खोलकर खड़े हो जाते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: प्रभुलालजी सैनी। आप विराजिये माननीय सदस्य।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): माननीय सभापति महोदय, नियम इस साइड के लिये हैं या इनके लिये भी हैं? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। आप मेहरबानी करके विराजिये। (व्यवधान)

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): नियम सभी सदस्यों के लिये हैं। नियम सभी के लिये लागू हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। मैं समय का ध्यान रख रहा हूं। समय इसी तरह से जाया जा रहा है। विराजिये।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): माननीय सभापति महोदय, मैं सदन में यह स्पष्ट कह देना चाहता हूं कि माननीय सदस्य ने जिस प्रकार की टिप्पणी की है...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप जो विषय वस्तु चल रही है, उस पर ही अपना भाषण चालू रखें प्लीज। अभी कई माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। आपके दल के 10 सदस्य और बोलेंगे, कुल 18 सदस्यों को अभी बोलना है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): राष्ट्रीय बागवानी मिशन की बात कही गयी, सरकार इनकी है। इसमें वह जांच करा लें। सीआईडी से करा लें, सीबीआई से करा लें, किसी से भी जांच करा ले।

श्री सभापति: आप अपने विषय पर बोलें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): आप लिखकर दे दो कि मेरी जांच करा लो पांच साल की।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सभापति महोदय, जब इस तरह की बात आयी तो मुझे, जब हम पढ़ते थे स्कूल में, खाचरियावासजी के समय में, तब का एक गाना याद आ गया। जो इल्जाम लगाये सब मेरे नाम लगाये, कईयों को सारे नजर आते हैं चोर।

सभापति महोदय, मैं इस बजट के बिन्दुओं की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। इस बजट में किसानों के लिए कुछ नहीं दिया गया है। मैं बजट भाषण के बिन्दु संख्या 122 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने घोषणा की है कि किसान आयोग का गठन कर दिया गया है, शीघ्र ही इसको प्रारम्भ कर दिया जाएगा। मैं इस सदन को आपके माध्यम से जानकारी देना चाहूंगा सभापति महोदय, कि हमारी सरकार ने 13 अप्रैल, 2007 को राजस्थान किसान आयोग का गठन कर दिया था। उसकी अधिसूचना हम लोगों ने जारी कर दी थी। उसके रूल्स रेगुलेशन जो बनने थे वह बना दिये थे और उसके अध्यक्ष के लिए केबिनेट का

(श्री प्रभुलाल सैनी)

दर्जा देने का काम, उनके क्या वेतन भत्ते होंगे, सारे नियम बना दिये लेकिन एक असत्य वाहवाही लेने के लिए 27 फरवरी, 2009 को एक आदेश जारी करके फिर कहा कि हम किसान आयोग का गठन करेंगे जब कि अधिसूचना यह मेरे पास पड़ी है। सभापति महोदय, 13.4.07 को इसकी स्वीकृति जारी हुई थी। इससे यह पता लगता है कि जनता को गुमराह करके इस बजट के माध्यम से आप किसानों में भ्रांति पैदा करना चाहते हैं।

सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 124 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। मैं सदन को जानकारी देना चाहूंगा। इन्होंने कहा कि फसल बीमा को बन्द करके सात जिलों में मौसम आधारित बीमा योजना हम लोग लागू करेंगे। सभापति महोदय, इस प्रकार का कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र बनता हो, इस प्रकार के बजट की बात करते हों, आप जोर-जोर से बोलकर सदन को गुमराह करते हों, मैं यह कह देना चाहता हूं माननीय वसुन्धराजी के नेतृत्व में 2005-06 में राजस्थान में मौसम बीमा योजना हम लोगों ने लागू कर दी थी। आई सी सी आई लोम्बार्ड के माध्यम से कोटा, बूंदी, बारां, झालावाड़ और चित्तौडगढ़ इन पांच जिलों में हम लोगों ने इस योजना को लागू किया था और मैं कह देना चाहता हूं, सभापति महोदय, कि मौसम आधारित जो बीमा है, यह आज की आवश्यकता है और केन्द्र सरकार ने भी राजस्थान की पहल पर पहली बार अपने बजट के एजेंडे में 2007 में पूरे देश के पांच राज्यों में राजस्थान से प्रेरणा लेकर मौसम आधारित बीमा योजना प्रारम्भ की थी। वर्ष 2007 में हम लोगों ने दस जिलों में पहले ही ले लिये तो आज बजट में जिस प्रकार की बात कही गयी है। प्रायोगिक तौर पर सात जिलों में राष्ट्रीय बागवानी मिशन में....

श्री ओम जोशी (फलौदी): सभापति महोदय, पांच साल तक एक नया पैसा नहीं मिला। जबरदस्त अकाल था। इनकी योजनाएं मात्र कागजों तक ही सीमित थीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सभापति महोदय, इस बजट के बिन्दु संख्या 125 में घोषणा की गयी है स्पाइस बोर्ड के सहयोग से जोधपुर में एक स्पाइस पार्क खोला जाएगा। जोधपुर, बाड़मेर, जालौर, सिरोही, नागौर और पाली के किसानों को बेहतर मूल्य व बिक्री का अवसर मिलेगा। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन को जानकारी देना चाहूंगा कि स्पाइस बोर्ड राजस्थान

(श्री प्रभुलाल सैनी)

में कई वर्षो से चला हुआ है और जोधपुर में हम लोगों ने एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट बोर्ड की स्थापना वहां की थी और उसमें हम लोगों ने 2005 में एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट जोन बनाकर एपीडा के सहयोग से जीरे की फसल हेतु पांच जिलों को सम्मिलित करके किसानों को उत्पाद का उचित मूल्य दिलाने की पहले ही व्यवस्था की हुई है। जीरा मण्डी स्पेशल मार्केट नागौर में और जोधपुर में पहले ही किसानों को मसालों के प्रति हम लोग गम्भीर थे और हम लोगों ने टारगेट रखा था कि चार वर्षो में 17500 मीट्रिक टन जीरा 160 करोड़ रुपये का निर्यात की व्यवस्था की गयी थी और एपीडा के सहयोग से वहां के किसानों को अब जो घोषणा की गयी है, मैं नहीं समझ पा रहा हूं। तो फिर राजस्थान के किसान इस बात को कैसे समझ पायेंगे? यह मेरी अब भी समझ में नहीं आ रहा। सभापति महोदय, मैं पैरा संख्या 126 की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। एन एच एम उद्यान के कृषकों की संख्या हम तीन वर्षो में दुगुनी कर देंगे। मैं कहना चाहूंगा कि इसमें बजट का कोई प्रावधान नहीं है। एक रुपये किसी भी योजना में नहीं दिया। फिर ये किस योजना में किसको क्या कर देंगे, कितना बजट ये बढ़ा देंगे, दुगुनी संख्या कैसे कर देंगे। यह हमारी समझ में नहीं आ रहा है। सभापति महोदय, हम इनको सुझाव देना चाह रहे थे। जो बात आपने ड्रिप इर्रिगेशन की कही है। बिन्दु संख्या 34 में इन्होंने कहा है कि ड्रिप इर्रिगेशन को हम बढ़ावा देंगे। राजस्थान में हम लोगों ने अमूल्य नीर योजना प्रारम्भ करके ड्रिप इर्रिगेशन को बढ़ावा देकर लघु और सीमान्त कृषकों को, राजस्थान पहला राज्य है जहां राष्ट्रीय बागवानी मिशन में 50 प्रतिशत से ज्यादा ड्रिप इर्रिगेशन में सब्सिडी नहीं मिलती है। धन्यवाद देना चाहूंगा माननीय वसुन्धराजी को जिन्होंने 70 परसेंट करके राज्य मद से राशि बढ़ाकर राष्ट्रीय बागवानी मिशन में ड्रिप इर्रिगेशन के तहत बूंद-बूंद योजना को आगे बढ़ाने का काम किया है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, कृपया समाप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): कृषि का मामला है आप किसान हैं।

श्री सभापति: कृषि का मामला है लेकिन आप समय से काफी आगे जा चुके हैं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): मैं समझता हूं कि बात आपकी समझ में भी आ रही होगी। मेरी पार्टी का समय है। हम लोग उसको एडजेस्ट कर लेंगे। थोड़ी सी बात और है।

श्री सभापति: मेहरबानी करें। आप दो मिनट में समाप्त करें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): हां, दो मिनट में। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान बिन्दु संख्या 127 की ओर दिलाना चाहता हूं। इन्होंने कहा है कि आंवला, ईसबगोल और सन्तरा के प्रोसेसिंग को प्रोत्साहन देने के लिए 50 प्रतिशत या एक करोड़ रुपये की हम सब्सिडी देंगे। सभापति महोदय, यह योजना 16.6.08 से चल रही है। कई योजनाएं हम लोगों ने स्वीकृत की हैं। अब ये कौनसी योजना शुरू करेंगे, यह समझ में नहीं आ रहा। इसलिए अगर ये बजट को पढ़ लेते, कांग्रेस के घोषणा पत्र को पढ़ लेते तो किसान जो लोग हैं, किसान हमारे नेता हैं, किसान हमारे मंत्रीगण हैं। मैं समझता हूं इस प्रकार की पुनरावृत्ति इस बजट में, इससे राजस्थान की जनता को, राजस्थान के किसानों को गुमराह करने का प्रयास नहीं किया जाता।

सभापति महोदय, बिन्दु संख्या 129 की ओर मैं आपका ध्यान आकर्षित करूंगा। इन्होंने कहा कि खाद की उपलब्धता को बनाये रखने के लिए हमने राजफैड को आवश्यक निर्देश दे दिये हैं। यह बजट घोषणा है। यह घोषणा कैसे हुई कि हमने निर्देश दे दिये हैं। निर्देश देना दायित्व है। सरकार का निर्देश आलरेडी होता है। हम लोगों ने सबसे पहली बार राजफैड के माध्यम से दो लाख मीट्रिक टन डी एफ ए का भण्डारण करने का काम किया था और भण्डारण करने से राजस्थान में कभी खाद की कमी नहीं आयी। इस प्रकार की घोषणाएं सरकार ने किसानों के लिए की हैं।

सभापति महोदय, अन्त में पेयजल की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। पेयजल के लिए चालू वर्ष में 4126 करोड रुपये का कुल प्रावधान किया गया है। सभापति महोदय, इनका यह कहना है कि बीस हजार करोड़ रुपये की ऐसी योजनाएं जब पूर्ववर्ती सरकार ने तो उनको मंजूर कर दिया लेकिन बजट के अभाव में हम नहीं कर पा रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, दो मिनट के लिए आपने कहा। दो मिनट हो चुके हैं अब आप विराजें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): बस आखिरी है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आपके दल के दस सदस्यों को और बोलना है।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): एक मैम्बर कम कर लेंगे।

श्री सभापति: दस माननीय सदस्य आपके दल के और बोलेंगे। दो मिनट के लिए आपने फरमाया था। अब नहीं।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सभापति महोदय, मैं आपका ध्यान नरेगा की ओर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारन्टी की तरफ दिलाना चाहूंगा। यह अधिनियम है जो प्रत्येक व्यक्ति की जो पात्रता रखता है उसको रोजगार देने की सरकार की ड्यूटी है, उसका दायित्व है लेकिन आज भी गांवों में रोजगार नहीं मिल रहा है। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें। श्री पवन कुमार दुग्गल।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सभापति महोदय, केवल एक बार। एक के अलावा नहीं बोलूंगा।

श्री देवी सिंह भाटी (कोलायत): ये एक शेर सुनाना चाह रहे हैं।

श्री सभापति: हां, शेर सुना दें।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): सभापति महोदय, आपकी अनुमति से मैं एक बात कहना चाहूंगा, बूंदी जिले में, जिस प्रकार नरेगा, राष्ट्रीय कार्यक्रम है, इसके अन्तर्गत हम लोगों ने जल निधि योजना बनायी....

श्री सभापति: माननीय सदस्य, और भी कई बोलेंगे उनके लिए आप कुछ छोड़ दीजिए। विराजें आप। श्री पवन कुमार दुग्गल।

श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली): जल निधि योजना के अन्तर्गत जितनी नदियां हैं उन सारी नदियों को जिसमें मेज नदी है और माचली नदी है उनमें एनीकट बनाकर 56 करोड़ रुपये के कार्य स्वीकृत किये थे। (व्यवधान) मैं निवेदन करना चाहूंगा कि मैं इस बजट का घोर विरोध करता हूं।

श्री सभापति: आप विराजें माननीय सदस्य। श्री पवन कुमार दुग्गल।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): सभापति महोदय, कल से सदन में बजट पर चर्चा चल रही है। एक तरफ सत्ता पक्ष ने बजट को किसान, मजदूर और गरीब का हितैषी बताया वहीं विपक्ष ने भारतीय जनता पार्टी ने बजट में जो कमियां रहीं उन पर प्रतिक्रिया जाहिर की है। सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से इस बजट के अन्दर राज्य सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि हम जिस देश में हैं वह कृषि प्रधान देश है। इस

(समय : 15.00 बजे)

देश की व्यवस्था कृषि पर आधारित है। पर बड़े दुःख और अफसोस के साथ हमें इस बात को कहना पड़ रहा है कि जो माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बजट पेश किया उसमें किसान को घोर निराशा हाथ लगी है। इस बात का परिणाम

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

सामने आयेगा, चाहे कांग्रेस पार्टी मेज थपथपा कर आज खुशियां मना ले मगर आने वाले हफ्ते में जब राजस्थान का किसान सड़कों पर आयेगा, जब राजस्थान का किसान अपने खेत के पानी के लिए, अपने ट्यूबवैल की बिजली के लिए सड़कों पर आयेगा तब मेज नहीं इनको कुछ और थपथपाना पड़ेगा।

माननीय सभापति महोदय, एक तरफ पूरे प्रदेश के अन्दर जहां गंगानगर, हनुमानगढ़ और बीकानेर का सिंचाई एरिया आता है और लगभग डेढ़ लाख हैक्टेयर के आस-पास में जहां आज नरमा कपास की फसल खड़ी है, राज्य सरकार का ध्यान इस ओर नहीं जा रहा कि करोड़ों रुपये की फसल आज किसान की बरबाद हो रही है और कांग्रेस पार्टी मेज थपथपा रही है, मैं समझता हूं सब से बुरा और शर्मनाक दिन है यह। पिछली भारतीय जनता पार्टी की सरकार में भी उस इलाके की जनता ने अपने इलाके की पानी की मांग को लेकर लम्बा संघर्ष किया। अभी माननीय सदस्य रघु शर्माजी यहां बैठे हुए नहीं हैं जो अभी थोड़ी देर पहले बोल रहे थे, यह खूब चिल्ला कर कहते थे कि हम भी उस जनता के साथ हैं, किसान के दुःख-दर्द को महसूस कर रहे हैं, सभापति महोदय, आज वो किसान डेढ लाख हैक्टेयर में अपनी फसल की बरबादी देख रहा है मगर राजस्थान की सरकार इस बात के लिए कहीं तैयार, किसान से वार्तालाप करने के लिए तैयार नहीं है कि किसान की फसल को कैसे बचाया जाय। माननीय सभापति महोदय, प्रति हैक्टेयर के अन्दर नरमा और जहां किसान उत्पादन करता है, 16000 रुपये का खर्चा आता है, राज्य सरकार उनको सुरक्षा दे, नहीं दे पर उनके जेब से 16000 रुपये हैक्टेयर के हिसाब से खर्चा हुआ है, राज्य सरकार मौन बैठी हुई है।

माननीय सभापति महोदय, इस बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए राजस्थान सरकार को इस बात की और चेतावनी देना चाहता हूं कि राजस्थान का किसान अपनी बरबाद होती हुई फसल को नहीं देखता चाहे कितनी ही मेज कांग्रेस पार्टी थपथपा ले, राजस्थान का किसान अपनी बिजली के लिए सड़कों पर आयेगा, अपने पानी के लिए सड़कों पर आयेगा। अपने हक को लेने के लिए राजस्थान की सरकार को सड़कों पर लेकर आयेगा।

माननीय सभापति महोदय, जिस प्रकार से राजस्थान के माननीय मुख्य मंत्रीजी ने, सरकार ने अपने बजट के अन्दर जो पहले से कमाण्ड एरिया है, किसान का सिंचित एरिया है किसान के उस एरिया को बचाने के बजाय,

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

उस एरिया की फसल को बचाने के बजाय, उस एरिया में पर्याप्त पानी देने के बजाय माननीय मुख्य मंत्रीजी ने एक लाख हैक्टेयर को और चालू वर्ष में कमाण्ड करने की घोषणा की है, मैं समझता हूं कांग्रेस पार्टी और इस बजट ने अपनी कब्र खोदी है। पिछले किसान को बचाने के बजाय नये किसान को बरबाद करने की इस बजट के अन्दर राज्य सरकार ने योजना बनायी है जो बहुत शर्मनाक और निन्दनीय है।

माननीय सभापति महोदय, मैं आपके मार्फत इस बजट में राज्य सरकार की ओर इस बात का ध्यान आकर्षित करवाना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश की इन्दिरा गांधी नहर परियोजना तीन-चार जिलों की नहीं पूरे प्रदेश को जीवन देती है और उस नहर की हालत आज इतनी खस्ता हो चुकी है, जहां एक तरफ पानी की कमी है, राज्य सरकार चिल्ला-चिल्ला कर बता रही है उसमें हजारों-लाखों क्यूसेक्स पानी लोसेज जाता है, पूरी की पूरी इन्दिरा गांधी नहर आज टूटी-फूटी पड़ी है मगर माननीय मुख्य मंत्रीजी इस बजट के अन्दर कोई ऐसा प्रोसीजर लेकर नहीं आये जिससे उस नहर का पुनरुद्धार किया जाय।

माननीय सभापति महोदय, आज किसान की हालत इतनी बुरी है और ओलावृष्टि हो जाय, अगर प्राकृतिक आपदा आ जाय तो एक बहुत बढ़िया कानून बना रखा है कि या तो तहसील के अन्दर पूरे 50 प्रतिशत का खराबा हो तो किसान को मुआवजा मिलेगा वरना नहीं मिलेगा। मैं समझता हूं इस नियम को इस बजट में सरल करने के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी को एक लाइन लिखनी चाहिए थी।

माननीय सभापति महोदय, जहां तक शिक्षा का सवाल है, इस बजट के अन्दर चाहे इन्होंने कितने ही शब्दों का जाल बुना हो मगर विधान सभा में बैठे हुए तमाम माननीय सदस्य इस बात से परिचित हैं कि पूरे प्रदेश के अन्दर 37 प्रतिशत ऐसे प्राथमिक विद्यालय हैं जहां सिर्फ एक अध्यापक है। आज भी सिर्फ एक अध्यापक।

किस देश के भविष्य की कल्पना कर रही है कांग्रेस पार्टी, किस नौजवान और विद्यार्थी को रोजगार की कल्पना कर रही है? पूरे प्रदेश की हालत इतनी जर्जर है, शिक्षा के मामले में जहां राज्य सरकार ने, मैं समझता हूं, नये अध्यापकों को लेने के बजाय इन्होंने इस बात को कि प्रत्येक पंचायत मुख्यालय पर सेकण्डरी स्कूल किया जायेगा, पहले से ही 37 प्रतिशत प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापक नहीं हैं तो चाहे सेकण्डरी करो, चाहे कॉलेज बनाओ

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

उसका फायदा क्या है? यह राजस्थान की जनता कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र को देख रही है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

माननीय सभापति महोदय, उद्योग नीति के ऊपर यह चर्चा करना चाहते हैं इस बजट के माध्यम से, हमारे नये उद्योग खुलें चाहे नहीं खुलें पुराने उद्योगों की हालत कैसी है? गंगानगर की जे.सी.टी. मिल, जो हजारों बेरोजगारों को रोजगार देता था आज बंद होने की कगार पर है। कोआपरेटिव फैक्ट्रियों की हालत क्या है, इस बात से पूरा सदन तो परिचित है। रीको धागा फैक्ट्रियां जो हनुमानगढ़ हो चाहे गंगानगर हो, पूरे प्रदेश की बंद पड़ी हैं।

सभापति महोदय, इसलिए मैं आपका ध्यान इस ओर आकर्षित करवाना चाहता हूं कि जिस प्रकार से इन्होंने बजट पेश कर के और मेजें थपथपायी हैं, आने वाला एक साल राजस्थान की इस 13वीं सरकार को राजस्थान का किसान, राजस्थान का मजदूर, राजस्थान का नौजवान सड़कों पर उतरेगा तब इस बजट की असली प्रतिक्रिया राजस्थान सरकार के सामने आयेगी। इसलिए यह पूरा का पूरा पुलिंदा किसान विरोधी है, नौजवान विरोधी है, मजदूर विरोधी है और हम इसकी निन्दा करते हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समाप्त करें। अब समाप्त करें।

श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़): और एक साल के बाद में इस बजट का नजारा पूरे राजस्थान की जनता सड़कों पर कांग्रेस पार्टी को और 13वीं सरकार को सबक सिखा कर देगी। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री श्रवण कुमार।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय, आज 2009-10 के बजट के ऊपर गांधीजी के सामने खड़े होकर सत्य मेव जयते का, अशोक स्तम्भ को पढ़ कर और सामने द्वार पर लिखा है कि या तो सभा में प्रवेश नहीं हों, हों तो सत्य बोलें और नहीं बोलोगे, और सत्य नहीं बोलोगे तो दोनों ही पाप होगा।

'सदियों बाद उतरा हूं गहरे पानी में,
दिल की प्यास बुझा कर रहेंगे,
जो सर झुके नहीं, झुकाये गये थे,
उन सरों को ऊंचा उठा कर रहेंगे,
जो जाति और धर्म का जहर फैलाया गया था,

(श्री पवन कुमार दुग्गल)

उस जहर को मिटा के रहेंगे,
जिन घरों में सदियों से अंधेरा छाया था,
वहां चिराग जला कर रहेंगे।'

माननीय सभापति महोदय, दोनों, पक्ष और विपक्ष से मेरी विनती है, मैं कोई आलोचना नहीं करूंगा मैं केवल आप लोगों को कुछ सुझाव देना चाहता हूं और कृपा कर सुझाव लें। यह अच्छे सुझाव होंगे, आपके काम आयेंगे और यह, किसने क्या किया, पाप किया वो इधर बैठे हैं, धर्म किया वो इधर बैठे हैं, इधर वाले पाप करेंगे उधर आ जायेंगे, कोई चिंता नहीं है। प्रश्न इस बात का है कि हमें कुछ करके दिखाना है, पांच करोड़ जनता के भाग्य का फैसला करने के लिए लोगों ने यहां हमें भेजा है, वह बात हमें बतानी है। (व्यवधान) 5 करोड़ 70 लाख बता रहा हूं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): 6 करोड़ 40 लाख।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 6 करोड़ 40 लाख हो गयी क्या? बढ़ गया क्या? (व्यवधान)

माननीय सभापति महोदय, बजट का आकार बहुत बड़ा है, 18634 करोड़ रुपये पर मैं यह बताना चाहता हूं, आकार बहुत बड़ा है पर यह किसान के घर तक कितना पहुंचता है, यह भी किसी ने सोचा है क्या? आधा पैसा हमारा कर्मचारियों के, बड़े अफसरों की तनख्वाह में चला जाता है। 26 परसेंट हमारा भ्रष्टाचार में चला जाता है और 22 परसेंट हमारे किसान के दरवाजे तक पहुंचता है। आज तक किसी के दिल में दर्द नहीं आया होगा कि जो पैसा, आकार बढ़ाया जाता है, 33 परसेंट पिछले साल से बढ़ाकर लगाया है। हमारे घनश्यामजी शिक्षा मंत्री होते थे, हजारों बार इनके मुख से मैंने सुना शिक्षा नीति बनायेंगे, ट्रांसफर नीति बनायेंगे। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने कहा यह हमारी पहली उड़ान है, आखिरी उड़ान क्या होगी, आखिरी उड़ान इधर आ गये। उड़ान नहीं भर सकते, काम करके दिखाना पड़ेगा, तब जनता के दिल में शांति होगी। आज आपने देखा होगा कि दुनिया भर में पानी का हल्ला हो रहा है, बिजली का हल्ला हो रहा है, चिकित्सा, शिक्षा और सड़क का हो रहा है। हरित राजस्थान की बात करते हैं, शुद्ध का युद्ध कर रहे हैं। मैं बताना चाहता हूं हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 52 तहसीलों में उपखण्ड कार्यालय खोले, इसके लिए मैं बहुत-बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं क्योंकि गरीब किसान सत्तर किलोमीटर

(श्री श्रवण कुमार)

जाकर के एस डी एम कोर्ट में जाएगा, उसको बहुत पीड़ा होगी, अगर उसको पन्द्रह किलोमीटर तहसील में न्याय मिल जाएगा तो उसको फायदा मिलेगा।

ए टी एफ का 28 परसेंट से 4 परसेंट जो टैक्स किया है, हमारे देश के हवाई जहाज तेल लेने के लिए आयेंगे, यातायात बढ़ेगा देश का, राजस्थान का विकास होगा। कुछ बातें हमने देखी हैं ...(व्यवधान) गरीब को नहीं मिलेगा तो बड़े लोगों को मिलेगा, उसमें वह भी शामिल हैं।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): अपने किसान को क्या मिलेगा?

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वह बताता हूं, वह सुन लेना आप। कल हमने बजट को पूरा देखा, 298 पैरा देखा, 298 पैरे में झुन्झुनूं जिले का कहीं नाम भी नहीं था, सीकर का एक जगह था केवल मात्र कोल्ड स्टोरेज और हॉट बाजार खोलने में। दौसा का नाम था भ्रष्टाचार के थाने खोलने में लेकिन मैं बताना चाहता हूं हमारे पूर्व मुख्य मंत्रीजी ने झालावाड़ में मेडिकल कॉलेज खोला, पर्यटन स्थान खोला और अरबों खरबों रुपए का वहां विकास करवाया। पर जनता के दिमाग में एक बहुत बड़ी टीस थी कि जिस व्यक्ति को राजस्थान का मुख्य मंत्री बनाया जाय और वह केवल अपने घर की दीवार को देखे, मैं बहुत पुरानी बात कहना चाहता हूं, हमारे सुभाषचन्द्र बोस का सपना नहीं था कि मेरा बंगाल आजाद हो, भगत सिंह का यह सपना नहीं था कि मेरा पंजाब आजाद हो, गांधी का सपना यह नहीं था कि मेरा गुजरात आजाद हो, उनका सपना यह था कि मेरा भारत देश आजाद हो। यह हमारे राजस्थान के मुख्य मंत्री जो बैठते हैं, मोहनलालजी सुखाड़िया को उदयपुर दिखाई दिया, वसुन्धराजी को झालावाड़ दिखाई दिया, अशोकजी को अब जोधपुर दिखाई देता है। झुन्झुनूं जिले के लोगों को यह बात महसूस करनी चाहिए, यहां बैठे हैं हमारे साथी, झुन्झुनूं जिले की जनता को हम क्या जवाब देंगे जहां हिन्दुस्तान की, देश की आजादी के लिए लड़ते-लड़ते 33 परसेंट शहीद होते हैं। जिनकी वीरांगनाएं अपने पति को हाथ में लेकर, गोद में लेकर चिता में चढ़ती हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वह वीरांगनाएं अपने पति को हाथ में लेकर चिता में चढ़ती हैं, उस देश का क्या भला कर सकते हैं जिनकी वीरांगनाएं इस बात की प्रतीक्षा करें कि हमारे देश की, चित्तौड़ जिले में सैनिक स्कूल खोला गया जहां एक परसेंट भी सैनिक नहीं मिलेगा।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मिनिस्टर बना दिया झुन्झुनूं का।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): वह भी आने दो, बिंदु भी तो आने दो ना। हमारे 33 परसेंट शहीद होने वाला जिला जिसका मैं बताना चाहता हूं अगर बाड़मेर की तलहटी में कोई पढ़ाती हुई नजर आएगी तो हमारे झुन्झुनूं जिले की बेटी नजर आएगी, अगर जैसलमेर के टीलों में कोई सूई लगाती नजर आएगी तो हमारे झुन्झुनूं की बेटी नजर आएगी और उस जिले को इस तरह से इग्नोर किया गया। इस बात की पीड़ा नहीं मेरे दिल में फफोले हैं ... (व्यवधान) मंत्री नहीं बनना, मंत्री की बात छोड़िये आप। दुःख इस बात का है कि हमारे झुन्झुनूं जिले के लोगों का जाकर क्या जवाब देंगे, 298 पैरा में झुन्झुनूं जिले का नाम भी नहीं है जो एक बहुत बड़ा बहादुर जिला शिक्षा, चिकित्सा और बहादुरी में आगे रहा है। शिक्षा में अग्रणीय रहा है और देश की लड़ाई में हमेशा स्वतंत्रता सैनानी भी आगे रहे हैं और उस जिले का नाम नहीं। यह पीड़ा का विषय है।

यह हमें कहना चाहिए, यह हमारा सुझाव है, मुख्य मंत्रीजी को इस सुझाव को सुनकर के उसको इम्पलीमेंट करना चाहिए। अभी कल जो बात बाबूलालजी नागर साहब कह रहे थे शुद्ध के युद्ध की। बड़ी पीड़ा की बात है, 23 मंत्रियों में से केवल तीन मंत्री नजर आ रहे हैं। इससे लगता है कि सरकार को भाषण में कोई इंट्रेस्ट नहीं है... (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): आप थोड़ा सा आगे भी नजर रखिये। आपके आगे भी मंत्री विराजमान हैं।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): भरा नहीं भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वो पत्थर है जिसमें गरीबों के प्रति हमदर्दी नहीं।

मैं यह कहना चाहता हूं कल एक बात बड़ी जोर से चल रही थी शुद्ध पे युद्ध, मैं इस बात को मानता हूं शुद्ध तो होना ही चाहिए इसमें चर्चा का विषय क्या है पर मैं बताना चाहता हूं शुद्ध के युद्ध की बात चलनी ही नहीं चाहिए, यह तो हमेशा होती रहनी चाहिए। इसका मेन्टेन्ड प्रोग्राम नहीं होता है, यह शुद्ध तो होना ही चाहिए। आज मैं बताना चाहता हूं कि कैरोसिन तेल की बात करते हैं, कितने घरों में कैरोसिन तेल जलाया जाता है, ईमानदारी से बात कहो, कितने ऐसे लोग हैं, जो बी पी एल का गेहूं खाते हैं, कितने ऐसे लोग हैं जो ए पी एल का गेहूं खाते हैं। कैरोसिन तेल 99 परसेंट गाड़ियों के इंजनों में

(श्री श्रवण कुमार)

डाला जाता है, सौ परसेंट गेहूं बड़ी फैक्ट्रियों में जाकर आटा बनता है और वह आटा आकर बाजार में पन्द्रह रुपये किलो बिकता है।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बीस रुपये किलो है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जो भी है। कहने का तात्पर्य यह है मूल रूप से गहराई में कोई जाना नहीं चाहता, केवल आकाश के बादलों की बातें करते हैं, केवल चमचागिरी की बातें करते हैं देश को आगे बढ़ाने की बात नहीं करते हैं।

1993 में जब मैं आया था एक ही सिंह भैरोंसिंह, दूसरी बार जब आया तो यहां पर लाइन लगती थी अशोक गहलोत जिंदाबाद, तीसरी बार आया महारानीजी की जय बोलते थे फिर वो ही बोलने लगे। आप उस दरबार की वाहवाही बोलो जहां से आप आए हो, जिन लोगों ने गरीब झौंपड़े के बाबा ने रात को 12 बजे आपकी प्रतीक्षा करके सुबह साढ़े सात बजे लाइन में लगकर आपको वोट डाला था और ड्यूटी दी थी कि विधान सभा में जाकर सच बोलना, ईमानदारी और निष्ठा से इस देश का भला करना, वह आपने ड्यूटी नहीं निभाई है।

आज पचास वर्ष पहले जब गरीब, झौंपड़ी का बाबा, खेत खलिहानों में सो रहा था अन्धेरे में और जयपुर, बम्बई, कलकत्ता और मद्रास में जनरेटर चलते थे, वहां आज भी 24 घंटे लाइट जलती है और मेरा बाबा आज भी झौंपड़ी का अन्धेरे में सो रहा है। इसके बारे में किसी को चिन्ता नहीं है। आज झौंपड़ी का बाबा, खेत और खलिहान का बाबा जो अनाज को सींचता है, गरमी में निकालता है और सर्दी में उसको सींचता है और उसका बेटा जब अपनी मां से रोटी मांगता है, मां उसको रोटी की जगह थप्पड़ खिलाती है और बेटा रोटी की जगह थप्पड़ खाकर सो जाता है। सुबह उठकर बोलता है मां मेरे थप्पड़ क्यों मारा, मां बोलती है मेरे जिगर, मेरे लाल मेरे पीपे में आटा नहीं था इसलिए मुझे थप्पड़ मारकर सुलाना पड़ा। लानत है हिन्दुस्तान की साठ साल की आजादी के बाद भी गरीब का बेटा रोटी के लिए थप्पड़ खाता है और हमारे जैसे बड़े नेताओं के कुत्ते केक बिस्कुट खाते हैं। इससे बड़ा देश का दुर्भाग्य और क्या हो सकता है? यह बड़े दुःख का विषय है, दुःख का विषय इसलिए है कि कोई आदमी केवल बातें करते हैं, किसी को पद की भूख होती है, किसी को किसी चीज की भूख होती है। हम यह चाहते हैं, हमें कोई भूख नहीं है, हमें भूख इस बात की है कि हमारा गरीब किसान झौंपड़ी में सो रहा है, तहसील में

(श्री श्रवण कुमार)

जाओ तो तहसीलदार बात नहीं करता है, थाने में जाओ तो थानेदार बात नहीं करता है, बिजली बोर्ड में जाओ तो बिजली बोर्ड का ए ईएन बात नहीं करता है और कलेक्टर के पास जाओ तो क्या लिखा मिलेगा बारह से एक मिलेगा, तीन से चार मिलेगा। अगर बाबा पन्द्रह मिनट भी लेट हो गया तो कलक्टर नहीं मिलेगा। साठ साल की आजादी के बाद आज हमारे देश को आजाद कराने वाले, वंदे मातरम का नारा लगाकर अंग्रेजों को देश से भगाने वाले लोगों को आज भी मिलने के लिए टाइम लेना पड़ता है। इससे बड़े दुःख का विषय और क्या हो सकता है । (समय-समाप्ति-सूचक-घंटी) घंटी क्यों बजा रहे हो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य समअप करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): समय दिया है, कृपया बोलने दें। माननीय सभापति महोदय, मेरा सब्मिशन यह है कि शुद्ध के लिए युद्ध चलाया, मैं इसके लिए बड़ा खुश हूं। मैं यह भी कहना चाहता हूं शुद्ध के युद्ध की जरुरत कहां पड़ गयी? कोई आदमी कहता है ईमानदार आदमी है, ईमानदार प्रत्येक व्यक्ति को होना चाहिए। मैं सदन में कहना चाहता हूं जो सदन का सदस्य विधान सभा में चुनकर आता है, या सरपंच बनता है या एम पी बनता है या प्रधान बनता है और जनता के द्वारा चुनकर आता है, एक रुपये की चोरी करता है उससे बड़ा देशद्रोही, उससे बड़ा अन्यायी, उससे बड़ा पापी कोई हो नहीं सकता। मैं आज भी कहता हूं जनता के द्वारा चुनकर आया हुआ व्यक्ति कोई जनता के साथ धोखा करता है, पाप करता है और जो उसके साथ अन्याय, अत्याचार करता है उससे बड़ा, पिछली बार सुमेरपुर से आने वाले मदनजी हमारे बड़े भाषण करते थे

अब मुझे नजर नहीं आ रहे, पीछे इधर भाषण करते थे। महारानीजी की जय बोलते थे, नजर नहीं आ रहे। जो बोलते जय वह नजर नहीं आ रहे हैं। क्यों नहीं आ रहे हैं क्योंकि जय बोलने थे में लगे रहे काम करने के लिये गये नहीं..(व्यवधान) राठौड़ साहब तो बड़े तेज हैं ना (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) मैं यह कहना चाहता हूं। एक मिनट..(व्यवधान)

श्री सभापति: समअप करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बोलने दो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य समअप करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाहता हूं कि शुद्ध के युद्ध की बात कर रहे थे, शुद्ध के युद्ध में हमने यह कहा कि जो आदमी आज पूरे

(श्री श्रवण कुमार)

राजस्थान से सैम्पल भरवा कर ला रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूं, राजस्थान के पास कितनी लेबोरेटरी हैं जो दो महीने में उसका निस्तारण कर देंगी? अगर छह महीने तक यह सैम्पल भरे पड़े रहेंगे तो स्वत: ही अपने आप निरस्त हो जायेंगे। उसका उपयोग खतम हो जायेगा इसलिये हमें इतना ही काम करना है। हमें शुद्ध का युद्ध चलाना है और भ्रष्ट लोगों को बड़ी फैक्ट्रीज में जो मिलावट करते हैं उनके खिलाफ एक बहुत बड़ा अभियान चला करके उन पर एक्शन लेना है। छोटे केवल खेत खलिहान और गरीब का बेटा 5,000 रुपये की दुकान खोलकर बैठा है, वह क्या मिलावट करेगा ? कहां से मिलावट करेगा ? उसके पीछे पड़ने से क्या फायदा होगा ? यह इंस्पैक्टर प्रथा बढ़ जायेगी। डी एस ओ के इनके दाम बन जायेंगे। दो महीने बाद गांव-गांव, गली-गली में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर पहुंच जायेगा।

आज बात करते हैं वैट लगाया। हमारे मुख्य मंत्रीजी ने 12.5 से 14 परसेण्ट वैट लगाया। आप मुझे एक बात बताने की कोशिश करें, वैट कितना परसेण्ट होता है ? 12.5 लगाया अब 14 लगा दिया यह, फायदा किसको हुआ ? हमारे उस बड़े शहर के बनिये को हुआ। कैसे हुआ ? हमारे यहां केवल दो ही रसीद दी जाती हैं। केवल मात्र 20 प्रतिशत वैट कागजों में चढ़ाया जाता है 80 प्रतिशत का गबन किया जाता है। इतने लोग बैठे हैं बता दो नहीं होता है। एक कम्प्यूटर में परची बनाकर दे देते हैं। वह परची कहां चढ़ेगी? मेरे हाथ में तो 14 परसेण्ट वैट की आ गयी लेकिन वह चढ़ाते कहां हैं? जब लास्ट में उसका बिल बनाते हैं..(समय-समाप्ति-सूचक घंटी) तो जब 20 प्रतिशत राजस्थान में वैट का फायदा मिलता है, मैं बताना चाहता हूं कि हमारे राजस्थान में वैट बढ़ाया है...

श्री सभापति: अब आप समअप करें माननीय सदस्य। समय काफी आगे जा रहा है, कई माननीय सदस्यों को बोलना है। आप एक मिनट में .. (व्यवधान) मुझे सभी माननीय सदस्यों को समय देना है और समय का ध्यान रखते हुए समय देना है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाहता हूं उस वैट को .. (व्यवधान) माननीय सभापति महोदय, 10 मिनट में..(व्यवधान)

श्री सभापति: आपका समय निकले हुए 3-4 मिनट से ऊपर हो चुके हैं। माननीय सदस्य, अब आप समअप करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): अभी आधा घण्टे पहले रघुजी बोल रहे थे, एक घण्टा क्या बोल रहे थे ? क्या बात करते हो? जो बोलते हैं उनको बोलने नहीं दे रहे हो।

श्री सभापति: आप समअप करो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): और ऊपर से कहते हो आधा घण्टा। अब समय क्यों खराब कर रहे हो हमारा? क्यों बजा दी घण्टी? आप समय की क्यों परवाह कर रहे हो?

श्री सभापति: सत्ता पक्ष के माननीय सदस्य अभी और बोलेंगे, प्रतिपक्ष के कम कम 10 सदस्य और बोलेंगे..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बोलेंगे तो मेरा कौनसा वह है?

श्री सभापति: लोक जनशक्ति पार्टी के और बोलेंगे। आप अब समअप करें। प्लीज समअप करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सीनियर व्यक्ति को बोलने दो। आप थोड़ा लाज करो..

श्री सभापति: अभी सदन में और आयेगा समय, कई विषय आयेंगे जिन पर आप बोलें। आज बजट की चर्चा पर..(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं वह सुझाव देना चाहता हूं जो जिन्दगी में आप लोगों के काम आयेंगे। हम कहना चाहते हैं कि 14 परसेण्ट जो वैट राजस्थान की धरती पर लागू किया गया है इसका तो मैं स्वागत करता हूं पर जो लोगों को फायदा मिलना चाहिये, राजस्थान सरकार को मिलना चाहिये वह केवल बड़े लोगों को मिल रहा है। बड़े लोग केवल मात्र 20 प्रतिशत यहां जमा कराते हैं। मैं दावे के साथ कहता हूं कि अगर राजस्थान का नियंत्रण ढंग से चलाया जाए और बड़े लोगों पर नियंत्रण रखा जाए तो राजस्थान में इतना पैसा वैट से आता है राजस्थान में मारामारी पैसे की मिट जायेगी और राजस्थान पैसे वाला हो सकता है।

केवल टैक्स की चोरी 80 से 85 प्रतिशत टैक्स की चोरी होती है, 15 प्रतिशत टैक्स राजस्थान में मिल रहा है, (समय-समाप्ति-सूचक घंटी) अब मैं कहना चाहता हूं, सुबह जो यह बिजली की बात कह रहे थे। बिजली में मैं बताना चाहता हूं, माननीय सभापति महोदय..

श्री सभापति: अब आप समअप करें सदस्य..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बिजली की हालत यह है कि किसान को 8-8 महीने पैसे जमा कराये हो गये आज दिन तक उसको कनैक्शन नहीं

(श्री श्रवण कुमार)

मिला। मीटर लगा दिया, तार लगाया नहीं, बिल आ रहा है। ऐसी घटनाएं, मैं आपको उदाहरण दे सकता हूं। मीटर लगा दिया, तार नहीं लगाया, खम्भा गाड़ दिया, बिल आ रहा है। इससे बड़ी विडम्बना और क्या होगी?

श्री सभापति: माननीय सदस्य अभी डिमाण्ड्स आयेंगी, उन पर आप बोल लेना। अभी माननीय सदस्य समय का ध्यान रखें आप, मेरा निवेदन है आपसे।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): शुरू तो किया ही नहीं इसलिये मैं समय का ध्यान रखूं..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मुझे समय के अनुसार सदन चलाना पड़ेगा...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): यह 8 पन्ने हैं, 8 पन्ने बोलूंगा नहीं क्या ?

श्री सभापति: आप बोलेंगे, सचेतक महोदय, मेरा आपसे अनुरोध है अगर सारा समय आप इनको देना चाहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि पार्टी का समय है...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): समय का कोई नहीं है..

श्री सभापति: समय हो रहा है। यह कैसे काम चलेगा बताइये आप। माननीय सदस्य समअप करें आप कृपया।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कह रहा हूं बिजली के बारे में..

श्री सभापति: एक सुझाव दे दिया, एक सुझाव और दे दो..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बिजली के बारे में 600 मेगावाट की सरकार बनाने की तैयारी कर रही है, मैं इसका धन्यवाद करता हूं, इतनी बड़ी स्कीम लेकर आए हैं, पर आज के हालात यह हैं कि बिजली बोर्ड के कर्मचारी, ट्रांसफार्मर नीचे पड़े हैं, बिजली की व्यवस्था ठीक नहीं है, सारे राजस्थान की व्यवस्था चरमरायी हुई है। मीटर की रीडिंग लेने मीटर रीडर जाता नहीं है। घर बैठे ही मीटर की रीडिंग भर देते हैं। किसानों को आनन के फानन पैसे बनाकर भेज देते हैं। इसमें सुधार करना पड़ेगा।

पानी के लिये कल बोल रहे थे, आज भी बोल रहे हैं कि पानी की बहुत....

श्री सभापति: अब माननीय सदस्य..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पूरे राजस्थान में दिक्कत है लेकिन राजस्थान में पानी के लिये सोचा ही नहीं है..

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मुझे सब तरफ ध्यान रखना पड़ेगा। वह घड़ी है उसकी तरफ भी ध्यान रखना पड़ेगा। सदन की भावनाओं का भी ध्यान रखना पड़ेगा..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): सदन की भावना क्या है पूछो ना। सदन की भावना पूछो ना क्या है।

श्री सभापति: सदन के जो माननीय सदस्य बाकी हैं, उनका भी ध्यान रखना पड़ेगा। श्री राव राजेन्द्र सिंहजी। माननीय सदस्य विराजें आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बोलने तो दो ना।

श्री सभापति: अब आप विराजें। आपको जो सुझाव देने थे दे दिये। आपने सुझाव दे दिये।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पानी के लिये..

श्री सभापति: दे दिये आपने। दे तो दिये और क्या है..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में हरित राजस्थान..

श्री सभापति: अब आप विराजें। अब आप एक मिनट में समाप्त कर दें। एक मिनट में समअप कर दें आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप बोलने ही नहीं दे रहे हो। मैं जो बात कह रहा हूं वह बोलने तो नहीं दे रहे हो...

श्री सभापति: एक मिनट में समअप कर दें आप। इतना समय दे नहीं पाऊंगा मैं। समय नहीं दे पाऊंगा मैं इतना।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमें 5 मिनट दी जाएं। 5 मिनट में खतम कर दूंगा। बोलने दो ना। किसी ने टोका ही नहीं..

श्री सभापति: अब आप समअप करें। मेहरबानी करके समअप करें..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप 5 मिनट बोलने तो दें कृप्या...

श्री सभापति: 5 मिनट नहीं, आप अब एक मिनट में समअप करें। जो दो सुझाव देने हैं, आपने कहा दो सुझाव, दो सुझाव के लिये कहा है...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): 5 मिनट से कम नहीं बोलूंगा। 5 मिनट बोलूंगा।

श्री सभापति: दो सुझाव देने के लिये कहा है। दो सुझाव दे दें..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: आपने दो सुझाव देने के लिये कहा है। आपने फरमाया है दो सुझाव, दो सुझाव दे दो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्यों समय खराब कर रहे हो मेरा? क्यों समय खराब कर रहे हो आप मेरा?

श्री सभापति: बहुत से सुझाव दे चुके हो वैसे आप लेकिन अब कौन से सुझाव बाकी हैं वह और दे दो आप।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप समय खराब कर रहे हो।

श्री सभापति: नहीं, आप देओ। देओ आप। देओ।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पानी के ऊपर हमने कहा पानी की राजस्थान में वास्तव में दिक्कत है लेकिन किसी के दिमाग में यह भी आया है कि पानी की दिक्कत दूर कैसे की जा सकती है। हमारे राजस्थान में पानी की दिक्कत और बढ़ेगी। पूरे हिन्दुस्तान की समस्या है पर मैं यह कहना चाहता हूं जब राजस्थान सरकार के अन्दर हर व्यक्ति दुःखी है कि पानी की दिक्कत मिटनी चाहिये तो मैं यह भी कहना चाहता हूं कि जो भी मकान नया बनाए उसमें सरकार को एक रूल लागू कर देना चाहिये कि वह मकान बनायेगा तो साथ में स्टोरेज भी बनायेगा। पानी का कुंड बनायेगा। जो बरसात का पानी उस कुंड में जाकर इकट्ठा होगा पूरे 12 महीने उस कुंड के पानी को काम में लेगा। यह बात तब तक लागू नहीं होगी तब तक उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। यह नहीं बनायेगा उसको बच्चे के एडमिशन के लिये कार्ड नहीं बनाकर दिया जायेगा मूल निवास प्रमाण पत्र। उसको पाबन्द करना पड़ेगा। विदेशों में आप जाकर देख लो जहां भी जो चीजें लागू की जाती हैं उसको इम्प्लीमेंट करवाया जाता है तब ही वह देश सुखी रह सकता है। हमारे अगर कोई लागू कर देंगे उसके बाद इम्प्लीमेंट नहीं..(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: अब माननीय सदस्य आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): एक मिनट तो हुआ नहीं। क्या हो गया आपको? एक मिनट नहीं बोलने दे रहे हो। 5 मिनट का समय नहीं दे रहे हो?

श्री सभापति: नहीं, आप विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): क्या बात करते हो? बात सुनना नहीं चाह रहे हो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें। यह तो बहुत लम्बा चौड़ा मामला है..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जो बेकार की बातें कर रहे हैं उन्हें सुन लेते हो आप।

श्री सभापति: आप बिराजो। अब माननीय सदस्य, विराजो।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): जो बेकार की बातें कर रहे हैं उनकी सुन लेते हो आप..

श्री सभापति: श्री राव राजेन्द्र सिंहजी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): कोई नहीं खड़ा होगा..

श्री सभापति: आप बहुत ज्यादा..

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य..

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): हमारे राजस्थान में फ्लोराइड की मात्रा...

श्री सभापति: मुझे सभी सदस्यों को बुलाना है। माननीय सदस्यों को सबको बोलना है। मेहरबानी करें आप।

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय,...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आप बोलने तो नहीं दे रहे हैं काहे के सभापति..

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सूरजगढ़ से आने वाले माननीय सदस्य, आपके विचार इतने महत्वपूर्ण हैं कि अगर वह लिखित में देंगे तो उन पर बहुत बड़ी कार्यवाही होगी।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): बोलने क्यों नहीं दे रहे हो आप। 5 मिनट बोलने दो ना आप। समय क्यों खराब कर रहे हो। 5 मिनट का समय मांग लिया क्या गुनाह कर दिया? मैं यह कहना चाहता हूं जहां हमारे मकान बनाने से पहले वहां कुंड बनाने की आवश्यकता है और जो कुंड नहीं बनायेगा उसको बिजली का कनेक्शन नहीं मिलेगा। उसको प्रमाण पत्र नहीं मिलेगा। ऐसी राजस्थान सरकार को योजना लागू करनी पड़ेगी वरना पानी का जो गहरा संकट है वह बढ़ता चला जायेगा...

श्री सभापति: बहुत अच्छा सुझाव है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आज मैं कहना चाहता हूं हरित राजस्थान की बात करते हैं। हरित राजस्थान के लिये मैं बहुत खुश हूं कि राजस्थान हरा भरा होना चाहिये पर आपने देखा होगा कि जो खेजड़ियां रात और दिन 20-20 वर्षों की पाली हुई खेजड़िया सरेआम कट रही हैं। थाने के सामने टाल लगी हुई है। तहसील के सामने वह लकड़ियां कट कर जा रही हैं। हरित राजस्थान का जो आज पेड़ लगेगा वह 20 वर्ष में तैयार होगा। हमारा 20 वर्ष का तैयार पेड़ माननीय वन मंत्रीजी, कट कर जा रहा है हमारी आंखों के सामने कट कर जा रहा है, यह बहुत बड़ा दु:ख का विषय है। इस पर आप को प्रतिबंध, इनके वन विभाग के आदमी उनको देखते हैं, पुलिस देखती है, एस पी देखता है, कलक्टर देखता है, हमारे वनों का जिस तरह विनाश किया जा रहा है यह बड़ा दर्दनाक विषय है। आज हरित राजस्थान बनाने की आवश्यकता है.....

श्री सभापति : हो गया अब सुझाव। अब आप विराजें माननीय सदस्य। अब आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): माननीय सभापति महोदय .....

श्री सभापति : आप विराजें। आप विराजें। (व्यवधान) अंकित नहीं होगा। आप विराजें। अब अंकित नहीं होगा।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सभापति: अब विराजें। मुझे समय का ध्यान रखना है। मैंने बहुत समय दे दिया आपको । मेहरबानी करके आप कृपा करें और आप विराजें। आपके महत्वपूर्ण सुझाव आ गये। सदन बहुत लम्बा चलेगा ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आधा समय तो आप बोलकर के खतम करते हो ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप विराजें ...(व्यवधान) आसन पावों पर है, माननीय सदस्य आप विराजें ...(व्यवधान) अंकित नहीं होगा माननीय सदस्य ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: अंकित नहीं होगा ...(व्यवधान)...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ×××

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें। अब आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: नहीं, अब नहीं, अब आप विराजें ...(व्यवधान)... श्री राव राजेन्द्र सिंह।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: नहीं, सुझाव हो गये आपके, एक की जगह 6 सुझाव सुन लिये सदन ने, 6 सुझाव सुन लिये ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: अब आप विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: सदन के मुख्य सचेतक महोदय ...(व्यवधान) सदस्य को कंट्रोल करें, ऐसे तो नहीं चलेगा सदन ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: अब आप विराजें माननीय सदस्य। श्री राव राजेन्द्र सिंह ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, आप समय बता दें दस मिनट या कितना है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, मैं सदन को अवगत कराना चाहता हूं कि जो समय तय किया गया है, उस समय की सीमा तो करीब-करीब सभी ने लांघ दी है। सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष और जो माननीय निर्दलीय सदस्य हैं और जो लोक जन शक्ति पार्टी से और कम्युनिस्ट पार्टी से जो माननीय सदस्य आये हैं और दलों के जो सदस्य आये हैं, उनको बोलने का अवसर दिये जाने का समय निर्धारित किया है। उसमें समय सीमा का ध्यान रखते हुए सत्ता पक्ष को दस मिनट सत्ता पक्ष के आठ माननीय सदस्यों को बोलना है और प्रतिपक्ष के 11 माननीय सदस्यों को बोलना है, 8 मिनट उनके लिए तय किया गया है, सत्ता पक्ष के कम सदस्य हैं इसलिए उन्हें दस मिनट समय दिया गया है और 8 मिनट रखा गया है प्रतिपक्ष के लिए, उसी अनुसार समय का विभाजन किया गया है इसलिए मैं श्री राव राजेन्द्र सिंहजी से अनुरोध करूंगा कि समय सीमा 8 मिनट है, आप सदन के वरिष्ठ सदस्य हैं इसलिए मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि समय सीमा का ध्यान रखते हुए आप अपना वक्तव्य शुरू करें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: अभी और आयेगा समय, आप चिंता मत करें ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, मैं आपसे एक आग्रह करूंगा कि जब समय का बंटवारा होता है उस समय अध्यक्ष महोदय 11 बजे से लेकर के 5 बजे तक जो हाउस चलता है उसके हिसाब से समय का बंटवारा कर देते हैं, हमारे यहां परम्परा रही है कि सदन का समय बढ़ता रहा है। यह जनरल डिबेट है और दो सत्र निकल गये, पहली बार सभी माननीय सदस्य बोल रहे हैं इसलिए समय बढ़ता रहता है, जो उपयोगी सुझाव आयें, माननीय सदस्य 15-20 मिनट में अपनी बात कह देते हैं। कोई माननीय सदस्य 10 मिनट में अपनी बात कह देते हैं। सबको एकदम से समय सीमा में बांधने की बजाय सबको खुलकर के बोलने का मौका दिया जाये और समय बढ़ाकर के 9 बजे तक, 10 बजे तक बैठेंगे, इसमें दिक्कत क्या है? बहस हो रही है, सदन में अच्छी बहस हो रही है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें ...(व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें। आप 22 मिनट बोले हैं, 3 बजकर 8 मिनट पर आपका वक्तव्य शुरू हुआ साढ़े 3 बजे आपका वक्तव्य समाप्त हुआ है।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): xxx

श्री सभापति: 22 मिनट बोले हैं, राव राजेन्द्र सिंह।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, बहुत-बहुत धन्यवाद। यह सदन लोकतंत्र का शिरोधार्य मंच है। इस सदन की गरिमा और गौरव लोकतंत्र का सम्मान है। इस सदन के भीतर की बात, प्रदेश के बाहर, प्रदेश की परिस्थिति, उसकी स्थिति और उसकी दशा को प्रतिबिंबित करती है। इस सदन में जब विचार और विचारधाओं का आदान-प्रदान सेतु के स्वरूप में होता है और सियासी तंत्र के माध्यम से जब लोगों की अभिलाषाओं और

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आकांक्षाओं के अनुरूप वातावरण चिह्नित करने के लिए हम एक समग्र क्रांतिकारी वातावरण के माध्यम से इस सदन की उपलब्धि को सतकर्म के मार्ग पर प्रशस्त करने के लिए जब उस उद्देश्य की पूर्ति के हेतु संघबद्ध होकर इस अवाम जिसके माध्यम से हम यहां तक पहुंचे हैं, उसको निश्चित अंजाम दिलाने के लिए, दलबद्ध तरीके से नहीं, संघबद्ध तरीके से जब हम विचारधाराओं का विश्लेषण करते हैं तब जाकर प्रजातंत्र का वास्तविक स्वरूप इस सदन को प्राप्त होता है।

सभापति महोदय, समय की पाबंदी है, मैं एक बात आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि इस सदन के बाहर दल हैं, इस सदन से बाहर घटक हैं, दल और घटकों का निर्वाचन करने का अधिकार इस सदन को नहीं है, यह अधिकार इस प्रदेश की और इस देश की जनता ने अपने पास रखा हुआ है। जब यह जनता वहां से निर्वाचित करके यहां किसी प्रतिनिधि को भेजती है तो किसी दलगत या घटकवाद की राजनीति को उजागर करने के लिए नहीं भेजती, अपनी महत्वाकांक्षाओं की और उसके सजग भविष्य को सुसज्जित करने की आशा के साथ में इस सदन में भेजती है।

सभापति महोदय, मैं यह महसूस करता हूं कि बजट के परिप्रेक्ष में हमें बोलने का मौका आपने दिया है, आंकड़े इतने सारे आये कि मैं यह नहीं समझ पा रहा हूं कि जो आंकड़े इस प्रदेश का कम्पट्रोलर और आडिटर जनरल प्रशस्त करता है वह आंकड़े सही हैं या जो आज ट्रेजरी बेंचेज पर सियासत में बैठे हुए हैं, जो वह विवेचन के आधार पर आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं वह सही हैं, क्योंकि आंकड़ों का मायाजाल है इसलिए इतना जरूर निवेदन करना चाहूंगा कि इतना कुछ कह दिया है कि शायद अब अगर कुछ और कहा जाये तो ज्यादा से भी ज्यादा की अतिशयोक्ति होगी। हमारी पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल पर भिन्न-भिन्न तरीकों से व्यंग्य किया गया और यह कहा गया कि आज की जिस आर्थिक परिस्थिति से हम गुजर रहे हैं उसमें शायद वह पांच साल ज्यादा दोषी हैं जो शायद हमारी सरकार और हमारे नेता के मुख्य मंत्री काल के थे। लेकिन सीएजी की रिपोर्ट का तुलनात्मक तलपट यहां रख दिया जाये तो शायद वह इस दशा को सही दिशा देने में और सत्यता को पुन: स्थापित करने का सतकर्म करे, इसलिए एक छोटा सा, दोनों ही सरकार क्योंकि आज की सरकार के तो आगे पांच साल इस बात को साबित करेंगे कि उनकी क्या मनोदशा रहे और उनकी क्या व्यवस्था रहे। लेकिन यह भी एक सौभाग्य है कि

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

आज के सदन के नेता आज से पहले भी इस सदन के नेता रहे हैं। अगर उनके पांच साल की तुलना और आज के प्रतिपक्ष की नेता जो पिछले सदन में नेता रही हैं, इनके पांच साल की तुलना में अगर यह तलपट रखें तो एक बात सहज रूप से सामने आयेगी। यह वह आंकड़े हैं जो पंजीकृत हैं, इन आंकड़ों में कहीं कुछ नहीं है, अगर आप चाहेंगे तो यह आंकड़े मैं सदन के पटल पर रख दूंगा।

सभापति महोदय, हम राजस्व की प्राप्तियों को पांच साल के अन्दर देखें तो 1997-98 से लेकर के 2003 तक जो राजस्व प्राप्तियां रहीं, पूरे पांच साल का एक साथ ग्रोस टोटल कर लें तो इनके समय बढ़ोत्तरी हुई 59.61 प्रतिशत, अब 2003-04 से लेकर 2007-08 तक आप देख लें, हमारे आंकड़े में बढ़ोत्तरी हुई है 130 प्रतिशत। अगर आप चाहें तो आंकड़े भी बता दूं, जहां 5323.52 उनके पांच साल में हुई और हमारी 38673 हुई। आप कैपिटल रिसिप्ट की और बोरोइंग की बात कर रहे थे। यहां बात आ रही थी कि पूरे राजस्थान की आम जनता पर 83 हजार करोड़ का ऋण है इस ऋण के भार से प्रत्येक नागरिक त्रस्त है।

अगर इनसे जरा यह बात पूछें कि ऋण और राजस्व प्राप्तियों की तुलना में जो प्रतिशत होता है उसमें कितना ऋण उस प्रतिशत के माध्यम से लिया और जब हमारी राजस्व की आय बढ़ रही थी उसकी तुलना में हमने कितना ऋण लिया, तब यह बात समझ में आएगी कि 83 हजार करोड़ रुपये छोटा है या इनका 30 हजार करोड़ रुपए बड़ा था।

आदरणीय, कैपिटल रिसीट में टोटल बोरोविंग इनके जमाने में 152 प्रतिशत हुई है, कैपिटल रिसीट की तुलना में जो बोरोविंग जिसे हम कर्ज कहते हैं 152 प्रतिशत हुई है, हमारे 5 साल में हमारी बोरोविंग 26 प्रतिशत हुई है।

आदरणीय, कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात करें, जहां से परिसम्पत्तियां बनती हैं, परिसम्पत्तियों की बात हो रही थी कि हमने इतना कर्जा लेकर परिसम्पत्तियों का निर्माण किया, किया क्योंकि कोई भी सियासत और कोई भी सरकार आम जन का नुकसान नहीं करना चाहती लेकिन कई बार हम व्यवस्थाओं के अभाव में चाहे हमारी सोच और विचार कितने ही शुद्ध और पवित्र क्यों न हो लेकिन अगर तंत्र उन विचारों को पहिये नहीं देता तो वह विचार इस सदन के अभिलेखों तक सीमित होकर रह जाते हैं और आम जन

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

तक जिसको फायदा पहुंचाना चाहते हैं वहां तक वह नहीं पहुंचता और यह आंकड़ा इस बात को साबित करता है कि कैपिटल एक्सपेंडिचर में 35 प्रतिशत का इजाफा हुआ था उन पूर्ववर्ती 5 साल में जब हमने सियासत सम्भाली, 144 प्रतिशत का इजाफा हुआ। आदरणीय, इससे भी आगे चलें, रेवेन्यू रिसीट में पब्लिक अकाउण्ट का जो इन्क्रीज है, 114 प्रतिशत है, उनकी सरकार के समय में 114 प्रतिशत था जब हमने सियासत, सत्ता सम्भाली तो 151 प्रतिशत था।

आखिर में, मैं इन सारी चीजों को समावेश कर दूं, अगर इन सारी चीजों का एक पैरा में कोई आप अर्थ निकालना चाहें क्योंकि समय की सीमा है तो मैं पढ़ देता हूं जिससे कि यह स्पष्ट हो जाए कि ''Congress Govt. takes more loans, pays less interest in 5 years. It increases only to 17%" यानि जो ब्याज वह कर्ज हम ले रहे हैं और उसकी अदायगी है वह सिर्फ 17 प्रतिशत के ऊपर है। ''BJP Govt. takes less loans, pays more interest to increase to 47%." तो बोझ कम करने की हमने कोशिश नहीं की क्या? यह बात अलग है कि प्रकृति के प्रकोप और उस नारायण की लीला से आपके समय में अकाल पड़ता है तो वह हमारी तो मजबूरी नहीं है।

मैं एक बात और निवेदन करना चाहता हूं, इन आंकड़ों के साथ-साथ सी ए जी की रिपोर्ट का वह पैरा भी पढ़ लेना चाहिए जो इस बात को पूरी तरह से, सभापति महोदय, मैं आपकी आज्ञा से क्योंकि यह अंग्रेजी में है, मैं पढ़ना चाहता हूं, ''A comparative position presented in table above…" टी एफ सी के नोर्म्स के आधार पर आपका एफ आर बी एम एक्ट बना और उसकी अनुपालना के अन्दर एफ आर बी एम एक्ट और फिस्कल मैनेजमेंट की जो बात कही गई उसके उपरान्त 2007-2008 की जो आडिट हुई है, उस ऑडिट की सिविल रिपोर्ट का पेज 6 है उसमें साफ लिखा है, ''The State has achieved fiscal target…" यह लम्बा पैरा है इसलिए मैं उसका कनक्लूडिंग पैरा पढ़ रहा हूं, ''The State has achieved fiscal target it's laid down in the FRBM Act much before the time line indicated there in with the current year ending in the revenue surplus of Rs. 1653 crores and fiscal deficit to Rs. 3400 crores which costs 2.1 % of the GSDP." यह बात हमने उस वक्त भी करने की आवश्यकता नहीं थी, हम चाहते तो 2 साल बाद भी कर सकते थे लेकिन कर्ज को, फिस्कल डेफिसिट को जी एस डी पी के रेशो में लाने के लिए एफ आर बी एम एक्ट के तहत हमको समय मिला था इसलिए हमने उसको पूरा किया क्योंकि हमको आम आदमी की फिक्र थी। सभापति महोदय, मैं इस बात को पूरा इसलिए कह

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

रहा हूं कि आम आदमी, गरीब आदमी, किसान के नाम से 60 वर्ष में हमने जितने पर्यायवाची शब्द इस गरीब को दिए हैं, उतने शायद आज तक की सभ्यता के इतिहास में शब्द कोष के निर्माण करने वालों ने भी इतने पर्यायवाची नहीं दिए होंगे। यह दलित है, यह गणेश है, यह किसान है, यह आम है। सभापति महोदय 60 वर्ष के प्रजातंत्र के इतिहास में सर्वाधिक बार सत्ता और सियासत बनाने का तो उनको अवसर और सुअवसर प्रदान हुआ है, उनके तजुर्बे के मुकाबले तो हमारे पास एक तजुर्बा नहीं है। 60 वर्ष के बाद में आम आदमी की अगर इनको याद आ गई जिसने इनको 50 साल तक सियासत के अन्दर बैठने का मौका दिया तो इसके अन्दर कौनसी बड़ी बात इन्होंने कह दी?

आदरणीय, इन 50 सालों के अन्दर तो इस हिन्दुस्तान के वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से चन्द्रमा तक का रास्ता प्रशस्त कर लिया परन्तु इन्होंने 60 वर्ष बाद में सियासत के गलियारों से आम आदमी के दरवाजे तक पहुंचने की बात कही, 50 वर्ष का समय अगर आपको मिला और आपने आम आदमी की बात कह दी तो इसमें तालियां बजाने की क्या बात है? यह हर बार, हर 5 साल बाद, यह आम आदमी किसी न किसी को सियासी सत्ता को वहां बैठाता है, 5 साल की सियासी धुरी पर वह आम आदमी ऐसे घूमता है कि 5 वर्ष बाद में, उसको मतदान केन्द्र जाने का मौका मिलता है तो इन 15 दिन में उसकी वह दशा होती है, जैसे किसी आदमी को एक चक्र पर बैठा दिया और 5 साल तक वह लगातार घूमता रहे, उसकी मानसिक मनोदशा क्या होगी, वह शायद भूल जाता है कि वह किस दल का है, किस जाति का है, किस धर्म का है, इस समय वह पूरे होश हवास में नहीं रहता है, मतदान करके आ जाता है और पुन: सियासत की धुरी पर आकर बैठ जाता है इस आस में कि कल नया सवेरा होगा लेकिन हर रोज वही सूर्य उदय होता है, हर रोज वही सूर्य पूर्व में निकलता है, हर सियासी रंग आम आदमी के कल्याण का होता है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, अगर आप मुझे इजाजत दें, आपने बैल बजा दी, मैं बैठ जाऊंगा लेकिन मैं एक बात निवेदन करना चाहता हूं कि 1979 में सेंटर के नाम से एक स्पेशल कम्पोनेंट प्लान बना था। इस स्पेशल कम्पोनेंट प्लान के अन्दर, अब मैं बात अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की कर रहा हूं कि आज तक सियासी सत्ता पक्ष इन जातियों के नाम पर कई बार सत्ता में,

(श्री राव राजेन्द्र सिंह)

राज में आ चुका है। इसमें यह दिशा-निर्देश थे कि जो भी योजना का आपके मद हो, उस एससी, एसटी के प्रतिशत की तुलना में हर विभाग में उस योजना का मद उसके उस प्रतिशत से निवेश होना चाहिए। यह हमारे यहां 17 प्रतिशत है। मोटा-मोटा आप ले लें, अगर आप यह देखें तो हर योजना के नाम से, हर विभाग में जब वह योजना का मद बजट के माध्यम से आता है तो अगर 1 हजार करोड़ रुपए शिक्षा में आए तो उसमें 17 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए निवेश होना और उस पर खर्च होना अनिवार्य है। अब मैं आपको यह निवेदन करना चाहता हूं कि इनके समय में कितना मद में आया और क्या प्रतिशत खर्च हुआ। (व्यवधान) यह स्पेशल कम्पोनेंट प्लान ऑडिटेड है, सोशली आडिटेड है, एन जी ओ से आडिटेड है, बजट एनेलेसिस रिसर्च सेंटर से आडिटेड है। फिर भी आपको समझ में नहीं आए तो केन्द्र के अभिलेखों के अन्दर सी ए जी की टिप्पणी भी है, आप कुछ भी देख लीजिए, सब में बात बराबर मिलेगी, 0.25 प्रतिशत का फर्क हो सकता है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, समय सीमा का ध्यान रखें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, यह मेरा दुर्भाग्य है कि मेरे बोलने का समय पौने चार बजे आया। बात सिर्फ इतनी है, मैं न तो उनकी आलोचना करूंगा, मैं सिर्फ आंकड़े दूंगा, अगर इन आंकड़ों से उनकी आलोचना हो जाए तो यह मेरे वश की बात नहीं है क्योंकि यह पंजीकृत आंकड़े हैं, किसी के बनाए हुए नहीं हैं, किसी दल विशेष के बनाए हुए नहीं हैं, किसी दल की राजनीति से रंगित नहीं हैं, यह वास्तविकता है और वास्तविकता जानने का अधिकार इस देश की जनता को है और सभापति महोदय को यह अधिकार है, इस बात की जानकारी वहां तक पहुंच जाए। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): माननीय सदस्य, इतने साल सत्ता में रहने के बाद भी आपने गरीबों के लिए कुछ नहीं किया।

श्री सभापति: आजाद साहब, आप विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): श्वेत क्रांति लाए, सैकड़ों योजनाएं बनायीं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): अनुसूचित जनजाति के लिए इन्होंने सरकार में योजना बनायी।

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें। आजाद साहब आप विराजें।

श्री केसाराम चौधरी (मारवाड़ जंक्शन): गांव के गरीब का ध्यान तो आपको अब आने लगा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): गरीब का ध्यान आज तक हमने ही रखा है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): आपका गरीबों से कहां काम रहा है? यह बिलकुल गलत जानकारी दे रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। राजेन्द्र सिंहजी। आप सम-अप करें जितना जल्दी हो सके। आप विराजें जितना जल्दी हो सके सम-अप करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं सभापति महोदय, इसका विश्लेषण न करके तीन बिन्दु लेता हूं। सामाजिक सुरक्षा में जितना राज्य आयोजन मद का था उसमें जो अनुसूचित जनजाति पर खर्च हुआ वह आयोजन मद का 0.98 परसेंट ही था 1998-99 में। वह 1.12 परसेंट था 1999-2000 में, वह 0.91 परसेंट फिर था 2000-2001 के एस्टीमेट में और वो 1.17 था 2001 2002 में। 1.17 नोट 17, बट 1.17, यह तो सामाजिक सेवा की बात है।

आर्थिक सेवा में जो आयोजन का मद 1998 में था उसका 1.16 परसेंट हुआ उसका 0.76 परसेंट हुआ 2000-2001 में। उसका जीरो परसेंट हुआ 2000-2001 में। उसका जीरो परसेंट हुआ 2001-2002 में।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। कई माननीय सदस्य आपके बोलेंगे। सचेतक महोदय। (व्यवधान) विराजें।

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): 2001 में केन्द्र में सरकार किसकी थी?

श्री सभापति: सचेतक महोदय ...(व्यवधान) विराजें। आप विराजें। माननीय सदस्य। सचेतक महोदय। आपके दल के 9 और माननीय सदस्य बोलेंगे, 9 सदस्य और बोलेंगे।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, मैं इस विश्लेषण को और खोल देता हूं क्योंकि किसी के मन में शायद अभी भी यह प्रश्न ... (व्यवधान)

श्री सभापति: आप बहुत जल्दी सम-अप करें, मेहरबानी करें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): यह राजस्थान के संबंध में पूरे राष्ट्र पर टिप्पणी है। ''राजस्थान टॉप जाब क्रिएशन चार्ट'' यह चार्ट पूरे इण्डिया का बना हुआ है। इसमें महाराष्ट्र के, पंजाब के, आंध्र के, कर्नाटक के We created 2,85,735 jobs which is 37% of the total job creation. ये आंकड़े असत्य हैं? ईवन कर्नाटक ...(व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता महोदय ...(व्यवधान) आप विराजें। रघु जी ...(व्यवधान)

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, मैं सीएजी की टिप्पणी पढ़ दूं ''... spend on SC, ST welfare is much less than what is spoken to." यह 2005 से 2008 तक केन्द्र सरकार के परिप्रेक्ष्य में है। आपका घोषणा -पत्र यह कहता था – ''It is the Congress that empowers the Scheduled Castes, Schedules Tribes and Other Backward Classes through reservation and through social welfare and economic development programmes for their welfare and well-being, notes the Congress manifesto when it went to polls in 2004 ... assumed power at that .... Within the period of 5 years the welfare of SCs and STs has not been more than 1 percent.

श्री सभापति: हो गया माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): एक मिनट। इसका आपको बता दूं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): सभापति महोदय, मैं बैठ जाऊंगा, मैं इतना सा निवेदन कर दूं आखिर वन परसेंट जैसी चीज को इतनी बड़ी संवेदनशील सरकार ने कैसे स्वीकार किया? मद था, प्रोविजन 50 परसेंट के लिए हुआ था, लेकिन क्योंकि नीयत नहीं थी इसलिए सिर्फ एक परसेंट खर्च किया गया क्योंकि बचत दिखानी थी, रिजर्व के अन्दर आप जा रहे थे, कर्ज बढ़ रहा था, हिन्दुस्तान की अर्थव्यवस्था को लानी थी तो सबसे पहले चोट की गई एससी, एसटी की वेलफेयर स्कीम पर।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सदस्य, आप केन्द्र के बजट पर बोल रहे हैं या राज्य के बजट पर?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, आप वरिष्ठ हैं, कृपया आप विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप केन्द्र पर बोल रहे हो या राज्य पर बोल रहे हो?

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): केन्द्र के बजट पर बोल रहे हो, आप राज्य के बजट पर नहीं बोल रहे हो। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। आप विराजें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): मैं तो बैठ जाऊंगा। ये केन्द्र के बजट पर बोल रहे हैं क्या?

श्री सभापति: आप विराजें, आप विराजें। (व्यवधान) माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, विराजें।

श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा): मैं कंक्लूड कर दूं। मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, इनके लिए चार वाक्य हैं-

हमसे इस बात से नाराज हैं उधर वाले,
कि ख्वाब आकाश के धरती पर सजाते हम क्यों हैं,
एक मजदूर को दो वक्त की रोटी तो मिले,
थोथी सदन में इतनी बात उठाते क्यों हैं।

श्री सभापति: डॉ. परम नवदीप सिंह।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सभापति महोदय, राजस्थान का वर्ष 2009-2010 का परिवर्तित बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में बुधवार को सम्मानित सदन के सामने जो पेश किया यह गांवों और गरीबों को समर्पित बजट है, इसका मैं समर्थन करती हूं और साथ ही वित्त मंत्री के रूप में माननीय मुख्य मंत्री और उनकी टीम का आभार प्रकट करती हूं जिसने इस बजट को गांव और गरीब को समर्पित किया है।

इस कल्याणकारी बजट में राजस्थान के इतिहास में यह पहली बार हुआ है कि बजट के अन्दर गांव में रहने वाले एक आम आदमी की जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, एक आम आदमी को क्या चाहिए। 5 चीजें वह मांगता है पानी, बिजली, सड़क, शिक्षा और चिकित्सा। इन पांचों मदों के अन्दर इस बजट में इतने सुन्दर तरीके से पैसे का प्रावधान किया है, मुझे बड़ा अफसोस हुआ जब परसों माननीय मुख्य मंत्री राजस्थान सरकार के बजट पर बोल रहे थे तो कुछ माननीय सदस्यों ने कहा जोधपुर-जोधपुर आ रहा है। मैं पूछना चाहती हूं इस सदन के माननीय सदस्यों से क्या आपके यहां सड़कें नहीं हो, क्या आपको पानी नहीं चाहिए, क्या आपको बिजली नहीं चाहिए, क्या

(डा. श्रीमती परम नवदीप सिंह)

आपको चिकित्सा नहीं चाहिए, क्या आपको शिक्षा नहीं चाहिए। इस तरह एक जगह के नाम के लिए किसी पर्टीकुलर इंस्टीट्यूशन के लिए बोलते हैं, क्या आपको ये 5 मूलभूत सुविधाएं नजर नहीं आयीं? मुझे कहते हुए बड़ा फक्र है, मैं बहुत खुशी से यह बात कहना चाहती हूं कि राजस्थान के इतिहास के अन्दर हमारी सरकार बहुत बार बनी हैं, माननीय अशोकजी गहलोत पहले भी मुख्य मंत्री बने, पर खुशी इस बात की है कि जब हम सदन में पहली बार आये माननीय मुख्य मंत्री ने इन 5 मूलभूत सुविधाओं पर जोर देकर बजट में उसका प्रावधान किया इसके लिए मैं उनका आभार प्रकट करती हूं।

इस बजट की दूसरी खूबी है कि आम आदमी और राजस्थान की जो जरूरत की वस्तुएं हैं उन पर नया कर नहीं लगा है। आपने भी पढ़ा होगा, सुना होगा और देखा होगा और मेरी बात को आप मानते भी होंगे खेतों में काम आने वाली बिजली की दरें कह दी गयी हैं 5 वर्ष तक दर नहीं बढ़ेंगी खुशी की बात है। सभापति महोदय, राज्य में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): ओ वीरो, सुनण दां हौसला रखो, कळेजा रखो, इक गल तो आपदी बहण दी भी सुणो। राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए, उद्योगों को बढ़ाने के लिए एक संकल्प इस बजट में प्रस्तुत किया गया है। निवेश को बढ़ाने के लिए उद्योग और निवेश नीति बनायी जाएगी। उद्यमियों की समस्याओं को दूर करने के लिए संयुक्त सलाहकार समिति बनेगी।

एकल खिड़की योजना को प्रभावी बनाने के लिए सिंगल विण्डो सिस्टम को प्रभावी बनाने के लिए एक अधिनियम भी बनेगा इस चीज का मैं स्वागत करती हूं। सिंगल विण्डो सिस्टम एक पुरानी योजना है। यह इसलिए बनायी गयी थी कि एक निवेशक, एक उद्यमी आये तो उसे दफ्तरों के चक्कर न काटना पड़ें। एकल खिड़की में ही उसके सारे काम हो जाएं, मगर अफसोस यह है कि इतनी सोच होने के बावजूद पिछली भाजपा सरकार के समय उद्यमियों ने एकल खिड़की की पीड़ा भुगती।

(समय : 16.00 बजे)

जिस उद्यमी ने एकल खिड़की में झांक कर देखा, उसे सहूलियत नहीं मिली और न चाहते हुए भी उसे ललित लीला देखनी पड़ी। नाम मोटे और दर्शन खोटे वाली हालत थी। ऐसी ललित लीला निवेशक क्यों झेलते? बिदक

(डा. श्रीमती परम नवदीप सिंह)

गये और रिसर्जेंट राजस्थान के बड़े-बड़े दावे भी खोखले रह गये। भाजपा सरकार में एकल खिड़की के पीछे ललित लीला ने निवेशकों को निराश किया। निवेश नहीं हो सका। रोजगार के नये अवसर हमारे युवाओं को नहीं मिल सके। जनता ने इसकी जड़ को ललित लीला ही माना और ललित लीला के सूत्रधारों को सरकार से बेदखल कर दिया। कांग्रेस की सरकार बनाकर जनता ने हमको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि हम इस एकल खिड़की को प्रभावी बनाएं और हम समझते हैं, सरकार के नुमाइंदे समझते हैं कि एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और जिस जिम्मेदारी को कांग्रेस एक अधिनियम लेकर आई, अच्छी तरह से निभाएगी। उम्मीद है इस अधिनियम में निवेशकों में एकल खिड़की के प्रति दुबारा विश्वास जागृत हो जाएगा। भाजपा की सरकार ने ललित लीला की चोट खाकर चले गये निवेशक अपने को मैं समझती हूं सुरक्षित महसूस करेंगे और राज्य में निवेश होने का वातावरण बनेगा। माननीय सभापति महोदय, भाजपा सरकार के समय वेट सिस्टम की विचित्र किन्तु सत्य, आई रिपीट, विचित्र किन्तु सत्य कहानी राज्य के व्यापारियों को याद है। बहुत ही कड़वी याद है। व्यापारी जाते, भारी हाथों के साथ, भारी हाथों के साथ व्यापारी जाते, सत्य के पास खाली हाथ लौटते। दूसरे दिन एक बड़ा विज्ञापन निकलता, वेट की दर कम हो जाती और धन्यवाद दिया जाता सत्य को। भाजपा सरकार ने व्यापारियों को बहुत परेशान किया। हमारी सरकार ने व्यापारियों की पीड़ा समझी। वेट की विसंगतियों को दूर करना व्यापारियों को सम्मान देना, उन्हें सहूलियत देना, इसका बजट में प्रावधान किया गया है। बजट में वेट की दर साढ़े 12 प्रतिशत से 14 प्रतिशत की है। मामूली दर बढ़ी है। 1.5 प्रतिशत की दर से बढ़ी है। इससे हमारी माननीय प्रतिपक्ष की नेता, सभापति महोदय, नाराज हो गई। व्यापारियों की खैर-ख्वाह बनने का दम भरते हुए कह रही हैं, व्यापारियों को भारी नुकसान होगा, महंगाई बढ़े। माननीय सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय प्रतिपक्ष की नेता को कहना चाहती हूं, मैडम, मामूली वेट से व्यापारियों पर कितना बोझ बढ़ेगा? आप भी जानती हैं थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा बोझ नहीं बढ़ेगा। राजस्थान में कांग्रेस की सरकार व्यापारियों को सहूलियत दे रही है, सम्मान दे रही है, उनकी सुरक्षा के माकूल इंतजाम कर रही है और फिर मैं समझती हूं व्यापारी इतना सा झेलने में सक्षम भी है और फिर आप भी जानती हो, वेट में मामूली बढ़ोतरी जरूरी है। (व्यवधान) कटारिया साहब, आप जानते हो इस बात को...(व्यवधान) इन

(डा. श्रीमती परम नवदीप सिंह)

तिलों से ही तेल निकलता है...(व्यवधान) और तिलों से तेल निकलता है तो थोड़ा...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): एक थोड़ी जानकारी करना चाहता हूं, मैं आपसे ज्ञान करना चाहता हूं, वेट सामान्य आदमी देता है या वेट व्यापारी देता है?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): मुझे खुशी है कि माननीय प्रतिपक्ष के नेता महंगाई बढ़ने की चिंता करने लग गई हैं।

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह टैक्स कौन देता है? जनता देती है या व्यापारी देता है?

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): मुझे अफसोस नहीं है कि प्रतिपक्ष की नेता ......(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय कटारिया साहब, आप बहुत वरिष्ठ हैं। इनके कहने का भाव यही है जो आप कह रहे हैं, वही बात है। ...(व्यवधान)

श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर): यह वेट का भार जनता पर पड़ेगा कि वेट का भार व्यापारी पर पड़ेगा।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): व्यापारी की ही बात कह रहे हैं।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): माननीय सदस्य, आपके प्रतिपक्ष की, सभी की, नेता को अब महंगाई की चिंता हो गई। मैं पूछती हूं जब आपकी सरकार थी प्रधानमंत्री डा. मनमोहन सिंहजी ने आपको सचेत किया, आपको पत्र लिखा, कहा जमाखोरी रोको, कालाबाजारी रोको, मिलावट रोको, लोगों को शुद्ध चीज मिलेगी, महंगाई की दर कम होगी तब तो आपको याद नहीं आई महंगाई, तब तो आपने कुछ काम नहीं किया। आपने प्रधानमंत्री महोदय की बात अनसुनी कर दी। आज जब हम कह रहे हैं और हम शुद्ध के लिए युद्ध कर रहे हैं तो आप क्या नहीं चाहते कि आपकी आने वाली पीढ़ियां शुद्ध चीजें खाए, उन पर महंगाई का बोझ नहीं बढ़े। यदि आप नहीं चाहते तो बताइए और यदि आप शुद्ध चीजें चाहते हैं तो सहयोग करें। यह अपने राजस्थान के लिए, अपने राजस्थान के लोगों के लिए एक बहुत ही अच्छा प्रयास है, इसका सम्मान करना चाहिए। केन्द्र सरकार ने नरेगा में एक गरीब

(डा. श्रीमती परम नवदीप सिंह)

को सौ रुपये की दैनिक मजदूरी देकर उसकी क्रय शक्ति बढ़ा दी है। जब क्रय शक्ति बढ़ेगी तो व्यापारी को ही फायदा होगा। सभापतिजी, मैं आपके माध्यम से राज्य सरकार से निवेदन करती हूं कि महंगाई को कम करने के हर सम्भव प्रयास करने चाहिए। डीजल का उपयोग किसान पम्पिंग सेट चलाने में करते हैं और साथ ही लोडिंग वाहन भी इससे चलते हैं। मेरा निवेदन मुख्य मंत्रीजी से है, इस पर राज्य में कर में छूट देने पर विचार करना चाहिए, थोड़े सी छूट की जरूरत महसूस की जा रही है। महंगाई कम करने में मदद मिलेगी।

बजट में खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए विशेष प्रावधान होना चाहिए। नेशनल और इंटरनेशनल खेलने वाले या नाम करने वाले खिलाडियों को पुलिस या अन्य विभागों में नौकरियों का प्रावधान भी करना चाहिए। खेल नीति भी बनाई जानी चाहिए, विधवा, परित्यक्ता और रेप विकटिम के लिए पुनर्वास के लिए सरकार को विशेष प्रयास करने चाहिए। ग्रामीण क्षेत्रों में चिकित्सा सुविधा और डाक्टरों और नर्सिंग स्टाफ की उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए इंसेंटिव देने का भी प्रोग्राम बनाया जा सकता है। यह मेरा एक छोटा सा सुझाव है। मुख्य मंत्रीजी ने वित्त मंत्री के रूप में सभी वर्गों को राहत देने वाला एक प्रगतिशील बजट दिया है जो गांव, गरीब को समर्पित बजट है। समाचार पत्रों में लोग पढ़ रहे हैं, खुश हो रहे हैं, 76 हजार नौकरियों का इंतजाम हो गया, मां सोच रही है बूढी मां, उसका बेटा नौकरी लगेगा, मेरा बुढापा सुखी हो जाएगा। युवा सोच रहे हैं धन्यवाद हो मुख्य मंत्री इतनी नौकरियां साल में दे दोगे। सभी लोग खुश हैं। बजट में नरेगा के तहत हमारे कुए एवं बावड़ी इतने तालाब खुदेंगे, स्थाई महत्व के काम होंगे। आप भी खुश हो, होना चाहिए आपको भी। हमारे बीपीएल से वंचित लोगों को स्टेट बीपीएल में लिया जाएगा, सीनियर सिटीजन बोर्ड बनेगा, अल्पसंख्यक विभाग बनेगा, किसान आयोग का गठन होगा, जयपुर में हार्ट इंस्टीट्यूट की जरूरत थी, किया गया है, बहुत अच्छा काम है। पशुधन हमारे राज्य की एक बहुत ही कीमती सम्पदा है और हजारों लोगों के जीवनयापन का सहारा भी है। राज्य में पहली बार 1952 के बाद पहली बार पशुधन विकास नीति बनाने की जो घोषणा मुख्य मंत्रीजी ने की है, स्वागत योग्य है। बीकानेर में पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय मैं समझती हूं मील का पत्थर साबित होगी। साहित्य, संस्कृति और कला के क्षेत्र में असाधारण उपलब्धियां हासिल करने वाले लोगों को राजस्थान राज्य में सम्मानित किया जाएगा। यह स्वागत योग्य

(डा. श्रीमती परम नवदीप सिंह)

है। हमें याद है पिछली भाजपा सरकार ने राजस्थान के कलाकारों को अपमानित किया। बाहरी कलाकारों को धन दिया, उनका सम्मान किया, यहां तक कि राजस्थानी संस्कृति का अपमाना हुआ, हमारी प्रसिद्ध मांड गायिका को सरकारी मंच पर भाजपा की मुख्य मंत्री के सामने बाहरी लोगों ने मांड गायिका कहकर अपमानित किया गया मगर अफसोस उस समय की मुख्य मंत्री चुप रही।

"मौनम् स्वीकृति लक्षणम्" कुल मिलाकर के बात यह है कि इस बजट में सभी वर्गों को राहत देने की मंशा जताई गई है, आम गरीब को संबल देने का भगीरथ प्रयास करने का बीड़ा उठाया है।

माननीय सभापति महोदय, शिक्षा को प्रोत्साहन देने के लिए इस बजट के अन्दर विशेष ध्यान दिया गया है। मैं मेरे क्षेत्र संगरिया और टिब्बी के उपखण्ड होने के बावजूद सरकारी कालेज नहीं होने के प्रति सरकार का ध्यान दिलाना चाहती हूं। संगरिया और टिब्बी में गर्ल्स और ब्वायज कॉलेज खोलने की घोषणा माननीय मुख्य मंत्रीजी इसी सत्र में करें तो यह जनहित में अच्छा होगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. (श्रीमती) परम नवदीप सिंह (संगरिया): राज्य में केन्द्र की तरह जहां राष्ट्रीय एकता परिषद है, राज्य एकता परिषद का गठन करना भी राज्य की जनता के हित में होगा जो सामाजिक और साम्प्रदायिक जातीय सद्‌भाव के लिए कार्य करेगी।

कलेवा योजना, जो हमारी महिला विकास मंत्री द्वारा शुरू की गई है इसकी चर्चा आज हर जुबान पर है। मेरी गुजारिश है माननीय मंत्रीजी से और माननीय मुख्य मंत्रीजी से कि इसे पूरे राज्य में आप चालू करें। आंगनबाड़ी के सुपरवाइजरों की भर्ती आप थोड़ी जल्दी करें। मदर्स को, माताओं को मानीटरिंग कमेटी में लें ताकि अच्छा खाना बन सके आंगनबाड़ी केन्द्रों के द्वारा। आप भी यह समझते हैं कि जब एक मां खुद जाएगी आंगनबाड़ी केन्द्र में सुपरवाइजर के तौर पर तो खाने की क्वालिटी अच्छी होगी।

कुल मिलाकर के मैं हमारे माननीय मुख्य मंत्री को कोटि-कोटि धन्यवाद देती हूं इस बजट के लिए जिस बजट में राजस्थान के गांव और गरीब जनता की मूलभूत सुविधाओं पर ध्यान दिया है। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्री रामस्वरूप कसाना।

श्री रामस्वरूप कसाना (कोटपूतली): माननीय सभापति महोदय, मुझे आपने बोलने का मौका दिया इस बात के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा। राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय श्री अशोक गहलोत द्वारा परिवर्तित बजट 2009-2010 के ऊपर वाद-विवाद में हमें यह मालूम हुआ कि इस बजट में क्या खामियां हैं और क्या अच्छाइयां हैं इसके बारे में वाद-विवाद होगा। मैं पहली बार इस सदन में आया और मुझे जहां तक जानकारी थी, मुझे जहां तक मालूम था कि जो बजट राजस्थान के मुख्य मंत्री ने प्रस्तुत किया है और वाद-विवाद के आधार पर सत्ता पक्ष और विपक्ष यह बतायेगा कि इसमें क्या खूबियां थीं और क्या कमियां थीं। लेकिन मैं राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोतजी को धन्यवाद देना चाहूंगा इस बात के लिए कि उन्होंने ऐसा बजट तैयार किया जिसमें पक्ष के साथ विपक्ष भी कोई खामियां नहीं देख पाया। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सभी समाजों को, राजस्थान के सभी वर्गों को साथ लेकर के चलने वाला बजट प्रस्तुत किया।

9 तारीख को तारानगर से आने वाले माननीय सदस्य जब इस बजट के ऊपर चर्चा कर रहे थे तो मैं उनकी तरफ गौर से देख रहा था और मैं सोच रहा था कि इस बजट में कुछ कमी होगी जो माननीय सदस्य महोदय सदन में रखेंगे लेकिन जब वो बोल रहे थे और मेरी तरह यों ही कागज बदल रहे थे तो मैंने देखा कि वाकयी में ऐसा बजट तैयार किया है राजस्थान के मुख्य मंत्री माननीय अशोक गहलोत ने कि इस बजट में कोई कमी हो ही नहीं सकती। उसके बाद अब तक जितने भी विपक्ष से सदस्य बोले हैं, शाहपुरा से बोले, नगर से बोले, हिण्डौली से बोले या जो भी सदस्य बोले, बजट के बारे में नहीं बोल पाये कि इसमें कमियां क्या थीं। यह नहीं कह पाये कि इस बजट में क्या कमियां थीं। सिर्फ यह जताने की कोशिश की कि उन्होंने इस बजट पर वाद-विवाद करने के बजाय अपनी-अपनी समस्याओं से अवगत कराया। जहां राजस्थान के मुख्य मंत्री ने.... (व्यवधान) मेरे में हो या नहीं हो लेकिन आपके में हुआ होगा पिछली बार। मैं कहना चाहूंगा उन चाटुकार सदस्यों को, कृपया, हो सकता है कि मैं पहली बार सदन में आया हूं और कुछ गलतियां हो लेकिन आप भी उसमें अपना ध्यान दें। (व्यवधान) कोशिश तो यही कर रहे हैं कि आप लोगों से शिक्षा लें और जो भी कुछ हो उससे आगे बढ़ें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें और कम से कम जब हम कभी अपनी तहसील या विधान

(श्री रामस्वरूप कसाना)

सभा क्षेत्र में जाएं, कई सदस्यों की तरह यह सोचकर के इस सदन में आया हूं कि जब भी मैं कभी अपने क्षेत्र में जाऊं तो मेरी आंखें मेरे क्षेत्र में किसी कारणवश नीची नहीं हो, हमेशा ऊंची रहे, इस आशा के साथ इस सदन में आया हूं।

राजस्थान के मुख्य मंत्री ने बजट सत्र में कहा कि राजस्थान में बिजली के लिए 2007 तक जितनी भी फाइलें पैण्डिंग थीं उनको 2009 तक कम्पलीट रूप से कनेक्शन दिये जाएंगे। मैं मानता हूं कि इससे बढ़कर राजस्थान में किसान वर्ग के लिए कोई फायदा नहीं हो सकता, इससे बढ़कर किसान हितैषी कोई मुख्य मंत्री हो नहीं सकता।

बीपीएल की योजना के अन्दर मैं इतना निवेदन करना चाहूंगा कि पिछली सरकार के अन्दर बीपीएल योजना के तहत उन लोगों को बीपीएल कार्ड दिये गये जिनके पास 10-10 बीघा जमीन है, जिनके पास मोटर-गाड़ी है। मैं इस सदन के माध्यम से यह कहना चाहूंगा कि इस बीपीएल को पिछली सरकार ने बीजेपी योजना समझकर लागू किया। तो मैं यह चाहूंगा...(व्यवधान) विराटनगर से आये हुए माननीय सदस्य मेरे गुरु रहे हुए हैं और उनसे मैंने शिक्षा प्राप्त की है, मैं भी जानता हूं कि बीपीएल की योजना किसने लागू की है। यह भी मैं जानता हूं गुरुदेव और यह भी जानता हूं कि आपकी सरकार ने पिछली बार किन लोगों को बीपीएल की योजना का लाभ दिया है। यह भी मैं जानता हूं। विराटनगर से आये हुए माननीय सदस्य को बताना चाहूंगा कि आपकी सरकार ने पिछली बार कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र के अन्दर जहां 1300 बीपीएल कार्ड जारी किये, मैं दावे के साथ इस सदन में कह सकता हूं कि आपकी सरकार ने बीजेपी कार्यकर्ताओं को, बीजेपी ब्लाक अध्यक्ष तक को बीपीएल सूची में शामिल किया है। माननीय सदस्य महोदय, आप जानते हो और आपने भी स्वीकार किया है, जब हम बात कर रहे थे तब आपने भी स्वीकार किया कि पिछली गवर्नमेंट में क्या-क्या कमियां और क्या-क्या खामियां रही हैं और उसका नतीजा यह है कि आप मेरे यहां बगल में बैठे हुए हैं।

शिक्षा के अन्दर जो राजस्थान के मुख्य मंत्री ने नये सैकण्डरी स्कूल खोलने का प्रावधान किया है वो एक उचित कदम है और मैं मानता हूं कि गरीब को मुख्य धारा से जोड़ा जा सकता है। राजस्थान की आबादी जहां 80 प्रतिशत गांवों में होती है और अभी मेरे साथी सदस्य से, जब किसी से बात

(श्री रामस्वरूप कसाना)

कर रहे थे तो वो कह रहे थे कि पिछली सरकार ने सभी जगह, सभी पंचायत मुख्यालयों पर सैकण्डरी स्कूल क्रमोन्नत किये हैं लेकिन मैं बताना चाहूंगा मेरे कोटपूतली विधान सभा क्षेत्र की मुझे जानकारी है, वहां 52 ग्राम पंचायतें हैं, उन 52 ग्राम पंचायतों के अन्दर मात्र 13 ग्राम पंचायतें ऐसी हैं जहां सैकण्डरी स्कूल हैं। उसके अलावा आठवीं स्कूल हैं, वह भी 2001-2002 में बनी थी, उसके अलावा आज तक कोई काम नहीं हुआ।

स्वास्थ्य के बारे में राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी ने जो 108 एम्बुलेंस की सेवा के लिए प्रावधान रखा है कि सांसद कोटे से और विधायक कोटे से अब उस एम्बुलेंस की सेवा प्रत्येक जगह मिल सकती है तो मैं तो सबसे ज्यादा धन्यवाद देना चाहूंगा मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए कि कम से कम मेरे विधान सभा क्षेत्र में भी इस सेवा का लाभ उठा पाऊंगा और आज भी यहां एन.एच.-8 होने के कारण दुर्घटनाएं अधिक होती हैं और समय पर एम्बुलेंस की सेवा उपलब्ध नहीं हो पाती है। ऐसी सेवा को देकर मैं पुन: मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद देना चाहूंगा। (व्यवधान) शुरूआत हो सकती है, आपने की हो लेकिन विधायक और सांसद कोटे से तो अभी लागू की है। (व्यवधान)

मैं सुनता था और लोग कहते थे कि कांग्रेस की सरकार युवा विरोधी है, कर्मचारी विरोधी है लेकिन जब मैं पहली बार इस विधान सभा में आया और पिछले बजट सत्र के अन्दर जब राजस्थान के मुख्य मंत्री बजट पढ़ रहे थे तो मैं बताना चाहूंगा कि 81,000 नौकरियों की युवाओं के लिए राजस्थान के मुख्य मंत्री ने घोषणा की है। इससे यह स्पष्ट होता है कि राजस्थान के मुख्य मंत्री की सोच, राजस्थान के युवाओं के प्रति सकारात्मक सोच है और इस सकारात्मक सोच के साथ ही मैं मुख्य मंत्रीजी को यह विश्वास दिलाना चाहूंगा कि आपके साथ राजस्थान का पूरा युवा तन-मन-धन से कंधा मिलाकर साथ है। जहां कहीं भी राजस्थान के युवाओं की आवश्यकता होगी, वह मुख्य मंत्रीजी का साथ देगा। वह आपके लोक सभा चुनाव में दिया और आने वाले समय में भी राजस्थान के मुख्य मंत्रीजी का साथ देंगे।

पिछली सरकार की खूबियां आप सभी जानते हैं, हम भी जानते हैं। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने मदिरा और मोदी से राजस्थान को छुटकारा दिलाया। जहां पहले आप सभी सदस्य जानते हैं कि आपकी शराब की दुकान रात को 11 बजे तक खुली हुआ करती थी, इस जयपुर शहर की बात कर रहा हूं। यहां भी अधिकतर, आप यह कहें कि

(श्री रामस्वरूप कसाना)

अपराधों की संख्या में बढ़ोतरी हुआ करती थी लेकिन राजस्थान के मुख्य मंत्री ने सबसे पहले उनका समय 8 बजे करने के बाद राजस्थान के अन्दर जो अपराधों की संख्या हैं, वह न्यूनतम स्तर पर आ गई है। उसका मुख्य कारण है कि शराब की दुकान का समय कम करना। (व्यवधान) मैं तो यही कहूंगा, अगर बन्द कर दी जायें तो बन्द कर दो। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को कि जहां पहले गांव के अन्दर गरीब किसान, मजदूर रात को शराब पीकर जाता तो घर में झगड़ा होता था लेकिन अब जहां 8 बजे दुकान बन्द होने के कारण मैं मानता हूं कि कम से कम 50 प्रतिशत की गांव के अन्दर बढ़ोतरी हुई इस बात से कि वहां कोई शराब नहीं पीता। इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहूंगा राजस्थान के मुख्य मंत्री महोदय को। झगड़ा नहीं होता, अब तो यहां होता है, आप और हम लोग करते होंगे, बाकी आम किसान और गरीब, अब वह झगड़ा नहीं करता क्योंकि आप और हम जानते हैं। मेरे एक साथी सदस्य ने कहा था कि मधुशाला और पाठशाला, तो आपने मधुशाला का पाठ पढ़ा है और हम पाठशाला में पढ़कर आये हैं। आपका जो मधुशाला का पढ़ा था। मैं जहां तक सोचता हूं कि राजस्थान के मुख्य मंत्री ने राजस्थान की पूरी जनता का ध्यान रखते हुए राजस्थान के हित में जो बजट तैयार किया है, उस बजट की मैं प्रशंसा करता हूं। इस बजट में हवाई जहाज में सफर करने वालों से लेकर गाड़िया लुहारों तक को इसमें जगह दी है। इस बजट की मैं भूरि-भूरि प्रशंसा करता हूं और आप सभापति महोदय को धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। जय जवान जय किसान।

श्री सभापति: श्री रोहिताश कुमार। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मैं आपका धन्यवाद अदा करना चाहूंगा कि वर्ष 2009-2010 का परिवर्तित बजट माननीय मुख्य मंत्रीजी ने प्रस्तुत किया है और उस पर मुझे बोलने का मौका दिया। मैं पिछले दो दिन से माननीय सदस्यों के विचार सुन रहा था। अलहदा-अलहदा विचार, अपने-अपने क्षेत्र की समस्याओं से लेकर और कुछ बजट की आलोचना कर रहे थे, कुछ बजट के पक्ष में बोल रहे थे परन्तु इसके साथ-साथ बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस हाउस की बड़ी पुरानी परम्परा रही है और बड़ी पुरानी गरिमा रही है और सारे हिन्दुस्तान की जितनी भी विधान सभाएं हैं, उनमें हमारे प्रदेश की जो विधान सभा है, उसकी गरिमा और परम्परा की सब जगह हमेशा भूरि-भूरि प्रशंसा होती रही है। इसके लिए हमारे पूर्व जो

(श्री रोहिताश कुमार)

सम्माननीय यहां रहे हैं हाउस में, जिनका मैं नाम लूंगा तो समय बहुत लगेगा। उन्होंने बड़ी मेहनत करके इन परम्पराओं को कायम किया है और अब ऐसा देखने से लगता है कि वाद-विवाद में कटुता नजर आने लग गई। माननीय सभापति महोदय, मैं चाहता हूं, मैं आपके माध्यम से माननीय सदस्यों से निवेदन करना चाहता हूं और माननीय सरकारी मुख्य सचेतक और हमारी पार्टी के सचेतकजी से भी निवेदन करना चाहता हूं कि कृपया सभी सदस्यों को इतनी तो रियायत दें और थोड़ा समझाइश करें कि यह हाउस राजस्थान की जनता का... (व्यवधान) मैं बजट पर बोलूंगा, थोड़ा सा मुझे दर्द हुआ तो मुझे लगा कि मैं आपसे निवेदन करूं तो...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): ये अच्छी बात कह रहे हैं, अच्छी बात कह रहे हैं। (व्यवधान) इनकी बात आप सुन लेते।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, मैं समझता हूं कि मेरी मंशा को सभी माननीय सदस्य समझ गये होंगे। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने जो परिवर्तित बजट रखा और उस बजट पर माननीय सत्ता पक्ष के लोगों ने बड़ी वाहवाही के अपने-अपने भाषण दिये और यह कहा कि 18,634 करोड़ रुपये की एक बहुत बड़ी वार्षिक योजना पेश की है। इससे पहले इतनी बड़ी वार्षिक योजना कभी पेश नहीं की है। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं पर इसका मकसद, माननीय सभापति महोदय, इसका मकसद सभी माननीय सदस्यों ने शायद समझने की कोशिश नहीं की कि जब-जब भी वार्षिक योजना आएगी, तो बढ़कर ही आएगी जब-जब वार्षिक योजना आयेगी तो बढ़ कर ही आयेगी। मैं आपका ध्यान दिलाना चाहता हूं, वर्ष 1951 से लगाकर के और सात बड़ी पंचवर्षीय योजना, माननीय सभापति महोदय, कांग्रेस शासन में यहां आई, कांग्रेस वालों ने सात बड़ी पंचवर्षीय योजना बनाई और जिनका टोटल आकार कितना था, साढ़े सात हजार करोड़। सात बड़ी पंचवर्षीय योजना यानि 35 सालों में। पैंतीस वर्षों में साढ़े सात हजार करोड़। (व्यवधान) मेरे पास प्रूफ है, मैं नहीं बोल रहा हूं, यह इकोनोमिक रिव्यू 2007 है। (व्यवधान) और माननीय सभापति महोदय...

श्री सभापति: रघुजी। माननीय सदस्य। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): वह जोड़ लें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): नहीं बोल सकते आप।

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य, विराजें, विराजें।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): अपनी जगह पर जाकर बोलें। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजें, विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सुनो। माननीय सभापति महोदय, अगर इन योजनाओं से ही चुनाव परिणाम प्रभावित होते हैं और जैसा अभी कहा कि यह 18600 कुछ की योजना, वार्षिक योजना आई, इससे बीस सीटें आ गईं, तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि राजस्थान की आज तक की ग्यारह बड़ी पंचवर्षीय योजनाएं बनीं, इन ग्यारह बड़ी पंचवर्षीय योजनाओं में माननीय भैरोंसिंहजी शेखावत ने सात बड़ी पंचवर्षीय योजनाओं के मुकाबले में एक नवीं पंचवर्षीय योजना बनाई जो साढ़े ग्यारह हजार करोड़ की थी जो पिछली सात बड़ी पंचवर्षीय योजनाओं से बड़ी थी, नतीजा क्या आया, 1998 में हम हार गये। इस पंचवर्षीय योजना को लेकर आप वाहवाही लूट रहे हो कि यह लो, हो गया देश का, पता नहीं क्या पहाड़ तोड़ दिया, और क्या कर दिया। यह कारण नहीं होते हैं हार-जीत के कि आपने तीन सौ करोड़ का बढ़ा कर योजना का आकार बढ़ा दिया, तो इसके मायने यह हो गये कि आपने तो अगला दस साल का चुनाव जीत लिया, इससे काम नहीं चलने वाला, धरती पर आना पड़ेगा। (व्यवधान) मैं सलाह ही तो दे रहा हूं माई डीयर।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह पट्टा की बात कही किसने, उसका नाम बताओ हमको, हम कार्यवाही करेंगे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): क्या?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह पट्टा मिलने की बात किसने कही कि यह पट्टा दस साल का मिल गया, यह कहा किस माननीय सदस्य ने।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): नहीं-नहीं, किसी ने कहा नहीं, मगर मैं कह रहा हूं कि इससे कोई होने वाला नहीं है। मैं दूसरा निवेदन करना चाहता हूं...

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): रोहिताश्वजी, रोहिताश्व कुमारजी। रोहिताश्व कुमारजी माननीय सदस्य...

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मेरी बात तो सुनें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आपकी बात का मैं बहुत...

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं कहना चाहता हूं कि योजनाओं का आकार धीरे-धीरे निरंतर बढ़ता जा रहा है, योजनाओं का आकार यह नहीं है कि आज अशोकजी गहलोत मुख्य मंत्री हैं तो वह कोई विशेष दिमाग लगाकर के कोई इम्पोर्ट करके योजनाओं का आकार बढ़ा दिया, यह तो बट नेचुरल बढ़ेगी। आज आपके जो वित्तीय साधन हैं इसमें मुश्किलात क्या हैं, योजना का आकार तो आप बढ़ा लो और वाहवाही भी लूट लो पर रिसोर्सेज कहां से डवलप करोगे, चीप पोपुलरिटी का तो हम बजट पेश करना चाहते हैं, मैं आपसे साफ शब्दों में कहना चाहता हूं, हम वाहवाही लूटने का तो बजट पेश करना चाहते हैं, टैक्सेज हम बढ़ाना नहीं चाहते और जनता पर टैक्स नहीं बढ़ायेंगे तो यह रिसोर्सेज डवलप नहीं होंगे तो यह योजना कागजों में साबित होंगी, मेरे कहने का मतलब है। अब वाहवाही तो लूट लें, यह योजना कागजों में साबित होंगी। बड़े दुर्भाग्य की बात है कि मुख्य मंत्रीजी, यह बड़ा दुर्भाग्य है कि जब यह मुख्य मंत्री बनते हैं उस वक्त कोई न कोई अकाल का, कोई न कोई घटनाएं घट जाती हैं, मैं कहना चाहता हूं, मैं उनकी कोई बुराई नहीं करता हूं, मैं यह नहीं कहना चाहता हूं वह उनके कारण अकाल पड़ता है पर दुर्भाग्य है। (व्यवधान) सुनो। सुनो, सुनो। नहीं-नहीं, मैं नहीं, गलत नहीं कहना चाहता हूं। माननीय मुख्य मंत्रीजी...

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप अकाल के बारे में क्या कहना चाहते हैं, कांग्रेस और काल के बारे में क्या कहना चाहते हैं। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं यह कहना चाहता हूं कि यह जो...

श्री सभापति: आजाद साहब, विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। माननीय सदस्य, विराजें। (व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): अठारह हजार करोड़ से बड़ी जो वार्षिक योजना है..(व्यवधान) सुनो, इसमें मुझे इस बात का संदेह है कि यह वार्षिक योजना का पूरा रुपया लगेगा भी या नहीं, क्योंकि इसमें आंकड़े तो दे दिये, रिसोर्सेज का कहीं जिक्र नहीं किया कि रिसोर्सेज कहां से आयेंगे। अब रिसोर्सेज नहीं, हम तो पहले ही घाटे में चल रहे, बजट भी आपने घाटे का पेश किया है और आपने ऋण पर बड़ी चिंता व्यक्त की और ऋण लेना नहीं चाहोगे तो मेरे गूगो, यह आंकड़ा किताबों में राजस्थान पर और कर्जा होगा, कर्जा और चढ़ जायेगा और विकास धरा रह जायेगा। कहां से इम्पलीमेंट करेंगे? फिर सबसे बड़ा दुर्भाग्य छठा वेतन आयोग। माननीय मुख्य मंत्रीजी, इस मामले में मैं, माननीय शांति धारीवालजी यहां बैठे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, मैं आपसे विनम्र

(श्री रोहिताश कुमार)

निवेदन करना चाहता हूं कि मुख्य मंत्रीजी को सलाह दो कि यह हवन करायें। जब-जब यह आते हैं तो कोई न कोई वेतन आयोग आ जाता है। (व्यवधान)

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): चतुर्वेदीजी आ गये, शुरू कर दो।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): यह ऐसा है कि...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): भाटीजी ने कल शुरू कर दिया..(व्यवधान) कल शामिल हो जाओ।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): ऐसा है, हवन करने के लिए चतुर्वेदी की जरूरत नहीं, रघु शर्मा उधर बैठे हैं, पंडित हैं उधर..

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): बात सुनें आप।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): पण्डित बृजकिशोरजी भी बैठे हैं।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपका सुझाव बहुत स्वागत योग्य है लेकिन एक चतुर्वेदीजी से तो पीछा आपका पहले छूट गया था, अब दूसरे चतुर्वेदी आ गये हैं आपकी जान को।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): उनको भी देखेंगे। तो मेरे कहने का मतलब है कि यह योजनाएं पूरी हों और प्रदेश की जनता को इसका लाभ मिले इसके लिए हमको चिंतन करने की जरूरत है। आपस में डिसकस करने की जरूरत है लेकिन यहां दुर्भाग्य यह हो गया, यहां दुर्भाग्य यह हो गया कि सत्ता पक्ष जो कागज में लिख दिया बजट में, उसी को रटता फिरता है, विपक्ष चाहे उसमें अच्छे कंटेंट्स हों, विपक्ष उसकी बुराई करने में लग जाता है, यह बात नहीं होनी चाहिए। मैं यह कहना चाहता हूं कि अगर यह बात नहीं हो, माननीय शांति धारीवालजी, आप बैठे हैं, वरिष्ठ नेता हैं, आप माननीय... (व्यवधान) सरकार के प्रतिनिधि को ही तो कहूंगा और किसको कहेंगे भई। He is the only minister who is sitting here. So I will address him.

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): अमरारामजी, मैं तो पहली बार का एमएलए था, यह तो दो-तीन बार बन गये। मुझे तो टोक रहे थे जिस बात पर, मैं भी अलाउ करता हूं, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोले जाओ।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं सरकार को कह रहा हूं, मैं इंडीजुअल को नहीं कह रहा, मैं सरकार को बोल रहा हूं। (व्यवधान) तो मेरा निवेदन है...

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): आप पार्टी के लिए कैसे बोल रहे हैं कि दुर्भाग्य है पार्टी का, पार्टी का कोई दुर्भाग्य नहीं है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सदस्य, विराजो।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): हमारे चित्तौड़ जिले में एक ही बीजेपी की सीट नहीं आई, वहां हमारे नदी चल रही है अभी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): नहीं-नहीं, हमने कोई दुर्भाग्य, मैंने दुर्भाग्य नहीं कहा।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): हमारे जोरदार बारिश हुई हमारे चित्तौड़ जिले में अभी।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मेरे मुंह से कोई दुर्भाग्य की बात नहीं हुई, यह गलत बात है। मेरे मुंह से कोई दुर्भाग्य नहीं निकला, मैं गलत नहीं बोलता, मैं संसदीय शब्दों के अलावा कोई शब्द, अपशब्द इस्तेमाल नहीं करता, मेरा एक्सपीरियंस है, मैं बहुत एक्सपीरियंस्ड लोगों का शिष्य रहा हूं, ऐसा नहीं है। नवलकिशोरजी शर्मा हमारे गुरु रहे, मोहनजी छंगाणी हमारे गुरु रहे, भैरोंसिंहजी शेखावत हमारे गुरु रहे, तो हमने कोई इस तरह की धूम-धड़ाके की भाषा सीखी है क्या, हमने तो रिक्वेस्ट करने की भाषा सीखी है, निवेदन करने की भाषा सीखी है। (व्यवधान) तो मेरा निवेदन है...

श्री सभापति: विराजें, विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय मंत्री महोदय, तो मेरा यह निवेदन है...

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): दत्तात्रेयजी ने 24 गुरु किये थे, इसी तरह से आपने भी गुरु बनाये हैं ज्यादा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): दत्तात्रेयजी की तरह हैं आप तो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजो।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मेरा आपसे निवेदन है कि माननीय मुख्य मंत्रीजी..

श्री शंकर लाल बैरवा (कपासन): दत्तात्रेयजी ने बनाये थे 24 गुरु।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति महोदय, थोड़ा इनका इंटरप्शन रोकें तो थोड़ा मैं कुछ कह पाऊंगा।

श्री सभापति: विराजें, विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): बोलने दें, प्लीज। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि माननीय मुख्य मंत्रीजी से जरा एक और निवेदन कर दें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): सदन में पहली बार मैं बोल रहा था, आपने मेरे व्यवधान डाला था...

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): आप वही साथी हो मोदीजी के, ललित मोदी के साथी रहे हो और आपने मेरे को व्यवधान किया कल और आप आज सदन में बोलने के लिए आप चाहते हो, आप बड़ी रिक्वेस्ट कर रहे हो आज, ऐसे नहीं चलेगा।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, माननीय सदस्य, बिना बात के आप क्यों व्यवधान पैदा कर रहे हैं, वह कुछ ऐसी बात बोल ही नहीं रहे, आप विराजो।

श्री करणसिंह (छबड़ा): कल मुझे नहीं बोलने दिया इन लोगों ने, पहली बार चुन कर आया था मैं, कल मैं बोलना चाहता था, मेरी भावनाओं को दबा दिया आप लोगों ने, पांच साल तक आप लोगों ने चोरबाजारी की है...

श्री सभापति: आप विराजें। आप विराजें, आप विराजें। ऐसे नहीं चलेगा सदन, कोई बात ही नहीं है जिसके अन्दर आप...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): जब मेरे भाषण की शुरूआत थी.. (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें। नहीं, आप विराजें, आप विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मेरे पांच मिनट तो पहले ही खा गये।

श्री सभापति: आप विराजें, नहीं, आप विराजें। समय का ध्यान रखिये, कई वक्त बोलने हैं अभी। (व्यवधान) मैं दे रहा हूं, व्यवस्था दे रहा हूं ...(व्यवधान) मेरे सामने घड़ी है, मेरे पास घड़ी है, आप विराजें, आप विराजें।

श्री करणसिंह (छबड़ा): ...(व्यवधान) मैं पहली बार जीत कर आया था, मैं पहली बार बोला था ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजे, आप विराजें ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): काहे के सत्तापक्ष के हैं यह तो +++ हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मैं तो आपके लिए भी वैसा हूं, इनके लिए भी वैसा ही हूं ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): किसी भी नए सदस्य बोलते हैं तो पुराने सदस्य ध्यान रखेंगे, नए सदस्यों का अगर आपने गड़बड़ की हम आपको नहीं बोलने देंगे ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): आप सही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और उनके ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मेरा निवेदन है कि कांग्रेस पार्टी और उनके समर्थन में जो भी माननीय सम्माननीय विधायक हैं उनको छोड़कर ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): अध्यक्ष महोदय, राठौड़ साहब और रोहिताश कुमार दोनों ने दखलअंदाजी की थी कल ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय ऐसा नहीं चलेगा, बिलकुल ऐसा नहीं चलेगा ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): सभापति महोदय, जरा देखें तो सही ऐसी कोई बात नहीं हो रही है, हम तो शालीनता से बात कर रहे हैं।

श्री सभापति: क्या बात करते हो, ऐसी कोई बात ही नहीं हो रही है मुझे ध्यान है। मुझे ध्यान है, आप आ जाओ इस कुर्सी पर, आप आ जाओ। आप विराजो, ऐसे कैसे काम चलेगा? मुझे गाइड कर रहे हो, मुझे किसी का निर्देश दे रहे हो, मुझे मालूम है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): तो मैं उनको कहना चाहता हूं कि आप ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप बोलने नहीं दोगे फिर वहीं बात आएगी कि मैं बोला नहीं, मेरा समय इसी में चला गया। मैंने निवेदन किया और क्या कर रहा हूं आप लोगों से सभी से ...(व्यवधान)

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मुख्य मंत्रीजी को चाहिए कि वे सदन के नेता है, अपनी पार्टी के नेता नहीं बनने की कोशिश करें। वह हमेशा जो है ज्यादा इधर-इधर की बात करते हैं, सदन को भी साथ लेकर चले। कोई लड्डू की परम्परा भी यहां पर शुरूआत करे। यह हमारा निवेदन है और सब मिलकर के इस राजस्थान के विकास में अपना सहयोग दें। सबका सलाह-मशविरा लें। दूसरी मैं एक निवेदन करना चाहता हूं।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

(श्री रोहिताश कुमार)

माननीय सभापति महोदय अभी पांच मिनट और लूंगा, आप मेरे को बीच में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: पांच मिनट ज्यादा है, माननीय सदस्य पांच मिनट ज्यादा है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): दूसरा मेरा निवेदन यह है कि इस बजट भाषण में, इसमें कोई दो राय नहीं कि अगर इस बजट का सही मायने में दिल्ली से रुपए उठाकर गांव में आप लगाते हो तो यह बजट काबिले-तारीफ है। इसमें कोई दो राय नहीं है परन्तु जैसा कि आपका 1998 से लगाकर 2004 तक का इतिहास रहा है, अगर यह कागजी रह गया तो बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण होगा और यह समय वेस्ट कहलाएगा। यह मैं आपके माध्यम से हम माननीय मुख्य मंत्रीजी तक पहुंचाना चाहता हूं।

श्री सभापति: आप सीधा-सीधा बोलें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप अन्तर-आत्मा की आवाज से बोलो परन्तु हटा दो, कोई दिक्कत नहीं है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): वाट ऐवर। वह तो रिजल्ट देखेंगे। दूसरा मेरा निवेदन है कि इसमें आपने 90 बी खत्म करने की बात की ...(व्यवधान) आपने 90 बी में संशोधन करने की बात की और यह 90 बी में संशोधन की बात हुई इससे ऐसा लगता है कि जैसे बच्चे कभी खेल खेलते हैं न और एक छोटा सा घर बना लेते हैं और खुद ही बुझान लेते हैं। उससे ऐसा प्रतीत हुआ है, लोगों को ऐसा मैसेज गया इससे कि हमने ही खेला और हमने ही बुझान लिया। 90 बी भी आपने बनाई और इसमें संशोधन भी आप कर रहे हो, बी.डी. भी आपने बनाई तो मैं यह कहना चाहता हूं कि राजस्थान में जब आप प्रतिपक्ष में बैठे थे, जब वसुंधराजी यहां सत्तारूढ़ पार्टी में थी तब आप सब लोग प्रतिपक्ष में थे और उस वक्त आपने एक भी भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं उठाया है मैं आपसे यह कहना चाहता हूं ...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): आपके सदन के नेता घनश्याम जी तिवाड़ी को अवसर ही नहीं मिला ...(व्यवधान)

एक माननीय सदस्य : कैलाशजी मेघवाल साहब ने, राठौड़ साहब ने इन्होंने ये मुद्दे उठा दिए ...(व्यवधान)

श्री सभापति: मंत्रीजी विराजें...(व्यवधान)

श्री करणसिंह (छबड़ा): +++ ने पांच हजार करोड़ रुपये का घपला किया ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप ठीक कह रहे हैं इनकी पार्टी के ...(व्यवधान) आप ठीक कह रहे हैं इनकी पार्टी ने मौका ही नहीं दिया ...(व्यवधान) वहीं लगाते रहे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पूरे राजस्थान में इस बात का शोर था माननीय रोहिताश कुमारजी मैं आपसे कहना चाहता हूं भ्रष्टाचार चाहे कोई भी करें आप यह कहते हो 90 बी में...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, माननीय सदस्य विराजें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): पूरे राजस्थान को मालूम था कि 90 बी में हमारे स्वायत्त शासन मंत्रीजी घोटाला कर रहे हैं, पर आप लोगों ने सुनी नहीं है, अन्दर घुसने दिया नहीं, सारे राजस्थान को नकार दिया और मैं बताना चाहता हूं आपके बजट भाषण में लड़कियों को साइकिल बांटने की बात हुई शिक्षित को बेरोजगार भत्ता देने की बात हुई ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजे।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें, माननीय सदस्य विराजें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): ...(व्यवधान) होटलें बनाने की इजाजत दे दी, आपके मंत्रीजी ने ...(व्यवधान) होटले बना दी, 90 बी के हमारे पुष्कर राज की सरोवर की पवित्रता को खतम कर दिया ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, विराजें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): होटलें बनाकर के, होटलों की परमिशन देकर आपने पुष्कर राज की पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया है ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या विराजें, माननीय सदस्या, विराजें।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): आपने पुष्कर राज की पवित्रता के साथ खिलवाड़ किया है। इसकी जांच होनी चाहिए। मैं सदन से आज इसकी मांग करती हूं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, महोदया, विराजें। पुष्कर राज से पधारने वाली माननीय सदस्या, आप विराजो।

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): 90 बी की किस हैसियत से होटलों की परमिशन किसने दी, वह 90 बी किस नियम के तहत दी गई ...(व्यवधान) होटल बनाने की इजाजत कैसे दी गई ...(व्यवधान) और उससे गंदा पानी सरोवर में जाएगा और लाखों करोड़ों लोगों की ...(व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्या, विराजें ...(व्यवधान) श्रीमती नसीम बानोजी विराजिए।

श्री करणसिंह (छबड़ा): पांच हजार करोड़ रुपये ...(व्यवधान)

श्री सभापति: राठौड़ साहब विराजें ...(व्यवधान) माननीय सदस्य विराजो।

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): ...(व्यवधान)... यह फिर खड़े हो गए ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: माननीय सदस्य विराजें, माननीय सदस्य विराजें।

डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर): यह जोकर बार-बार खड़े होते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप उनको, अब मैंने जब उधर कंट्रोल किया फिर आप विराजें ...(व्यवधान) आप विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): मैं एक शेर के माध्यम से इनकी मनो स्थिति का वर्णन करना चाहता हूं। अभी इनका ताजा-ताजा राज आया है, खुदा जब हुस्न देता है तो नजाकत आ ही जाती है और यह उस बात को भूल गए कि दो तीन साल बाद गौरी रंग पर ना इतना गुमान कर, रंग दो दिन में ढल जाएगा ...(व्यवधान)

श्रीमती नसीम अख्तर इंसाफ (पुष्कर): पुष्कर सरोवर करोड़ों लोगों की आस्था का केन्द्र है उसके साथ खिलवाड़ नहीं होने दिया जाएगा ...(व्यवधान) कोई भी जुगाड़ करे उसके खिलाफ भी कार्यवाही की जाएगी ...(व्यवधान) कार्यवाही होनी चाहिए चाहे कोई भी हो ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: श्री अर्जुन बामणिया। माननीय सदस्या विराजें।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): माननीय सभापति, मेरे को खतम करने दें।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, पांच मिनट का कहा है, माननीय सदस्य, आपने पांच मिनट कहा है। रोहिताशजी समाप्त करिए आप प्लीज मेरा निवेदन है, अनुरोध है।

श्री रोहिताश कुमार (बानसूर): बस एक ही बात कहना चाहता हूं। मैं एक मुद्दे पर आना चाहता हूं। मैं किसी की व्यक्तिगत बुराई-भलाई में नहीं जा रहा हूं। मैं लास्ट में एक बात कहना चाहता हूं कि यह जो माथुर आयोग का गठन किया गया है, माथुर आयोग का गठन करे, सरकार की मर्जी है करना चाहिए लेकिन एक बात पूछना चाहता हूं कि गहलोत साहब के पिछले टेन्योर में जो एंटरटेन पैराडाइज और रेडीशन होटल को कम कीमत पर जो जमीन दी गई, क्या वह इस आयोग के दायरे में नहीं आती है? मैं यह निवेदन करना चाहता हूं इसलिए यह जो महत्वपूर्ण है इसको भी उसमें शामिल करें और इस बजट में अगर मुख्य मंत्रीजी की नीयत साफ है और यह बजट एग्जीक्यूट करते हैं तो मैं उनको धन्यवाद देना चाहूंगा और अगर यह एग्जीक्यूट नहीं किया और यह कागजों में रह गया तो मुख्य मंत्रीजी को धन्यवाद के बजाय हम सब लोग अपने आपको निराशा महसूस करेंगे और समय को बर्बाद महसूस करेंगे।

श्री सभापति: श्री अर्जुन बामणिया। श्री मुरारी लालजी मीणा।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय आधे घंटे के लिए बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: सदन का समय आधा घंटा बढ़ाया जाता है। अभी चलने दीजिए, अभी पौन घण्टा है अपने पास में आप क्यों चिंता कर रहे हैं।

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): माननीय सभापति महोदय, मैं परिवर्तित बजट ...(व्यवधान)

श्री कालीचरण सराफ (मालवीय नगर): माननीय सभापति महोदय, पहले आप प्रस्ताव के बारे में पूछिए कि आधा घंटा बढ़ाया जाए तब हम कहते हैं हां। तो फिर बढ़ायें। आपने डायरेक्ट क्यों बढ़ा दिया?

श्री सभापति: समय कम करने की बात तो नहीं हो रही है, समय बढ़ाने की बात ही हो रही है, कम करने की बात आए जब आप फरमाना, जब मैं पूरे सदन की अनुमति लूंगा। अभी तो बढ़ाने का टाइम चल रहा है। श्री मुरारी लाल मीणा।

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): माननीय सभापति महोदय, मैं परिवर्तित बजट 2009-10 जो माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने वित्त मंत्री की हैसियत से प्रेषित किया है उसको गरीब के, दलित के, एसटी, एससी के समर्थन में मानते हुए उसका स्वागत करता हूं। मैं निवेदन करता हूं कि इस मंदी के दौर में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो राजस्थान की योजना बनाई है जिसका आकार पिछली योजना से 33 प्रतिशत अधिक बजट के रूप में प्रस्तुत किया है। पहले यह योजना 14 हजार करोड़ की थी, योजना आयोग के द्वारा 17 हजार 332 करोड़ रुपये की स्वीकृत करवाकर बजट में 18 हजार 6334 करोड़ का प्रावधान रखा हम सब इसका सम्मान करते हैं साथ में मैं निवेदन करता हूं कि राजस्थान के अन्दर तेल उत्पादन इस साल चालू होगा। साथ में आपको पता है कि मुख्य मंत्री महोदय ने बताया कि राजस्थान में रिफाइनरी लगेगी। पिछली सरकार रिफाइनरी के मामले में बिलकुल फेल रही क्योंकि रिफाइनरी लगने से हमारे राजस्थान के अन्दर अनेक लोगों को रोजगार मिलेगा साथ में रायल्टी के रूप में भारी धनराशि भी प्राप्त होगी। इस मंदी के दौर को देखते हुए माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने जो टैक्स प्राविजन किया है उसमें भी कोई बढ़ोतरी नहीं की गयी है। आम जनता के काम में आने वाली चीजें जिनमें कि पहले साढ़े बारह प्रतिशत टैक्स था और जो पिछली सरकार थी उसने जो संपन्न लोगों के काम आने वाले पत्थर थे ग्रेनाइट, कोटा स्टोन और ऐसे पत्थर उस पर तो चार प्रतिशत टैक्स था और गरीबों के काम आने वाली चीज थी जैसे पत्थर, गिट्टी, स्टोन उस पर साढ़े बारह प्रतिशत था उसको इस सरकार ने हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने वापस चार प्रतिशत कर दिया यह भी एक स्वागत योग्य कदम है। दूसरा ग्रामीण विकास के लिए खादी बोर्ड और केवीआईसीसी की जो स्कीमें थीं पिछली सरकार ने उसके लिए जो टैक्स छूट थी वो मात्र एक साल दी थी हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने उसको परमानेंट उसमें टैक्स में छूट दी है इससे ग्रामीण क्षेत्रों में और जो गरीब लोग हैं हमारे बेरोजगार लोग हैं उनको नया उद्योग लगाने में सुविधा मिलेगी। विकास का जहां तक मामला है मेरा निवेदन है कि सड़कों के मामले में माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने राजस्थान की सड़कों में पन्द्रह हजार किलोमीटर सड़कें ऐसी

(श्री मुरारीलाल मीणा)

ली हैं जिनका सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण किया जाएगा और इसी साल उसमें से पाँच हजार किलोमीटर सड़कों को चिह्नित कर उनका सुदृढ़ीकरण किया जाएगा। इससे हमारे राजस्थान की सड़कों की हालत सुधरेगी। नरेगा योजना के अन्दर ढाई सौ से लेकर पांच सौ तक की आबादी के जो गांव हैं उनके अन्दर सड़क बनायी जाएगी इसमें मेरा एक सुझाव और है माननीय ग्रामीण विकास मंत्री महोदय से, पंचायत राज मंत्री महोदय से कि इसमें मिसिंग लिंक को भी सम्मिलित किया जाए क्योंकि मिसिंग लिंक में नरेगा के तहत उन पर भी ग्रेवल सड़कें बन जाएगी। इसके साथ-साथ में यह सारा जो बजट प्राविजन है जिस हिसाब से खर्चे बढ़े हैं, खर्चे बढ़े हैं कर्मचारियों की तनख्वाह थी पिछले वर्ष जो 77 सौ करोड़ थी वो चौदह हजार करोड़ रुपये हो गयी और जो पेंशनर्स का भुगतान था वो भी छब्बीस सौ से बढ़ कर छियालीस सौ करोड़ रुपये हो गया और जो इंक्रीमेंट से पैसा बढ़ता है ढाई सौ की जगह तीन सौ करोड़ बढ़ा। इन सब बातों को देखते हुए मुख्य मंत्री महोदय ने विकास के मामले में यहां पर कोई कटौती नहीं की। मैं मेरे दौसा क्षेत्र के लिए सड़कों के मामले में जो मांग है वो रखूंगा कि एक पपलाज माता क्योंकि मुख्य मंत्री महोदय ने इस बार सब धार्मिक स्थानों को जोड़ने के लिए सड़कों का प्राविजन किया है उसके लिए 93.5 करोड़ की व्यवस्था की है इसमें पपलाज माता एक जगह है वहां पर बहुत लक्खी मेला लगता है मैं चाहता हूं कि पपलाज माता की सड़क सीधी दौसा से जुडे। अभी वहां जाने के लिए लालसोट होकर जाना पड़ता है जिसकी लम्बाई करीब चालीस किलोमीटर है।

इस टाइम अपन देख रहे हैं कि राजस्थान की जो सबसे बड़ी समस्या है वह है जल की क्योंकि राजस्थान का क्षेत्र पूरे देश के क्षेत्र का 10.4 प्रतिशत है और यहां पर जो जल है जमीन के अन्दर वो मात्र 1.16 प्रतिशत है इसलिए जल की समस्या यहां पैदा होना स्वाभाविक बात है। माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने इसको काफी गम्भीरता से लिया है और चालू वर्ष में हमारे यहां पर 13 बड़ी परियोजनाएं हैं ऐसी ली हैं जिनकी लागत 1227 करोड़ रुपये है जिनको इसी साल में पूरा किया जाना है और 30 बड़ी परियोजनाएं जिनकी लागत 1518 करोड़ है इनको शुरू किया जाएगा और शीघ्र पूरा किया जाएगा। इसके अलावा भी कई नयी परियोजनाएं हैं उनको तैयार किया जा रहा है जिसमें भीलवाड़ा है चम्बल से भीलवाड़ा और कई परियोजनाएं हैं मेरा निवेदन है कि जिस तरह से चम्बल से भीलवाड़ा परियोजना को जिसकी कीमत करीब 1020

(श्री मुरारीलाल मीणा)

करोड़ है उसी तर्ज पर सभापति महोदय, मेरा आपके माध्यम से निवेदन है कि पूर्वी राजस्थान के अन्दर पानी का बड़ा अभाव पैदा हो गया है क्योंकि पहले पूर्वी राजस्थान में पानी की बहुत अच्छी व्यवस्था थी इसलिए सरकार ने पानी के ऊपर पैसा पूर्वी राजस्थान में कम खर्च किया और पश्चिमी राजस्थान जहां पर पानी का अभाव शुरू से ही था वहां सरकारी व्यवस्था ठीक रही इसलिए वहां पर बाहर से काफी पानी आ गया अब वर्षा कम होने के कारण पूर्वी राजस्थान की स्थिति पानी के मामले में बहुत खराब हो चुकी है हमारे दौसा के अन्दर पहले जमआरामगढ़ से नहर जाती थी आज स्थिति यह हो गयी कि दौसा पूरे जिले में वहां पर पीने का पानी उपलब्ध नहीं है। आस-पास के जितने भी गांव हैं उनके अन्दर या तो फ्लोराइडयुक्त पानी है और वो पानी भी जमीन में बहुत नीचे गहरा चला गया वहां के जो लोग हैं आप देख सकते हो उनके हाथ-पैर टेढ़े हो गये, दांत गिर गये क्योंकि मजबूरी में फ्लोराइडयुक्त पानी पीना पड़ता है। मेरा सरकार से निवेदन है मेरा माननीय मुख्य मंत्री महोदय से निवेदन है कि भीलवाड़ा की तर्ज पर दौसा के लिए एक चम्बल से दौसा के लिए पानी की योजना बनायी जाए और उसको भारत सरकार से स्वीकृत किया जाए ताकि जनता को राहत मिल सके।

जहां तक ऊर्जा का सवाल है आज तक राजस्थान के अन्दर इसमें मुख्य मंत्री महोदय ने एक बहुत ही ऐतिहासिक काम किया है आज तक पूरे राजस्थान के अन्दर 3402 मेगावाट बिजली का उत्पादन होता है आने वाले समय में 2009-10 के अन्दर 945 मेगावाट विद्युत उत्पादन की बढ़ोतरी और हो जाएगी और 2012 तक 1860 मेगावाट बिजली पैदा होगी और 2013 तक 4210 मेगावाट बिजली का उत्पादन और हो जाएगा और 2013 में राजस्थान बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो जाएगा। यह हमारे लिए एक गर्व की बात है और अभी हमारी ग्राम पंचायत विद्युतीकरण योजना के लिए बजट में दो हजार करोड़ रुपये का प्राविजन किया गया है जिसके तहत 33 केवीजीएसएस का बजट प्रोविजन है, इससे ऐसा लगता है कि आने वाले एक-डेढ़ साल के अन्दर जो हमारे किसान आज बिजली की किल्लत भुगत रहे हैं, उससे पूर्ण रूप से उनको निजात मिल जाएगी और दूसरा हमारे मुख्य मंत्री महोदय ने की घोषणा की है कि दिसम्बर, 07 जितने भी हमारे किसान भाइयों ने कृषि कनेक्शन के लिए एप्लाई कर रखा है उनको इस साल दे दिये जाएंगे और बाकी आने वाले दिसम्बर तक जो भी हमारे किसान भाई एप्लाई करेंगे उनको

(श्री मुरारीलाल मीणा)

सब को 2009 में कृषि कनेक्शन जारी कर दिये जाएंगे। यह हम सब के लिए एक बहुत बड़ी गर्व की बात है। मेरा निवेदन है कि समाज कल्याण के मामले में क्योंकि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने जो बजट पेश किया यह एससी के हित में, एसटी के हित में, ओबीसी के हित में, गरीब के हित में, बीपीएल के हित में पेश किया है उन्होंने जो हमारी बच्चियां पढ़ती हैं उन बच्चियों के लिए छात्रवृत्ति में बढ़ोतरी, छात्रावास में उनका जो मैस भत्ता है उसको 725 से एक हजार रुपये, हर जिला मुख्यालय पर जगजीवन रामजी के नाम से छात्रावासों का निर्माण और जोधपुर में एक बहुत बड़े छात्रावास का निर्माण जिसकी कीमत करीब दो करोड़ है निर्माण करने का निर्णय किया है। इससे हमारे आदिवासी भाई, दलित भाई, ओबीसी के भाई उनके ऊपर काफी पैसा खर्च होगा। इसमें साथ में मेरा एक निवेदन और है मैं आपसे एक निवेदन करना चाहूंगा कि वैसे कांग्रेस की नीति रही है हम तो पहले बीएसपी में थे आपको पता है लेकिन मूल विचाराधारा हमारी कांग्रेस की रही है लेकिन कांग्रेस की नीति रही है शुरू से एसटी के पक्ष में, एससी के पक्ष में, गरीब के पक्ष में इसलिए मेरा निवेदन है कि इसमें दो-तीन सुधार किये जाएं। मेरा सुझाव है कि पिछली बार हम चिल्लाते थे जब भी बजट सत्र आया हम सरकार से चिल्लाते रहे कि हमारा बेकलॉग पूरा किया जाए। मेरा निवेदन है कि राजस्थान के अन्दर हमारे एससी/एसटी का, माननीय सदस्य महोदय तिवाड़ीजी बैठे हुए हैं, पिछली बार उन्होंने हमको आशवासन दिया था कि राजस्थान के अन्दर एससी/एसटी बेकलॉग भर दिया जाएगा, इनकी घोषणा मात्र थोथी रही। मैं निवेदन करता हूं सभापति महोदय, आपके माध्यम से कि राजस्थान के अन्दर चालीस-पचास प्रतिशत एससी/एसटी का बेकलाग है इसको एक विशेष अभियान चला करके भरा जाए ताकि वास्तव में एससी/एसटी और हमारे दलित भाइयों का भला हो सके। मेरा तो आपसे यहां तक निवेदन भी है कि इसके लिए क्योंकि आफीसर्स की नीयत सही नहीं होती जिस तरह से भारत सरकार से इसके लिए एक कलेण्डर बना रखा है कि इतनी तारीख को वेकेंसी निकलेगी, इतनी तारीख को रिटन टैस्ट होगा, इतनी तारीख को इंटरव्यू होगा और इतनी तारीख को पोस्टिंग होगी इस तरह का एक इयरली कलेण्डर जारी किया जाए। उस कलेण्डर के माध्यम से और एक ऐसा कानून बनाया जाए कि जो भी अधिकरी एससी/एसटी का बेकलाग नहीं भरेगा उसके खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाएगी। यदि ऐसा कानून लागू कर दिया जाता है राजस्थान में

(श्री मुरारीलाल मीणा)

तो वास्तव में इस समाज का, एससी/एसटी का और सब का भला होगा। वैसे भी इस सरकार के अन्दर आधे से ज्यादा विधायक एससी/एसटी के कांग्रेस समर्थित हैं और हम जो एसटी के तीन विधायक बीएसपी में थे वो भी शामिल हो गये इसलिए मुझे पूरी उम्मीद है कि सरकार इस बात पर जरूर ध्यान देगी और इसके लिए निश्चित ही एक ऐसा कानून बनायेगी । साथ में मेरी एक बहुत बड़ी मांग है जिस पर आप सब को गौर करना चाहिए और सभी पार्टी के जो हमारे साथी हैं उनको उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए।

(समय : 17.00 बजे)

अभी परिसीमन हुआ है और चुनाव आयोग के आंकडे आये हैं अपने पास में राजस्थान में हमारी जनसंख्या एसटी की 12 से 13 प्रतिशत होगी इसको भारत सरकार ने माना है और उन्होंने आरक्षण को 12 से साढे 12 प्रतिशत कर दिया । पहले हमारी 24 सीटें थी उन सीटों को 25 कर दिया । एससी की 32 सीटें थीं उनको 33 कर दिया । इसलिए राजस्थान में हमारी जनसंख्या 13 प्रतिशत आदिवासियों की और 17 प्रतिशत जनसंख्या एससी की है । इसलिए हमारे एसटी के आरक्षण को 13 प्रतिशत और एससी के आरक्षण को 17 प्रतिशत किया जाये जैसा कि चुनाव आयोग ने बढ़ा दिया है । इसमें हम सब की सहमति होनी चाहिये ताकि हम दलितों का भला हो सके ।

दूसरा मेरा निवेदन है कि भारत सरकार की नरेगा योजना जिसका बहुत बड़ा बजट है 39 हजार 100 करोड, रोज भ्रष्टाचार की बात उठती है पिछली सरकार के टाइम में चालू हुई अभी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने उसके लिये यह प्रोविजन किया है कि 11 हजार कर्मचारियों की नियुक्ति की जायेगी । हर पंचायत मुख्यालय पर कम्प्यूटर और एक कर्मचारी लगाया जायेगा तो पूरी उम्मीद है कि भ्रष्टाचार पर कंट्रोल होगा और जैसा कल मैंने अपने विधान सभा के प्रश्न में माननीय पंचायती राज मंत्रीजी से निवेदन किया था और मैंने उनसे पूछा था कि अभी राजस्थान में इसमें क्या प्रोविजन है तो 60 से 40 प्रतिशत का प्रोविजन है । यदि हम सब मिल कर इसमें थोड़ा सुधार करें, दौसा के मामले में उन्होंने बताया था कि दौसा में पिछले वर्ष 19 प्रतिशत राशि मैटेरियल कम्पोनेंट पर खर्च हुई है और बाकी राशि लेबर पर । यदि वास्तव में हम 40 प्रतिशत राशि मैटेरियल कम्पोनेंट पर खर्च कर दें और जिला स्तर पर भी इसको मेनटेन करें तो इसमें हमारे पक्के कार्य भी हो सकते हैं ताकि जनता को हम ज्यादा से ज्यादा राहत दे सके ।

(श्री मुरारीलाल मीणा)

पंचायतों के पुनर्गठन के मामले में भी मेरा निवेदन है मैं सरकार के सामने मांग रखता हूं क्योंकि आपने 52 उप जिला कलक्टर कार्यालय खोले हैं हम उनका स्वागत करते हैं। इससे किसानों को और गरीबों को बहुत राहत मिलेगी । सारी जनता मुख्य मंत्री महोदय की आभारी रहेगी । मेरे दौसा विधान सभा क्षेत्र में जिस गांव को पचवारा के नाम से जानते हैं वहां पर एक नांगल राजावतान गांव है, हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, पिछले 20-30 साल से वहां की जनता की यह मांग चली आई है कि उसको नांगल राजावतान को तहसील मुख्यालय बनाया जाये । सभापति महोदय, इसलिए मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि वहां पर तहसील और पंचायत समिति दोनों को पुनर्गठन के संबंध में लिया जाये और वहां तहसील मुख्यालय खोला जाये ।

शिक्षा का जहां तक सवाल है मेरा आपसे निवेदन है कि पिछली सरकार ने 3100 सैकण्डरी स्कूल खोली थीं लेकिन हमारे साथ में बड़ा कुठाराघात किया । चुनाव से पहले 3100 स्कूल खोल दिये गये लेकिन एक भी टीचर नहीं लगाया और हमारे बच्चों का भविष्य बेकार कर दिया गया । बिना टीचर के सारे बच्चे पढ़े और इस बार मुख्य मंत्री महोदय ने उनमें भर्ती का प्रोविजन किया है हम उसका स्वागत करते हैं और सबसे बड़ी बात इसमें ली कि ग्रामीण परिवेश में सभी सब डिवीजन हैड क्वार्टर पर साइंस और कामर्स के सब्जेक्ट खोले जायेंगे । क्योंकि ज्यादातर गांवों के बच्चों को आप आर्टस पढ़ने के लिये छोड़ देते हैं और आर्टस की जो शिक्षा होती है वह रोजगारोन्मुखी नहीं होती है । इसमें 500 स्कूल ऐसे खोले हैं जिनमें ग्रामीण स्कूलों में साइंस और कामर्स खोले जायेंगे। यह सारे किसानों के लिये, एससी और एसटी के सभी लोगों के लिये स्वागत योग्य बात है क्योंकि गांवों में साइंस का सब्जेक्ट नहीं होगा तो हमारे बच्चे कैसे पढ़ेंगे ।

इन्हीं बातों के साथ, सभापति महोदय, मैं एक निवेदन और करना चाहता हूं मध्य प्रदेश में केन्द्र सरकार के माध्यम से एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी खोली गई है । हम सबको प्रयत्न करना चाहिये राजस्थान में भी केन्द्र सरकार के माध्यम से एक आदिवासी यूनिवर्सिटी खोलें ताकि एसटी के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके । मैं यह मांग करता हूं वैसे तो जो जगह अच्छी हो वहां पर खोलें राजस्थान में खुलनी चाहिये लेकिन हमारे टीएसपी एरिया में काफी फैसेलिटी और भी है । वहां पर टाडा में, माडा में खूब पैसा और भी मिल रहा है । हमारे मंत्री महोदय बैठे हैं, आदिवासियों की जो यूनिवर्सिटी है

(श्री मुरारीलाल मीणा)

वह हमारे दौसा में खोलें। क्योंकि जो 5-7 जिले हैं वहां शिक्षा का खूब प्रसार है। आदिवासियों के बच्चों को पढने का खूब शौक है इसलिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव भेजें कि एक ट्राइबल यूनिवर्सिटी जो मध्य प्रदेश में खुली है राजस्थान में भी खोली जाये ।

श्री सभापति: समाप्त कीजिए ।

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): इन्हीं शब्दों के साथ आपने मुझे बोलने का समय दिया उसके लिये बहुत-बहुत धन्यवाद, दो बात मैं और कह देता हूं। कानून व्यवस्था के ऊपर कोई सदस्य नहीं बोला है । पिछली सरकार में कानून व्यवस्था जितनी खराब रही कभी आज तक नहीं हुई । इन्होंने भाई से भाई को लड़ाया, किसानों पर गोली चलाई, मीणा गुर्जर को लड़वाया और लोगों को गोलियों से भूना ।

श्री सभापति: माननीय सदस्य ।

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): यह बिलकुल सही है, यह शर्म की बात है और 90 बी में भ्रष्टाचार चरम पर था । जयपुर की स्थिति ऐसी हो गई कोई भी मध्यम परिवार का आदमी जयपुर में मकान नहीं बना सकता । जमीनें इतनी महंगी कर दीं अब जाकर जमीनों के भाव थोड़े बहुत डाउन आये हैं ताकि गरीब आदमी जयपुर में मकान बना सके।

श्री सभापति: डा. श्री जसवंत यादव, समाप्त कीजिए ।

श्री मुरारीलाल मीणा (दौसा): हमारे माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने गरीब के हित में, दलित के हित में, मुसलिम के हित में जो बजट पेश किया है हम सब उसी बात का स्वागत करते हैं, धन्यवाद, जय भारत, जय भीम ।

श्री सभापति: डा. श्री जसवंत यादव ।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापतिजी, परिवर्तित बजट के ऊपर चर्चा हो रही है और बजट के बारे में तरह-तरह के विचार भी आये । मैं भी बैठा हुआ सोच रहा था कि गरीब आदमी हम सबको वोट देकर सरकार बनाता है, हम सब को जीताता है और हम सबका सपना चाहे पक्ष में हो या विपक्ष में हो, एक ही होता है कि अपने क्षेत्र में गरीबों को राहत देंगे, कुछ कर के दिखायेंगे । किसान भी मेहनत करता है और ज्यादातर यहां पर जो सदस्य हैं, 80 प्रतिशत सदस्य गांवों के परिवेश से आते हैं और गांवों के लोगों के वोट से जीत कर आते हैं । सरकार बनी राज्यपाल के अभिभाषण पर

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

मुख्य मंत्रीजी ने बहुत कडवी बातें कहीं थीं पुरानी सरकार के बारे में और मैं ताज्जुब रह गया जब देखा कि अभिभाषण में यहां तक लिखा हुआ था कि पिछली सरकार के कार्यकाल में चैन झपट ली जाती थी, क्राइम था, सरकार संवेदनशील नहीं थी और हम लोग पारदर्शी, संवेदनशील, जवाबदेही सरकार देंगे। आज कितना काम हुआ नहीं हुआ यह सब तो आप लोग कर चुके हैं पर ईमानदारी से हम सब अपने मन को टटोल कर देखें कि सरकार को बने हुए 7-8 महीने हो गये और खाली पक्ष कुछ कहे या विपक्ष कुछ कहे, मैं कहूं और एक ही बात की हम लोग रट लगाये रखे कि पहले ऐसा होता था इसलिए अब हम ऐसा कर रहे हैं । पहली पारदर्शिता का, जवाबदेयिता का हाल तो पहले दिखा, उस वक्त भी मैं एमएलए चुना गया था । बीजेपी के शायद 32 या 34 आये थे, आप लोग 153 आये थे और ऐसी जवाबदेही सरकार दी, ऐसी पारदर्शिता की कि आप लोग कुल 53 रह गये और सांसद में मेरे ख्याल से आप 4 ही रहे थे । जनता भी यही थी, आप भी यही थी, सरकार भी यही थी, सब कुछ वहीं था । यह तो घटनाक्रम चलता है, चलता रहेगा, सरकारें बदलती है, आती हैं जाती हैं पर क्या आत्मा से हम लोग विश्लेषण करें कि आज क्राइम का रेश्यो देखें पिछली सरकार का इन महीनों का, क्या अब चोरियां नहीं होती हैं, क्या चैन झपटी नहीं होती है, क्या बलात्कार नहीं हो रहे हैं, क्या आपके अधिकारी करेप्शन में नहीं पकडे जा रहे हैं, क्या समस्याएं वह की वह नहीं खडी हुई हैं । राजस्थान का बजट, स्टेट के बजट का बहुत बड़ा महत्व ही नहीं होता । इसमें ज्यादातर योजनाएं वही है, ज्यादातर पैसा वही है, जो भारत सरकार का पैसा है, इसमें हम लोग अपनी वाहवाही लूटते हैं । हमारा हिस्सा तो किसी योजना में 15 प्रतिशत है, किसी योजना में 20 प्रतिशत है। हम लोग अपना क्या करते हैं । स्वर्गीय राजीव जी ने खुद ने कहा था अगर हम उनके आदर्शों पर चलें, थोडा सा भी उनका ध्यान दें कि गांवों में 10 पैसा जाता है । क्या मनन किया इस बात का जिनके नाम पर आप जीतते हो । फिर आपके युवराज आये राहुल गांधीजी उन्होंने भी यही कहा कि दिल्ली का सारा पैसा गांवों में लगता ही नहीं, चोरी में चला जाता है । अगर आप में दम है तो एक भी विभाग आप सिद्ध कर दो और मुझ से चाहे जो शर्त लगा लो जिसमें आपने करेप्शन खत्म कर दिया हो और सच्चाई यह है आप इसको बुरा मानेंगे।

(श्री जसवन्त सिंह यादव)

आपके हाथ से ब्यूरोक्रेटस की नकेल ही निकल गई। आपके लोग, आज मैं देख रहा था टीवी में सुबह कि कमिश्नर के कमरे में उसकी पिटाई ठुकाई कर रहे हैं, सरकार आपकी है, आपके कार्यकर्ता से क्यों कर रहे हैं। आपके कार्यकर्ता चिल्लाने लग गये कि हमारा काम नहीं हो रहा, हमारे अफसर नहीं मान रहे, हमारे अफसर ध्यान नहीं दे रहे। आपने इस लक्ष्य को प्राप्त करना, राजस्थान हम सबका है। आपका भी है, हमारा भी है, आम गरीब का भी है, किसानों का भी है, मजदूर का भी है, व्यापारी का भी है। हमारी कल्पना को बढ़ाना पड़ेगा। हमारी कल्पना सिर्फ इतनी है, हम सब राज़ी हो रहे हैं, भाषण दे रहे हैं कि नरेगा में बीपीएल के लोगों को काम मिलेगा, क्या वह लोग हिन्दुस्तान का हिस्सा नहीं है। क्या उनको 62 साल आजाद नहीं हो गये, क्या उनको रोटी के लिए ही हम सोचते हैं, केवल उनको 100 रूपये रोटी के ही मिल जाए, क्या इससे बड़ी उनकी कोई कल्पना हम सबकी नहीं हो सकती। 62साल से हम लोग गरीबी मिटा रहे हैं केवल उन लोगों का, अगर आज विश्लेषण करें, आत्मा पर एक बार हाथ रखकर देखें कि अगर जनता की गरीबी मिटाते-मिटाते, मैं तो ऐसे-ऐसे नेताओं को जानता हूं जिनको दो वक्त की रोटी नहीं थी, ईमानदारी से अगर उनकी जांच कराई जाए तो 62 साल में जनता की गरीबी तो मिटी नहीं पर नेताओं की गरीबी जरूर मिट गई। अगर उनकी परिसम्पत्तियां काउंट की जाएं तो, एक बार हृदय पर हाथ रखकर देखें । अब कहते हैं, साहब सड़कें बनेगी नरेगा के अंदर। 500 की आबादी गांव, क्यों भई ग्रेवल सड़कें क्यों? अगर आपने कुछ करके दिखाया होता तो ग्रेवल तो, पाँच घरों की ढाणियों, पंचायत के अन्दर अगर प्रस्ताव पास हो जाता है तो आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है । वह तो पांच गांव को भी ग्रेवल सड़क से जोड़ सकता है, आप तो 250 की बात कर रहे हैं। हिम्मत थी, कुछ करने की तमन्ना थी तो यह कहते कि हम जो नरेगा में ग्रेवल सड़क बनेंगी उन पर राजस्थान सरकार की तरफ से डामरीकरण करा देंगे, यह था विकास तो। अब आप नरेगा की ग्रेवल सड़क को, ढाणियों को इसी से जोड़कर वाह-वाही लूट रहे हैं। इसी तरह स्कूल क्रमोन्नत करने की बात, हमारे एक सदस्य ने बोला था कि स्कूल क्रमोन्नत करेंगे। जब स्कूल के अंदर अध्यापक नहीं होंगे तो उनको क्रमोन्नत करके क्या करोगे। पिछली सरकार ने जितने स्कूल क्रमोन्नत किये दम था तो पहले उनमें शिक्षकों की पूर्ति करते। मेरे खुद के क्षेत्र में, मैं जहां भी जाता हूं 10वीं तक का स्कूल 12वीं तक का स्कूल किसी में दो मास्टर,

(डा. जसवन्त सिंह यादव)

किसी में तीन मास्टर है। वह सब हमारे बच्चे नहीं है, क्या वह किसी और के हैं, क्या उनका भविष्य नहीं है । आप अपने बच्चों को तो अच्छी जगह पढ़ा लेते हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): सभापति जी, यह तो बजट पर ही चल रहा होगा ना डिसकशन? (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जी, हां बजट पर ही चल रहा है। मैं आपकी वाहवाही की बात कर रहा हूं । आपने किसान के लिए कहा, किसान के लिए कहा किसान को हमने बहुत दे दिया किसान को क्या दे दिया। किसान के लिए आप देते कृषि उपज मण्डी हर तहसील में बनाएंगे। किसान का विकास चाहते । एक किसान अपना माल ले जाने के लिए कितना भाड़ा कितना किराया खर्च कर देता है आपने एक भी कृषि उपज मण्डी की घोषणा नहीं की। जिस किसान का बेटा सीमा पर रक्षा करता है, सबसे ज्यादा किसान का बैटा शहीद होता है, सबसे ज्यादा किसान का बेटा कुर्बानी देता है और इस बात की वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने किसान की 2007 तक का वेटिंग खतम कर दिया कनेक्शन का। क्यों भई, उद्योगपति को एक दिन में क्यों दे देते हो, उद्योगपति के लिए कहां से बिजली आ जाती है। जिस किसान के ऊपर सरकारें बनती हैं, जिस किसान का बेटा अपनी कुर्बानी दे देता है रक्षा के लिए, कितने उद्योगपतियों के बेटे हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, कितने उद्योगपतियों के बेटे हैं जो देश के लिए शहीद हुए हैं ? क्यों नहीं कह सकते थे हम आज तक कि आज किसान को भी वो ही दर्जा मिलेगा कि अगर आज कनेक्शन मांगे तो उसको आज कनेक्शन दिया जाएगा, तब तो कोई बात थी। (व्यवधान) आप कल्पना करते 2007 तक का खतम किया उसके बाद आपने 2010 तक....

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): बजट को पढ़ तो लीजिए। दिसम्बर 2009 की बात कही है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह आपने प्रतीक्षा....(व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (डीग-कुम्हेर): मंत्री महोदय, यह भी कहलवा दें कि...(व्यवधान)

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): आपने बजट भाषण को नहीं पढ़ा इसलिए यह बात कह रहे हो, पढ़िये उसको अच्छी तरह से, उसमें क्या लिखा है। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर): मंत्री महोदय, साथ में यह भी कहलवा दीजिए ...(व्यवधान) यह कनेक्शन......

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, मंत्रीजी का दोष नहीं है, मंत्रीजी को गरीब जनता ने चुनकर भेज दिया । (व्यवधान) इसलिए आपका दोष नहीं है।

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): आप बजट पढ़िये पहले। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): रोहिताशजी का गुस्सा....(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): आपने कभी सोचा, कोई बजट में जिक्र किया क्या, वह किसान नहीं है । (व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): रोहिताशजी का गुस्सा आप हमारे ऊपर क्यों निकाल रहे हो? (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जहां पर सभापति महोदय, डार्क जोन घोषित हो गये वहां प्रतीक्षा सूची खतम कर दीजिए कनेक्शन आप दे नहीं सकते ...(व्यवधान) उनको शिफ्टिंग कर नहीं सकते, आपने कुछ दिया है क्या। (व्यवधान)

श्री अलाउद्दीन आजाद (सवाई माधोपुर): सभापतिजी, शहादत को कुर्बानी को सीमाओं पर जो करते हैं उससे वर्ग विशिष्ट नहीं जुड़ना चाहिये ... (व्यवधान) इस तरह से नहीं जोड़ना चाहिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): अल्टरनेटिव ...(व्यवधान) आपने कुछ दिया है क्या

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): जिन किसानों के गांव, जो इलाके डार्क जोन में आ गये हैं...

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सदस्यों को, सदन में रोज यह नियम है जब आम बहस चलती है तो 8 बजे, 9 बजे तक बहस चलती रहती है। आप आज इस प्रकार से करटेल करेंगे जो एक दिन का समय बढ़ाया है उसका कोई मतलब नहीं रहेगा। 15 तारीख को फिर माननीय सदस्य मांग करेंगे कि हम बोलेंगे, हम बोलेंगे तो प्रतिपक्ष के नेता और माननीय मुख्य

(श्री घनश्याम तिवाड़ी)

मंत्रीजी को बोलने का पूरा टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए आज जो माननीय सदस्य बोलना चाहें, उनके लिए कम से कम आठ बजे तक का टाइम तो बढ़ाएं। (व्यवधान) बोलने वाले आठ आदमी बाकी हैं। आठ माननीय सदस्य बाकी हैं इधर के उधर के, उनको बोलने का, आम बजट पर बोलने का टाइम मिलना ही चाहिये (व्यवधान) जाकर आ गये वहां से, कहीं नहीं जाएंगे । (व्यवधान) बढ़वाइये समय तो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, मेरा खुद का क्षेत्र और क्षेत्र जो डार्क जोन में आ गये हैं...(व्यवधान) मंत्रीजी से चाहूंगा वह किसान है और किसान पर ध्यान दें, जब मुझे टोक रहे थे.. (व्यवधान)

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आठ बजे तक का टाइम दिया जाए तो बोलने भी दिया करो। पांच-पांच मिनिट का टाइम इसका मतलब पांच बजे तक का टाइम तय....(व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यह समय मेरे समय में से काटना पड़ेगा। मैं डिस्टर्ब नहीं कर रहा हूं, वह डिस्टर्ब कर रहे हैं। (व्यवधान) जो इलाके डार्कजोन में आ गये हैं, आप कह रहे हैं मुख्य मंत्रीजी किसान के हितैषी हैं, वहां कनेक्शन मिल सकता है क्या, वहां टयूबवैल गहरा हो सकता है क्या, वहां शिफ्टिंग हो सकती है क्या ? वह किसान कहां जाएंगे, अपने बच्चों को लेकर कहां जाएंगे ? (व्यवधान)

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): उनके लिए डार्कजोन में कहीं बेन नहीं है। बेन नहीं है। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बेन है, आपको ज्ञान नहीं है, मंत्री जी।

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): कोई बेन नहीं है कनेक्शन के लिए। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, मंत्रीजी को ज्ञान नहीं है।

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): कोई बेन नहीं है, डार्कजोन के कारण कनेक्शन कहीं नहीं रोके। (व्यवधान) न आपकी सरकार ने रोके न हमारी सरकार ने रोके ...(व्यवधान) आपकी सरकार के समय भी ... (व्यवधान) कनेक्शन चालू थे डार्कजोन में और आज भी चालू हैं।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): सभापति महोदय, अगर मेरी बात गलत हो तो मैं विधान सभा से इस्तीफा दे सकता हूं नहीं तो मंत्रीजी मंत्री पद से इस्तीफा देकर दिखा दें।

श्री परसादी लाल (सहकारिता मंत्री): लालसोट पूरा डार्कजोन है वहां कनेक्शन आज भी हो रहे हैं, पहले भी हुये थे और आगे भी...(व्यवधान)

श्री रामहेत सिंह (किशनगढ़ बास): अलवर जिले में नहीं हो रहे। डार्कजोन में बंद कर दिये गये।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): मेरे जिले की बात हो रही है डार्कजोन में कोई कनेक्शन नहीं मिल रहे, आप पता करवा लीजिए। अभी पता करवा लीजिए जाकर अपने चैम्बर से। उनका क्या होगा साहब, किसानों के हितैषी हैं। इसी तरह से आपने परिवहन की बात की कि साहब पुरानी बसों के स्थान पर नई एक हजार बसें खरीद लेंगे, कभी सोचा आप लोगों ने जिन बस स्टेण्ड्स पर बसें खड़ी होती हैं, तहसील हैडक्वाटर हैं, बस स्टेण्ड हैं उनके बारे में भी एकाध रूपये रखे हैं क्या? जो माताएं-बहनें अगर दो घंटे इंतजार कर लें बस का और माताओं-बहनों को लेट्रिंग पेशाब की जरूरत पड़ जाए तो वहां इतनी दुर्दशा होती है कि कहीं जाने की जरूरत नहीं होती। पर किसी के पास भी इस बात का सोच ही नहीं है। केवल वाहवाही तो लूटनी है, वाहवाही तो लूटनी है। इसके अलावा बीपीएल के लोगों को आप चाहते ही नहीं कि बीपीएल का आदमी सौ रुपये की मजदूरी से ऊपर उठे। आप चाहते ही नहीं कि वह भी ऊपर की कल्पनाएं ले। अगर कुछ बीपीएल वालों के लिए करना था तो नरेगा में केवल मजदूरी तक मत सोचो। आज हम लोग हैं, 25000 मिल जाते हैं फिर भी यह सोचते हैं कि इसमें किस तरह से गुजारा होगा। सौ रुपये में वह मजदूर गुजारा कर लेगा? बीपीएल के लिए कुछ करने की क्षमता थी तो और कुछ नहीं करते बीपीएल परिवार को नौकरी देकर दिखा देते और सरकार का एक पैसा भी नहीं लगता लेकिन सरकार चाहती ही नहीं है। कांग्रेस की नीतियां रही है कि गरीब आदमी गरीब ही रहे और उसको संतुष्ट करते रहे कि तुझे रोटी दे दी, रोटी खा ले, रोटी तक जिंदा रह। उनको और कुछ नहीं तो उनको ट्रान्सपोर्ट में, उनको टैक्सी के अन्दर जीपें, कह देते हैं कि टैक्स फ्री है आपके जीपें दे रहे हैं टैक्सी में चलाओ, अपने गांव के अंदर, लोगों को साधन मिल जाते, उनको रोजगार मिल जाता, कुछ लोगों को नौकरियां मिल जाती पर क्षमता कहां है सोचने की? नरेगा और मजदूरी मिल गई हम तो यही उनके बारे में सोचते हैं कि आपको तो सौ रुपये मिल जाएंगे रोटी खा लोगे। इसके

(श्री जसवन्त सिंह यादव)

अलावा आप बात कर रहे हैं कि हमने स्वास्थ्य के ऊपर बहुत बड़ा काम कर दिया, क्या काम कर दिया?

गांव के अन्दर हम सबकी माताएं-बहनें रहती हैं। मेरी बहुत सी बहनें भी यहां बैठी हुई हैं। एक भी लेडी डाक्टर किसी हेड-क्वार्टर पर है क्या? सबसे ज्यादा अगर बीमारियां गांव के अन्दर फैलती हैं तो वह महिलाओं के अन्दर फैलती हैं। क्योंकि वह शर्म की मारी जेण्ट्स डाक्टर को दिखा नहीं पातीं और यूटरस कैंसर, घिनोरिया और ल्यूकेरिया और दुनिया भर की जेनिटल आरगन्स की बीमारियां लेडिज में होती हैं। और यह मुख्य कारण है कि शहरों के अन्दर एक-एक अस्पताल में एक्स्ट्रा लेडी डाक्टर बैठी हुई हैं। पर आप तो ... (व्यवधान) अब यह सच्चाई तो, क्या हम लोग सब इसके लिये नहीं आते हैं। नहीं, आप बताइये कि क्या हम जेण्ट्स डाक्टर को अपनी पत्नियों को दिखा सकते हैं क्या? वह गांव के लोग इन्सान नहीं हैं क्या और इस बीमारी का मुख्य कारण है जो डेथ-रेट बढ़ रहे हैं, जो बीमारियां फैल रही हैं, गांव के अन्दर, उसका सबसे बड़ा मुख्य कारण यह है। क्योंकि हम लोग तो इस तरफ ध्यान नहीं देते हैं और उसके बाद हम लोग बहुत टाइम से कह रहे हैं। सभापति महोदय, हमारे जल संसाधन मंत्री महोदय बैठे हुए हैं। ऐसा शायद एकाध एम.एल.ए. होगा जिसके घर में आर.ओ. लगा हुआ नहीं होगा। और गांव के आदमी जो पानी पीते हैं, पहली बात तो उनको पूरा पानी नहीं दे पा रहे हैं। वह पानी के लिये 62 साल से चिल्ला रहे हैं, देश आजाद हुए। कभी उसका टी.डी.एस. तो चेक कराया होगा, मंत्री महोदय। कल मैंने भी आपके यहां का टी.डी.एस. चेक कराया तो 1800 आया, एम.एल.ए. क्वाटर्स का।

श्री महीपाल मदेरणा (जल संसाधन मंत्री): आपके घर का, अलवर का, टी.डी.एस. और भी ज्यादा है।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): यहां का 1800 और गांव का तो पता नहीं, दो हजार से ढाई हजार होगा। तो गांव के आदमी तो बीमारियों से ग्रसित रहेंगे ही। गांव के आदमियों का तो क्या हाल होगा? हमने तो एक चीज सीख ली कि आपके राज में यह नहीं हुआ तो हमारे राज में यह हो रहा है। इसके अलावा सोचने की हम लोगों की क्षमता ही नहीं है।

श्री सभापति: माननीय सदस्य।

सदन की कार्यवाही

विधान सभा की बैठक के निर्धारित समय में वृद्धि

श्री वीरेन्द्र बेनीवाल (मुख्य सचेतक): माननीय सभापति महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि सदन का समय 6 बजे तक बढ़ा दिया जाए।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, सदन की सहमति दें।

(स्वीकृत)

सदन का समय 6 बजे तक के लिये बढ़ाया जाता है।

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): बढ़ाया जाए कि नहीं?

श्री सभापति: सहमति ले ली ना। सभी ने सहमति दे दी, 6 बजे तक, आधा घंटे और बढ़ाया जाए।

परिवर्तित आय-व्ययक पर सामान्य वाद-विवाद

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, इसी तरह पढ़ा कि ए.एन.एम. की भर्ती होगी, जो गांव के लिये बहुत ही लाभदायक है। क्यों भाई, कुछ करना चाहते थे तो डाक्टरों की भर्ती क्यों नहीं की, लेडी डाक्टरों की भर्ती करते। और जो ए.एन.एम. का भी रियल हम लोग विश्लेषण करें, उनको सामान के लिये हमने दिया क्या है?

श्री सभापति: माननीय सदस्य, अब आप बिलकुल समय का ध्यान रखें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरा निवेदन है आपसे, सभापति महोदय, इस बजट पर सभी माननीय सदस्य अपनी बात कहना चाहते हैं। पक्ष और प्रतिपक्ष दोनों के बीच में एक बात हुई थी कि हम 5 दिन तक वाद विवाद रखेंगे और प्रतिपक्ष को पूरा मौका देंगे, वह अपने विचार रखें। यहां आधा-आधा घण्टा समय बढ़ाकर, इस सदन में रात को एक-एक बजे तक भी विचार-विमर्श किया है। मेरी प्रार्थना है सत्तापक्ष के माननीय सचेतक महोदय से कि कृपया सदन का समय आधा घंटा नहीं, सदन का समय डेढ घंटा बढ़ायें। हमारी तरफ से बोलने वाले सदस्य हैं, वह अपनी तरफ से विचार व्यक्त कर दें। ऐसा नहीं करें आप।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपके और हमारे बीच में यह सहमति हो चुकी थी कि 5 दिन तक वाद-विवाद चलेगा और सदन का समय

(श्री शांती कुमार धारीवाल)

5 बजे तक रहेगा और बढ़ेगा तो एक घंटे और बढ़ेगा। अब आप बात से मत फिरें। अब आप बात से मत फिरिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, आप अव्यवस्था करके माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन करें, यह क्या बात है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, अधिकारों के हनन का क्या सवाल है। अधिकारों के हनन का क्या सवाल है? (व्यवधान) खरी बात... (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): फिर तो सचेतक मिलकर माननीय सदस्यों के अधिकारों का हनन करें, सभापति महोदय। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इस सदन में जो सदस्य हैं, वह हमारे भी हैं और आपके भी हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, जो सदस्य यहां आ गये बोलने के लिये, वे बोलेंगे नहीं यहां पर?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): हां, नहीं है, छह बजे के बाद में नहीं चलाएंगे, यह तो सही बात है।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सदन आपकी बपौती नहीं है, आप नहीं चलाएंगे। यह कोई बात है क्या? फिर अभी आप बंद कर दीजिये। इसका मतलब आप सदन से भागना चाहते हैं क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): चलाएंगे, चलाएंगे।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): इस तरह से आप वादा करके ...(व्यवधान) यह तय हो चुका है बाकायदा। यह तय हो चुका है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हाउस को चलाइये। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सभापति महोदय, सदन संसदीय कार्य मंत्री की बपौती नहीं है। सदन सत्तापक्ष और प्रतिपक्ष दोनों का मिला-जुला सदन है। आप सर्वोच्च आसन पर विराजे हैं। हमारे से राय मांगी थी कि हम पूरे माननीय सदस्यों को विचार व्यक्त करने का मौका देंगे। यह कोई बात है।

श्री सभापति: विराजो, विराजो, विराजो आप।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): नहीं, सभापति महोदय, आप सोचें, आम बजट पर बहस और माननीय सदस्य सुबह से बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आम बजट पर बहस, आपके समय में आम बजट पर बहस 4 दिन होती थी, हमने 5 दिन दिये हैं आपको।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): अहसान किया है क्या, अहसान किया है क्या?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): अहसान है क्या कोई? (व्यवधान) वापस कर लो।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, उप नेता महोदय। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): आप उसको भी केलकुलेट कर लें कि पिछले समय रात को 11-11 बजे तक सदन चला है, बहस हुई है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सरकार भागना चाहती है, सरकार भागना चाहती है।

श्री सभापति: सचेतक महोदय, विराजिये। (व्यवधान) सचेतक महोदय, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सरकार अपनी आलोचना नहीं सुनना चाहती है। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये तो सही, आप विराजिये तो सही। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सरकार सत्ता के मद में चूर है। सरकार लगता है सत्ता के नशे में चूर हो गई है। यह कोई बात है क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजो तो सही, आप विराजो तो सही, आपके मुख्य सचेतक महोदय..। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आपके पास बोलने के लिये तो कुछ है नहीं। भागने के अलावा कोई रास्ता है नहीं आपके पास। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): माननीय सभापति महोदय, पिछले समय में सदन रात को 11-11 बजे तक चला है। (व्यवधान)

श्री सभापति: विराजो, पीछे से, विराजो, सचेतक महोदय, विराजो, आप तो विराजो। (व्यवधान)

श्री विजय बंसल (भरतपुर): सभापति महोदय, शाम को 8 बजे के बाद दिन खतम होता है और कार्यक्रम भी 8 बजे के बाद शुरू होता है, 8 बजे तक तो चलाओ।

श्री सभापति: हां, विराजिये, विराजिये, विराजिये आप। सचेतक महोदय, विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): राजेन्द्रजी, रोहिताशजी से तो पूछ लो कितने बजे तक चलाना है। रोहिताशजी पीछे क्या कह रहे हैं?

श्री सभापति: विराजिये, विराजिये।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): वह जल्दी खतम करना चाहते हैं, जबरदस्ती, आप उनसे पूछें, क्या कह रहे हैं। कितने बजे तक चलाना है, बता दो इनको। (व्यवधान)

श्री सभापति: आप विराजिये। शुभ संकेत हैं ना। विराजें आप। मेरा निवेदन है, उप नेता महोदय, समय जो तय किया गया, आपकी तरफ से जो लिस्ट दी गई कि प्रतिपक्ष की ओर से 11 माननीय सदस्य बोलेंगे, सत्तापक्ष की ओर से दिया गया 8 सदस्य बोलेंगे। समय का जो डिविजन हुआ, वह समय सीमा, सब आगे गये। सदन की और आप सबकी भावनाओं को देखते हुए उनको अवसर दिया गया। अब मैं आपको बताऊं जो समय दिया, उससे तीन तीन गुना ज्यादा समय माननीय सदस्यों को दिया। अब आपके माननीय सदस्य डा. जसवन्त सिंह यादव के बाद लगभग 7 सदस्यों को और बोलना है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, बुलवाइये।

श्री सभापति: एक मिनट, सुनिये आप। सत्तापक्ष की ओर से 3 माननीय सदस्यों को और बोलना है। अब आप यह बतायें कि सदन का समय, केवल आप दोनों की सहमति हो जाए, हमें कोई, सदन को कोई तकलीफ नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। लेकिन सदन का समय बढ़ाना, यह पूरे सदन के जो माननीय सदस्य बैठे हुए हैं, उनके अनुसार ही तो निर्णय किया जाएगा। इसलिये मेरा अनुरोध है आपसे, कल भी सभी माननीय सदस्यों ने अपना जो वक्तव्य था, पूरा किया, समय पूरा हुआ और वक्तव्य समाप्त हुआ।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): वैसे ही आप कर लीजिये।

श्री सभापति: मेरा निवेदन है आपसे कि यह सदन बिना आपसी सहमति के नहीं चल पायेगा। इसलिये केवल आप चाहें कि सदन का समय बढ़ाया जाए। सत्तापक्ष चाहे कि जो समय-सीमा है, उसके अनुसार ही रहा जाए तो यह बहुत मुश्किल होगा, सभी माननीय सदस्यों को समय देना। इसलिये मेरा अनुरोध है आपसे कि जो अभी सदन का समय आप सबकी सहमति से ही बढ़ाया गया, आधा घण्टा, 6 बजे तक चलने दें सदन को और इसके अन्दर

(श्री सभापति)

कोशिश करें कि जितने माननीय सदस्य अपना, चूंकि बोलने के लिये बोलना चाहेंगे तो बहुत लम्बा विषय है। उप नेता महोदय, आप बोलना चाहें तो तीन घण्टे तो आप अकेले खुद बोल सकते हैं बजट के ऊपर, इतना बोल सकते हैं। लेकिन हमको समय सीमा के अन्दर चलना पड़ेगा। मैंने समय सीमा के अन्दर सबके साथ वही न्याय किया है जो इस कुर्सी से आप अपेक्षित रखते हैं। इसलिये मेरा अनुरोध है आपसे सचेतक महोदय कि आप अपने माननीय सदस्यों को यह कहें कि वह समय सीमा का ध्यान रखते हुए बोलें। डाक्टर जसवन्त सिंहजी यादव।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है, सदन की परिभाषा पूरी होती है सत्तापक्ष, प्रतिपक्ष और आसन से मिलकर। मैं इसलिये सत्तापक्ष से अनुरोध कर रहा हूं कि आम बजट पर बहस और 7-7 माननीय सदस्य बोलने वाले हैं। अगर एक घंटा समय और बढ़ा देंगे तो कोई आफत नहीं टूट पड़ेगी। इस सदन की परम्परा रही है, सदन 11-11, 12-12 बजे तक चला है। इतने महत्वपूर्ण और मौलिक विचार आ रहे हैं, इसलिये मेरी, संसदीय कार्य मंत्रीजी आपसे प्रार्थना है और सचेतक महोदय आपसे प्रार्थना है कि कृपया सामंजस्य बना रहे, वातावरण अच्छा रहे। कुछ मौलिक विचार आयें, हम सहयोग करना चाहते हैं सदन चलाने में। इसलिये कृपया ईश्वर के लिये आप एक घंटा समय बढ़ायें।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): सहयोग का मतलब यह नहीं है कि आप हमें टर्म्स-डिक्टेट करवाओ। एक बार तय हो चुका है और आप सब लोग मौजूद थे वहां पर जब यह तय हुआ था कि सदन 5 दिन चलाइये, तो 5 बजे तक चलेगा और एक घंटा बढ़ेगा। यह तय हो चुका है। अब आप उस बात को वापस उठाना चाहते हो, उठाओ आप। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बदल दो आप।

श्री सभापति: विराजो, माननीय सदस्य, विराजो।, आपके उप नेता महोदय, सचेतक महोदय, बोल चुके हैं, आप विराजो। आप विराजो। डाक्टर जसवन्तसिंह यादव।

श्री अशोक पींचा (सरदारशहर): पहले समय सीमा तय कर लीजिये ना। (व्यवधान)

श्री सभापति: अभी चलने दो, बोलने दो। अभी समय सीमा में टाइम है। (व्यवधान) बोलने तो दो अब इनको।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, मेरा कितना डिस्टर्बेस हो गया, माननीय सभापति महोदय, मुझे देखो आप, कितना डिस्टर्बेस हो गया। अब मैं दुबारा से शुरू करूं क्या?

श्री सभापति: डाक्टर साहब, प्लीज आप शुरू करें। शुरू करो आप।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): माननीय सभापति महोदय, सरकार बहुत वाहवाही लूट रही है और बजट भाषण में भी लिखा हुआ है कि साहब 'शुद्ध के लिए युद्ध' शुरू किया। बहुत अच्छी बात है 'शुद्ध के लिए युद्ध' शुरू करना पर आप कहीं यह 'शुद्ध के लिए युद्ध' में सरकार तो अशुद्ध नहीं है। ऐसा लग रहा है वैसे तो यह सरकार खुद ही मिलावटी है तो सरकार मिलावटी हो वह किसी को न तो शुद्ध शासन दे सकती है, न 'शुद्ध के लिए युद्ध' कर सकती है। अब यह कहते हैं कि आदेश पारित किया जिले के व्यापारियों को बुलाकर कि साहब आप डिब्बाबंद ...(व्यवधान)

श्री सभापति: समाप्त करें डाक्टर साहब, पांच बजकर पांच मिनट पर आपने बोलना शुरू किया है, अपना वक्तव्य देना शुरू किया है। माननीय सदस्य, साढ़े पांच हो चुके हैं, 25 मिनट हो चुके हैं माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): बड़ी अच्छी बात कह रहा हूं, माननीय सभापति महोदय, आपके क्षेत्र में भी जाएगी यह बात। आपके क्षेत्र में भी जाएगी यह समस्या। मंत्री महोदय बैठे हैं यहां पर। चलो एक मिनट में कर देते हैं।

श्री सभापति: हां, एक मिनट में समाप्त कर दीजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 'शुद्ध के लिए युद्ध' जो सरकार ने चलाया है, एक बार इस स्थिति का भी गम्भीरता से सभी सदस्य जांच करें। 'शुद्ध के लिए युद्ध' चले किसी को बुरी बात नहीं पर यह डिब्बाबंद ही बिके, आपको पता है कि कोई मजदूर आदमी, कोई गरीब आदमी, रिक्शा वाला आदमी जो रोजाना एक रुपये का नमक, एक रुपये की मिर्च, एक रुपये की हल्दी खरीदने वाला आदमी भी इस तरह से डिब्बाबंद लेगा? जो गरीब आदमी परचूनी की दुकान गांव में करता है वह अपने घर पर ही मसाले पीसकर बेचता है। मंत्री महोदय यह निदेश देते कि आप 'शुद्ध के लिए युद्ध' में ...(व्यवधान)

श्री सभापति: यादव साहब, माननीय सदस्य। (व्यवधान)

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): 'शुद्ध के लिए युद्ध' में यह निर्देशित नहीं करना चाहिए था कि केवल डिब्बाबंद ही बिकेगा। यह करना चाहिए था कि कोई भी व्यक्ति अगर हम सैम्पल लेंगे ...(व्यवधान)

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी। माननीय सदस्य, समाप्त हो गया। क्षमा कीजिए।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): पूरा तो करने तो।

श्री सभापति: हां, कर दो। जल्दी कर दो।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कोई भी हम सैम्पल लेंगे अगर उसमें अशुद्धता पायी गयी तो हम उसको सज़ा देंगे पर मंत्री महोदय ने यह कौनसा निर्देश दे दिया कि केवल डिब्बाबंद ही मसाले या डिब्बाबंद ही सामान बिकेगा? मंत्री महोदय, इसमें ध्यान देने योग्य बात है कि गरीब आदमी का तो जीना बर्बाद कर दिया, केवल धनाढ्य और बड़ी-बड़ी इण्डस्ट्रीज और उद्योगपतियों के चक्कर में आकर 'शुद्ध के लिए युद्ध' शुरू कर दिया और वाहवाही लूट रहे हो। गरीब आदमी कहां जाएगा, कहां रोटी खाएगा? (व्यवधान)

श्री सभापति: यादव साहब, बस करो। माननीय सदस्य।

डा. जसवन्त सिंह यादव (बहरोड़): कैसे मसाले डालेगा? कैसे मिर्च डालेगा?

माननीय, मैं तो एक बात कहना चाहता हूं कि राजस्थान सरकार के पास न विजन है, न ईमानदारी है, न काम करने की क्षमता है, न आगे की सोच है इसलिए माननीय सभापति महोदय, पांच साल तो यह मस्ती मार लो, फिर हमको उसी बेंच पर बैठना है जाकर। राम-राम, धन्यवाद और जय हिन्द।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी। दिगम्बर सिंहजी

डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर): माननीय सभापति महोदय, पहले सदन के समय के ऊपर आप ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जब तक रोहिताश्वजी हैं न तब तक तो आपको इधर आने ही नहीं देंगे। वह चिन्ता मत करो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): डाक्टर साहब, अब तो बैठो आप लोग। (व्यवधान)

डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर): एक मिनट, महेन्द्रजी। पहले सदन के समय के बारे में आपकी तरफ से बात तय हो जाए क्योंकि अभी जितने हमारे माननीय सदस्य बैठे हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अभी दिगम्बर सिंहजी, बोलने दें उन्हें। बोल रहे हैं, आप विराजो। प्लीज, बोलने दीजिए।

डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर): बोलेंगे न। हम तो चाह ही रहे हैं बोलें। सब लोग बोलें। (व्यवधान)

श्री सभापति: अभी समय है। अब आप विराजो एक बार।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): छह बजने दो पहले। अभी समय है। पांच बजकर 50 मिनट हो जाए तब आप बोलें।

श्री सभापति: आप दोनों सहमति कर लें।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, हम नावां से आने वाले माननीय सदस्य के विचार सुनना चाहते हैं। पहली बार बोल रहे हैं।

श्री सभापति: पहली बार बोल रहे हैं।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): पहली बार बोल रहे हैं वह पर मेरी यह प्रार्थना है कि अगर सत्तारूढ दल यह तय करके बैठा है कि हमें सदन को कम से कम समय के लिए चलाना है और इतनी हठधर्मिता कर रहा है कि हमारी बराबर प्रार्थना करने पर भी सदन का समय नहीं बढ़ा रहे, यह कैसा लोकतंत्र है? यह बहुमत की आड़ के अन्दर बिलकुल सत्ता के मद में चूर हो रहे हैं। इनको हमारी बात माननी चाहिए। माननीय सभापति महोदय, मेरी प्रार्थना है कि पहले यह तय हो जाए ...(व्यवधान)...

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय सभापति महोदय, यह बिजनस एडवाइजरी कमेटी के खुद मैम्बर हैं और यह सदन के समय बढ़ाने के मामले में बिजनस एडवाइजरी कमेटी में ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): कि सदन का समय आप एक घंटा और बढ़ा दें। एक घंटे का और बढ़ा दें ताकि हमारे माननीय सदस्य विचार व्यक्त कर लें।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप भी हैं।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यही तय हुआ था कि एक घंटे बढ़ाएंगे। यह तय हुआ उसमें, यह भी थे और आप भी थे। उप नेता महोदय भी थे। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): रघुजी, आप दस मिनट की बजाए कितने मिनट बोले?

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): मैं चाहता हूं कि उसको बदला जाए। हमारा ठेका नहीं हुआ कोई। (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): आप दस मिनट की जगह एक घंटा बोले तो यह भी बदल जाएगा। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अमरारामजी, आप विराजिये।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, विराजिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जब आप दस मिनट की जगह एक घंटा बोल सकते हैं तो छह बजे की जगह सात बजे भी हो जाएगा। (व्यवधान)

श्री सभापति: माननीय सदस्य, विराजिये। माननीय सदस्य, विराजिये। आप विराजिये। श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): विराजने की बात नहीं है। माननीय सभापति महोदय, नहीं, हम आसन से प्रार्थना करते हैं ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय, विराजिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): हम आपका संरक्षण चाहते हैं। माननीय सभापति महोदय, कि यह आसन हमें संरक्षित करेगा। (व्यवधान) हमें आपका संरक्षण चाहिए।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आसन को चलाने की कोशिश ...(व्यवधान)...

श्री सभापति: आप विराजिये तो सही।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आसन को संरक्षण के नाम पर प्रभावित करने की कोशिश मत करें।

श्री सभापति: श्री महेन्द्र चौधरी।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): माननीय सभापति महोदय, अगर यह हठधर्मिता रही, पहली बार बोल रहे हैं, माननीय सदस्य, हम इनको सुनना चाहते हैं, नावां से आने वाले माननीय सदस्य, महेन्द्र चौधरीजी को ...(व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता महोदय, पहली बार बोल रहे हैं। नये सदस्य हैं।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हां, इनको सुनेंगे। पूरा सुनेंगे। मैं यह कहना चाहता हूं कि यह हठधर्मिता है। हो सकता है कि हमने कोई फैसला लिया छह बजे का, मैंने उसी समय भी कहा था कि छह बजे का नियम कोई नहीं है। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): नहीं, नहीं किया है।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): कोई नियम नहीं है। अगर आप लोग सत्ता पक्ष इस बात पर हठधर्मिता, हम चाहते हैं सदन चले, इसमें समस्या क्या है? केवल भाषण की ही तो बात है। (व्यवधान)

श्री सभापति: अभी आप इनको भी बोलने दें। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): बुलाएंगे न। मैं यह कह रहा हूं कि सवा छह बजे मीटिंग है। अपन मीटिंग करते रहेंगे और यह चलता रहेगा। आज जाएंगे वापस अपन, क्या फर्क पड़ता है? (व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): जिनको जल्दी है वह जा सकते हैं। (व्यवधान)...

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): एक बात बताओ। आप विराजो एक मिनट। मेरी बात सुनो।

श्री सभापति: माननीय सदस्य, संसदीय कार्य मंत्रीजी बोल रहे हैं। इनको बोलने दें।

श्री श्रवण कुमार (सूरजगढ़): आधा समय तो आप खाते हो। आधा समय तो आप ही ...(व्यवधान) आप बोलने देते नहीं हो। आधा समय तो आप खा जाते हो।

श्री सभापति: आप विराजिये तो सही। आप विराजिये। संसदीय कार्य मंत्रीजी बोल रहे हैं। (व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): आप एक बात बता दो कि जब बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग हुई, आपने पांच दिन मांगे। हमने आपको बताया कि 1999-2000 के साल में चार दिन हुए, 2001 में चार दिन हुए, 2002 में चार दिन हुए, 2003 में चार दिन हुए और बल्कि 2003-04 में तो तीन ही दिन हुए, और 2004-05 में जब आपका राज था तब चार दिन हुए, 2005-06 में चार दिन हुए, 2006-07 में चार दिन हुए, 2007-08 में चार दिन हुए तो भी हमने बड़ा दिल रखकर पांच दिन आपकी मांग के अनुसार माना और यह तय किया साथ में, आपने ही यह तय किया कि हाउस पांच बजे तक चलाइये। घंटा भर और बढ़ा दीजिए। अब आज आप उससे भी फिर रहे हो तो समझ में नहीं आती बात फिर क्या करना चाहते हो आप? किसी एक बात पर तो कायम रहो।

डा. दिगम्बर सिंह (कुम्हेर): पांच दिन का वाद-विवाद करके क्या अहसान किया है?

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, आपकी बातों में अविश्वसनीयता झलकती है और यही कारण रहा कि आज आप उधर बैठे हुए हो। (व्यवधान)

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): हम उधर बैठे हैं, ठीक है। आप भी बैठते हैं और हम भी बैठते हैं। आपने बहुत बड़ा दिल रखा। आपने चार से पांच दिन कर लिया, यह आपकी बड़ी कृपा है। अब मैं आपसे इतना ही आग्रह कर रहा हूं कि थोड़ा और दिल को बड़ा कर दीजिए और आज अपन बैठक करेंगे सवा छह बजे, अपनी बैठक चलेगी सात बजे तक, यह काम ...(व्यवधान)

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): वह दिल बड़ा करते ही दिल बढ़ जाएगा ...(व्यवधान)

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): सवा छह बजे तो मीटिंग ही है।

श्री सभापति: उप नेता महोदय, आप विराजिये। आप बोलने तो दो इनको। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, माने इसका मतलब यह हुआ, सत्ता पक्ष ...(व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय, विराजिये। अभी उनको बोलने दो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): माननीय सभापति महोदय, इसका मतलब यह हुआ कि सत्ता पक्ष हमारी इस प्रार्थना को बिलकुल स्वीकार करने को तैयार नहीं कि यह सदन का समय एक घंटा और बढ़ाये। हमारी इस प्रार्थना को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है और माननीय सभापति महोदय, बिजनस एडवाइजरी कमेटी में क्या-क्या विचार-विमर्श होता है उसकी चर्चा इस सदन में नहीं की जा सकती। यह परम्परा नहीं है और मुझे अफसोस है कि यह तय नहीं हुआ था कि पांच बजे तक सदन चलेगा। यह तय जरूर हुआ था कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: आप दोनों जाकर तय कर लो न। आप विराजो। आप बैठकर तय कर लो। आप पधारो। (व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): यह तय जरूर हुआ था कि पांच दिन सामान्य वाद-विवाद पर बहस होगी। मेरी प्रार्थना है।

श्री सभापति: आप इनको तो बोलने दें और आप तय कर लें जाकर, उप नेता महोदय, आप मुख्य सचेतक महोदय ...(व्यवधान)

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): माननीय, आप असत्य बात कर रहे हैं। यह बिजनस एडवाइजरी कमेटी में तय हुआ था कि ...(व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप बैठ जाओ एक बार। इनको बोलने दो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अब आप बैठ जाओ, एक बार। (व्यवधान)

श्री सभापति: यह पहली बार तो खड़े हुए हैं ...(व्यवधान)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मेरे को कोई एतराज नहीं है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): नये सदस्यों को बोलने दो।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): मैं बोल लूंगा तो कोई क्या ...(व्यवधान) मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तब ही आ रही है क्या तकलीफ? आप एक बार बैठिये। हम आपको तंग करते हैं क्या बार-बार?

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हर बात पर खड़े होते हैं आप। टाइम मिला है, उसका उपयोग करने दीजिए।

श्री सभापति: आप इनको बोलने दें।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): जब मैं बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं तब ही यह कौनसी बात आ गयी? अब बैठिये आप। मैं अपनी बात कह दूं, उसके बाद बोल लेना आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): आप विराजिये। इनको बोलने दीजिए। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): जब छह बज जाएं तब अपनी बात कह लेना आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): जो टाइम मिला है, उसका उपयोग करने दीजिए। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अब बैठिये आप।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): हर बार खड़े हो जाते हो। मजाक बना रखा है इस सदन को आपने। (व्यवधान)

श्री सभापति: सचेतक महोदय, बैठिये।

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): मुझे कोई एतराज नहीं है। मुझे कोई एतराज नहीं है पर यह सदन सत्ता दल की प्रोपर्टी भी नहीं है। (व्यवधान) सम्पत्ति भी नहीं है, यह कोई बात हुई क्या? (व्यवधान)

श्री सभापति: आप कमरे में तय कर लें। यह चीजें आप कहते हैं, सदन में रखना उचित नहीं है। आप अन्दर जाकर तय कर लें।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): यह कितनी बार इण्टरवीन करते हैं, कितनी बार खड़े होते हैं, हर बार टोकते हैं। (व्यवधान)

श्री सभापति: अमरारामजी, बैठिये।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): माननीय सभापति महोदय, सवा छह बजे बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है। आधा घंटा वैसे ही चलेगी। यह कोई शांती धारीवालजी को कोई अगर जल्दी है तो वह जल्दी जा सकते हैं बाकी बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग है सवा छह बजे, सात वैसे ही बजेंगे तो मेरा अनुरोध है सत्ता पक्ष से कि सात बजे तक कहां क्या दिक्कत आ रही है। जब आप यहां सात बजे तक विराजेंगे तो हाउस में जो भी है वह चर्चा कर लें, कहां दिक्कत है? (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): अब आप विराजो, अमरारामजी।

श्री शांती कुमार धारीवाल (गृह मंत्री): नहीं, आप जो कुछ तय हुआ, उसमें आप भी मौजूद थे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): नहीं-नहीं, मैं कब कह रहा हूं? मैं तो कह रहा हूं कि सवा छह बजे बिजनस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग बुलायी है। (व्यवधान)

मैं तो कह रहा हूं सवा छह बजे बिजनैस एडवाइजरी कमेटी की मीटिंग अध्यक्ष महोदय ने बुलाई है।

डा. रघु शर्मा (केकड़ी): साढ़े छह बजे।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): साढ़े छह बजे बुलाई है तो सात तो वैसे ही बजेंगे तो सात बजे तक हाउस चल जाये तो कहां दिक्कत है?

श्री कैलाश चन्द्र त्रिवेदी (सहाड़ा): आप दो मिनट विराजो, छह तो बजने दो।

श्री अमराराम (दांतारामगढ़): बेनीवालजी जो लीक करते हैं, वह भी नहीं होगा। बिजनस एडवाइजरी कमेटी की रिपोर्ट है, वह आज ही सदन में रखी जायेगी। वह इसको लीक नहीं करेंगे, वरना कल तक लीक कर देंगे। (व्यवधान)

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, मैं नागौर ..(व्यवधान) तिवाड़ीजी, एक बार विराजो।

श्री घनश्याम तिवाड़ी (सांगानेर): सभापति महोदय, अगर यह जिद है तो फिर हम जाते हैं। हम जा रहे हैं फिर। (व्यवधान)

श्री सभापति: उप नेता महोदय, उनको बोलने तो दो। एक नये सदस्य हैं। एक नया सदस्य बोल रहा है। (व्यवधान)

बहिर्गमन

(भारतीय जनता पार्टी एवं प्रतिपक्ष के माननीय सदस्यों द्वारा सदन से बहिर्गमन)

श्री राजेन्द्र राठौड़ (तारानगर): सत्ता रूढ़ दल का यह रवैया बिलकुल. (व्यवधान)

श्रीमती बीना काक (महिला एवं बाल विकास मंत्री): इनको जाना तो वैसे ही था। राजेन्द्रजी, यह ठीक है। जाना तो वैसे ही था। यह काफी देर से आसार नजर आ रहे थे कि जाना चाह रहे हैं सब। जाओ-जाओ। (व्यवधान)

श्री सभापति: अब आप बिराज जाओ। आप जारी रखो।

एक माननीय सदस्य: सुनने की क्षमता रखो।

श्री सभापति: महेन्द्रजी बोलो आप।

श्री महेन्द्र चौधरी (नावां): सभापति महोदय, मैं प्रथम बार चुनकर आया हूं और राजस्थान की इस विधान सभा में मुझे बोलने का अवसर मिला है। राजस्थान विधान सभा के सम्माननीय सदन में आसन के पीछे राष्ट्रपिता महात्मा गांधीजी की जो तस्वीर लगी है, वह तस्वीर महात्मा गांधी के दिखाये गये रास्ते पर चलने की, उनके आदर्शों के पालन की हमें हर पल प्रेरणा देती है। 8 जुलाई को माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बतौर वित्त मंत्री जो बजट पेश किया है वह महात्मा गांधी के सपनों को पूरा करने की दिशा में एक दृढ़ प्रयास है। महात्मा गांधी ने कहा था आजादी का असली मकसद तभी हासिल होगा जब देश के गांवों में समाज के सबसे अन्तिम छोर पर बैठा हुआ व्यक्ति का उत्थान होगा और उसे ताकत मिलेगी। यह बजट उसी कमजोर आदमी को ताकत देने की दिशा में एक सार्थक कोशिश है। समाज का वह कमजोर वर्ग इस प्रदेश का एक आदिवासी भी हो सकता है, एक मजदूर भी हो सकता है, मानसून से जूझता हुआ एक किसान भी हो सकता है। इस बजट में समाज के इन वर्गों को ताकत देने की कोशिश की गयी है और यह कोशिश सरकार के कल्याणकारी और विकासोन्मुखी एजेण्डे को जाहिर करती है। मैं इस सम्माननीय सदन में बैठे और जो कुछ समय के लिये प्रतिपक्ष के माननीय

(श्री महेन्द्र चौधरी)

सदस्य बाहर चले गये, उनको याद दिलाना चाहता हूं, वह टी.वी. के माध्यम से देख रहे होंगे, उन्होंने 6 वर्ष पूर्व किस हालत में इस प्रदेश को खड़ा किया था। प्रदेश की जनता त्रस्त थी। सरकार महलों में बैठी थी। आम आदमी की फरियाद नहीं थी और न ही भाजपा के लोग अपने चुनावी वायदों को पूरा करने के प्रति गम्भीर थे।

राज्य का कर्जा बढ़ाकर 82 हजार करोड़ रुपये तक पहुंचा दिया। प्रदेश में शराब से मौतें हो रही थीं और सरकार आठ घंटे बिजली देने में नाकाम हो रही थी। पूर्ववर्ती राजस्थान सरकार की नाकामियों को गिनाने के लिये वैसे तो फेहरिस्त बहुत लम्बी हो जायेगी। हम यहां पर सिर्फ इसलिये याद दिला रहे हैं कि पांच साल तक बदहाली, भ्रष्टाचार के घेरे में रहे राज्य को विकास की पटरी पर वापस लाना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस तरफ इस बजट में साहसिक और सार्थक कदम बढ़ाया गया है। यह बजट हम नहीं, राज्य के सभी प्रमुख समाचार पत्रों के सम्पादकीय भी इसको लिख चुके हैं। समाज के हर वर्ग का इस बजट में एक आत्मविश्वास बढ़ा है। गांवों में गरीब के साथ आम आदमी को समर्पित इस बजट में किसानों, दलितों, अल्पसंख्यकों और महिलाओं के लिये विशेष प्रावधान किये गये हैं। यह बजट युवाओं और किसानों की उम्मीदों और आकांक्षाओं का बजट है। इस बजट में प्रदेश में 15 हजार किलोमीटर तक राजमार्गों के विस्तार की घोषणा सरकार का एक महत्वपूर्ण कदम है। हम गांव से आते हैं, किसान के बेटे हैं। हम जानते हैं गांवों में सड़क तरक्की का एक पैगाम लेकर आती है। पहले गांव में सड़क नहीं होने से न वहां बस जाती थी, न डाक्टर जाता था और न मास्टर जाता था। गांवों को सड़कों से जोड़ने से किसानों की, गांवों की तस्वीर बदलेगी।

नावां का नमक उद्योग जिस क्षेत्र से मैं चुनकर आता हूं, बहुत लम्बे समय से सड़कों के विकास और वहां मजदूरों के कल्याण की बाट जोह रहा था। इस बजट में नावां क्षेत्र के लोगों का एक सपना पूरा करने का प्रावधान किया गया है। इसके लिये मैं मुख्य मंत्रीजी, अशोकजी गहलोत का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। इस बजट में करीब 77 हजार नई भर्तियों के दरवाजे खोले गये हैं। राजस्थान आजीविका मिशन का पुनर्गठन कर इसे राजस्थान कौशल और आजीविका मिशन में परिवर्तित करने का एक बहुत बड़ा निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही किसानों के लिये यह बजट एक नई शुरूआत का शंखनाद है, क्योंकि यह बजट एक किसान के बेटे ने पेश किया है। जो

(श्री महेन्द्र चौधरी)

किसानों की तकलीफ को समझता है। एक झोंपड़ी में बैठे हुए व्यक्ति की तकलीफ को समझता है, क्योंकि माननीय अशोकजी गहलोत की पकड़ झोंपड़ी में बैठे हुए गरीब और मजदूर के साथ में है।

किसानों को वह दिन भी याद है जब महलों के कंगूरों पर बैठकर किसानों के हित की थोथी घोषणाएं की जाती थीं। किसानों के साथ 250 करोड़ के किसान सहायता कोष की बात की गयी थी। 2003 के बीजेपी के लोग यहां पर हैं नहीं, टी.वी. पर देखा, जो उनका घोषणा-पत्र है इसके पीछे हमारी प्राथमिकताएं हैं, इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया है। पहले नम्बर और दूसरे नम्बर पर जो दो बड़ी प्राथमिकताएं दी हैं, 175 करोड़ का किसान कल्याण कोष का वादा, जो कभी अस्तित्व में नहीं आया। 250 करोड़ का किसान सहायता कोष का वादा पांच साल बीत गये, महल खण्डहरों में बदल गये, लेकिन किसान सहायता कोष का सपना-सपना ही रह गया।

जयपुर में काश्तकारों की जमीनें बेच डाली गयीं। पांच साल तक जिस तरह का शासन प्रदेश की जनता ने देखा है, वह आजादी के 61 वर्षों में एक काले अध्याय के रूप में हमेशा गिना जायेगा।

कृषि के मामले में वादे करना और उन्हें निभाना बहुत साहस का काम है। इस बजट में पाले और शीतलहर को प्राकृतिक आपदा में शामिल करने की घोषणा की गयी है। कृषि पर 1977 करोड़ रुपये खर्च करने का निर्णय किया गया है। पिछले वर्ष की तुलना में 21 प्रतिशत अधिक है। बजट में किसानों को जो आत्मविश्वास दिया गया है, वह प्रदेश की कृषि अर्थव्यवस्था की मजबूती में एक बुनियाद बनेगा। सरकार ने अगले पांच वर्षों तक किसानों के लिये विद्युत दरों में बढ़ोतरी नहीं करने का जो फैसला किया है, इससे प्रदेश के खेत-खलिहानों में, चौपालों में, किसान वर्ग को एक नई ताकत मिलेगी। दिसम्बर, 2007 तक के बकाया सभी 90 हजार आवेदकों को विद्युत कनेक्शन जारी कर दिये जायेंगे, जो एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक कदम है। पिछली सरकार ने पांच साल तक किसानों का सम्मान नहीं किया। किसान के बेटे को गोलियों से भूना गया, लेकिन यह सरकार किसानों की हितैषी सरकार है इसलिये किसान आयोग का महत्व समझती है। प्रदेश में कृषि व्यवसाय एवं उद्योग नीति के लिये सरकार संकल्पबद्ध है।

मैं नरेगा को हरित राजस्थान से जोड़े जाने पर राज्य सरकार के फैसले की सराहना करता हूं। वृक्ष गांव के गरीब और किसान के लिये भगवान

(श्री महेन्द्र चौधरी)

का स्वरूप है। समाज के कमजोर वर्ग के हितों का इस बजट में नरेगा के जरिये ही ख्याल नहीं रखा गया है बल्कि बीपीएल के परिवारों को मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष के माध्यम से नि:शुल्क चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने की घोषणा की गयी है। पुरानी बीपीएल सूची के जिन लोगों का नाम नई सूची में रह गया था, उनको स्टेट बीपीएल मानते हुए इस योजना में शामिल करने का निर्णय बहुत ही साहसिक निर्णय है। एक संवेदनशील सरकार ही इस प्रकार का साहसिक कदम उठा सकती है। हमारे सामने जो साथी गये और ओमजी बिरला जा रहे हैं, यह सुन लें, इनके समय में नरेगा योजना का राजस्थान में क्या हश्र हुआ, यह हम सब जानते हैं।

नरेगा में काम करते हुए 25 ग्रामीणों की मौत इन्हीं लोगों के समय में हुई। मैं रिकार्ड दिखा सकता हूं। इन्हीं नरेगा के प्रभावी रूप से क्रियान्वयन के लिये राज्य सरकार का संकल्प प्रदेश के गरीब कमजोर वर्ग के लिये एक संजीवनी बनेगा। मैं कहना चाहता हूं नरेगा प्रदेश के गांव के लिये प्रकाश की एक भाषा है। लेकिन पिछली सरकार अंधकार में जीती रही, इसलिये प्रकाश की भाषा का सम्मान नहीं कर सकी। मैं आचार्य महाप्रज्ञजी की एक कविता हमारे जो माननीय सदस्य चले गये हैं, उन अंधकारप्रिय साथियों की चेतना में लाने के लिये याद दिलाना चाहता हूं। 'प्रकाश की भाषा को अंधकार क्या जाने, और चेतना की भाषा को पदार्थ क्या जाने।'

शिक्षा के मामले में हमारी सरकार ने माध्यमिक स्कूल्स क्रमोन्नत किये। पिछली सरकार ने थोथी वाहवाही करने के लिए वोट बटोरने के लिए स्कूल्स को तो क्रमोन्नत कर दिया लेकिन अध्यापक नहीं लगाये गये। जिससे शिक्षा का वातावरण बिगड़ा, स्कूल्स का परिणाम खराब रहा। हम याद करना चाहते हैं 1998 में राजस्थान के लोकप्रिय मुख्य मंत्री अशोकजी गहलोत को, उन्होंने गांव और ढाणियों के उन बच्चों का ध्यान रखा, हिन्दुस्तान के उस महान प्रधानमंत्री रहे हुए राजीव गांधी के नाम से, जिन्होंने इस देश के 18 साल के नौजवान को वोट डालने का अधिकार दिया था, हजारों राजीव गांधी पाठशालाएं खोली गयीं। वो बेरोजगार विद्यार्थी रोजगार पर लगे, वह पांच लाख बच्चे जो कभी स्कूल नहीं जाते थे वह स्कूल जाने लगे। इनकी सरकार बनने के बाद में इन्होंने क्या किया? राजीव गांधीजी का नाम उन स्कूलों पर से हटा दिया, इसके अलावा इनसे कुछ नहीं हुआ।

वसुन्धरा राजे की सरकार थी, उस समय नागौर में चुनाव प्रचार में गयी थीं, वहां पर कहा था कि अशोक गहलोत में अगर दम है तो जिस प्रकार

(श्री महेन्द्र चौधरी)

से पहले चार सीट कांग्रेस की आयी थीं उसी प्रकार से बी.जे.पी. की चार सीट करके दिखायें। आपको ध्यान दिलाना चाहते हैं कि उनके उस वक्तव्य के ऊपर प्रदेश की जनता ने चार सीटों पर भारतीय जनता पार्टी को ला दिया है इस स्थिति में।

तिवाड़ीजी को मैं सामने कहना चाहता था, वो चले गये, छात्र संघ का मैं अध्यक्ष रहा हूं, छात्र संघ का अध्यक्ष रहते हुए ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों के लिए पांच प्रतिशत बोनस अंक दिलाने का राजस्थान विश्वविद्यालय में आज तक किसी भी विश्वविद्यालय में ग्रामीण क्षेत्र के बच्चों को प्रवेश में पांच प्रतिशत का कोई नियम नहीं था लेकिन मेरे कार्यकाल के अन्दर लागू हुआ था और इन्हीं घनश्याम तिवाड़ीजी के कार्यकाल में उस नियम को हटा दिया गया। छात्र संघ अध्यक्ष के जो चुनाव होते थे उन चुनावों को रोक दिया गया। आज हम धन्यवाद देंगे कि राजस्थान विश्वविद्यालय के हम आठ प्रेसीडेंट इस विधान सभा के अन्दर हैं, चार विपक्ष में और चार पक्ष में। राजस्थान विश्वविद्यालय के आठ ही हैं।

अन्त में मैं कहना चाहूंगा कि यह प्रदेश के विकास के लिए विकास का बजट है, यह राज्य में नयी चेतना की दस्तक का बजट है और इससे बढ़ कर यह महात्मा गांधी के स्वराज के सपने को साकार करने की दिशा में एक बजट है जिसमें खादी एवं ग्रामोद्योग को स्थायी रूप से कर मुक्त कर दिया गया है।

मैं अपनी बात साहसिक, कल्याणकारी बजट पेश करने पर मुख्य मंत्रीजी के लिए दो शब्द कह कर समाप्त करना चाहता हूं इस विश्वास के साथ कि गांव, गरीब और आम आदमी को इस राज में हर दिन एक नयी ताकत मिलेगी। हम भी दरिया हैं, हमें अपना हुनर मालूम है, जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता हो जायेगा। धन्यवाद।

श्री सभापति: श्रीमती ममता भूपेश। (अनुपस्थित) श्री गोविन्द सिंह डोटासरा।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): सभापति महोदय, चूंकि विपक्ष बाहर जा चुका है लेकिन मुझे ध्यान है कि गैलेरी में मेरी बात सुन रहा है। मैं सबसे पहले यह जो परिवर्तित बजट 2009-10 है इसके समर्थन में अपनी बात रखना चाहता हूं।

माननीय सभापति महोदय, हमारे राज्य की अब तक की सबसे बड़ी वार्षिक योजना है जो पिछली योजना से 33 प्रतिशत अधिक है। इसमें सभी,

(श्री गोविन्द कुमार डोटासरा)

सार्वजनिक निर्माण विभाग हो, चाहे परिवहन हो, शिक्षा हो, कृषि हो, स्वास्थ्य हो, सभी पर उचित ध्यान दिया गया है। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने सार्वजनिक निर्माण विभाग पर पिछली योजना की तुलना में 29 प्रतिशत अधिक बजट का प्रावधान रखा है जिसमें पांच वर्ष में 15000 किलोमीटर सड़कों का सुदृढ़ीकरण और नवीनीकरण होगा और चालू वर्ष में 5000 किलोमीटर सड़कें होंगी।

माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने परिवहन के हिसाब से स्टेट रोड सेफ्टी कौंसिल का गठन किया है जो आये दिन होने वाली सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए होगा। एक हजार नयी बसें भी क्रय करने का प्रावधान किया है, 2375 नये कार्मिकों की भर्ती का भी प्रावधान किया है। राजीव गांधी का सपना था कि कम्प्युटर आएं, मोबाइल आएं और कम्प्यूटर से कार्यालय, सब को कम्प्यूटर से जोड़ने का भी प्रावधान किया है।

माननीय सभापति महोदय, ऊर्जा के क्षेत्र में भी 945 मेगावाट की बढ़ोतरी एक साल में करें, इस बात का भी प्रावधान किया है और विद्युत सुधार कार्यक्रम में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2000 करोड़ की ग्राम पंचायतों में विद्युत वितरण की योजना चालू वर्ष में चलाने का काम किया है।

माननीय सभापति महोदय, पेयजल के विषय में भी 23 प्रतिशत से अधिक बजट का प्रावधान किया है। कई जगहों पर फ्लोराइड से मुक्त योजनाओं को चालू करने का भी निर्णय किया है। सभापति महोदय, मैं इस माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर का कस्बा भी फ्लोराइड से युक्त है और लोग कूबड़े हो रहे हैं, मुख्य मंत्रीजी से निवेदन करना चाहता हूं कि मेरे लक्ष्मणगढ़ और फतेहपुर में भी फ्लोराइड मुक्ति की योजना चालू की जावे।

सभापति महोदय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग में भी माननीय मुख्य मंत्री महोदय ने अपने बजट में मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष की स्थापना की है और उससे बी.पी.एल. की सूची में स्टेट बी.पी.एल. को भी मान कर के एक बहुत बड़ा काम किया है जबकि पिछली सरकार ने यह जो मुख्य मंत्री जीवन रक्षा कोष है इसके बजाय जीवन रक्षा चाहिए तो मुख्य मंत्री कोष में पैसा दीजिए, इस प्रकार की योजना इन्होंने चालू की थी। माननीय मुख्य मंत्रीजी ने बाबू जगजीवन राम योजना एस.सी., एस.टी और ओ.बी.सी. के लोगों के लिए भी चालू की है।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सभापति महोदय, मैं बहुत बातें कहना चाहता हूं। अल्पसंख्यकों के लिए भी किया है, नरेगा जैसी योजना में गांव, पंचायतों को कम्प्यूटर से जोड़ने का काम भी किया है। सभापति महोदय, जयपुर मैट्रो, रिंग रोड, अजमेर-पुष्कर विकास की योजना और 90 बी में संशोधन, महिला थाने और महिला सशक्तीकरण के लिए उपनिरीक्षक के 480 पद, कांस्टेबल के 1995 और कांस्टेबल के 5000 रिक्त पद भरने का भी इस बजट में प्रावधान किया गया है, जो वास्तव में प्रशंसनीय है।

सभापति महोदय, इन्होंने क्या किया वह मैं दो मिनट थोड़ा-सा निवेदन करना चाहता हूं।

श्री सभापति: समय कम है।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): शिक्षा नीति में इन्होंने घनश्यामजी को ठीक करने का काम किया, खनिज नीति में तत्कालीन मंत्री महोदय को ठीक करने का काम किया, समाज कल्याण में मंत्रालय मंत्री से छीनने का काम किया, राजस्थान आवासन मण्डल में इन्होंने हिस्सा बराबर बांटने के लिए 90 बी में दलाली का काम किया, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति में किरोड़ीलालजी से इस्तीफा दिलवाकर के दम लिया। इन्होंने कृषि मंत्रालय में, जो हमारे पूर्व कृषि मंत्री थे, वह चले गये, इन्होंने आगंनबाड़ी में घोटाले करने का काम किया। वित्त मंत्रालय में रातों-रात बैठ कर के सेवानिवृत्त अधिकारियों से पैसे लेकर के लिस्टें निकलवाने का, तबादला सूची का काम किया। जल संसाधन में इन्होंने 14200 करोड़ की योजनाएं बिना वित्तीय प्रावधान करने का काम किया।

मैं और भी निवेदन करना चाहता हूं। हमारे माननीय मुख्य मंत्रीजी ने हरित राजस्थान का नारा दिया, पूरा राजस्थान हरा-भरा हो इस बात का प्रयास किया। इन्होंने चलाया जरूर लेकिन ड्रिंकिंग राजस्थान का चलाया, देशी पीजिए, विदेशी पीजिए और पूरे पी कर के मगन रहिये, यह प्रोग्राम किया।

मैं, सभापति महोदय, मुख्य मंत्रीजी का इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि 'शुद्ध के लिए युद्ध' जो चालू किया है इससे आम लोगों को राहत महसूस हुई है और जो मिलावटी घी, तेल, शक्कर, चीनी लोग खाते थे उससे इनको निजात मिलेगी। इन्होंने भी यह योजना चालू की थी लेकिन इन्होंने की थी 'युद्ध में शुद्ध', कि आपस में मंत्री और मुख्य मंत्री युद्ध करें और बराबर बराबर हिस्सा बांट लें। इस प्रकार का प्रोग्राम इन्होंने चालू किया था।

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

सभापति महोदय, मुख्य मंत्री महोदय ने गरीब को गणेश मान करके सबसे पहले जब मुख्य मंत्री बने तो एस.एम.एस. में गये थे और इन्होंने गरीब को परेशान करने के अलावा कोई काम नहीं किया। मैं इनको कहना चाहता हूं कि अगर गरीब को आप परेशान करोगे, गरीब रो देगा तो वो जड़मूल से खो देगा। और जब गरीब की बददुआ लगती है तो सामने जाने में देर नहीं लगती और यह इनके साथ में हुआ। इन्होंने 90 बी को ले लीजिए चाहे किसी भी योजना में ले लीजिए, गरीब को परेशान करने का काम किया है।

मैं, माननीय सभापति महोदय, निवेदन करना चाहता हूं कि हमारे मुख्य मंत्रीजी ने पुराने किलों के जीर्णोद्धार का काम किया और इन्होंने अपनी ही पार्टी के पुराने किलों को ढहाने का काम किया। यह इनका सोच है, यह इनके काम हैं। इन्होंने महिला संस्कृति और महिला सशक्तीकरण में, पर्यटन और संस्कृति में वह काम किया जो आज तक राजस्थान के इतिहास में नहीं हुआ, पुष्कर जैसे धार्मिक स्थल पर इजराइली महिला को प्रशासन के सामने नंगा नाच कराने का काम किया। यह इनके कारनामे हैं।

मैं गांधीवादी विचारधारा के माननीय मुख्य मंत्रीजी को इस बात के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं कि इन्होंने शानदार बजट पेश किया है। गांव, अवाम के पक्ष में है, गरीब के पक्ष में है। मैं केवल मेरे क्षेत्र के लिए माननीय मुख्य मंत्रीजी से इस सदन के माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि एक सरकारी कालेज और एक ट्रोमा यूनिट की स्थापना करवा दी जावे तो बहुत अहसान होगा।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

सभापति महोदय, मैं माननीय मुख्य मंत्रीजी का इस माध्यम से धन्यवाद देना चाहता हूं, मुझे समय कम मिला लेकिन फिर भी मैंने शोर्ट में मेरी बात निवेदन करने की चेष्टा की है।

(समय-समाप्ति-सूचक घंटी)

श्री सभापति: माननीय सदस्य। माननीय सदस्य।

श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़): मैं धन्यवाद देना चाहता हूं। बहुत-बहुत धन्यवाद। जय हिन्द।

श्री सभापति: सदन की बैठक सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2009 के प्रात: 11.00 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

(तदनन्तर सदन की बैठक 18.00 बजे सोमवार, दिनांक 13 जुलाई, 2009 के 11.00 बजे तक के लिए स्थगित हुई)

समयाभाव के कारण सदन में नहीं लिये जा सके तारांकित प्रश्नोत्तर

धौलपुर के हाईटैक फैक्ट्री का पुनर्संचालन

27. श्री अब्दुल समीर खां (धौलपुर) : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जिला धौलपुर क्षेत्र में औद्योगीकरण व नये उद्योग खोलने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार विधान सभा क्षेत्र धौलपुर की हाई टैक फैक्ट्री को पुन: प्रारम्भ करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) सरकार अपने स्तर पर उद्योग स्थापित नहीं करती है। सरकार क्षेत्र में नये उद्योग लगाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है।

(2) जी नहीं। दिनांक 23.6.1997 को ही राज्य सरकार द्वारा हाईटैक ग्लास प्रीसिजन लिमिटेड, धौलपुर को पुन: चालू नहीं करने का निर्णय ले लिया गया था।

श्रीडूंगरगढ़ एवं लूणकरणसर तहसील में कंवर सैन लिफ्ट योजना से पेयजल आपूर्ति

28. श्री मंगला राम गोदारा (डूंगरगढ़) : क्या इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कंवर सैन लिफ्ट योजना का निर्माण खारे पानी वाले क्षेत्र को मीठा पानी पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है? यदि हां, तो इससे वर्तमान में कितने क्षेत्र को लाभ मिल रहा है?

(2) क्या सरकार तहसील श्रीडूंगरगढ़ व लूणकरणसर में खारे पानी की समस्या से ग्रस्त गांवों में मीठा पानी पहुंचाने हेतु कंवरसैन लिफ्ट योजना का विस्तार करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। कंवरसैन लिफ्ट योजना का निर्माण श्रीगंगानगर जिले की सूरतगढ़ तहसील के 10,949 हैक्टेयर क्षेत्र एवं बीकानेर जिले की लूणकरणसर तथा बीकानेर तहसील के 50,956 हैक्टेयर, कुल 61,905 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई सुविधा के साथ-साथ नहर के आसपास बसे हुए गांवों को पेयजल आपूर्ति हेतु किया गया है।

(इन्दिरा गांधी नहर परियोजना मंत्री)

स्वीकृति अनुसार 61,905 हैक्टेयर क्षेत्र में सिंचाई क्षमता विकसित की जा चुकी है एवं बीकानेर शहर एवं जिले के 129 तथा श्रीगंगानगर जिले के 38 गांव पेयजल योजनाओं से लाभान्वित हो रहे हैं।

(2) जी नहीं। तहसील डूंगरगढ़ व लूणकरणसर में खारे पानी की समस्या से ग्रस्त गांवों में (जो योजना के अन्तर्गत नहीं आते) मीठा पानी पहुंचाने हेतु कंवरसेन लिफ्ट योजना का विस्तार करने का विचार नहीं है। अतिरिक्त पानी उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना का विस्तार किया जाना प्रस्तावित नहीं है।

जोधपुर जिले में नवीन राजस्व कार्यालयों की स्थापना/क्रमोन्नयन

29. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या सरकार जोधपुर में ग्रामीण जिला बनाने, फलौदी तहसील को जिला बनाने, बालेसर को तहसील बनाने, चामू, सेतरावा व देचू को उप-तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार ग्राम पंचायतवार पटवार मण्डल बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार नवीन राजस्व निरीक्षक (आर.आई.) सर्किल को उप तहसील, उप तहसील को तहसील, तहसील से उपखण्ड कार्यालय बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से?

उत्तर

(1) राज्य में नवीन जिलों के गठन/पुनर्गठन के सम्बन्ध में परीक्षण कर राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने बाबत अध्यक्ष, राजस्व मण्डल राजस्थान, अजमेर की अध्यक्षता में आदेश दिनांक 18.3.2006 को एक कमेटी का गठन किया गया है। अभी तक कमेटी की अन्तिम रिपोर्ट प्राप्त नहीं हो पाई है। अभी इस प्रकार के मामलों पर विचार नहीं किया जा रहा है। नवीन राजस्व इकाइयों का गठन, क्षेत्र विशेष की भौगोलिक स्थिति, राज्य सरकार के वित्तीय संसाधनों पर विचार कर किया जाता है। इस वित्तीय वर्ष में इस हेतु अभी कोई वित्तीय प्रावधान भी उपलब्ध नहीं है।

(2) अभी तक इस प्रकार के कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(3) तहसील मुख्यालयों पर जहां उपखण्ड कार्यालय स्थापित नहीं हैं, पर इसी वित्तीय वर्ष में उपखण्ड अधिकारी कार्यालय खोले जायेंगे।

नगर सुधार न्यास, उदयपुर के प्रस्तावित फ्लाई ओवर

30. श्री गुलाब चन्द कटारिया (उदयपुर शहर) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि नगर सुधार न्यास, उदयपुर ने उदयपुर शहर रेल्वे स्टेशन से उदयापोल, सूरजपोल, देहली गेट एवं कोर्ट चौराहा तक फ्लाई ओवर बनाने की बजट में स्वीकृति दी है? यदि हां, तो सरकार को इस बजट की स्वीकृति हेतु पत्रावली कब भेजी गई एवं स्वीकृति कब प्राप्त हुई?

(2) सरकार के फ्लाई ओवर बनाने के बजट स्वीकृति के बाद नगर सुधार न्यास, उदयपुर द्वारा इस कार्य को पूर्ण करने के लिये क्या प्रयास किये गये? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। न्यास द्वारा राज्य सरकार को बजट में स्वीकृति हेतु पत्रावली दिनांक 9.9.2008 को भिजवायी गई तथा दिनांक 22.9.2008 को प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गई।

(2) यह योजना पूर्व में न्यास द्वारा प्रस्तावित की गई थी परन्तु व्यापारिक संगठनों तथा कतिपय अन्य संगठनों द्वारा विरोध जताने तथा वैकल्पिक सुझाव देने के कारण इस कार्य को आरम्भ ही नहीं किया गया। वर्तमान में इस फ्लाई ओवर के प्रस्ताव पर तथा इस सम्बन्ध में प्राप्त सुझावों, विकल्पों तथा इस कार्य की उपादेयता की तकनीकी समीक्षा की जानी है जिसके पश्चात् पुन: न्यास की सामान्य बैठक में रखकर निर्णय लिया जायेगा।

अलवर की कृषि उपज मण्डी, में व्याप्त अनियमितताएं

31. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि कृषि उपज मण्डी, अलवर के सचिव की अनदेखी के कारण उत्तर प्रदेश से सस्ता गेहूं खरीद कर अलवर में आढ़तियों के मार्फत समर्थन मूल्य पर बेचा जा रहा है?

(2) क्या यह भी सही है कि कृषि उपज मण्डी, अलवर में और भी कई अनियमिमताएं व्याप्त हैं, जैसे बिना लाइसेंस के दुकान चलाना, मण्डी के बाहर ही जींस का बिक जाना? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। कृषि उपज मण्डी समिति का समर्थन मूल्य पर खरीद में कोई सीधी भूमिका नहीं होती। समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीद भारतीय खाद्य निगम द्वारा की जाती है।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति द्वारा केवल मण्डी में कृषि जिन्सों के प्रवेश पर प्रवेश पत्र जारी किया जाता है एवं छाया, पानी, चौकीदारी की व्यवस्था मुहैया कराई जाती है।

(3) उपलब्ध सूचना के आधार पर ऐसी कोई अनियमितताऐं होना नहीं पाया गया है। फिर भी निरीक्षण के दौरान या जांच में ऐसा कोई प्रकरण पाया जाता है तो दोषी अधिकारी/व्यापारी के विरुद्ध विधिनुरूप कार्यवाही की जाती है।

राज्य में मदिरा विक्रय केन्द्रों हेतु समय निर्धारण

32. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) वर्ष 2008 में देशी शराब की राज्य में कितनी दुकानें थीं? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) वर्ष 2009 में सरकार द्वारा देशी शराब की कितनी दुकानें स्वीकृत की गई? जिलेवार संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार बीयर बार एवं बार रेस्टोरेंट का समय भी रात्रि 8 बजे तक करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या सरकार राज्य में शराबबंदी लागू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) वर्ष 2008-09 में राज्य में देशी मदिरा की 6658 दुकानें थी। जिलेवार विवरण संलग्न है।

(2) वर्ष 2009-10 में राज्य में देशी शराब की 6659 दुकानें स्वीकृत हैं। जिलेवार विवरण संलग्न है।

(3) जी नहीं। इस बारे में कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। ऐसा किया जाना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है।

(4) जी नहीं। ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अन्य राज्यों के अनुभव के आधार पर राज्य में शराब बंदी किया जाना व्यावहारिक प्रतीत नहीं होता है।

Number of Country Liquor Shops

S.No.	DISTRICT	2008-09	2009-10
1	2	3	4
1.	Ajmer	407	407
2.	Alwar	249	249
3.	Baran	163	163
4.	Banswara	26	26
5.	Barmer	180	180
6.	Bharatpur	132	132
7.	Bhilwara	263	263
8.	Bikaner	187	187
9.	Bundi	190	190
10.	Chittaurgarh	263	214
11.	Churu	181	181
12.	Dausa	122	123
13.	Dholpur	62	62
14.	Dungarpur	32	32
15.	Ganganagar	366	366
16.	Hanumangarh	344	344
17.	Jaipur City	200	200
18.	Jaipur Rural	231	231
19.	Jaisalmer	93	93
20.	Jalore	130	130
21.	Jhalawar	148	148
22.	Jhunjhunu	324	324
23.	Jodhpur	303	303
24.	Karauli	74	75
25.	Kota	192	192
26.	Nagour	241	241
27.	Pali	255	255

1	2	3	4
28.	Pratapgarh	0	74
29.	Rajsamand	188	188
30.	Sawai Madhopur	90	90
31.	Sikar	315	315
32.	Sirohi	154	154
33.	Tonk	162	162
34.	Udaipur	391	367
	G. Total	**6658**	**6659**

अलवर शहर के पेयजल स्रोतों के व्यावसायिक दोहन पर रोक

33. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर शहर के पुराने क्षेत्र में घरों के नलों में टूटियां नहीं होने के कारण पेयजल व्यर्थ बहता है? यदि हां, तो क्या सरकार इसे रोकने हेतु कोई ठोस उपाय करने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या व कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(2) क्या सरकार अलवर शहर में गिरते भूजल स्तर को देखते हुए नलकूप खुदाई पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि अलवर जिले में अनेक व्यक्तियों द्वारा भूजल का दोहन करके एवं राजकीय लाइनों/नलों के पानी को बोतलों व केनों में भरकर शीतल पेय पदार्थों के रूप में बेचा जा रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(4) क्या सरकार पेयजल के व्यवसायिक उपयोग को पूर्णत: प्रतिबन्धित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(5) क्या सरकार निजी एवं सार्वजनिक नलकूपों पर मीटर लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(6) अलवर शहर को पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने की सरकार की वर्तमान में क्या योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। जल सम्बन्धों पर टूटियां लगाने की जिम्मेदारी यद्यपि उपभोक्ता की है परन्तु उपभोक्ताओं को पर्याप्त मात्रा एवं दवाब से पेयजल उपलब्ध हो सके एवं

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

पेयजल अपव्यय को रोकने के लिये विभाग द्वारा जनहित में माह जून, 2009 से जांच अभियान चलाकर निम्नानुसार कार्यवाही प्रारम्भ की जा चुकी है :-

(अ) विभाग के राजस्व उपखण्डों के कनिष्ट अभियन्ता एवं जल मीटर निरीक्षक को आकस्मिक निरीक्षण के द्वारा बिना टोंटी वाले जल सम्बन्धों को चिन्हित करने हेतु दो टीमों का गठन किया गया है।

(ब) उपभोक्ताओं को उपरोक्तानुसार गठित टीमों के द्वारा प्रारम्भ में व्यक्तिशः सम्पर्क कर नलों पर टूटियां लगाने के लिए समझाइश का कार्य किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त स्थानीय/बड़े समाचार पत्रों के माध्यम से भी शहर के उपभोक्ताओं को सूचित किया गया है। अब तक 24 जल सम्बन्धों पर टूटियां लगाई गई हैं एवं यह प्रक्रिया निरन्तर जारी है।

(2) यह सही है कि विगत वर्षों से लगातार कम वर्षा होने एवं निरन्तर भू-जल दोहन के फलस्वरूप भू-जल स्तर घटा है। अलवर शहर की पेयजल आपूर्ति पूर्णतया भू-जल पर निर्भर होने के कारण पेयजल की प्राथमिकता एवं आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए जनहित में नये विभागीय नलकूप निर्माण पर रोक लगाना वर्तमान परिपेक्ष में सम्भव नहीं है।

(3) अघरेलू एवं औद्योगिक श्रेणी में वर्गीकृत जल सम्बन्धों में पानी के व्यवसायिक उपयोग का प्रावधान है। विभाग द्वारा उपभोक्ता से पानी के वास्तविक उपयोग के अनुसार नियमानुसार जल शुल्क वसूल किया जाता है एवं जल के वास्तविक उपयोग पर नियमित निगरानी रखी जाती है।

(4) फिलहाल ऐसा कोई विचार नहीं है।

(5) विभाग द्वारा सार्वजनिक पेयजल वितरण व्यवस्था में उपयोग में आ रहे विभागीय नलकूपों पर ही विगत चार-पांच वर्षों से सतत प्रक्रिया के तहत बल्क मीटर लगाये जा रहे हैं। निजी नलकूपों पर मीटर लगाने का फिलहाल कोई विचार नहीं है।

(6) अलवर शहर में सुचारू पेयजल व्यवस्था बनाये रखने हेतु तात्कालिक एवं यथा सम्भव पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यों की स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण संलग्न परिशिष्ट- "अ" पर उपलब्ध है।

परिशिष्ट- “अ”

अलवर शहर में सुचारू पेयजल व्यवस्था बनाये रखने हेतु तात्कालिक एवं यथा सम्भव पर्याप्त मात्रा में पेयजल उपलब्ध कराने सम्बन्धी कार्यों की स्वीकृति एवं प्रगति का विवरण

ग्रीष्म कन्टीजेन्सी, वर्ष 2009 (तात्कालिक उपाय)

पूर्व में स्वीकृत योजना में से लगने वाले 17 नलकूपों में से 8 नलकूप वर्ष 2008-09 में चालू कर दिये गये थे। शेष रहे 9 नलकूपों को ग्रीष्म कन्टीजेन्सी, 2009 में लिया जाकर एक नलकूप वेधन कर मई, 2009 में चालू कर दिया गया है। शेष 8 नलकूपों में से 2 नलकूप का वेधन कार्य पूर्ण कर लिया है। 6 नलकूपों का वेधन कार्य प्रगति पर है।

अलवर शहर के लिये ग्रीष्म कन्टीजेन्सी, 2009 के अन्तर्गत 5 हैण्ड पम्प स्वीकृत हुए थे। इसके अतिरिक्त जिला कलक्टर के विवेकाधीन कोटे से 8 हैण्ड पम्प एवं टैंकरों से परिवहन द्वारा पेयजल उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गई। उपरोक्तानुसार 13 हैण्ड पम्प निर्माण उपरान्त चालू किये जा चुके हैं। टैंकरों के माध्यम से पेयजल परिवहन वर्तमान में चल रहा है।

अलवर शहर में एशियन विकास बैंक के सहयोग से कराये जा रहे पेयजल सम्बन्धी कार्य (पेयजल की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध कराने के सन्दर्भ में)

अलवर शहर में विभाग के उपलब्ध संसाधनों को पूर्ण क्षमता से (आप्टिमम यूज) उपयोग में लिये जाकर इनसे शहर में यथा सम्भव पेयजल आपूर्ति सुचारू बनाये रखने के लिये एशियन विकास बैंक द्वारा आरयूआईडीपी फेज-द्वितीय के अन्तर्गत चयनित किया जाकर जिसके अन्तर्गत आगामी 5 वर्षों में शहर में अनुमानित लागत राशि रु. 48.75 करोड़ के पेयजल से सम्बन्धित कार्यों की स्वीकृति जारी की गई है एवं तदनुरूप कार्य प्रगति पर है। इस योजना में कार्यों का प्रावधान एवं इनकी वर्तमान प्रगति का विवरण निम्नानुसार है :-

स्वीकृत कार्य	स्वीकृत संख्या	वर्तमान प्रगति
उच्च जलाशय	9 नग	6 उच्च जलाशयों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। 3 उच्च जलाशयों का कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है।

स्वीकृत कार्य	स्वीकृत संख्या	वर्तमान प्रगति
स्वच्छ जलाशय	2 नग	—
विभिन्न व्यास की राइजिंग एवं वितरण पाइप लाइन	105.0 किलोमीटर	18.0 कि.मी. राइजिंग मेन जोड़ने व बिछाने का कार्य पूर्ण हो चुका है। वितरण पाइप लाइनें जोड़ने व बिछाने का कार्य प्रगति पर है।
मोटर पम्प एवं पैनल बोर्ड इत्यादि बदलने का कार्य	69 पूर्व निर्मित नलकूपों पर	पूर्व में चालू 69 नलकूपों पर मोटर पम्प एवं पैनल बोर्ड इत्यादि बदलने का कार्य पूर्ण हो गया है एवं ये नलकूप चालू हो गये हैं।

उक्त समस्त कार्यों के क्रियान्वयन के पश्चात् शहर के वितरण प्रणाली में सुधार होगा एवं पेयजल वितरण प्रणाली के अन्तिम छोर के उपभोक्ताओं को भी समुचित दबाव से पेयजल उपलब्ध हो सकेगा।

बीसलपुर डूब क्षेत्र के नवीन राजस्व ग्रामों के नामों का राजस्व रेकार्ड में अंकन

34. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सिंचाई बांध के डूब क्षेत्र में आ चुके राजस्व ग्राम नये स्थान पर नवीन नाम से आबाद होने पर उनको नवीन नाम से घोषित किये जाने तथा नवीन राजस्व ग्राम घोषित किये जाने बाबत नियम बने हुए हैं तथा इस सम्बन्ध में आदेश/परिपत्र भी जारी किए हुए हैं? यदि हां, तो प्रति सहित विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि बीसलपुर बांध (टोंक) के भराव क्षेत्र में आये ग्राम के नये नाम से आबाद होने पर ऐसे ग्रामों को नये नाम से मान्य किया जाकर उनका राजस्व रिकार्ड में शुद्धिकरण किया गया है? यदि हां, तो किस ग्राम का तथा नहीं, तो क्यों व अब इस बाबत् क्या कार्यवाही की जा रही है? ग्रामवार पृथक-पृथक नामजद विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री रामनारायण मीणा)

(3) क्या सरकार उक्त बांध के डूब क्षेत्र से अन्यत्र आबाद गोविन्दपुरा (दलवासा) सहित अन्य बस्तियों, मजरों एवं ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम घोषित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या नये आबाद ग्रामों एवं मजरे, ढाणियों की भूमि को किस्म आबादी भूमि के बतौर परिवर्तित की जा चुकी है? यदि हां, तो प्रति सदन की मेज पर रखें तथा नहीं, तो क्यों तथा अब कब तक किस्म भूमि परिवर्तित कर दिया जावेगा?

(5) क्या सरकार बीसलपुर बांध निर्माण से राजस्व रिकार्ड तथा क्षेत्र की किस्म भूमि सम्बन्धी आई स्थाई भिन्नताओं के मुताबिक राजस्व रिकार्ड को दुरूस्त करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। परिपत्र दिनांक 19.3.2007 की प्रति सदन के पटल पर रख दी गई है। (परिशिष्ट "क")

(2) बीसलपुर बांध के डूब क्षेत्र में आये राजस्व ग्रामों के विस्थापितों को पुर्नवास के तहत अन्य राजस्व ग्रामों की सीमाओं में, तहसील देवली में 49, टौंक में 7, टोडारायसिंह में 16 कुल 72 विस्थापितों को कालोनियों में बसाया गया था। उक्त में से तहसील देवली की 3 पुर्नवास कालोनियां क्रमश: नायाबास, रावता माताजी तथा भगवानपुरा कालोनी ही नवीन राजस्व ग्राम बनाने हेतु आबादी एवं पूर्व ग्राम से दूरी की शर्ते पूरी करती है। राजस्व ग्राम घोषित करने के प्रस्ताव जिला स्तर पर परीक्षणाधीन हैं। राजस्व मण्डल के माध्यम से प्राप्त होने पर नियमानुसार अधिसूचना जारी किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। तहसील टोडारायसिंह की एक पुर्नवास कालोनी लाडपुरा पूर्व के ही गैर आबाद राजस्व ग्राम में ही बसाई गई है। शेष 68 कालोनियां नवीन राजस्व ग्राम बनाने के मापदण्ड पूरे नहीं करती। ग्रामवार पृथक-पृथक विवरण संलग्न है। (परिशिष्ट "ख")

(3) तहसील देवली में स्थित गोविन्दपुरा ढाणी (दलवासा) में लोग अनाधिकृत रूप से बसे हुए हैं। यह क्षेत्र पहले से ही डूब क्षेत्र घोषित किया हुआ होने के कारण नवीन राजस्व ग्राम घोषित करवाया जाना सम्भव नहीं है। बांध के डूब क्षेत्र से अन्यत्र आबाद अन्य ढाणियों को नवीन राजस्व ग्राम बनाने के सम्बन्ध में सूचना बिन्दु संख्या-2 के अनुसार है।

(4) बीसलपुर बांध के डूब क्षेत्र के विस्थापितों के लिये बनाई गई पुर्नवास कालोनियों की भूमि गैर मुमकिन आबादी में परिवर्तित होने के उपरान्त ही आबादी बसाई गई है। (परिशिष्ट "ग")

(राजस्व मंत्री)

(5) अभी क्षेत्र विशेष का भू-प्रबन्ध कार्य सम्पन्न नहीं हुआ है। भू-प्रबन्ध संक्रियाओं के दौरान किस्म परिवर्तन नियमानुसार करवाया जा सकेगा।।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

अजमेर शहर की सीवरेज लाइन

35. **श्रीमती अनिता भदेल** (अजमेर दक्षिण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत अजमेर शहर के कुछ हिस्सों में सीवरेज लाइन डालने हेतु बजट का प्रावधान रखा गया है? यदि हां, तो कितना?

(2) सीवरेज लाइन डालने का कार्य किस संस्था द्वारा करवाया जाना है?

उत्तर

(1) जी हां। जवाहर लाल नेहरू मिशन के तहत अजमेर शहर के कुछ हिस्सों में सीवरेज लाइन डालने हेतु राशि रुपये 98.09 करोड़ का बजट प्रावधान रखा गया है।

(2) उक्त सीवरेज लाइन डालने का कार्य नगर विकास न्यास अजमेर द्वारा करवाया जाना प्रस्तावित है।

चौमूं की स्वजल धारा योजना की मोनिटरिंग

36. **श्री भगवान सहाय सैनी** (चौमूं) : क्या जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में सरकार द्वारा स्वजल धारा योजना के अन्तर्गत गत 5 वर्षों में कोई योजना स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो किस-किस ग्राम में व कब-कब तथा इसमें कितनी राशि किस कार्य के लिये दी गई?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र में स्वीकृत स्वजल धारा योजना में सभी स्कीमों का कार्य पूर्ण हो चुका है? यदि नहीं, तो किन कारणों से? इनके पूरा नहीं करने के लिये कौन जिम्मेदार है?

(3) क्या यह सही है कि स्वजल धारा योजना की निगरानी करने के लिये सरकार द्वारा किसी अधिकारी को अधिकृत किया जाता है? यदि हां, तो क्या विधान सभा क्षेत्र चौमूं में चल रही उक्त योजनाओं के बारे में अधिकृत अधिकारी द्वारा कभी जांच की गई? यदि हां, तो कब व नहीं, तो क्यों?

(4) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्वजल धारा योजना अब भी संचालित है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र चौमूं में वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2008-09 की अवधि में "स्वजल धारा योजना" अन्तर्गत 45 योजनाएं स्वीकृत की गई। ग्रामवार स्वीकृत योजनाओं के सन्दर्भ में वांछित विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर उपलब्ध है।

(2) जी नहीं। उपरोक्तानुसार स्वीकृत 45 योजनाओं में से 29 योजनाएं पूर्ण कर ली गई हैं।

14 योजनाओं पर विद्युत सम्बन्ध हेतु प्राप्त डिमाण्ड नोट की राशि, स्वीकृत प्रावधानों से अधिक आने के कारण तथा 2 योजनाओं पर सम्बन्धित ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति में आपसी विवाद के कारण, इस प्रकार कुल 16 योजनाएं वर्तमान में अपूर्ण हैं। योजनावार विवरण परिशिष्ट "अ" में निहित है।

दिशा-निर्देश अनुसार योजना की अभिकल्पना, एवं अवधारणा कर उसे स्वीकृत कराने तथा उसके निर्माण कार्य का सम्पूर्ण जिम्मा ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति का है। अत: उपरोक्तानुसार अपूर्ण योजनाओं के लिये कोई अधिकारी जिम्मेदार नहीं है।

(3) जी हां। जिला स्तर पर गठित जिला स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति में विभाग के अधीक्षण/अधिशासी अभियन्ता सदस्य सचिव हैं। इसके अतिरिक्त ग्राम स्तरीय समिति में तकनीकी कर्मचारियों की देखरेख, तकनीकी कार्यों की गुणवत्ता, काम की पैमाइश आदि के लिये तकनीकी सदस्य (कनिष्ट एवं सहायक अभियन्ता) पूर्ण रूप से जिम्मेवार हैं।

विधान सभा क्षेत्र चौमूं में स्वजल धारा योजनाओं के क्रियान्वयन के दौरान तकनीकी सदस्यों द्वारा समय-समय पर जांच की गई।

(4) जी हां। विधान सभा क्षेत्र चौमूं में प्रारम्भ से अब तक स्वीकृत कुल 75 स्वजलधारा योजनाओं में से पूर्ण हुई 59 योजनाएं सम्बन्धित ग्राम स्तरीय जल एवं स्वच्छता समिति द्वारा संचालित एवं संधारित की जा रही हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

रामगंजमण्डी में तकली सिंचाई परियोजना में अवाप्त ट्यूबवैल्स/कुओं के मुआवजे का निर्धारण

37. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल)

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा तकली सिंचाई परियोजना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा में अवाप्त भूमि के मुआवजों में कुएं/ट्यूबवैल का मुआवजा का भी भुगतान किया गया है? यदि हां, तो किन-किन को कितना-कितना? सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) मुआवजे हेतु कुएं/ट्यूबवैल का मूल्यांकन किस आधार पर किया गया?

उत्तर

(1) जी हां। सूची संलग्न प्रपत्र "अ" में अंकित है।

(2) कुएं/ट्यूबवैल का मूल्यांकन तत्समय की डी.एल.सी. द्वारा निर्धारित की गई दर के आधार पर किया गया है।

प्रपत्र "अ"

काश्तकारों की अवाप्ताधीन भूमि में स्थित कुयें/ट्यूबवैल के देय मुआवजे से सम्बन्धित कार्यालय उप खण्ड अधिकारी रामगंजमण्डी जिला कोटा

क्र. सं.	नाम खातेदार	कुआ/ ट्यूबवेल	भुगतान की गई राशि
1	2	3	4
1-	श्री रामकल्याण पुत्र बिरधीलाल जाति गूजर नि. सारनखेडी	कुआं	80000.00
2-	श्री सुग्रीव हनुमान पुत्र रामनाथ हि. 2/3 देवलाल पुत्र बालाराम मु. धापूबाई बेवा बालाराम हि. 1/3 जाति बैरागी निवासी सोहनपुरा	कुआं	80000.00
3-	श्री जगदीश नानूराम पुत्र नारायणदास जाति बैरागी नि. सोहनपुरा	ट्यूबवैल	100000.00
4-	श्री किशोर भूरालाल नानूराम पुत्र चतुर्भुज सज्जनबाई पुत्री चतुर्भुज जाति गूजर नि. सोह्नपुरा	कुआं	80000.00
5-	श्री रमेश कालू घनश्याम शिवराज पुत्र नारायण नोघ्यानबाई बाई लटूरबाई जमुनाबाई पुत्रियां नारायण रामकंवरी बेवा नारायण जाति गूजर निवासी सोहनपुरा	ट्यूबवेल	100000.00

1	2	3	4
6-	श्री बिरधा पुत्र किशन जाति अहीर निवासी सोहनपुरा	कुआं	80000.00
7-	श्री नानूराम पुत्र नारायण जाति निवासी सोहनपुरा	कुआं	80000.00
8-	श्री कन्हीराम पुत्र देवीलाल जाति अहीर निवासी सोहनपुरा	कुआं	80000.00
9-	श्री शोभाराम पुत्र देवीलाल जाति अहीर हि. 9/10 व कालू पुत्र प्रताप जाति नाई हि. 1/10 निवासी सोहनपुरा	ट्यूबवैल	100000.00
10-	शांतिबाई पत्नी कान्हीराम जाति अहीर निवासी सोहनपुरा	ट्यूबवैल	100000.00
11-	श्री कजोड पुत्र नारायण जाति गूजर निवासी सोहनपुरा	ट्यूबवैल	100000.00
12-	श्री किशन लाल मोहन लाल पुत्र रामचन्द्र जाति बैरागी निवासी सोहनपुरा	ट्यूबवैल	100000.00
13-	श्री हीरालाल पुत्र किशनलाल जाति गूजर नि. सोहनपुरा	कुआं	80000.00
14-	भैरूलाल पुत्र नन्दा चतुर्भुज पुत्र दूधा झमकू धापू मगनी पुत्रियां दूधा जाति गूजर नि. सोहनपुरा	कुआं	80000.00
15-	भंवर सिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति राजपूत निवासी सारनखेडी	कुआं	80000.00
16-	श्री लक्ष्मीनारायण पुत्र जयलाल जाति गूजर नि. सारनखेडी	कुआं	80000.00
17-	श्री शिवनारायण पुत्र रामचन्द्र जाति गूजर निवासी सारनखेडी	कुआं	80000.00
18-	श्री छीतर पुत्र गोदिया जाति बंजारा नि. सोहनपुरा	ट्यूबवैल	100000.00

1	2	3	4
19-	श्री हरलाल पुत्र भावसिंह जाति बंजारा नि. सोहनपुरा	ट्यूबवैल	100000.00
20-	श्री देवीलाल मोहनलाल पुत्र भवानीलाल जाति धाकड़ नि. मदनपुरा	कुआं	80000.00

ह./-
उप खण्ड अधिकारी
रामगंजमण्डी

सरवाड़, नगरपालिका (अजमेर) में व्याप्त अनियमितताओं की जांच

38. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि नगरपालिका सरवाड़, जिला अजमेर में हुई अनियमितताओं की शिकायतें सरकार को प्राप्त हुई हैं? यदि हां, तो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

जी हां। श्री मोहम्मद रफीक अंसारी की शिकायत प्राप्त होने पर विभाग द्वारा क्षेत्रीय उप निदेशक स्थानीय निकाय विभाग अजमेर से जांच करवाई गई। जांच अधिकारी द्वारा अपनी जांच रिपोर्ट में शिकायत के बिन्दु प्रथम दृष्ट्या सही पाये जाने पर अध्यक्ष एवं सम्बन्धित लिपिक से स्पष्टीकरण चाहा गया है। सम्बन्धित कर्मचारियों के विरुद्ध राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम 1958 के नियम 16-17 के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी। निश्चित समयावधि में अध्यक्ष नगरपालिका सरवाड़ से स्पष्टीकरण नोटिस का जवाब प्राप्त नहीं होने के कारण उनके विरूद्ध राजस्थान नगर पालिका अधिनियम 1959 की धारा 63 के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जावेगी।

टोंक जिले के ग्रामीण क्षेत्रों की पेयजल योजनाओं का विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण

39. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री प्रभुलाल सैनी)

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की तहसील नैनवां व हिण्डौली में गम्भीर पेयजल संकट व्याप्त है? यदि हां, तो क्या सरकार ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने की स्थाई योजना बनाये जाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा ए.आर.बी. योजना के अन्तर्गत हिण्डौली देई, बांसी, खिण्या, जजावर, रूणीजा सहित कई पेयजल योजनाओं के विस्तार एवं सुदृढ़ीकरण हेतु प्रस्ताव सरकार को स्वीकृति हेतु भिजवाया गया है? यदि हां, तो स्वीकृति कब तक जारी कर दी जायेगी व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि हैण्ड पम्पों के संधारण की पर्याप्त व्यवस्था व सामान उपलब्ध नहीं होने से अधिकांश हैण्ड पम्प बन्द पड़े हैं तथा कम गहरे खुदे होने व जल स्तर नीचा चले जाने से नाकारा हो गये हैं? यदि हां, तो क्या सरकार नाकारा हैण्ड पम्पों के स्थान पर नये हैण्डपम्प लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र, हिण्डौली में वर्ष 2001 की जनगणनानुसार कुल 276 आबाद ग्रामों में से 28 ग्रामों (तहसील हिण्डौली के 13 ग्राम तथा तहसील नैनवां के 15 ग्राम) के अतिरिक्त शेष ग्रामों में पेयजल आपूर्ति वर्तमान में सामान्य एवं संतोषजनक है।

समस्याग्रस्त 28 ग्रामों की पेयजल समस्या के स्थाई समाधान हेतु भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम" (दिनांक 1.4.2009 से प्रभावी) के अन्तर्गत जारी दिशा-निर्देशों के अनुरूप पेयजल स्रोत की सुनिश्चतता उपरान्त उक्त समस्याग्रस्त गांवों हेतु नवीन प्रस्ताव बनाये जाकर संसाधनों की उपलब्धतानुसार क्रियान्विति किया जाना प्रस्तावित है।

उक्त समस्याग्रस्त गांवों/ढाणियों में ग्रीष्म, 2009 में तात्कालिक समाधान के अन्तर्गत निम्नानुसार कार्यों की स्वीकृति की जाकर पेयजल व्यवस्था सुचारू बनाई रखी जा रही है :-

(अ) समस्याग्रस्त 28 ग्रामों में टैंकरों द्वारा पेयजल उपलब्ध कराया जा रहा है।

(ब) इसके अतिरिक्त उक्त क्षेत्र के 27 ग्रामों में 37 हैण्डपम्प एवं 3 ग्रामों में 3 नलकूप निर्माण उपरान्त चालू कर दिये गये हैं।

(2) जी हां। 2 पुनर्गठित पाइप्ड जल योजनाओं क्रमश: (ग्राम देई व अलोद) एवं 5 हैण्ड पम्प से पम्प एवं टैंक परिवर्तित योजनाओं (क्रमश: ग्राम बाछोला, गुढा

(जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी मंत्री)

देवजी-डेलपुरा, रूणीजा, नेगढ़ व खिण्या) के प्रस्ताव सक्षम स्तर पर स्वीकृति हेतु भिजवाये गये थे।

उक्त प्रस्तावों को भारत सरकार द्वारा "राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल आपूर्ति कार्यक्रम" के अन्तर्गत जारी नये दिशा-निर्देशों के अनुरूप संशोधित करने हेतु दिनांक 18 मई, 2009 को फील्ड अधिकारियों को लौटा दिया गया है।

(3) जी नहीं। विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली में कुल स्थापित 3843 हैण्ड पम्पों में से 3063 हैण्ड पम्प वर्तमान में क्रियाशील हैं।

भू-जल स्तर के नीचे चले जाने के कारण 780 हैण्ड पम्प अस्थाई रूप से वर्तमान में उपयोग में नहीं आ पा रहे हैं जो कि वर्षा होने पर पूर्व वर्षों की भांति पेयजल हेतु उपयोग में आने लग जायेंगे।

क्षेत्र में 108 हैण्डपम्प वर्तमान में नाकारा हैं। नाकारा हैण्ड पम्पों के स्थान पर विभागीय मापदण्ड के अनुरूप आवश्यकता और वित्तीय उपलब्धता के आधार पर नये हैण्ड पम्प लगाया जाना प्रस्तावित है।

जयपुर में साहित्य समारोह शराब सेवन के दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही

40. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य में सार्वजनिक रूप से शराब के सेवन पर रोक लगी हुई है? यदि हां, तो कब से व किस नियम/आदेश के तहत? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि माह जनवरी, 2009 में जयपुर शहर में हुए साहित्य समारोह में शराब का सार्वजनिक रूप से मंच पर सेवन किया गया? यदि हां, तो इस कुकृत्य के लिए किस-किस व्यक्ति के विरुद्ध कब तथा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार सार्वजनिक समारोह में शराब के सेवन किये जाने पर पूर्णतया रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राजस्थान पुलिस एक्ट, 2007 की धारा 60 के अन्तर्गत किसी व्यक्ति को किसी भी कस्बे के सड़क या खुले स्थान या आम रास्ते पर शराब पीये हुए

(गृह मंत्री)

पाये जाने पर दण्डित करने का प्रावधान है। राजस्थान पुलिस एक्ट, 2007 दिनांक 1.11.2007 से राज्य में लागू है।

(2) 21 जनवरी, 2009 से 25 जनवरी, 2009 तक जयपुर शहर के होटल डिग्गी पैलेस में लिटरेचर फेस्टिवल का आयोजन हुआ। उक्त आयोजन में शराब के सार्वजनिक रूप से मंच पर सेवन किये जाने के सम्बन्ध में न तो कोई शिकायत प्राप्त हुई है और ना ही कोई प्रकरण दर्ज हुआ है। इस होटल ने बार लाइसेंस ले रखा हैं, और होटल द्वारा लाइसेंस की किसी शर्त का उल्लंघन नहीं हुआ है।

(3) जी हां। यह राज्य के विचारार्थ है।

अतारांकित प्रश्नोत्तर

मंत्रालयिक संवर्ग से आबकारी निरीक्षक पद पर पदोन्नति

24. श्री अशोक डोगरा (बून्दी) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

क्या यह सही है कि मंत्रालयिक संवर्ग से आबकारी निरीक्षक के पद पर पदोन्नति के लिये कोटा निर्धारित है? यदि हां, तो गत पांच वर्षों में किस-किस वर्ष में कितने पद पदोन्नति से भरे गए व नहीं, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

राजस्थान आबकारी अधीनस्थ (सामान्य शाखा) सेवा नियम, 1974 में किये गये प्रावधान अनुसार आबकारी निरीक्षक, द्वितीय श्रेणी के शत प्रतिशत पद राजस्थान लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधी भर्ती (Direct Recruitment) द्वारा भरे जाने का प्रावधान है। जिससे मन्त्रालयिक सेवा संवर्ग के कर्मचारियों हेतु 12.5 प्रतिशत का कोटा निर्धारित होकर वांछित कार्यवाही राजस्थान लोक सेवा आयोग के स्तर पर ही की जाती है।

मंत्रालयिक सेवा संवर्ग से पदोन्नति दिये जाने का नियमों में किसी प्रकार प्रावधान नहीं होने के कारण किसी भी कार्मिक को पदोन्नति नहीं दी गयी है।

प्रदेश में संचालित देशी एवं अंग्रेजी मदिरा विक्रय केन्द्र

25. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में देशी एवं अंग्रेजी शराब की कुल कितनी दुकानें हैं? जिलेवार संख्या विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार मदिरालयों की संख्या कम करने हेतु देशी व अंग्रेजी शराब एक ही दुकान द्वारा वितरित करवाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार शराब की दुकानों की लाइसेंस फीस में वृद्धि करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कितनी व कब तक एवं नहीं, तो क्यों?

(4) राज्य में शुष्क दिवस कौन-कौन से घोषित हैं एवं क्या सरकार इनकी संख्या में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कौन-कौन से दिवसों को?

उत्तर

(1) वर्ष 2009-10 हेतु निर्धारित देशी मदिरा एवं भारत निर्मित विदेशी मदिरा दुकानों की संख्या का जिलेवार विवरण संलग्न है।

(2) इस वर्ष के बंदोबस्त में भारत निर्मित विदेशी मदिरा की 800 दुकानें कम की जा चुकी हैं। मदिरा की दुकानों की संख्या में अब और कमी किया जाना विचाराधीन नहीं है।

(3) ऐसा कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं हैं।

(4) वर्तमान में 5 शुष्क दिवस-26 जनवरी, 30 जनवरी, महावीर जयन्ती, 15 अगस्त एवं 2 अक्टूबर निर्धारित हैं। 30 जनवरी को इसी वित्तीय वर्ष में शुष्क दिवस घोषित किया गया है। फिलहाल इसमें परिवर्तन का प्रस्ताव नहीं है।

Number of IMFL and Country Liquor Shops during 2009-10

	District	2009-10	
		IMFL	C.L.
1	2	3	4
1.	Ajmer	63	407
2.	Alwar	36	248
3.	Banswara	10	163
4.	Baran	11	25
5.	Barmer	18	180
6.	Bharatpur	32	132
7.	Bhilwara	27	263
8.	Bikaner	36	187
9.	Bundi	13	190
10.	Chittaurgarh	21	214
11.	Churu	21	181
12.	Dausa	10	123
13.	Dholpur	11	62
14.	Dungarpur	10	32
15.	Ganganagar	39	366
16.	Hanumangarh	26	344

(श्री जुबेर खान)

1	2	3	4
17.	Jaipur	190	200
18.	Jaipur Rural	16	231
19.	Jaisalmer	15	93
20.	Jalore	18	130
21.	Jhalawar	12	148
22.	Jhunjhunu	29	324
23.	Jodhpur	66	303
24.	Karauli	10	75
25.	Kota	41	192
26.	Nagaur	28	241
27.	Pali	33	255
28.	Pratapgarh	5	74
29.	Rajsamand	14	188
30.	Sawai Madhopur	11	90
31.	Sikar	35	315
32.	Sirohi	24	154
33.	Tonk	20	162
34.	Udaipur	49	367
		1000	**6659**

प्रदेश के आबकारी थानों में रिक्त पद

26. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या आबकारी मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में किस-किस जिले में कितने आबकारी थाने स्वीकृत हैं? इन थानों में किस-किस श्रेणी के कितने-कितने पद स्वीकृत हैं एवं उनमें से कितने पद कब से रिक्त हैं? जिलेवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि राज्य के आबकारी थानों में कांस्टेबल एवं एस.आई. के स्वीकृत पदों में से अधिकांश पद रिक्त हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या सरकार शराब के अवैध कारोबार पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आबकारी

(श्री बनवारी लाल सिंघल)

थानों के स्टाफ में वृद्धि करने एवं रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य सरकार के आदेश क्रमांक प.11(11) वित्त/आब/2005 दिनांक 28.10.2005 द्वारा राज्य में 150 आबकारी प्रवर्तन स्टेशन खोले जाने की स्वीकृति प्रदान की। आबकारी प्रवर्तन निदेशालय द्वारा इन स्टेशनों में निर्धारित की गई नफरी का विवरण संलग्न परिशिष्ट "अ" पर दिया गया है।

(2) जी हां। राज्य के आबकारी प्रवर्तन स्टेशनों में कानिस्टेबल के रिक्त पदों का विस्तृत विवरण परिशिष्ट "अ" पर दिया गया है। आबकारी प्रवर्तन स्टेशन के प्रभारी के तौर पर आबकारी विभाग के प्रहराधिकारी तथा पुलिस विभाग के उप निरीक्षक, दोनों ही पदस्थापित किये जाते हैं, जिनको सहायक निदेशक, प्रवर्तन से सम्बोधित किया जाता है। राजस्थान पुलिस से कानिस्टेबल/उप निरीक्षक पुलिस के अधिकारी स्वीकृत नफरी अनुसार प्रवर्तन निदेशालय को उपलब्ध नहीं होने के कारण उक्त पद रिक्त हैं।

(3) आबकारी प्रवर्तन स्टेशनों के लिये स्वीकृत पदों में वृद्धि का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

जैसे ही राजस्थान पुलिस द्वारा विभिन्न श्रेणी के कार्मिक/अधिकारी प्रवर्तन निदेशालय को उपलब्ध करा दिये जावेंगे प्रवर्तन निदेशालय में विभिन्न श्रेणी पुलिस अधिकारियों के रिक्त पद स्वत: ही भर जायेंगे। पुलिस अधिकारियों के रिक्त पदों को शीघ्र भरने हेतु निदेशक प्रवर्तन द्वारा उप महानिरीक्षक पुलिस, मुख्यालय को समय समय पर निवेदन किया जा रहा है।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

बूंदी नगरपालिका द्वारा भू-खण्ड की नियम विरुद्ध नीलामी

27. श्री अशोक डोगरा (बूंदी) : क्या स्वायत शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि दिनांक 31 मार्च, 2009 को आचार संहिता का उल्लंघन कर नगरपालिका बूंदी द्वारा एक भू-खण्ड की नीलामी की गई है? यदि हां, तो क्यों व किस भू-खण्ड की व किसके नाम?

(2) क्या यह भी सही है कि उक्त क्षेत्र की डी.एल.सी. दर 400/- रुपए प्रति वर्ग फीट होने पर भी उक्त बोली 220/- रुपये प्रति वर्ग फीट पर छोड़ दी गई? यदि हां, तो किस अधिकारी द्वारा व क्यों?

(श्री अशोक डोगरा)

(3) क्या यह सही है कि उक्त भू-खण्ड आम रास्ते हेतु अनुमोदित है? यदि हां, तो इसे किन नियमों के अन्तर्गत नीलाम किया गया? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या सरकार उक्त भू-खण्ड की नीलामी निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) यह सही है कि दिनांक 31 मार्च, 2009 को आचार सहिता लगने के बाद नगरपालिका बूंदी द्वारा एक आवासीय भूखण्ड संख्या 1 की नीलामी की गई थी। नीलाम किया गया भूखण्ड तापडियाजी गली खोजागेट के पास स्थित है। इस नीलामी हेतु विज्ञप्ति दिनांक 19.3.2009 को जारी कर दिनांक 31.3.2009 को बोली लगाई गई थी जो आशिष आत्मज विमल कुमार जैन के नाम छूटी थी।

(2) उक्त क्षेत्र की डी.एल.सी. दर 400/- रुपये प्रतिवर्ग फीट है किन्तु आरक्षित नजूल दर 150/- रुपये प्रति वर्ग फीट है। आरक्षित नजूल दर से ही बोली शुरू की जाती है बाजार दर से नहीं, अधिकतम बोली 220/- रुपये प्रति वर्ग फीट से ज्यादा नहीं लगने के कारण तत्कालीन आयुक्त द्वारा बोली छोड़ी गई।

(3) आम रास्ते के लिये यह भूखण्ड अनुमोदित नहीं था।

(4) पूर्व में दिनांक 31.3.2009 को लगाई गई बोली को निर्वाचन आयोग के आदेशानुसार पालिका द्वारा दिनांक 25.5.2009 को निरस्त कर दिया गया था।

ठोस कचरा प्रबन्धन हेतु स्थाई कार्य-योजना

28. श्री राव राजेन्द्र सिंह (शाहपुरा) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य में ठोस कचरा प्रबन्धन के लिए नीति बनाई हुई है? यदि हां, तो नीति की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि राज्य में स्थानीय निकायों की निजी आय नहीं होने से ठोस कचरा प्रबन्धन कार्य करवाया जाना सम्भव नहीं है? यदि हां, तो इसके लिए सरकार की क्या कार्य योजना है? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां। नीति की प्रति संलग्न है।

(2) राज्य की अधिकांश नगरीय निकायों की निजी आय संतोषप्रद न होने के कारण निजी आय से समस्त ठोस कचरा प्रबन्धन कार्यों को सम्पादित किये जाने में

(स्वायत्त शासन मंत्री)

कुछ निकायों में समस्या है किन्तु 12वें वित्त आयोग द्वारा वर्ष 2005-10 के दौरान जारी किये जाने वाले अनुदान रुपये 220.00 करोड़ में से न्यूनतम 50 प्रतिशत ठोस कचरा प्रबन्धन कार्यों पर व्यय किये जाने के निर्देशों के साथ चयनित निकायों में अन्य योजनाओं/संस्थाओं (जेएनएनयूआरएम, यूआईडीएसएसएमटी, आरयूआईडीपी) से भी ठोस कचरा प्रबन्धन कार्यों के लिये राशि प्राप्त होने के कारण वर्तमान में राज्य के निकायों में ठोस कचरा प्रबन्धन के लिये पर्याप्त राशि उपलब्ध है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

प्रदेश की स्वायत्तशासी संस्थाओं में सफाई कर्मियों के रिक्त पद

29. श्री ओम बिरला (कोटा दक्षिण) : क्या स्वायत्त शासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) राज्य में नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं में सफाई कर्मचारियों के कितने पद स्वीकृत हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) इन स्वीकृत पदों में से कितने पद रिक्त हैं? संख्या सूची सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार रिक्त पदों को भरने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राज्य में नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगरपालिकाओं में सफाई कर्मचारियों के वर्तमान में 32902 पद स्वीकृत हैं। सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(2) वर्तमान में स्वीकृत पदों के विरुद्ध 9961 पद रिक्त हैं, सूची सदन की मेज पर रख दी गई है।

(3) विभागीय आदेश दिनांक 13.2.2009 के द्वारा आर्थिक रूप से सक्षम नगर निकायों में रिक्त पदों के विरुद्ध 2517 पदों को भरने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है तथा नवगठित 6 नगरपालिकाओं में 373 सफाई कर्मचारियों के पदों का सृजन किया जाकर उन्हें भरने की स्वीकृति जारी की जा चुकी है।

(सूचियां विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

बाजार दरों के अनुरूप डी.एल.सी. दरों का पुनर्निर्धारण

30. श्री गोविन्द सिंह डोटासरा (लक्ष्मणगढ़) : क्या नगरीय विकास एवं आवासन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(श्री गोविन्द सिंह डोटासरा)

(1) राज्य में जमीन की दरें तय करने के लिये डी.एल.सी. की बैठकें आयोजित करने सम्बन्धी क्या मानदण्ड/नियम हैं? आदेशों की प्रति सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि प्रदेश एवं जयपुर शहर में गत एक वर्ष में जमीनों की दरें तय करने के लिये डी.एल.सी. की बैठकें नहीं हो पाई हैं? यदि हां, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि जमीन की बाजार दर में गत एक वर्ष में कमी आई है? यदि हां, तो क्या सरकार जमीन की दरें बाजार भावानुसार करने हेतु डी.एल.सी. की बैठकें आयोजित करने हेतु आदेश जारी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जिला स्तरीय समिति का गठन राज्य सरकार द्वारा राजस्थान मुद्रांक नियम 1955 के नियम-2 के उपनियम (1) के खण्ड (जे) के तहत किया जाता है। मुद्रांक शुल्क प्रयोजनार्थ जमीन जायदाद की बाजार दर तय करने के लिये राज्य आज्ञा क्रमांक प.2(8)वित्त/ग्रुप-4/90 दिनांक 7.3.1996 द्वारा सम्बन्धित जिला कलक्टर की अध्यक्षता में समिति का गठन किया हुआ है। आदेश की प्रति सदन की मेज पर रख दी गयी है।

(2) प्रदेश के कई जिलों में विभिन्न प्रशासनिक कारणों, विधान सभा व लोक सभा चुनावों के कारण गत एक वर्ष में डी.एल.सी. की बैठकें नहीं हुई।

(3) नियमानुसार सम्भवतया डी.एल.सी. की बैठक प्रतिवर्ष होती है, जिसमें जनप्रतिनिधि सदस्य होते हैं। सरकार के द्वारा पूर्व में ही आदेश प्रसारित किये जा चुके हैं।

राजस्थान सरकार

वित्त विभाग

कर अनुभाग

पत्रांक : प.2(8)वित्त/ग्रुप-4/90 **जयपुर, दिनांक 7 मार्च, 1996**

आज्ञा

राजस्थान मुद्रांक नियम 1955 के नियम 2 (जे) सपठित नियम 59 (बी) के अन्तर्गत जमीन जायदादों की बाजार दर निर्धारित किये जाने के सम्बन्ध में जिला स्तरीय समिति का गठन अधिसूचना सं. प.2(8)वित्त/ग्रुप-4/90 जयपुर दिनांक 23.6.1995 को अधिक्रमण कर निम्नानुसार गठित किये जाने के राज्यपाल महोदय की स्वीकृति एतद्द्वारा प्रदान की जाती है :-

सम्बन्धित जिला कलक्टर	अध्यक्ष
सम्बन्धित क्षेत्रीय विधायक (अध्यक्ष राजस्थान विधान सभा की पूर्वानुमति प्राप्त होने पर)	सदस्य
सम्बन्धित पंचायत समिति के प्रधान	सदस्य
सचिव, नगर विकास न्यास तथा जहां पर नगर विकास न्यास नहीं हो नगरपालिका का प्रतिनिधि तथा जयपुर के लिए सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण	सदस्य
सम्बन्धित उपमहानिरीक्षक, पंजीयन एवं पदेन कलक्टर (मुद्रांक)	सदस्य
अतिरिक्त जिला कलक्टर (जयपुर जिले को छोड़कर) तथा जयपुर के अतिरिक्त कलक्टर (मुद्रांक) तथा जहां अतिरिक्त कलक्टर नहीं हों, वहां मुख्यालय का उप पंजीयक	सदस्य सचिव
सम्बन्धित क्षेत्र के उप पंजीयक	सदस्य

उपर्युक्त समिति विभिन्न तहसील क्षेत्रों की जमीन की बाजार दरों का निर्धारण करेगी।

आज्ञा से,

ह./-

(बी.एल. आर्य)

शासन उप सचिव

जोधपुर शहर के भू-जल स्तर समस्या का स्थाई समाधान

31. श्री बाबूसिंह राठौड़ (शेरगढ़) : क्या भू-जल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जोधपुर शहर में बढ़ते भू-जल स्तर की समस्या की रोकथाम के लिए सरकार द्वारा अब तक क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा उक्त समस्या के स्थाई निराकरण हेतु समिति का गठन किया गया है? यदि हां, तो कब व समिति द्वारा क्या-क्या कार्यवाही की गई? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(3) क्या सरकार द्वारा उक्त समस्या का स्थाई निराकरण की कोई समय सीमा निर्धारित की गई है? यदि हां, तो कब तक?

उत्तर

(1) जोधपुर शहर में बढ़ते भू-जल स्तर की समस्या की रोकथाम के लिए राज्य सरकार द्वारा अल्प-कालिक एवं दीर्घकालिक उपायों की योजना तैयार कर क्रियान्वित की जा रही है। अल्प-कालिक योजना के अन्तर्गत समस्याग्रस्त क्षेत्रों से जल निकासी हेतु 12.27 करोड़ रुपये की योजना तैयार कर इसका क्रियान्वयन शुरू कर दिया गया है। इस योजना के तहत समस्याग्रस्त क्षेत्रों को चार जोन में विभाजित कर उनमें स्थित सतही जल एवं भू-जल के कुल 60 स्रोतों से पम्पिंग द्वारा जल निकासी किया जाना प्रस्तावित है व 26 स्रोतों से जल निकासी का कार्य प्रारम्भ भी किया जा चुका है।

(2) जी हां। यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा उक्त समस्या के स्थाई निराकरण हेतु दिनांक 4.3.2009 को मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय समिति व सम्भागीय आयुक्त की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति का गठन किया गया है (आदेश की छाया प्रति संलग्न है)। इन समितियों द्वारा लिये गये निर्णयों के अनुसार उपर्युक्त बिन्दु संख्या 1 व 3 में वर्णित कार्यवाही की गयी है।

(3) जी नहीं। समस्या के स्थाई निराकरण हेतु विशेषज्ञ संस्थानों यथा राष्ट्रीय भू-भौतिकी अनुसंधान संस्थान, हैदराबाद एवं राष्ट्रीय जल विज्ञान संस्थान रूड़की द्वारा अध्ययन कर समस्या के कारणों एवं दीर्घकालिक उपायों के सम्बन्ध में तकनीकी रिपोर्ट 18 माह में दिया जाना अपेक्षित है। रिपोर्ट प्राप्त होने पर दिये गये सुझावों के अनुरूप ही समस्या का स्थायी निराकरण किया जाना सम्भव होगा।

राजस्थान सरकार

भूजल विभाग

क्रमांक : प.12(3)/भूजल/2009 **दिनांक 4.3.2009**

आज्ञा

जोधपुर शहर में बढ़ते भू-जल स्तर के कारणों एवं दुष्प्रभावों के निवारण हेतु मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में दिनांक 12.2.2009 को एक बैठक आयोजित की गयी जिसमें उक्त समस्या के निवारण हेतु एक कार्य-योजना बनायी गई थी तथा कार्य योजना की प्रभावी क्रियान्विति के लिये राज्य स्तरीय एवं जिला स्तरीय कार्य-दल (Task Force) का गठन का निर्णय लिया गया है। उपरोक्त कार्य दलों का निम्न प्रकार गठन किया जाता है :-

1. मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय टास्क फोर्स, जिसमें निम्न सदस्य होगें:

(i)	प्रमुख शासन सचिव, जल संसाधन, जल स्वास्थ्य अभियांत्रिकी, भू जल विभाग एवं इंगानाम।	सदस्य
(ii)	प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास, एवं आवासन विभाग	सदस्य
(iii)	जिला कलक्टर, जोधपुर।	सदस्य
(iv)	आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।	सदस्य
(v)	मुख्य अभियन्ता (मु.) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जयपुर	सदस्य
(vi)	मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर।	सदस्य
(vii)	मुख्य अभियन्ता (परियोजना) जन स्वा. अभि. विभाग, जोधपुर	सदस्य सचिव

2. सम्भागीय आयुक्त, जोधपुर की अध्यक्षता में जिला स्तर पर टास्क फोर्स, जिसमें निम्न सदस्य होंगे :-

(i)	जिला कलक्टर, जोधपुर।	सदस्य
(ii)	आयुक्त, जोधपुर विकास प्राधिकरण, जोधपुर।	सदस्य
(iii)	मुख्य अभियन्ता, भू जल विभाग, जोधपुर।	सदस्य
(iv)	परियोजना निदेशक, इसरो (RRSC), जोधपुर।	सदस्य
(v)	प्रभारी, केन्द्रीय भू जल मण्डल, जोधपुर।	सदस्य
(vi)	अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग जोधपुर।	सदस्य
(vi)	मुख्य अभियन्ता (परियोजना) जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, जोधपुर	सदस्य सचिव

आज्ञा से,

डी.डी. लधानी

उप शासन सचिव (द्वितीय)

खाजूवाला में अवैध खनन पर रोक

32. डा. विश्वनाथ मेघवाल (खाजूवाला) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में गत दो वर्षों में अवैध खनन के कितने प्रकरण दर्ज किये गये? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त में से कितने प्रकरणों का निस्तारण किया जा चुका है और कितने शेष हैं? शेष प्रकरणों में अभी तक कार्यवाही नहीं किये जाने के क्या कारण रहे?

(3) क्या यह सही है कि इन निस्तारित प्रकरणों में किसी को सजा हुई है? यदि हां, तो किन-किन को?

(4) क्या यह भी सही है कि ऐसे प्रकरणों में किन्हीं अभियुक्तों से जुर्माना भी वसूला गया है? यदि हां, तो अब तक कितनी राशि का जुर्माना वसूला गया और यह राशि किस काम में ली गई? क्या सरकार अवैध खनन पर रोक लगाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कैसे, कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र खाजूवाला में गत दो वर्षों में कुल 49 प्रथम सूचना रिपोर्ट सम्बन्धित थानों में दर्ज करवाई गई हैं। वर्षवार पुलिस थानों वार विवरण परिशिष्ट-ए पर संलग्न है।

(2) उक्त सभी मामलों में सम्बन्धित न्यायालय में चालान प्रस्तुत किया जा चुका है। तीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा निर्णय किया जा चुका है तथा शेष 46 प्रकरण न्यायालय के विचाराधीन हैं।

(3) जी हां। निस्तारित तीन प्रकरणों में माननीय न्यायालय द्वारा आरोपियों पर अर्थदण्ड आरोपित किया है विवरण संलग्न है। परिशिष्ट- "बी"

(4) जी हां। माननीय न्यायालय द्वारा उक्त तीन प्रकरणों में आरोपियों पर प्रत्येक में 200/- रुपये का अर्थदण्ड आरोपित किया गया है। जुर्माना आरोपियों द्वारा न्यायालय में ही जमा करवाया गया है। विभाग द्वारा अवैध खनन पर प्रतिबन्ध लगाये जाने हेतु उपलब्ध संसाधनों का अधिकतम उपयोग करते हुए चैकिंग, एफ.आई.आर. दर्ज कराना इत्यादि कार्यवाही की जा रही है।

परिशिष्ट "A"

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर

खाजूवाला विधान सभा क्षेत्र में दर्ज करवाये गये प्रकरणों का विवरण

वर्ष	खाजूवाला	पूगल	छत्तगढ़	योग
2007-2008	8	16	2	26
2008-2009	1	21	1	23
योग	**9**	**37**	**3**	**49**

ह./-
खनि. अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
बीकानेर

परिशिष्ट "B"

राजस्थान सरकार

कार्यालय खनि अभियन्ता, खान एवं भू विज्ञान विभाग, बीकानेर

निस्तारित प्रकरणों में जिनको सजा हुई उसका विवरण

क्र. सं.	मुकदमा सं.	दिनांक	नाम अभियुक्त
1.	32/07	—	सतु खां पुत्र पिरू खां, निवासी जालवाली
2.	31/07	20.3.2007	हनिफ खां पुत्र रमजान खां, निवासी जालवाली
3.	45/07	28.4.2007	कालु खां पुत्र नत्थु खां, निवासी जालवाली

ह./-
खनि. अभियन्ता
खान एवं भू विज्ञान विभाग,
बीकानेर

श्योपुरा (दूदू) के स्वीकृत खनन लीज क्षेत्र में नियम विरुद्ध वृक्षारोपण

33. श्री शंकर सिंह रावत (ब्यावर) : क्या खनिज राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि श्योपुरा, तहसील क्षेत्र दूदू में खनिज अभियन्ता जिला जयपुर द्वारा खनिज लीज संख्या 2/2001 स्वीकृत की गई है? यदि हां, तो कब, किसके पक्ष में एवं कितने क्षेत्र हेतु?

(2) क्या यह भी सही है कि खनन लीज स्वीकृति के समय खनन क्षेत्र में वन विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र ले लिया गया था? यदि हां, तो कब एवं किस सक्षम अधिकारी से? प्राप्त अनापत्ति पत्र की प्रति सदन की मेज पर रखें व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह भी सही है कि वर्तमान में उक्त खनन लीज हेतु स्वीकृत क्षेत्र में वन विभाग द्वारा वृक्षारोपण किया गया है? यदि हां, तो क्यों एवं पट्टाधारी को उक्त वृक्षारोपण से हुई आर्थिक हानि के लिए कौन दोषी है?

(4) क्या यह भी सही है कि पट्टाधारी अनुसूचित जाति की महिला एवं बेरोजगार भी है? यदि हां, तो वर्तमान में पट्टाधारी को स्वीकृत खनन क्षेत्र का कितना एरिया बचता है एवं उससे पट्टाधारी को कब तक अवगत करा दिया जायेगा? क्या सरकार पट्टाधारी को पास वाला एरिया देकर भूमि की कमी पूर्ति करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। ग्राम श्योपुरा तहसील दूदू में खनिज अभियन्ता, जिला जयपुर द्वारा खनिज लीज संख्या 2/2001 स्वीकृत नहीं की गयी है, बल्कि खनन लीज एम.एल. 2/2001 निदेशालय के आदेश दिनांक 23.3.2005 के द्वारा संविदा पंजीयन की तिथि दिनांक 27.6.2005 से श्रीमती केसर देवी पत्नि श्री बाबूलाल बछेर निवासी जयपुर के पक्ष में 5.00 हैक्टर क्षेत्र स्वीकृत की गई।

(2) जी हां। यह सही है कि खनन लीज स्वीकृति से पूर्व वन विभाग से प्रस्तावित क्षेत्र वन सीमा में नहीं होने का अनापत्ति प्रमाण पत्र प्राप्त कर लिया गया था। उक्त अनापत्ति प्रमाण पत्र उप वन संरक्षक, जयपुर (पूर्व) के द्वारा दिनांक 17.8.2001 को जारी किया गया था। (प्रति संलग्न)

(3) जी हां। खनन लीज हेतु स्वीकृत क्षेत्र में वन विभाग द्वारा लीज स्वीकृति से पूर्व वर्ष 2004 में वृक्षारोपण किया गया है, जो आज भी विद्यमान है। लीज खान विभाग द्वारा 23.3.2005 को जारी की गई, जिसमें से कुछ क्षेत्र वृक्षारोपण में पड़ता है। पट्टाधारी को हुई आर्थिक हानि का आंकलन तथा उत्तरदायित्व का निर्धारण पृथक से किया जायेगा।

(खनिज राज्य मंत्री)

(4) पट्टाधारी द्वारा अनुसूचित जाति की होने व बेरोजगार होने सम्बन्धी कोई सूचना, खनि. अभियन्ता को पेश नहीं की गई है। खान एवं वन विभाग के संयुक्त सर्वे के पश्चात् ज्ञात हो सकेगा कि स्वीकृत खनन क्षेत्र के कितने क्षेत्र में वृक्षारोपण नहीं किया हुआ है। पट्टाधारी को इस बाबत शीघ्र अवगत करा दिया जायेगा। पट्टाधारी को पास वाला एरिया देकर भूमि की कमी पूर्ति करने का कोई प्रावधान एम.एम.आर.डी. एक्ट, 1957 व खनिज रियायत नियमावली, 1960 के अन्तर्गत नहीं है।

संलग्नक

ओर से :- उप वन संरक्षक

जयपुर (पूर्व)

निमित्त :-खनि अभियन्ता

खान एवं भू-विज्ञान विभाग

जयपुर

क्रमांक एफ 2(21)01/MG/विविध/उपसप्र/042/3327   दिनांक 17.8.2001

विषय :- आवेदित खनन पट्टा वास्ते खनिज क्वार्टज फैलाकर क्षेत्र 5 हैक्टर निकट ग्राम श्योपुरा तह. दूदू जिला जयपुर में श्रीमती केशर देवी बछेर द्वारा आये दिन 19.4.2000

प्रसंग :- आपका पत्रांक खअ/जय/CCI/ML-2/2001/1332 दिनांक 11.7.2001

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत प्रसंगित पत्र के सन्दर्भ में इस कार्यालय के पत्रांक एफ.2(21) 01/BOC/विविध/उवसप्र/7858 दिनांक 26.7.2001 का अवलोकन करें। जिसकी संयुक्त सर्वे रिपोर्ट की छाया प्रति दिनांक 6.8.2001 संलग्न है। प्रकरण के मुताबिक संयुक्त सर्वे आवेदक द्वारा उनके पत्र दिनांक 10.8.2001 द्वारा प्रस्तावित खनन पट्टा क्षेत्र का संशोधित नक्शा/प्रति शीट इस कार्यालय से आपके प्रति हस्ताक्षर शुदा प्रस्तुत की गई है। जिसमें दर्शाया गया खनन पट्टा प्रस्तावित क्षेत्र वन सीज से बाहर है।

चुकि प्रस्तावित खनन क्षेत्र वन क्षेत्र के समीप है अत: क्षेत्र में पीलर्स स्थापित करते वक्त वन पालक अधिकारी दूदू को साथ रखा जाये।

संलग्न :-वर्णितानुसार (किता-4)

भवदीय

ह./-

उप वन संरक्षक

जयपुर (पूर्व)

रावला-घड़साना-अनूपगढ़ के पुलिस थानों में जमा अस्त्र-शस्त्र

34. श्री पवन कुमार दुग्गल (अनूपगढ़) : क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रावला-घड़साना-अनूपगढ़ के पुलिस थानों में कितने अस्त्र-शस्त्र कितने समय से जमा हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह सही है कि इनका नवीनीकरण नहीं हुआ है? यदि हां, तो क्यों?

उत्तर

(1) थाना रावला में 105, थाना घड़साना में 185 व अनूपगढ़ में 234 अस्त्र-शस्त्र वर्ष 2008 विधान सभा चुनाव के समय से जमा हैं।

(2) थानों में जमा अस्त्र-शस्त्रों में से थाना रावला के 23 घड़साना के 60 व अनूपगढ़ के 97 अस्त्र-शस्त्रों का नवीनीकरण हुआ है। शेष अस्त्र-शस्त्रों का नवीनीकरण चुनाव प्रक्रिया के कारण आवेदकों द्वारा प्रार्थना पत्र पेश नहीं करने के कारण व प्रार्थना पत्र लम्बित होने के कारण नहीं हुआ है।

तकली सिंचाई परियोजना हेतु अवाप्त क्षेत्र में स्थित कुओं का नियन्त्रण-अधिकार

35. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) रामगंजमण्डी उपखण्ड के तकली सिंचाई परियोजना हेतु किस-किस किस्म की कितनी राजस्व भूमि अवाप्ति हेतु किस स्तर पर विचाराधीन है?

(2) क्या उपरोक्त अवाप्ति/प्रस्तावित अवाप्ति के क्षेत्र में ऐसी सिवाय चक भूमियां हैं जिनका आबंटन अवाप्ति से पूर्व हो चुका था परन्तु राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज नहीं होने के कारण सिवाय चक के रूप में ही अवाप्ति हेतु प्रस्तावित की गई है?

(3) उपरोक्त परियोजना पर भूमि अवाप्ति/प्रस्तावित क्षेत्र में मौके पर कितने कुएं स्थित हैं इनमें से कितने कुएं राजस्व रिकार्ड में निजी/सिवाय चक के रूप में दर्ज हैं?

(4) क्या सिवाय चक में दर्ज उक्त कुए राजस्व विभाग के नियंत्रण में है अथवा इनसे निजी काश्तकार सिंचाई सुविधा प्राप्त कर रहे हैं?

(5) राजस्व रिकार्ड में दर्ज सिवाय चक कुएं, राज्य सरकार द्वारा किस मद में कब खुदवाये गये? इन्हें किस नियम के अन्तर्गत सरकार द्वारा कब-कब अपने नियन्त्रण में लिया गया? आदेश की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अवाप्त होने वाली तथा अवाप्त हुई भूमि का किस्मवार विवरण एवं अवाप्ति प्रकरण की वर्तमान स्थिति का विवरण संलग्न प्रपत्र- "अ" में दर्शाया गया है।

(2) जी हां। ऐसे कुछ विवादित प्रकरण ध्यान में आये हैं जो सक्षम न्यायालय में विचाराधीन हैं।

(3) उपरोक्त परियोजना हेतु अवाप्ति क्षेत्र में सिंचाई विभाग एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार कुल 95 कुएं स्थित हैं जिनमें से 9 कुएं सिवायचक (सरकारी) भूमि एवं 86 कुएं निजी खातेदारों के हैं।

(4) सिवायचक भूमि में दर्ज उक्त कुएं भू-प्रबन्ध विभाग द्वारा पूर्व में ही सिवायचक दर्ज कर दिये गये हैं। मौके पर उक्त कुओं से निजी काश्तकार सिंचाई सुविधाएं प्राप्त कर रहे हैं।

(5) राजस्व रिकार्ड में दर्ज सिवायचक कुएं सम्वत् 2012 के भू-प्रबन्ध में ही सिवायचक दर्ज हैं।

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखा गया)

देवली तहसील क्षेत्र में दूरस्थ ग्रामों हेतु उप-तहसील की स्थापना

36. श्री रामनारायण मीणा (देवली-उनियारा) : क्या राजस्व मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि बीसलपुर बांध के कारण देवली से अजमेर जाने वाले पुराने रास्ते पर स्थित नेगडिया पुलिया डूब में आ जाने से देवली तहसील क्षेत्र के बनास नदी के दूसरी तरफ आबाद ग्रामों का तहसील मुख्यालय से आवागमन की दूरी अधिक हो जाने से इस क्षेत्र के निवासियों का तहसील मुख्यालय पहुंचना अधिक खर्चीला एवं असुविधाजनक हो गया है? यदि हां, तो इस बाबत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है?

(2) क्या सरकार उक्त क्षेत्र के लिये अलग से नायब तहसील बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। नेगडिया पुलिया बीसलपुर बांध में 312 आरएल तक पानी भरने पर डूब जाती है। बीसलपुर बांध में 315.50 आरएल तक पानी का स्तर रखा जाता है। पानी की आवक के आधार पर 3 माह से 6 माह तक नेगडिया पुलिया से आवागमन अवरुद्ध हो जाता है। नेगडिया पुलिया पर आवागमन अवरुद्ध हो जाने पर देवली पहुंचने के लिये ग्रामवासियों को लगभग 50 कि.मी. अतिरिक्त यात्रा करनी पड़ती है।

(राजस्व मंत्री)

समस्या के समाधान हेतु सम्बन्धित विभाग को लिखा जा रहा है।

(2) जी नहीं। उक्त क्षेत्र में मात्र 27 ग्राम हैं, जिनके लिये उप तहसील सृजित किये जाने का कोई औचित्य नहीं है।

धौलपुर के राजकीय मन्दिरों का रख-रखाव

37. श्री अब्दुल सगीर खां (धौलपुर) : क्या देवस्थान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में कितने और कौन-कौन से राजकीय मन्दिर हैं?

(2) सरकार द्वारा कितने मन्दिरों को कितनी-कितनी राशि वार्षिक रूप से पूजा भोग के लिए दी जाती है?

(3) सरकार द्वारा गत 10 वर्षों में किन-किन मन्दिरों की मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए कितनी-कितनी राशि स्वीकृत की गई?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र धौलपुर में निम्न 22 राजकीय मन्दिर हैं :-

क्र. सं.	श्रेणी	नाम मन्दिर
1	**2**	**3**
1.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री राधा बिहारीजी, महल के पास, चिड़िया खाना कोठी मोहल्ला, धौलपुर
2.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री नृसिंहजी, ड्योडी तोशाखाना के पास, नृसिंह बाग, धौलपुर
3.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री रामचन्द्रजी, पुरानी छावनी, धौलपुर
4.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री महादेवजी, बगिया, नृसिंह रोड, धौलपुर
5.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री गंगाजी, पुरानी छावनी, धौलपुर
6.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री हनुमानजी, किला शेरगढ़, धौलपुर
7.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री हनुमानजी, पुरानी छावनी, धौलपुर

(देवस्थान मंत्री)

1	2	3
8.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री बृजमोहन जी चौपड़ा, मोहल्ला चौपड़ा, धौलपुर
9.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री देवीजी, मोहल्ला चौपड़ा, धौलपुर
10.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री काली बाईजी, मोहल्ला बजरिया, धौलपुर
11.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी, मचकुण्ड, धौलपुर
12.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री मदन मोहनजी, रानी गुरू, मचकुण्ड, धौलपुर
13.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री जगन्नाथ जी, मचकुण्ड, धौलपुर
14.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री लाडले जगमोहनजी, मचकुण्ड, धौलपुर
15.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी, खोड, धौलपुर
16.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री देवीजी राजराजेश्वरजी, यज्ञ शाला, नृसिंह बाग, धौलपुर
17.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री महादेवजी हनुमानजी, पुराना शहर, धौलपुर
18.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री हनुमानजी कचहरी, धौलपुर
19.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री हनुमान जी बागभावा साहाब, धौलपुर
20.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री रघुनाथजी हनुमानजी, गंगाबाई की बगीची, धौलपुर
21.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री लाडले जगमोहन धूलकोट, धौलपुर
22.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री गंगाजी बाग भावा साहब, धौलपुर

(देवस्थान मंत्री)

(2) सरकार द्वारा मन्दिरों को जितनी राशि वार्षिक रूप से भोग पूजा के लिए दी जाती है उन सभी मन्दिरों की सूची वार्षिक पूजा की राशि सहित निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	श्रेणी	नाम मन्दिर	स्वीकृत भोग राशि (रुपये में)	स्वीकृत सहायता राशि (रुपये में)
1	**2**	**3**	**4**	**5**
1.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री राधा बिहारीजी, महल के पास, चिडिया खाना कोठी मोहल्ला, धौलपुर	36500	—
2.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री नृसिंहजी, ड्योडी तोशाखाना के पास, नृसिंह बाग, धौलपुर	27375	—
3.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री रामचन्द्रजी, पुरानी छावनी, धौलपुर	27375	—
4.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री महादेवजी, बगिया, नृसिंह रोड, धौलपुर	18250	—
5.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री गंगाजी, पुरानी छावनी, धौलपुर	18250	—
6.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री हनुमानजी, किला शेरगढ़, धौलपुर	18250	—
7.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री हनुमानजी, पुरानी छावनी, धौलपुर	27375	—
8.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री बृजमोहनजी, मोहल्ला चौपड़ा, धौलपुर	—	696

(देवस्थान मंत्री)

1	2	3	4	5
9.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री देवीजी, मोहल्ला चौपड़ा, धौलपुर	—	408
10.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री काली बाईजी, मोहल्ला बजरिया, धौलपुर	—	720
11.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी, मचकुण्ड, धौलपुर	—	816
12.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री मदन मोहनजी, रानी गुरू, मचकुण्ड, धौलपुर	—	—
13.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री जगन्नाथजी, मचकुण्ड, धौलपुर	—	120
14.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री लाडले जगमोहनजी, मचकुण्ड, धौलपुर	—	—
15.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री मुरली मनोहरजी, खोड, धौलपुर	—	456
16.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री देवी जी, राजराजेश्वरजी, यज्ञ शाला, नृसिंहबाग, धौलपुर	—	—
17.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री महादेव जी हनुमानजी पुराना शहर धौलपुर	—	290
18.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री हनुमानजी, कचहरी, धौलपुर	—	400
19.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री हनुमानजी, बागभावा साहाब, धौलपुर	—	120
20.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री रघुनाथजीहनुमानजी गंगाबाईकी बगीची, धौलपुर	120	120
21.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री लाडले जगमोहनजी धूलकोट, धौलपुर	—	—
22.	राजकीय सुपुर्दगी श्रेणी	मन्दिर श्री गंगाजी, बाग भावा साहब, साहाब	—	—

(देवस्थान मंत्री)

(3) सरकार द्वारा गत 10 वर्षों में जिन मन्दिरों की मरम्मत/जीर्णोद्धार के लिए राशि स्वीकृत की गई उनका विवरण निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	श्रेणी	नाम मन्दिर	वर्ष	स्वीकृत राशि (रुपये में)
1	2	3	4	5
1.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री नृसिंहजी, ड्योड़ी तोशाखाना के पास, नृसिंह बाग, धौलपुर	2006-07	3,01,184
2.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री राधा बिहारीजी, महल के पास, चिड़िया खाना कोठी मोहल्ला, धौलपुर	2006-07	3,34,795
3.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री रामचन्द्रजी, पुरानी छावनी, धौलपुर	2006-07	3,09,813
4.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री हनुमानजी, पुरानी छावनी, धौलपुर	2008-09	17,96,267
5.	राजकीय प्रत्यक्ष प्रभार श्रेणी मन्दिर	मन्दिर श्री गंगाजी, पुरानी छावनी, धौलपुर	2008-09	3,31,539

परबतसर में अवैध खनन

38. श्री मानसिंह (परबतसर) : क्या वन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत रूपपुरा, टोरडा की पहाडियां, काबरा नाका, भैरू तालाब एवं पांचवां की पहाड़ियों (परबतसर) में लम्बे समय से आरक्षित वन क्षेत्र में प्रतिदिन लगभग 200 ट्रैक्टर अवैध खनन हो रहा है? यदि हां, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि सरपंच रूपपुरा व ग्रामवासियों द्वारा सतर्कता समिति नागौर में भी प्रकरण उठाया गया एवं सम्बन्धित अधिकारियों व राज्य सरकार को अवगत कराया गया है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

(श्री मानसिंह)

(3) उक्त अवैध खनन से राज्य को कितनी राजस्व हानि होती है?

(4) क्या यह सही है कि सतर्कता समिति नागौर एवं उप खण्ड अधिकारी ने भी अपनी जांच में उक्त खनन को अवैध माना है?

(5) क्या यह सही है कि पूर्व में उक्त अवैध खनन रोकने के लिए ट्रैक्टर जे.सी.बी. व अन्य सामान जब्त किया गया? यदि हां, तो उन पर क्या कार्यवाही की गई व कितना जुर्माना किया गया?

(6) क्या सरकार उक्त अवैध खनन रोकने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी नहीं। अपितु पूर्व में ग्रामीणों द्वारा यदा-कदा मकान बनाने के लिये चोरी छिपे उक्त रक्षित वन क्षेत्र से पत्थर लाये जाने की शिकायत प्राप्त होती रही है जिनके विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही की जाती है।

(2) जिला सतर्कता समिति में भूतपूर्व विधायक नावां श्री हरीश कुमावत द्वारा दिनांक 10.5.2003 को प्रकरण उठाया गया था जो कि सतर्कता समिति में क्र.सं. 24503 पर दर्ज किया गया था। उनके द्वारा ग्राम पंचायत रूपपुरा टोरडा के वन क्षेत्र में अवैध खनन कार्य निरन्तर जारी रहने की शिकायत की गई थी। उक्त शिकायत के तुरन्त बाद वन विभाग, खान विभाग एवं पुलिस विभाग के संयुक्त प्रयास से उक्त क्षेत्र में यदा—कदा चोरी-छिपे हो रहे अवैध खनन को पूर्णतया बन्द करवा दिया गया था। जिला सतर्कता समिति में दर्ज प्रकरण का जवाब उप वन संरक्षक, नागौर के कार्यालय पत्रांक 3432 दिनांक 27.6.2003 द्वारा दिया गया था। बाद में जिला सतर्कता समिति की बैठक दिनांक 30.8.2003 में वन विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम हेतु किये गये प्रयासों से माननीय विधायक महोदय के सन्तुष्ट होने पर उक्त प्रकरण जिला सतर्कता समिति द्वारा ड्रोप कर दिया गया था। उसके बाद उक्त क्षेत्र में वन विभाग के स्टाफ एवं वन संरक्षक कार्यालय, सीकर के गश्तीदल द्वारा समय-समय पर गश्त करके अवैध खनन पर पूर्णतया अंकुश लगाया गया है।

(3) वर्तमान में उक्त क्षेत्र में अवैध खनन पूर्णतया बन्द है अत: राज्य सरकार को कोई भी राजस्व हानि नहीं हो रही है।

(4) जिला सतर्कता समिति में माननीय विधायक (तत्कालीन) श्री हरीश कुमावत द्वारा प्रकरण दर्ज करवाया गया था एवं वन विभाग द्वारा अवैध खनन की रोकथाम के प्रयासों से उनके संतुष्ट होने पर प्रकरण ड्रोप किया गया था। उप खण्ड

(वन राज्य मंत्री)

अधिकारी, नावां ने अतिरिक्त तहसीलदार कुचामन को उक्त चोरी-छिपे होने वाले अवैध खनन की रोकथाम के लिये निर्देश दिये थे। जिस पर अतिरिक्त तहसीलदार कुचामन ने अपने पत्र क्रमांक भू.अ./04/143 दिनांक 30.2.2004 द्वारा थानाधिकारी, कुचामनसिटी, क्षेत्रीय वन अधिकारी कुचामनसिटी, हल्का पटवारी रूपपुरा एवं सरपंच रूपपुरा को चोरी-छिपे होने वाले अवैध खनन की संयुक्त रूप से रोकथाम हेतु निर्देश प्रदान किये गये थे।

(5) पूर्व में उक्त क्षेत्र में यदा-कदा हो रहे अवैध खनन के परिवहन में लिप्त ट्रैक्टरों व अन्य सामान को जब्त करके मुकदमे दर्ज किये गये थे एवं नियमानुसार उनसे एवजाना वसूल किया गया था। प्रश्न में वर्णित वन क्षेत्र में स्थित वन नाकों में वित्तीय वर्ष 2004-05 से 2009-10 (30.6.2009) तक के दौरान अवैध खनन के दर्ज प्रकरणों एवं उनसे वसूले एवजाने का विवरण निम्नानुसार है :-

<u>नाका कुचामनसिटी</u>

वित्तीय वर्ष	दर्ज प्रकरण (संख्या)	एवजाना वसूली (रुपये)
2004-05	11	19451
2005-06	15	26300
2006-07	30	44300
2007-08	40	48300
2008-09	46	75600
2009-10	12	23200
योग	**154**	**237151**

नाका पांचवा

वित्तीय वर्ष	दर्ज प्रकरण (संख्या)	एवजाना वसूली (रुपये)
2004-05	8	18200
2005-06	39	90300
2006-07	39	57700
2007-08	39	87600
2008-09	29	65800
2009-10	5	9500
योग	**159**	**329100**

(वन राज्य मंत्री)

(6) जी हां। उक्त क्षेत्र में अवैध खनन रोकने के लिए निम्नानुसार सतत प्रयास किये जा रहे हैं :-

1. उक्त वन क्षेत्र में तैनात स्टाफ द्वारा मुश्तैदी से गश्त की जा रही है व अवैध खनन करते हुए पाये जाने पर वन अपराध प्रकरण दर्ज कर नियमानुसार कार्यवाही की जा रही है।
2. वन संरक्षक सीकर एवं उप वन संरक्षक, नागौर कार्यालय के अधीन गठित गश्ती दलों द्वारा उक्त क्षेत्र में गश्त की जाकर अवैध खनन की रोकथाम की कार्यवाही की जा रही है।
3. उप वन संरक्षक नागौर द्वारा उक्त क्षेत्र में अतिरिक्त वन रक्षक एवं भूतपूर्व सैनिकों को अवैध खनन की रोकथाम हेतु तैनात किया गया है।
4. वन विभाग एवं खान विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयुक्त गश्त की जाकर अवैध खनन की रोकथाम की गई है।
5. वन क्षेत्र में सम्भावित अवैध खनन वाले रास्तों को खाई खुदवाकर/ मिट्टी के बांध बनाकर रोक दिया गया है।

अलवर, उदयपुर एवं बीकानेर के राजकीय मुद्रणालय की उपयोगिता

39. श्री बाबूलाल बैरवा (कठूमर) : क्या मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि सरकार द्वारा राज्य के तीन राजकीय मुद्रणालयों को बन्द करने का निर्णय लिया गया था? यदि हां, तो क्यों? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या यह भी सही है कि निर्णय के पश्चात् भी उक्त तीनों राजकीय मुद्रणालयों को बन्द नहीं किया जा सका? यदि हां, तो क्यों?

(3) गत 5 वर्षों में उक्त तीनों प्रेसों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या क्या रही? वार्षिक वेतन-भत्ते, नल-बिजली व टेलीफोन इत्यादि पर क्या खर्च हुआ? अलवर, बीकानेर, उदयपुर प्रेसों का अलग-अलग वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) क्या यह सही है कि प्रदेश में 5 राजकीय मुद्रणालयों (प्रेस) होने के उपरान्त भी कलेण्डर प्राइवेट फर्मो से छपवाये जा रहे हैं? यदि हां, तो कितने वर्षो से तथा इस पर कितना व्यय हुआ? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त तीनों प्रेसों के भूमि एवं भवन का वर्तमान अनुमानित मूल्य क्या है? प्रेसवार पृथक-पृथक विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री बाबूलाल बैरवा)

(6) उक्त तीनों प्रेसों के कर्मचारियों का गत 5 वर्षों में उत्पादन मूल्य व उपयोगिता क्या रही? वर्षवार व प्रेसवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(7) क्या यह सही है कि उक्त तीनों प्रेसों में आय नगण्य एवं व्यय अत्यधिक मात्रा में हुआ है? यदि हां, तो इसके लिये कौन जिम्मेदार है? क्या सरकार इस सम्बन्ध में कोई कार्य योजना बनाने का विचार रखती है? यदि हां, तो क्या? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी नहीं।

(2) राज्य सरकार द्वारा ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया गया।

(3) राजकीय मुद्रणालय, बीकानेर

वर्ष	**कर्मचारियों की संख्या**	**वेतन-भत्ते राशि लाखों में**	**नल/बिजली राशि लाखों में**	**टेलीफोन राशि लाखों में**
2004-05	107	136.00	1.92	0.26
2005-06	103	142.46	1.91	0.22
2006-07	102	147.06	1.80	0.16
2007-08	99	160.00	1.85	0.20
2008-09	96	220.74	1.69	0.25

राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर

वर्ष	**कर्मचारियों की संख्या**	**वेतन-भत्ते राशि लाखों में**	**नल/बिजली राशि लाखों में**	**टेलीफोन राशि लाखों में**
2004-05	85	95.33	1.73	0.41
2005-06	82	99.67	1.22	0.22
2006-07	81	104.03	1.51	0.22
2007-08	77	114.00	1.24	0.20
2008-09	74	164.83	1.06	0.29

(मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री)

राजकीय मुद्रणालय, अलवर

वर्ष	कर्मचारियों की संख्या	वेतन-भत्ते राशि लाखों में	नल/बिजली राशि लाखों में	टेलीफोन राशि लाखों में
2004-05	73	84.64	2.22	0.18
2005-06	70	87.12	2.32	0.22
2006-07	68	89.11	2.08	0.18
2007-08	67	86.81	1.54	0.12
2008-09	58	120.00	1.48	0.08

(4) मुद्रणालयों में बहुरंगी मुद्रण मशीन नहीं होने के कारण रंगीन कलैण्डर गत 4 वर्षों से प्राइवेट मुद्रणालयों से छपवाये गये हैं। रंगीन कलेण्डर छपवाने हेतु गत 4 वर्षों में राशि रुपये 2192653/- (अर्थात् 21.93 लाख लगभग) व्यय हुआ है।

(5)

राजकीय मुद्रणालय	भूमि का मूल्य	भवन का मूल्य	कुल (करोड़ों में)
बीकानेर	3.92	0.73	4.65
उदयपुर	4.77	0.60	5.37
अलवर	4.70	1.08	5.78

(6) उत्पादन मूल्य-

राजकीय मुद्रणालय, बीकानेर		राजकीय मुद्रणालय, उदयपुर		राजकीय मुद्रणालय, अलवर	
वर्ष	उत्पादन मूल्य (राशि लाखों में)	वर्ष	उत्पादन मूल्य (राशि लाखों में)	वर्ष	उत्पादन मूल्य (राशि लाखों में)
2004-05	20.22	2004-05	27.77	2004-05	24.52
2005-06	29.00	2005-06	31.55	2005-06	18.52
2006-07	40.16	2006-07	33.78	2006-07	17.56
2007-08	35.08	2007-08	34.45	2007-08	20.75
2008-09	34.10	2008-09	34.69	2008-09	18.07

(मुद्रण एवं लेखन सामग्री मंत्री)

उपयोगिता-राजकीय मुद्रणालयों द्वारा गत 5 वर्षों में लोक सभा, विधान सभा, पंचायतीराज व नगरपालिका चुनावों हेतु मतपत्र मुद्रण जैसे महत्वपूर्ण व संवेदनशील कार्यों के अलावा राजकीय विभागों से प्राप्त कार्यादेशों व प्रपत्र मुद्रण का कार्य भी किया जाता है।

(7) यह सही है कि उक्त तीन मुद्रणालयों पर हुये व्यय की तुलना से आय कम है परन्तु सेवा प्रदाता विभाग होने के कारण कोई भी उत्तरदायी नहीं है।

राज्य सरकार द्वारा आधुनिकीकरण सहित कई विकल्पों पर विचार कर रही है।

तकली सिंचाई परियोजना के डूब क्षेत्र के प्रभावितों का पुनर्वास

40. श्रीमती चन्द्रकान्ता मेघवाल (रामगंजमण्डी) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि राज्य सरकार द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन सिंचाई परियोजना में मुआवजा एवं पुनर्वास सम्बन्धी कार्य सलाह, समस्या समाधान हेतु जिला अथवा उसके नीचे के स्तर पर घोषित पुनर्वास नीति के प्रारूप अथवा अन्य प्रावधानों के अन्तर्गत समितियों का गठन किया गया है? यदि हां, तो परियोजनावार आदेशों की प्रति एवं सूची सदन की मेज पर रखें।

(2) क्या सरकार तकली सिंचाई परियोजना तहसील रामगंजमण्डी जिला कोटा हेतु उपरोक्त समिति गठित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या सरकार उक्त कमेटियों में स्थानीय विधायक एवं परियोजना से प्रभावित काश्तकारों के प्रतिनिधियों को नामित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) जी हां। राज्य सरकार द्वारा निर्मित एवं निर्माणाधीन सिंचाई परियोजनाओं के मुआवजा एवं पुनर्वास सम्बन्धी कार्यो हेतु जिला स्तर पर कमेटियों का गठन किया जाता है। विभिन्न परियोजनाओं पर गठित समितियों के आदेशों की प्रति प्रपत्र "अ" पर संलग्न है।

(2) तकली सिंचाई परियोजना पर जिला कलक्टर, कोटा की अध्यक्षता में समिति का गठन राज्य सरकार के आदेश संख्या 33/LA/2006/702 दिनांक 26.3.2009 द्वारा किया जा चुका है प्रति प्रपत्र "अ" 1/7'' पर संलग्न है।

(3) तकली सिंचाई परियोजना के सम्बन्ध में गठित की गई समिति में

(जल संसाधन मंत्री)

जनप्रतिनिधियों एवं प्रभावितों के प्रतिनिधियों को नामित करने का विषय परियोजना स्तर पर विचाराधीन है।

(प्रति विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखी गयी)

इन्दिरा गांधी नहर से सिंचाई हेतु जल परामर्शदात्री समिति की बैठक

41. श्री राधेश्याम गंगानगर (गंगानगर) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि पौंग बांध में पानी की कमी से इन्दिरा गांधी नहर में सिंचाई आपूर्ति प्रभावित होने लगी है?

(2) क्या यह सही है कि पौंग बांध में पानी का लेवल प्रतिदिन औसतन एक फुट घटने से पानी की कमी के कारण फिलहाल लगभग आठ से नौ हजार क्यूसेक पानी मिल रहा है? यदि हां, तो क्या सरकार इस व्यवस्था को सुचारू करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक?

(3) क्या यह सही है कि इन्दिरा गांधी नहर में सिंचाई हेतु पानी निर्धारण के लिए माह जून में हनुमानगढ़ में मुख्य अभियन्ता कार्यालय में जल परामर्शदात्री समिति की बैठक हुई थी? यदि हां, तो बैठक में मुख्य रूप से किन मामलों पर विचार हुआ? बैठक की कार्यवाही की प्रति सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) जी हां।

(2) जी हां। पौंग बांध में शेष उपलब्ध स्टोरेज बहुत कम होने के कारण, वर्तमान में लगभग 5400 क्यूसेक्स पानी प्राप्त हो रहा है। मानसून की वर्षा होने पर ही बांध में आवक बढने पर, सिंचाई व्यवस्था सुचारू रूप से बहाल हो सकेगी। राज्य सरकार सिंचाई हेतु पानी उपलब्ध करवाने के लिए प्रयासरत है।

(3) जी हां। माह जून में जल परामर्शदात्री समिति की दो बैठकें क्रमश: दिनांक 5.6.2009 एवं 23.6.2009 को सम्पन्न हुई थीं। उक्त बैठकों में मुख्य रूप से जल उपलब्धता एवं नहरों में पानी चलाये जाने के सम्बन्ध में विचार-विमर्श हुआ था। इन बैठकों की कार्यवाही विवरण की प्रतियां परिशिष्ट “अ” पर संलग्न है।

(प्रतियां विस्तृत होने के कारण पुस्तकालय में रखी गयीं)

संतूर (हिण्डौली) लघु सिंचाई परियोजना से लाभान्वित कृषक एवं सिंचित क्षेत्र

42. श्री प्रभुलाल सैनी (हिण्डौली) : क्या जल संसाधन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की चन्द्रभागा नदी पर संतूर के पास लघु सिंचाई परियोजना बनाई गई है? यदि हां, तो इस योजना से कितने कृषक व कितना रकबा लाभान्वित होगा? सरकार इस लघु सिंचाई परियोजना को कब तक मंजूरी देने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह सही है कि इस लघु सिंचाई परियोजना के बन जाने से क्षेत्र में सिंचाई के साथ-साथ इस क्षेत्र के किसानों को पेयजल उपलब्ध हो सकेगा? यदि हां, तो इस परियोजना के कमाण्ड क्षेत्र में कितने कुओं का जल स्तर बढ़ेगा?

उत्तर

(1) जी हां। विधान सभा क्षेत्र हिण्डौली की चन्द्रभागा नदी पर सथूर के पास लघु सिंचाई परियोजना की प्रशासनिक स्वीकृति राशि रुपये 135.28 लाख की जनवरी, 2001 में राज्य सरकार द्वारा जारी की गई थी। इस योजना से ग्राम सथूर व बोरखण्डी की लगभग 200.00 हैक्टेयर भूमि लाभान्वित होनी प्रस्तावित है। उक्त परियोजना पर वन विभाग से अनापत्ति प्रमाप पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण परियोजना का निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया जा सका है। भारत सरकार के वन एवं पर्यावरण मंत्रालय से वन भूमि के प्रत्यावर्तन की स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात् ही योजना के सिंचित क्षेत्र का विस्तृत सर्वेक्षण कर, उस समय प्रचलित बी.एस.आर. के आधार पर संशोधित प्राक्कलन तैयार किया जावेगा। इसके पश्चात् ही लाभान्वित होने वाले कृषकों की संख्या एवं भूमि का सही विवरण ज्ञात हो सकेगा। योजना की स्वीकृति भी उसके बाद ही सम्भव है।

(2) जी हां। इस योजना के पूर्ण होने पर बांध स्थल के आस-पास के ग्रामों के भूजल स्तर में बढ़ोतरी होने की सम्भावना है। इस योजना से क्षेत्र में सिंचाई सुविधा एवं पेयजल उपलब्धता में सुधार होगा।

जाडला ग्राम पंचायत (कठूमर) में संचालित आंगनबाड़ी केन्द्र की जांच

43. श्री ज्ञानदेव आहूजा (रामगढ़) : क्या महिला एवं बाल विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) क्या यह सही है कि अलवर जिले की ग्राम पंचायत जाडला (कठूमर) में

(श्री ज्ञानदेव आहूजा)

आंगनबाड़ी कार्यकर्ता अपने निजी घर पर आंगनबाडी केन्द्र चलाती हैं एवं बच्चों को पोषाहार वितरण नहीं कर स्वयं उपभोग एवं उपयोग में लेती हैं? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर सम्बन्धित के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि नहीं, तो क्यों?

(2) क्या यह भी सही है कि उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से उपस्थिति पंजिका को अपने कमरे में बन्द करके अधिकांशत: मुख्यालय से बाहर रहती है? यदि हां, तो क्या सरकार दोषी कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

(3) क्या यह सही है कि ग्राम पंचायत जाडला (कठूमर) में स्थित उप स्वास्थ्य केन्द्र को आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु आबंटित किया गया है? यदि हां, तो आंगनबाड़ी केन्द्र को अन्यत्र चलाने के क्या कारण हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

उत्तर

(1) अलवर जिले की ग्राम पंचायत जाडला (कठूमर) के अन्तर्गत आने वाले 5 आंगनबाड़ी केन्द्रों में से एक आंगनबाड़ी केन्द्र नगली तर्फ तोढा का संचालन आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के घर से किया जाता है। ग्राम पंचायत जाडला के ग्राम जाडला में स्थित आंगनबाडी केन्द्र, जो कि उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु निर्मित भवन के एक कक्ष में संचालित होता है, का संचालन कभी-कभी अस्थाई रूप से कार्यकर्ता द्वारा अपने निजी घर पर किया जाता है क्योंकि उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन निचले स्थान पर निर्मित है जिसमें वर्षा के समय पानी भर जाता है। ग्राम पंचायत जाडला के किसी भी आंगनबाड़ी केन्द्र के लिए यह शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता द्वारा बच्चों को पोषाहार वितरण नहीं कर स्वयं उपभोग एवं उपयोग किया जाता है।

(2) जी नहीं। इस प्रकार की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है कि ग्राम पंचायत जाडला की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताएं उपस्थिति पंजिका अपने कमरे में बन्द करके मुख्यालय से बाहर रहती हो।

(3) जी हां। ग्राम पंचायत जाडला के ग्राम जाडला में आंगनबाड़ी केन्द्र हेतु एक कक्ष उप स्वास्थ्य केन्द्र हेतु निर्मित भवन में स्थानीय रूप से आबंटित किया हुआ है। परन्तु उक्त स्थल निचाई पर स्थित है तथा वर्षा के समय उक्त भवन तथा उसके आस-पास पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में लाभान्वितों की सुविधा एवं सुरक्षा की दृष्टि से केन्द्र का संचालन अस्थाई रूप से उप स्वास्थ्य केन्द्र भवन के स्थान पर अन्यत्र से किया जाता है।

केकड़ी में संचालित निगम बस सेवाएं

44. डा. रघु शर्मा (केकड़ी) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम द्वारा विधान सभा क्षेत्र केकड़ी के किन-किन मार्गों पर बसों का संचालन किया जा रहा है? क्या सरकार शेष बचे हुए मार्गों पर भी निगम बसें संचालित करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब तक व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

विधान सभा क्षेत्र केकड़ी जिला अजमेर में राजस्थान परिवहन निगम के विभिन्न आगारों द्वारा संचालित बस मार्गों का विवरण परिशिष्ट "1" पर संलग्न हैं। आगारवार संचालित मार्गो के सामने दैनिक संचालित किये जा रहे एकल परिचक्रों की संख्या अंकित की हुई है।

निगम में संसाधनों की कमी को देखते हुये शेष बचे हुये पंचम अध्याय मार्गो पर आवश्यकता होने व पर्याप्त यात्रीभार मिलने पर संचालन करने पर विचार किया जा सकेगा।

परिशिष्ट-1

केकड़ी विधान सभा क्षेत्र अजमेर में निगम के विभिन्न आगारों द्वारा केकड़ी तक केकड़ी होकर संचालित बस मार्गो का विवरण

संचालित आगार का नाम	क्र. सं.	मार्ग का नाम	संचालित एकल परिचक्र
1	2	3	4
अजमेर	1.	अजमेर-सरवाड-केकड़ी-सावर-कोटा	48
	2.	अजमेर-सरवाड-केकड़ी-देवली-जहाजपुर	22
	3.	अजमेर-सरवाड-केकड़ी-पिपलाज	2
	4.	अजमेर-केकड़ी-कालेडाकंवर	2
	5.	अजमेर-केकड़ी-हिंगोनिया	4
	6.	अजमेर-सरवाड-केकड़ी-घूघरी	2
बीकानेर	7.	बीकानेर-पाटन वाया केकड़ी-देवली	2
नागौर	8.	नागौर-कोटा वाया केकड़ी	2

(यातायात मंत्री)

1	2	3	4
	9.	नागौर-उज्जैन वाया केकड़ी-कोटा	2
बून्दी	10.	कोटा-अजमेर वाया केकड़ी	14
कोटा	11.	कोटा-बोरावड वाया केकड़ी-अजमेर	2
	12.	कोटा-बीकानेर वाया केकड़ी-अजमेर	2
	13.	कोटा-वीरात्रामाता वाया केकड़ी-अजमेर	2
	14.	कोटा-अजमेर वाया केकड़ी	4
झालावाड	15.	पाटन-जोधपुर वाया केकड़ी-अजमेर	2
	16.	अकलेरा-अजमेर वाया केकड़ी	4
	17.	पाटन-अजमेर वाया केकड़ी	1
	18.	अजमेर-झालावाड़ा वाया केकड़ी	1
बारां	19.	बारां-जोधपुर वाया केकड़ी-अजमेर	2
	20.	बारां-अजमेर वाया केकड़ी	2
टौंक	21.	रेवाडी-दिल्ली वाया डिग्गी-मालपुरा	2
वैशालीनगर	22.	शाहपुरा-हरिद्वार वाया केकड़ी-मालपुरा	1
	23.	शाहपुरा-दिल्ली वाया केकड़ी	1
	24.	दिल्ली-केकड़ी वाया मालपुरा	1
	25.	जयपुर-शाहपुरा वाया केकड़ी	12
	26.	जयपुर-केकड़ी वाया मालपुरा	15
	27.	केकड़ी खातवाडी	2
	28.	जयपुर-उदयपुर वाया केकड़ी	6
	29.	जयपुर-बांसवाड़ा वाया केकड़ी	4
	30.	जयपुर-प्रतापगढ़ वाया केकड़ी	2
	31.	जयपुर-सांवरियाजी वाया केकड़ी	2

(यातायात मंत्री)

1	2	3	4
	32.	जयपुर-माण्डलगढ़ वाया केकड़ी	2
	33.	जयपुर-काछोला वाया केकड़ी-देवली	2
	34.	जयपुर-बडी सादडी वाया केकड़ी	2
	35.	जयपुर-रायपुर वाया केकड़ी	2
	36.	जयपुर-भीलवाड़ा वाया केकड़ी	4
	37.	जयपुर-पाली वाया केकड़ी	2
	38.	जयपुर-ब्यावर वाया केकड़ी-मसूदा	8
	39.	केकड़ी-मेहरूकलां	1
	40.	जयपुर-मेहरूकलां	1
	41.	जयपुर-देवगांव वाया केकड़ी	1
	42.	देवगांव-जयपुर	1
	43.	जयपुर-हिसामपुर वाया केकड़ी	2
	44.	मालपुरा-केकड़ी	3
जोधपुर	45.	जोधपुर-कोटा वाया केकड़ी	4
पाली	46.	पाली-कोटा वाया केकड़ी	2
ब्यावर	47.	केकड़ी-ब्यावर वाया मसूदा	12
	48.	नान्दसी-केकड़ी वाया मसूदा	2
	49.	केकड़ी-जयपुर वाया मालपुरा	2
ब्यावर	50.	ब्यावर-रावतभाटा वाया केकड़ी-कोटा	2
	51.	जोधपुर-रावतभाटा वाया केकड़ी-नसीराबाद	2
ब्यावर	52.	ब्यावर-कोटा वाया मसूदा	4
	53.	ब्यावर-देवली वाया मसूदा	2
	54.	ब्यावर-मेहरूकला	2

1	2	3	4
	55.	ब्यावर-कोटा वाया अजमेर-केकड़ी	2
जालौर	56.	ब्यावर-शिवपुरी वाया अजमेर-केकड़ी	2
	57.	जालौर-शिवपुरी वाया केकड़ी	2
		कुल	**241**

जयपुर-अलवर राजमार्ग पर संचालित डीलक्स बसें

45. श्री बनवारी लाल सिंघल (अलवर शहर) : क्या यातायात मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) जयपुर-अलवर राजमार्ग पर राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम की कितनी डीलक्स बसों का प्रतिदिन संचालन होता है?

(2) क्या यह सही है कि जयपुर-अलवर राजमार्ग पर यात्री भार को देखते हुए डीलक्स बसों की संख्या नगण्य है? यदि हां, तो क्या सरकार जयपुर-अलवर राजमार्ग पर डीलक्स बसों की संख्या में बढ़ोतरी करने का विचार रखती है? यदि हां, तो कब से व नहीं, तो क्यों?

उत्तर

(1) राजस्थान परिवहन निगम द्वारा वर्तमान में जयपुर-अलवर राजमार्ग पर डीलक्स बस सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा है।

(2) जयपुर-अलवर राजमार्ग पर राजस्थान परिवहन निगम द्वारा डीलक्स बस सेवा का संचालन नहीं किया जा रहा है।

प्रायोगिक तौर पर उक्त मार्ग पर जयपुर-दिल्ली वाया अलवर एक डीलक्स सेवा का संचालन किये जाने पर विचार किया जा रहा है।

फुलेरा विधान सभा क्षेत्र में सड़क निर्माण के लम्बित प्रस्ताव

46. श्री निर्मल कुमावत (फुलेरा) : क्या कृषि विपणन राज्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :-

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में कितनी कृषि उपज मण्डी समितियां कहां-कहां कार्यरत हैं? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(2) उक्त मण्डी समितियों में कर्मचारियों के किस-किस प्रकार के कितने पद कहां-कहां स्वीकृत हैं और उनमें से कितने पद कहां-कहां रिक्त हैं? रिक्त पदों को कब तक भर दिया जाएगा? विवरण सदन की मेज पर रखें।

(श्री निर्मल कुमावत)

(3) उक्त मण्डी समितियों को वर्ष 2003-04 से अब तक कितनी आय हुई तथा कितनी सहायता/अनुदान राज्य सरकार से प्राप्त हुआ? आय तथा राज्य सरकार से प्राप्त सहायता/अनुदान का उपयोग किस-किस मद में कितनी राशि व्यय कर किया गया? वर्षवार व समितिवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(4) उक्त मण्डी समितियों द्वारा दिनांक 1 जनवरी, 1998 से अब तक सड़क निर्माण/मरम्मत के क्या-क्या कार्य कहां-कहां कराये गये और उनमें कितनी राशि कहां-कहां व्यय की गई? वर्षवार विवरण सदन की मेज पर रखें।

(5) उक्त मण्डी समितियों में सड़क निर्माण/मरम्मत तथा अन्य विकास कार्यों के वर्तमान में कौन-कौन से प्रस्ताव लम्बित हैं? लम्बित प्रस्तावों पर कब तक स्वीकृति जारी कर दी जाएगी?

उत्तर

(1) विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में एक कृषि उपज मण्डी समिति किशनगढ़ रेनवाल है। इस मण्डी समिति के अधीन 3 गौण मण्डियां क्रमश: सांभर, फुलेरा एवं जोबनेर हैं।

(2) कृषि उपज मण्डी समिति किशनगढ़ रेनवाल में अधिकारी/कर्मचारियों के रिक्त पदों की स्थिति निम्न प्रकार है :-

क्र. सं.	पद का नाम	स्वीकृत	कार्यरत	रिक्त
1.	सचिव	1	1	—
2.	पर्यवेक्षक	1	1	—
3.	कनिष्ट लिपिक	5	5	—
4.	निलामकर्ता	1	1	—
5.	निलाम लिपिक	1	2	—
6.	च.श्रे. कर्म.	6	6	—
7.	जलवाहक	3	3	—
8.	चौकीदार	3	3	—
9.	सफाईकर्ता	4	4	—

(कृषि विपणन राज्य मंत्री)

(3) मण्डी समितियों में वर्ष 2003-04 से आय व व्यय का विवरण संलग्न परिशिष्ट “अ” के अनुसार है।

(4) मण्डी समिति किशनगढ़, रेनवाल में 1 जनवरी, 1998 से मार्च, 2009 तक कुल 20 सड़कें जिनकी लम्बाई 50.31 कि.मी. है, का निर्माण कराया गया है जिस पर राशि रुपये 457.70 लाख का व्यय किया गया है। वर्षवार विवरण परिशिष्ट “ब” पर संलग्न है।

मण्डी समिति किशनगढ़, रेनवाल में 1 जनवरी, 1998 से मार्च, 2009 तक कुल 43 सड़कों, जिनकी लम्बाई 142.80 कि.मी. है, की विशेष मरम्मत कराई गई है जिस पर राशि रुपये 500.29 लाख का व्यय किया गया है। वर्षवार विवरण परिशिष्ट “स” पर संलग्न है।

इसके अतिरिक्त मण्डी समिति किशनगढ़, रेनवाल में 1 जनवरी, 1998 से मार्च, 2009 तक विभिन्न सड़कों की वार्षिक मरम्मत पर राशि रुपये 20.09 लाख व्यय किये गये हैं। जिनका विवरण वर्षवार परिशिष्ट “द” पर संलग्न है।

(5) दिनांक 15.6.2009 को निम्न कार्यों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव प्राप्त हुए जो स्वीकृति हेतु प्रक्रियाधीन है।

क्र. सं.	**नाम निर्माण कार्य**	**स्वीकृति हेतु प्रस्तावित राशि**
1.	वाटर सप्लाई सिस्टम	9.92 लाख रुपये
2.	गेट एवं चैक पोस्ट कार्य	3.58 लाख रुपये

(विवरण विस्तृत होने के कारण विधान सभा पुस्तकालय में रखे गये)

परिशिष्ट-1

(तारांकित प्रश्न संख्या-22 की प्रतिलिपि)

परिशिष्ट "क"

राजस्थान सरकार

राजस्व (ग्रुप-I) विभाग

क्र.पं. 9(1)राज-1/97 **जयपुर, दिनांक 18.5.2006**

<u>आदेश</u>

राज्य में नवीन जिलों के गठन/पुनर्गठन के प्रस्तावों पर विस्तृत परीक्षण कर जिले स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में राज्य सरकार को रिपोर्ट प्रस्तुत किये जाने के लिए निम्न समिति का गठन किया जाता है :-

1-	अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर	—	अध्यक्ष
2-	प्रमुख शासन सचिव, राजस्व.	—	सदस्य
3-	प्रमुख शासन सचिव, वित्त	—	सदस्य
4-	प्रमुख शासन सचिव, सामान्य प्रशासन वि.	—	सदस्य

उक्त समिति में अध्यक्ष, राजस्व मण्डल, अजमेर समिति के कन्वीन भी बनाये जाते हैं।

उक्त समिति अपनी रिपोर्ट शीघ्र राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगी।

आज्ञा से,
ह0/-
(सोहन लाल)
शासन सचिव

परिशिष्ट-2

(तारांकित प्रश्न संख्या-23 की प्रतिलिपि)

नगरपालिका बोर्ड (Municipality Board)

7. नगरपालिका बोर्डो की स्थापना और निगमन (Establishment and incorporation of municipal Boards) प्रत्येक संक्रमणकालीन क्षेत्र में एक नगरपालिका बोर्ड की स्थापना की जायेगी और प्रत्येक ऐसा बोर्ड उस स्थान के, जिसके प्रति निर्देश से नगरपालिका जानी जाती है, नगर पालिका बोर्ड के नाम से एक निगमित निकाय होगा तथा उसे शाश्वत उत्तराधिकार होगा और उसकी एक सामान्य मुहर होगी तथा उसके निगमित नाम से वह वाद चला सकेगा या उस पर वाद चलाया जा सकेगा :

लेकिन ऐसे नगरीय क्षेत्र या उसके भाग में इस धारा के अधीन किसी बोर्ड का गठन नहीं किया जा सकेगा जिसे राज्यपाल क्षेत्र के आकार को और उस क्षेत्र के किसी औद्योगिक संस्थान द्वारा उपबंधित की जा रही या उपबंधित किये जाने हेतु प्रस्तावित नगर पालिका सेवाओं को और ऐसी अन्य बातों को, जो वह ठीक समझे, ध्यान में रखते हुए अधिसूचना द्वारा औद्योगिक नगर विनिर्दिष्ट करें ;

उन कस्बों का विवरण जो उपखण्ड मुख्यालय एवं तहसील मुख्यालय नहीं है फिर भी नगरपालिका का दर्जा प्रदान किया गया है :-

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	क्र. सं.	नगर निकाय का नाम
1.	पुष्कर	9.	बीदासर
2.	विजयनगर	10.	राजलदेसर
3.	कुचामनसिटी	11.	रतननगर
4.	कुचेरा	12.	गजसिंहपुर
5.	मूण्डवा	13.	केसरीसिंहपुर
6.	देशनोक	14.	जोबनेर
7.	नापासर	15.	फुलेरा
8.	छापर	16.	कि. रेनवाल

क्र. सं.	नगर निकाय का नाम	क्र. सं.	नगर निकाय का नाम
17.	बगरू	31.	लोसल
18.	खैरथल	32.	भुसावर
19.	खेरली	33.	तख्तगढ़
20.	भिवाड़ी	34.	सादड़ी
21.	बिसाउ	35.	फालना
22.	बग्गड	36.	रानीखुर्द
23.	मण्डावा	37.	फतेहनगर
24.	मुकन्दगढ़	38.	भीण्डर
25.	पिलानी	39.	कानोड
26.	सूरजगढ़	40.	परतापुर
27.	विधाविहार	41.	कैथून
28.	रामगढ़ शेखावाटी	42.	लाखेरी
29.	खण्डेला	43.	कापरेन
30.	रींगस		

परिशिष्ट-3

(प्रक्रिया के नियम 295 के तहत प्राप्त विशेष उल्लेख के प्रस्ताव जो पढ़े हुए माने गये)

फुलेरा की गौशालाओं को पर्याप्त अनुदान व सहायता उपलब्ध करवाने बाबत

मैं राजस्थान विधान सभा के प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में स्थित गौशालाओं को चारा एवं अनुदान उपलब्ध कराने के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा में पानवा, किशनगढ़, रेनवाल, बधाल, भादवा, मंढा भीमसिंह, जोबनेर, मुरलीपुरा, बोबास, खेजड़ावास, कालख, बस्सी नागा, डूंगरी कलां, हिंगोनिया (डूंगरी), जोरपुरा सुन्दरियावास में पंजीकृत गौशालाएं संचालित हैं। इसके अतिरिक्त फुलेरा व लूनियावास में अपंजीकृत गौशाला संचालित है। इन गौशालाओं में लगभग 5 हजार गायें हैं।

इस साल अब तक बरसात नहीं होने से अकाल की आशंका पैदा हो गई है। इन गौशालाओं में गायों के लिए चारे का अभाव पैदा हो गया है। इसके अतिरिक्त बांट व पेयजल की व्यवस्था भी इन गौशालाओं में धनाभाव के कारण नहीं हो पा रही है। वर्तमान में सरकार द्वारा इन गौशालाओं को कोई सहायता नहीं दी जा रही है जिसके कारण इन गायों के लिए चारे, बांट व पेयजल की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। गायों को चारा, बांट व पेयजल उपलब्ध नहीं होने से वे भूख से तड़प-तड़प कर मर रही हैं या भयंकर बीमारियों की शिकार हो रही हैं।

अत: इस प्रस्ताव के माध्यम से मैं अनुरोध करना चाहूंगा कि मेरे विधान सभा क्षेत्र फुलेरा की गौशालाओं को पर्याप्त अनुदान व सहायता उपलब्ध करायी जाए ताकि गौधन को बचाया जा सके।

श्री निर्मल कुमावत
(फुलेरा)

सोजत विधान सभा क्षेत्र में पेयजल संकट के बाबत

उपर्युक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि राजस्थान के पाली जिले के सोजत विधान सभा क्षेत्र के पश्चिम, पूर्वी व उत्तरी क्षेत्र के गांवों में पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है, तथा सोजत नगर के लिए भी इस समस्या में है। सोजत नगर की जनसंख्या 38,881 (2001) के अनुसार थी जो अब वर्तमान में 44,000 है। सोजत नगर में पेयजल की

मांग 44.00 लाख लीटर प्रतिदिन है तथा नगर में 171 हैण्ड पम्प है जिनमें 33 हैण्ड पम्प मृत हैं तथा 60 सूखे हैं 26 हैण्ड पम्प खराब हैं बाकी हैं। हैण्ड पम्पों में फ्लोरइड युक्त पानी है जो पीने योग्य नहीं है सोजत नगर में सप्लाई फ्लोराइडयुक्त पानी व अन्य जल स्रोतों से लाकर 96 घण्टों में सप्लाई दी जा रही थी जो बढ़कर अब 10 व 12 दिन हो गई है। उसके साथ ही सोजत विधान सभा क्षेत्र के गांवों में कोई स्थाई जल स्रोत नहीं होने के कारण समस्या का निपटारा के लिए सरकार के द्वारा कंटनजेन्सी योजना के द्वारा वैकल्पिक व्यवस्था टैंकरों द्वारा की गई हैं जिस कंटनजेन्सी योजना के तहत शहर के अन्दर सिन्टैक्स के टैंक रखे गये है जो एक ही वार्ड में 6-6 टैंक रखे गये हैं तथा टैंकरों द्वारा पानी की सप्लाई गांवों व ढाणियों व शहरों में केवल कागजी सप्लाई है क्योंकि ढाणियों व गांवों में टैंकर पहुंचते ही उसका भेदभाव हो जाता है जिससे आम जनता मूकपशु इस समस्या से झूझ रहे हैं पूर्व में सोजत शहर के लिए 22,00 टी.डी.एस. पानी की सप्लाई होती थी वो भी अभी बन्द है पूर्व सरकार द्वारा सोजत विधान सभा के लिए 110.00 करोड की जवाई पाइप योजना स्वीकृत की थी तथा 17.00 करोड की योजना रायपुर के (दीपावास बांध) योजना रायपुर तह. के सोजत विधान सभा क्षेत्र में आ रही 12 पंचायतों के लिए योजना स्वीकृत हुई थी उसका कार्य अभी प्रारम्भ नहीं हुआ समय रहते हुए इन योजनाओं पर अमल किया होता तो आज पानी का स्थायी समाधान हो जाता, करोड़ों का बजट इस वैकल्पिक अव्यवस्था पर खर्च नहीं होता।

अत: आपसे अनुरोध है कि सोजत विधान सभा क्षेत्र में पानी की आपूर्ति निश्चित करावें व स्थायी व्यवस्था कर पेयजल समस्या से मुक्ति दिलावें।

आदर सहित।

श्री संजना आगरी

(सोजत)

आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा की तिथि बढ़ाने विषयक

उपर्युक्त विषयान्तर्गत में मैं आपका ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा 25 जुलाई से होने जा रही है। लेकिन परीक्षा से पूर्व ही RAS/RTS 2007-08 के साक्षात्कार 04 सितम्बर तक चलेंगे और इसी अवधि में 25 जुलाई से 12 अगस्त तक पुन: मुख्य परीक्षा आयोजित होगी जो स्थापित परम्पराओं तथा छात्र हितों के प्रतिकूल है। पूर्व में स्थापित परम्परा में कभी भी एक भर्ती प्रक्रिया पूर्ण होने से पहले दूसरी भर्ती प्रक्रिया प्रारम्भ नहीं की जा सकती है। पुरानी भर्ती प्रक्रिया के साक्षात्कार व नई भर्ती प्रक्रिया मुख्य परीक्षा एक साथ हो रही है। 90 प्रतिशत से अधिक छात्र साक्षात्कार व मुख्य परीक्षा दोनों दे रहे है। यदि दोनों भर्ती प्रक्रिया अलग-

अलग समय होती तो साक्षात्कार दे रहे छात्रों में से 713 प्रतियोगी चयनित हो जाते और इसमें मुख्य परीक्षा के लिए नए छात्रों को मौका मिल जाता नई भर्ती प्रक्रिया 04 सितम्बर, 2009 से पूर्व शुरू नहीं करवाई जा सकती है। यह सम्पूर्ण प्रक्रिया आयोग के अध्यक्ष हठधर्मिता के कारण हो रही है। वे अपने स्वार्थों के कारण ऐसा कर रहे है। क्योंकि उनकी सेवानिवृत्ति फरवरी, 2010 में होनी है। राज्य लोक सेवा आयोग संघ लोक सेवा आयोग के मानकों के अनुसार चलता है संघ लोक सेवा आयोग के इतिहास में आज तक पुरानी भर्ती प्रक्रिया के साक्षात्कार व नई भर्ती प्रक्रिया में कभी टकराव नहीं हुआ।

अत: सरकार से अनुरोध है कि नई भर्ती प्रक्रिया 4 सितम्बर, 2009 के बाद ही प्रारम्भ की जाए व वर्तमान में चलने वाले साक्षात्कार व मुख्य परीक्षा के टकराव को टालते हुए परीक्षा तिथियां बदली जाएं और छात्र हितों की रक्षा की जावे।

श्री पवन कुमार दुग्गल

(अनुपगढ़)

गंगा, यमुना चम्बल नदियों का पानी राज्य में लाने तथा नरेगा में भ्रष्टाचार रोकने विषयक

निवेदन है कि-

1. नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के द्वारा सरकार का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि राजस्थान में नरेगा योजना के तहत कार्य सभी जगह चल रहा है। दिनांक 5.7.2009 रविवार को जिला परिषद् अजमेर की साधारण सभा सम्पन्न हुई जिसमें मुख्य मुद्दा कांग्रेस के विधायकों ने नरेगा में भ्रष्टाचार को जबरदस्त उठाया गया। दिनांक 7.7.2009 को केन्द्रीय पंचायती राज्य मंत्री के द्वारा लोकसभा में उक्त भ्रष्टाचार के मुद्दे को प्रदेश व केन्द्र में कांग्रेस विधायक व कांग्रेस के मंत्रियों द्वारा उठाया जा रहा है।
2. नरेगा में भ्रष्टाचार का मुर्हत तो मेटो व छोटे कर्मचारियों से पहले तो बड़े अधिकारियों ने ही अस्थायी कान्ट्रेक्ट पर अनट्रेन्ड स्टाफ लगाकर कर दिया है जिससे भ्रष्टाचार बढ़ा है। एक प्राइवेट पी.ओ. जिसका मानदेय 15,000/- रु. प्रतिमाह है उसके अधीन एक सहायक अभियन्ता जो स्थायी एवं राजपत्रित अधिकारी है जिसका वेतन 30-35 हजार प्रतिमाह है, ये कैसा न्याय है?
3. ब्यावर ग्रामीण क्षेत्र में पीने के पानी के लिए बीसलपुर की स्वीकृत 1.59 करोड़ की योजना को आपकी सरकार ने निरस्त कर दी है साथ ही ब्यावर

क्षेत्र में पीने के पानी को गांवों में टैंकरों द्वारा पानी पहुंचाने का ठेका 160/- रु. प्रति टैंकर से सरकारी ठेकेदार को दिया गया है जबकि गांवों में अन्य प्राइवेट टैंकर 300 से 350 रु. प्रति टैंकर गांव में सप्लाई कर रहे हैं तो 160/- रु. में सरकारी ठेकेदार को पानी कैसे मिलेगा। ठेकेदार को पानी मिला ही नहीं है तो फिर भी गांवों में सप्लाई सिर्फ सरकारी कागजों में ही हो रही हैं। पानी की त्राहि-त्राहि मची हुई है लेकिन अधिकारियों की मिलीभगत से कागजों में पानी के टैंकरों की गिनती पूरी हो रही है। सरकार पीने के पानी के भ्रष्टाचार को रोकने की कार्यवाही करे।

4. राजस्थान में 80 फीसदी जनता किसान वर्ग से है। किसान को सिर्फ खेत में पानी चाहिये हर खेत में पानी मिलेगा तो पैदावार होगी, किसान की गरीबी दूर होगी, देश की गरीबी मिट जायेगी। देश की गरीबी मिटानी है और नरेगा में भ्रष्टाचार मिटाना है तो नरेगा योजना सुधार कर इससे गंगा, यमुना, चम्बल नदियों के पानी को राजस्थान के बीच लाना होगा।

सरकार इस योजना में कार्य संशोधन कराकर केन्द्र सरकार से राजस्थान के चारों तरफ नदियों का पानी लाने की कार्यवाही करें।

श्री शंकर सिंह रावत

(ब्यावर)

जयपुर शहर की पेयजल समस्या के निराकरण बाबत

जयपुर शहर में दूषित पानी के कारण कई लोगों ने अपनी जान गंवा दी है, कई मासूम बच्चे अपना जीवन गंवा चुके हैं तथा कई लोग दूषित पानी के कारण गम्भीर रूप से अस्पतालों में अपना इलाज करवा रहे हैं।

परकोटे के अन्दर बसी हुई बस्तियों में पेयजल की लाइनें बहुत पुरानी होने के कारण पाइप लाइनें क्षतिग्रस्त होने से उनमें से पानी सड़कों पर बहता रहता है तथा गन्दगी उन पाइप लाइनों में जाने के कारण पानी दूषित हो जाता है और कई जगह तो सीवर लाइन से पाइप लाइन में पानी रिसाव के कारण सम्पूर्ण क्षेत्र में जाने वाला पानी दूषित हो जाता है।

जयपुर शहर में परकोटे के अन्दर पेयजल की काफी समस्या है तथा कई गलियों में तो अभी तक पानी की लाइनें नहीं डाली हैं। जयपुर शहर में लोगों को तीन दिनों तक भी पानी उपलब्ध नहीं हो पा रहा है और कहीं बिलकुल ही खारा पानी आ रहा है। जाट के कुऐं का रास्ता, जयलाल मुंशी का रास्ता, उनियारों का रास्ता, बगरू वालों का रास्ता, मिश्र राजाजी का रास्ता, चौड़े रास्ते में नाटाणियों का रास्ता, चाकसू का चौक, भैंरू का नाला, ऊंची कोठी, लक्ष्मीनारायणपुरी, श्यामपुरी, सीतारामपुरी, मोचियों

की गली, कुम्हारों का मौहल्ला, मण्डी खटीकान, श्रीराम कालोनी, लुहारों का खुर्रा, वनस्थली मार्ग, लालपुरा कालोनी, बापू कालोनी, मोतीलाल अटल रोड, माली कालोनी, सीकर हाउस आदि कई स्थानों पर लोगों को अपने घरों से काफी दूर जाकर पानी भरना पड़ता है तथा पानी के कम दबाव एवं स्वच्छ जल के अभाव के कारण कई लोगों को एक बाल्टी पानी भी नहीं मिलता है जिस कारण वहां के नागरिकों में काफी आक्रोश है। यहां कई गलियां संकरी होने के कारण टैंकर भी गलियों में नहीं पहुंच पाते हैं।

अत: मेरा माननीय जन स्वा. अभि. मंत्री से इस प्रस्ताव के माध्यम से निवेदन है कि विभाग के अधिकारियों को इस प्रकार की समस्याओं के शीघ्र निराकरण करने हेतु निर्देशित करने एवं उनकी जिम्मेदारी सुनिश्चित जयपुर शहर के परकोटे के उपरोक्त स्थानों का सर्वे कराकर नई पाइप लाइन बिछाने, पानी का प्रेशर ठीक रखने, नए हैण्ड पम्प लगवाने, खराब हैण्ड पम्पों को ठीक कराने तथा कई जगहों पर पानी की टंकियां रखवाने हेतु सम्बन्धित अधिकारियों को निर्देश देकर शीघ्रता से समस्या का समाधान कराने का श्रम करें।

श्री मोहन लाल गुप्ता

(किशनपोल)

नसीराबाद की पेयजल समस्या के निराकरण बाबत

मैं राजस्थान विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन सम्बन्धी नियमों के नियम 295 के अन्तर्गत मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद में पेयजल की गम्भीर स्थिति के सम्बन्ध में विशेष उल्लेख प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहता हूं।

मेरा विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद गम्भीर पेयजल की समस्या से ग्रस्त हैं। भूजल स्तर अत्यन्त गहरा चला गया है। मेरे क्षेत्र के पंचायत समिति-पीसांगन के अधीन गांवों में पेयजल की गम्भीर स्थिति हो गई है जनता में भारी आक्रोश है। यदि स्थिति सुधारी नहीं गई तो कानून व्यवस्था की स्थिति भी बिगड सकती हैं।

फ्लोराइड नियंत्रण परियोजना अजमेर पीसांगन के तहत मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद के 53 गांव 85 ढाणियां व पुष्कर विधान सभा क्षेत्र के 59 गांव 84 ढाणियों को बीसलपुर बांध से पानी का वितरण किया जाना है, इस परियोजना हेतु राज्य सरकार द्वारा पी.पी.सी. 175वीं व 180वीं बैठक में 221.34 करोड़ की स्वीकृति जारी की जा चुकी है। तकनीकी समिति की 461वीं बैठक दिनांक 20.9.2008 में उक्त परियोजना को 8 पैकेज में विभक्त किया गया। तकनीकी समिति की 462वीं बैठक दिनांक 25.11.2008 से 2 कलस्टर (1) लामाना (2) जेठाना स्वीकृत किये जा चुके हैं।

वित्तीय वर्ष 2008-09 में विभाग द्वारा 275 लाख का बजट उक्त परियोजना हेतु आबंटित किया गया किन्तु विधान सभा की आचार संहिता के कारण टेण्डर नहीं

किये गये। वित्तीय वर्ष 2008-09 में रुपये 0.01 लाख मात्र (यानि 1000 रुपये) का सरकार द्वारा बजट आबंटित किया गया उक्त दोनों कलस्टरों की निविदाऐं विभाग द्वारा 26.6.2009 को प्राप्त की जानी थीं किन्तु सरकार द्वारा बजट आबंटित नहीं करने के कारण उक्त निविदाऐं जलदाय विभाग द्वारा निरस्त कर दी गई हैं।

अत: नियम 295 के तहत विशेष उल्लेख प्रस्ताव के तहत आपके माध्यम से माननीय जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी मंत्री से अनुरोध हैं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नसीराबाद व पुष्कर विधान सभा क्षेत्र की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु उक्त परियोजना हेतु बजट आबंटन अविलम्ब कराने की कृपा करें।

श्री महेन्द्र सिंह गुर्जर
(नसीराबाद)

दौसा जिले में पानी की समस्या के समाधान हेतु योजना स्वीकृति की मांग

पिछले काफी वर्षों से लगातार कम वर्षा एवं पानी के दोहन से पूरा जिला दौसा, जो देश आजाद होने पर हरा भरा था एवं जिसमें जमवारामगढ़ बांध से पानी की नहर जाती थी, आज बिल्कुल सूखे में बदल गया। जिसके कारण खेती होना तो दूर की बात पीने का पानी भी उपलब्ध नहीं है।

राजस्थान में अब से पूर्व सरकार चाहे वो किसी की भी रही हो, इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जिसके कारण जिले को प्रकृति एवं सरकार दोनों की मार खानी पड़ी। जमीन के अन्दर जो पानी है अधिकतर, दौसा तहसील, दौसा जिला मुख्यालय, बसवा तहसील व सिकराय तहसील का कुछ भाग, फ्लोराइड युक्त है। अब तक पीने का पानी जो छोटे-मोटे सोर्स, कहीं दूर थे उनसे काम चल रहा था, लेकिन वहां का जल स्तर भी नीचे जाने के कारण उसमें फ्लोराइड की मात्रा बढ़ती जा रही है। दौसा जिला मुख्यालय एवं जिन गांवों के लोग इस फ्लोराइड युक्त पानी को पी रहे हैं उनके दांत गिर रहे हैं एवं कई शारीरिक रूप से विकलांग होते जा रहे हैं।

उक्त परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए मैं लोक महत्व के इस महत्वपूर्ण विषय की ओर सरकार का ध्यान दिलाकर निवेदन करता हूं कि दौसा जिले में पीने के पानी की गम्भीर समस्या को देखते हुए भारत निर्माण के तहत या कोई अन्य योजना के तहत, बड़ी योजना चम्बल नदी, जिसकी दूरी दौसा से मात्र 150 कि.मी. है, या बीसलपुर बांध से स्वीकृत करवाने की व्यवस्था कराने का श्रम करें।

श्री मुरारी लाल मीणा
(दौसा)

नगर में निरन्तर हो रही चोरी की वारदातों पर अंकुश लगाने विषयक

कृपया मैं आपका ध्यान मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर में आये दिन चोरियों की वारदात के बारे में आकृष्ट करना चाहती हूं कि मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर में आये दिन चोरियों की वारदात हो रही है। जिन पर पुलिस विभाग कोई अंकुश नहीं लगा पा रहा है।

क्योंकि मेरे विधान सभा क्षेत्र नगर में पुलिस की मिलीभगत एवं निष्क्रियता से अपराधी खुलेआम चोरी के बदले फिरौती मांग रहे है एवं जब 100 चोरियां होती हैं तो उनमें से केवल 10 में ही रिपोर्ट दर्ज की जाती है और ना ही कोई कार्यवाही अमल में लाई जाती है। क्योंकि यह फिरौती का मामला है। इस कारण ही ना तो रिपोर्ट दर्ज की जाती है ना ही कोई कार्यवाही अमल में लाई जाती है यह तय बात है जिसकी चोरी होती है, उसी को अपने सामान की निम्न दरों अनुसार राशि फिरौती के बदले में दी जाती है, जैसे-मोटर साइकिल के बदले 15000, भैंस के 10000, जुगाड़ के 35000, ट्रैक्टर के बदले 50000 रुपये से ऊपर फिरोती के लिए दिये जाते है इंजन व अन्य सामान और तभी उसका सामान वापिस किया जाता है जब फिरौती मिल जाती है जो एफ आई आर दर्ज कराते हैं तय कर दी जाती उनकी भैंस या टैक्टर कभी वापस नहीं आएंगे इस कारण जनता परेशान है एफआईआर करने से डरते हैं।

अत: आप इन पर गौर फरमाते हुए कोई कार्य योजना तैयार करायें ताकि लोगों को राहत मिल सकें।

श्रीमती अनिता सिंह

(नगर)

रामगढ़ विधान सभा क्षेत्र में सड़कों पर हुए भारी अतिक्रमण के क्रम में

उपरोक्त विषयान्तर्गत विनम्र निवेदन है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र रामगढ़ में पी.डब्ल्यू.डी. मुख्य सड़कें एवं कृषि उपज मण्डी द्वारा निर्मित मुख्य सड़कों के दोनों तरफ लोगों ने भारी अतिक्रमण कर रखा है, जिसके कारण सडकों पर वाहनों का चलना तो दूर कभी-कभी पैदल चलना भी दूभर हो जाता है। इन सड़कों में मुख्य सडके है क्रमश: अलवर से नौगांवा वाया रामगढ़, रामगढ से गोविन्दगढ़, गोविन्दगढ़ से सीकरी, गोविन्दगढ से जालूकी, जालूकी से बडोदामेव, नौगांवा से मुबारिकपुर, मुबारिकपुर से रघुनाथगढ़ वाया पाटा मुबारिकपुर से रामगढ़ वाया खो बान्धोली निवासी होकर, मुबारिकरपुर से किशनगढ़ वाया नीकच होकर। रामगढ़ से नौगांवा वाया पूठी अलावडा चोमा चीड़वा होकर, अलवर बगड़ तिरामे तक बगड तिराये से जालूकी तक, खूटेटा कला से नांगल टप्पा, केसरोली मोड़ से उटवाल तक, छह मील से रामगढ़ वाया बेराबास रामगढ़ से अलवर भिवाड़ी रोड तक वाया बहादुरपुर दोहली होकर

रामगढ़ से जुगरावर वाया डोली खेडी मस्ताबाद ललावडी सीतल तक वाया सेथली चिडवई से बडोदामेव तक वाया जयसिंहपुरा नसवारी मोड़ से इन्दिपुर वाया सहजपुर, सहजपुर से जहानपुर आदि सड़कें इसके अलावा बहाला रोड, लोहिया तिराया से चोरोरी पहाड़, वाया गोलेटा, बटेसरा होकर न्याणा से सैदयपुर, गोविन्दगढ़ से भैसडावत गोविन्दगढ़ रामगढ़ रोड से फाहरी बीदूका तक।

श्री ज्ञानदेव आहूजा

(रामगढ़)

थानागाजी की सड़कों की मरम्मत, नवीनीकरण चौड़ा करने के क्रम में

सचिव महोदय के माध्यम से सार्वजनिक निर्माण विभाग मंत्री से निवेदन है कि थानागाजी विधान सभा क्षेत्र में थानागाजी से प्रतापगढ़ वाया गूढा तथा थानागाजी से किशोरी वाया गुढा की हालत बहुत खराब है तथा ढबकण से गढराजोर की सड़क टूटी पड़ी है। तथा टहला से तलाब की सड़क भी बहुत क्षतिग्रस्त है खोह दरीबा से टोडा जयसिंहपुरा होते हुए वाया घाटडा तथा टहला रोड राजगढ़ से थाना राजा जी होते हुए धमरेड व दूबी तक की सड़क टूटी तथा रामसिंहपुरा से देवती तक सड़क टूटी पड़ी है। उपरोक्त सड़कों के टूटने से यातायात पूर्ण रूप से बाधित है।

अत: सरकार से निवेदन है कि इस सम्बन्ध अविलम्ब मरम्मत कराई जावें।

श्री हेमसिंह भड़ाना

(थानागाजी)

चमेली देवी, श्री, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, बुहाना के पुराने भवन के पुनर्निर्माण बाबत

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि ग्राम बुहाना पंचायत बहुत बड़ा क्षेत्रफल है। पंचायत समिति भी है एस.डी.एम. तहसील आदि आफिस है वहां पर श्री चमेली देवी राज. उ. मा. विद्यालय है जिसमें पुराना भवन बना हुआ है इस स्कूल में समस्त कमरे फटे हुये है यहां पर एक ही सरकारी स्कूल है। जिसमें गरीब लोगों के बच्चे पढ़ते है परन्तु मकान नहीं होने के कारण बच्चे व बच्चियों को पेडों के नीचे बैठना पड़ता हैं आज राजस्थान में शिक्षा के नाम पर जाने वाले प्रदेश हैं जिस प्रदेश के बच्चे मकानों के बजाय पेड़ों के नीचे बैठते हैं यह प्रश्न वहां पर प्रश्नचिन्ह लगता है कि जिस प्रदेश का शिक्षा मंत्री गरीब किसान का बेटा हो और वहां का बच्चा सुविधाओं के बजाय दुविधाएं भुगते यह इस प्रदेश के लिये व हमारे लिये बहुत बडा प्रश्न है।

अत: मैं श्रीमान शिक्षा मंत्रीजी से निवेदन करूंगा कि बुहाना रा.उ.मा.

विद्यालय की बिल्डिंग को पुन: निर्माण की घोषणा करें और इस गरीबों के प्रति सहानुभूति दिखाऐं और पारदर्शी सरकार का नमूना पेश करें और जवाबदेही व उत्तरदाई सरकार का नमूना पेश करें।

श्री श्रवण कुमार

(सुरजगढ़)

कालाडेरा ग्राम में स्थित कोका कोला प्लांट का लाइसेंस निरस्त करने बाबत

उपरोक्त विषय में निवेदन है कि विधान सभा क्षेत्र चौमूं के ग्राम कालाडेरा में कोका कोला प्लांट लगा हुआ है जिसमें भारी मात्रा में पानी का दोहन हो रहा है, यदि कोका कोला प्लांट चालू रहा और इसी तरह पानी का दोहन होता रहा तो कृषि के लिये पानी का उपलब्ध रहना तो दूर की बात है बल्कि पीने का पानी भी मिलना दुर्लभ हो जावेगा।

कोका कोला कम्पनी द्वारा उत्पादित पेय पदार्थ स्वास्थ्य के लिये हानिकारक है इसी कारण लोक सभा परिसर में इस प्रकार के पेय पदार्थ की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा हुआ है।

मैं माननीय उद्योग मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा कि ग्राम कालाडेरा स्थित कोका कोला प्लांट का लाइसेन्स निरस्त करवाके प्लांट बन्द करावें जिससे पानी का दोहन बन्द हो जिससे किसानों को कृषि के लिये व आम जनता को पीने का पानी उपलब्ध होता रहे।

श्री भगवान सहाय सैनी

(चौमूं)